सत्यमेव जयते

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

(आईएसओ 9001 : 2000 प्रमाणित संगठन)

वार्षिक प्रतिवेदन

2008-2009

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

(आईएसओ 9001 : 2000 प्रमाणित संगठन)

वार्षिक प्रतिवेदन

2008-09

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

महानगर दूरसंचार भवन, जवाहर लाल नेहरु मार्ग (पुराना मिंटो रोड),

समीप जाकिर हुसैन कालेज, नई दिल्ली-110002

दूरभाष : +91-11-2323 3466, 2322 0534, 2321 3223, 2323 6308

फैक्स नं0 : +91-11-23213294

ई-मेल : ap@trai.gov.in

वेबसाइट : http://www.trai.gov.in

संप्रेषण पत्र

माननीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के माध्यम से केन्द्र सरकार की सेवा में

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) के बारहवें वार्षिक प्रतिवेदन को संसद की दोनों सभाओं के समक्ष रखे जाने के लिए भेजते हुए मुझे प्रसन्नता है। यह प्रतिवेदन वर्ष 2008-09 के लिए है। इस प्रतिवेदन में वह सूचना सम्मिलित है जो, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997, भादूविप्रा (संशोधन) अधिनियम, 2000 द्वारा यथासंशोधित, के उपबंधों के अधीन केन्द्रीय सरकार को भेजी जानी अपेक्षित है।

इस प्रतिवेदन में दूरसंचार क्षेत्र का विहंगावलोकन तथा उन विनियामक मुद्दों पर भादूविप्रा द्वारा की गई महत्वपूर्ण पहलों का सारांश निहित है जो अधिनियम के अधीन इसे अधिदेशित कृत्यों से विशिष्ट संदर्भ रखते हैं। प्राधिकरण के लेखाओं का लेखापरेक्षित वार्षिक विवरण भी प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

(डा0 जे0एस0 शर्मा)
अध्यक्ष

दिनांक : 04 नवम्बर, 2009

विषय-सूची

विवरण	पृष्ठ स.
भाग क. मिशन, लक्ष्य और उद्देश्य	1 – 2
भाग ख. प्राधिकरण की संरचना	3
भाग ग. विहंगावलोकन	5 – 27
☆ दूरसंचार क्षेत्र का विहंगम अवलोकन	5 – 15
☆ प्रसारण क्षेत्र का विहंगम अवलोकन	16 – 24
☆ टैरिक विनियमों में विकास	24-25
☆ उपभोताओं के हित के संरक्षण के लिए उपाय	25
☆ सेवा गुणवत्ता की निगरानी	25-27
☆ कार्रवाई के लिए कार्यसूची	27
भाग-एक : नीतियां तथा कार्यक्रम	29 – 88
1.1 दूरसंचार सेक्टर में व्याप्त परिवेश की समीक्षा	31 – 44
1.2 नीतियों तथा कार्यक्रमों की समीक्षा	45 – 54
भाग एक के अनुबंध	55 – 88
भाग-दो : भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कामकाज और परिचालन की समीक्षा	89 – 110
भाग-तीन : अधिनियम की धारा 11 में विनिर्दिष्ट मामलों के संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कार्यकलाप	111 – 164
भाग-चार : भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के संगठनात्मक मामले तथा वित्तीय कार्यनिष्पादन	165 – 219
4.1 भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण मे संगठनात्मक मामले	167 – 172
4.2 भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के वर्ष 2008-2009 के लेखापरीक्षित लेखे	173 – 195
4.3 भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अंशदायी भविष्य निधि 2008-2009 के लेखापरीक्षित लेखे	197-219
इस संकलन में प्रयुक्त संक्षिप्ताक्षरों की सूची	220-222

तालिका सूची

तालिका 1.1	31 मार्च, 2009 को सेवा क्षेत्रों के लिए जारी लाइसेंसों की कुल संख्या तथा सेवा दे रहे लाइसेंसियों की संख्या (बीएसएलएल एवं एमटीएनएल को छोड़कर)	57
तालिका 1.2	31 मार्च, 2009 को बुनियादी सेवा (वायरलाइन) के सब्सकाइबर आधार का सेवा क्षेत्रवार एवं प्रचालकवार ब्योरा	58 - 60
तालिका 1.3	31 मार्च 2009 को बुनियादी सेवा प्रदाताओं द्वारा स्थापित कुल डीईएल तथा कुल प्रतीक्षा सूची	61
तालिका 1.4	31 मार्च, 2008 की तुलना में 31 मार्च, 2009 को बुनियादी सेवा प्रदाताओं के संबंध में सज्जित स्विचिंग क्षमता,निवल क्षमता वृद्धि आदि के विवरण	62-64
तालिका 1.5	31 मार्च 2008 की तुलना में 31 मार्च, 2009 को पब्लिक कॉल ऑफिसों का प्रचालकवार और सर्किलवार ब्यौरा।	65-67
तालिका 1.6	31 मार्च, 2009 के स्थिति के अनुसार वीपीटी की प्रचालकवार तथा सर्किलवार स्थिति	68-70
तालिका 1.7	मार्च, 2005 से मार्च, 2009 तक मोबाइल (जीएसएम तथा सीडीएमए) सेवा का उपभोक्ता आधार (मिलियन) में	71
तालिका 1.8	मार्च, 2009 में विभिन्न मोबाइल ऑपरेटरों के उपभोक्ताओं की संख्या के आधार पर बाजार में हिस्सा	72-78
तालिका 1.9	31 मार्च, 2009 को सेल्युलर सेवा प्रदाताओं (जीएसएम तथा सीडीएमए) की सूची	79
तालिका 1.10	31 मार्च, 2009 को वीएसएटी ग्राहकों की संख्या	79
तालिका 1.11	31 मार्च, 2009 को पीएमआरटीएस ग्राहकों की संख्या	80
तालिका 1.12	आईएसपी द्वारा यथासूचित सब्सक्राइबर आधार तथा अन्य विवरण	81-86
तालिका 1.13	31 मार्च, 2009 को ऐसे इंटरनेट टेलीफोन सेवा प्रदाताओं की सूची, जिन्होंने सेवा आरंभ करने की सूचना दी है	87
तालिका 2.1	वायरलैस सब्सक्राइबर आधार (मिलियन में)	97
तालिका 2.2	वायरलैस प्रचालकों का सब्सक्राइबर आधार	98
तालिका 3.1	दूरसंचार टैरिफ आदेश (संशोधन)	114
तालिका 3.2	भादूविप्रा द्वारा वर्ष 2008-09 के दौरान जारी किए गए विनियम	117
तालिका 3.3	वर्ष 2008-09 की अवधि के दौरान प्राधिकरण द्वारा की गई सिफारिशों की सूची	128

क.
मिशन, लक्ष्य और उद्देश्य

क.1. उद्देशिका

1. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) का सदैव यह प्रयास रहा है कि दूरसंचार क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़े और वहनीय कीमत पर बेहतर गुणवत्ता प्राप्त हो सके ताकि नई दूरसंचार नीति, 1999 के उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। सरकार की 9 जनवरी, 2004 की अधिसूचना के माध्यम से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997, जिसे भादूविप्रा (संशोधन) अधिनियम, 2000 द्वारा संशोधित किया गया है, की धारा 2 (ट) में प्रसारण और केबल सेवाओं को भी दूरसंचार सेवा की परिभाषा के अंतर्गत लाया गया है। 2006-07 में भारत में दूरसंचार क्षेत्र, जिसमें प्रसारण तथा केबल सेवाएं भी शामिल हैं, की तस्वीर बदलने, सेवाओं का क्षेत्र बढ़ाने और उसकी उपलब्धता और पहुंच में विस्तार के लिए अनेक नीतिगत पहल कदम उठाए गए।

2. भारत मे दूरसंचार क्षेत्र ने पिछले वर्ष उल्लेखनीय विकास दर्शाया है जिसे मुख्य से मोबाइल टेलीफोनी की अभूतपूर्व मांग ने बल प्रदान किया है। भारत चीन के पश्चात विश्व में दूसरा विशालतम दूरसंचार नेटवर्क बन गया है। प्रति माह लगभग 15 मिलियन कनेक्शनों की वर्तमान वृद्धि हमें इस प्रतिवेदन के मुद्रित हाने के समय तक 500 मिलियन लाइनों के लक्ष्य को प्राप्त करने का ठोस आधार प्रदान करती है, जोकि वर्ष 2010 में लक्ष्य की निर्धारित तारीख से काफी पूर्व है। 31 मार्च, 2009 को ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबरों की कुल संख्या 6.22 मिलियन थी तथा इसके अलावा, 11.09 मिलियन इंटरनेट सब्सक्राइबर थे। प्रसारण और केबल क्षेत्र में पूरे देश में 60,000 से अधिक केबल टीवी प्रचालकों के साथ 82 मिलियन से अधिक केबल टीवी कनेक्शन हैं।

3. उल्लेखनीय नीति और विनियामक पहलों ने भारतीय दूरसंचार क्षेत्र का नेतृत्व रूपांतरण की एक प्रमुख प्रक्रिया तक किया है। अपनी विकासोन्मुखी और उपभोक्ता संचालित प्रणालियों के माध्यम से भादूविप्रा ने भारतीय दूरसंचार को आर्थिक सुधारों का आदर्श नमूना बनाने में मदद की है। विनियामक क्रियाकलापों के लिए अपेक्षित उत्कृष्ट संतुलन उल्लेखनीय रूप से कायम रखते हुए भादूविप्रा ने इष्टतम नेटवर्क निर्माण तथा प्रचालनों में कार्यकुशलता पर ध्यान केन्द्रित किया है। सही समय पर किए गए हस्तक्षेपों तथा स्थगनों की सहायता से भादूविप्रा ने दूरसंचार क्षेत्र का नेतृत्व एकाधिकार वाली व्यवस्था से लेकर एक खुले परिपक्व बाजार तक किया है। ऐसा उन भारतीय उपभोक्ताओं की प्रशंसा और लाभ के मध्य विकास एवं प्रतिस्पर्धी ताकतों द्वारा किया गया है जोकि इसके परिणामस्वरूप विश्व में न्यूनतम टैरिफों के साथ सेवाओं की एक व्यापक श्रृंखला का आनंद उठा रहे हैं। इस प्रकार, सही दिशा में उठाए गए नपे-तुले कदमों के माध्यम से भारत न केवल दूसरे स्थान पर पहुंच गया है बल्कि पूरे विश्व में

सबसे अधिक तेज विकसित होता दूरसंचार बाजार भी बन गया है।

क.2. भादूविप्रा का मिशन

4. भादूविप्रा का मिशन है देश में दूरसंचार, जिसमें प्रसारण और केबल सेवाएं भी शामिल हैं, के विकास के लिए उपयुक्त तरीके से, और उपयुक्त गति से, ऐसी परिस्थितियों को सृजित करना और उनका पोषण करना जिनसे उभरते विश्व सूचना समाज में भारत अग्रणी भूमिका निभा सके।

क.3. भादूविप्रा के लक्ष्य और उद्देश्य

5. भादूविप्रा के लक्ष्य और उद्देश्यों की दिशा और केन्द्रबिंदु, नई दूरसंचार नीति 1999 के उद्देश्यों की प्राप्ति को आसान बनाने वाली विनियामक व्यवस्था का निर्माण करना है। जैसा इस प्रतिवेदन में आगे उल्लिखित विभिन्न पहल-कदमों में स्पष्ट किया गया है, भादूविप्रा के लक्ष्य और उद्देश्य इस प्रकार हैः-

- देश में टेलीघनत्व बढ़ाना और वहन किए जा सकने वाले मूल्यों पर दूरसंचार सेवाएं प्रदान करना,
- विस्तार, मूल्य एवं गुणवत्ता की दृष्टि से, विश्व की श्रेष्ठतम दूरसंचार सेवाओं के समान सेवाएं उपलब्ध कराना,
- न्यायोचित और पारदर्शी नीति का वातावरण बनाना जिससे समान प्रतिस्पर्धा क्षेत्र को बढ़ावा मिले और पर उचित प्रतिस्पर्धा मुहैया हो,
- उचित, पारदर्शी, त्वरित तथा साम्यतापूर्ण अंतरसंयोजन वाली अंतरसंयोजन व्यवस्था की स्थापना करना।
- टैरिफों का पुनः संतुलन करना ताकि, उपभोक्ताओं की वहनशीलता और साथ ही प्रचालक की अर्थक्षमता के उद्देश्यों की निरन्तर आधार पर पूर्ति हो।
- उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना तथा सेवा की उपलब्धता, मूल्य एवं सेवा गुणवत्ता और अन्य मामलों से जुड़ी ग्राहकों की आम समस्याओं का समाधान करना,
- विभिन्न प्रचालकों द्वारा दी जा रही सेवाओं की गुणवत्ता की निगरानी करना।
- सुदूर और ग्रामीण इलाकों में दूरसंचार सेवाएं पहुँचे और दूरसंचार प्रचालक सार्वभौमिक सेवा दायित्त्व को निभाएं इसके लिए निवल लागत क्षेत्रों/सार्वजनिक टेलीफोनों के वित्त-पोषण हेतु अपेक्षित तंत्र की व्यवस्था करना,
- सेवाओं और प्रौद्योगिकियों के अभिसरण के युग में, निर्बाध प्रवेश का आधार तैयार करना,
- वाणिज्यिक तथा गैर-वाणिज्यिक चैनलों के जरिए भारत में रेडियो कवरेज को बढ़ाना,
- टीवी चैनल प्राप्त करने के संबंध में उपभोक्ताओं के विकल्प बढ़ाना और टेलीविजन तथा अन्य सम्बद्ध सुविधाएं कौन सा ऑपरेटर प्रदान करेगा इसका चुनाव करने का विकल्प प्रदान करना।

ख.
प्राधिकरण की संरचना

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2000 द्वारा यथासंशोधित, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 में यह विनिर्दिष्ट है कि प्राधिकरण में एक अध्यक्ष, अधिकतम दो पूर्णकालिक सदस्य और अधिकतम दो अंशकालिक सदस्य होंगे।

प्राधिकरण की संरचना इस प्रकार है

नाम	पदनाम	कार्यभार संभालने की तारीख
श्री नृपेन्द्र मिश्र	अध्यक्ष	22.03.2006
श्री ए.के. साहनी	सदस्य	29.06.2006
श्री आर0एन0 प्रभाकर	सदस्य	27.02.2007
प्रो0 एन. बालाकृष्णन	अंशकालिक सदस्य	26.09.2006
डॉ0 राजीव कुमार	अंशकालिक सदस्य	23.01.2007

अध्यक्ष और अन्य सदस्य कार्यभार संभालने की तारीख से लेकर तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए या जब तक पैंसठ वर्ष के नहीं हो जाएं, जो भी पहले हो, इस पद पर रह सकते हैं, जैसा कि इस संबंध में केन्द्र सरकार अधिसूचित करे।

अपने कार्यकाल के पूर्ण होने पर श्री नृपेन्द्र मिश्र ने 21 मार्च, 2009 को पदभार त्याग दिया।

ग.
विहंगावलोकन

एक अग्रगामी सोच वाले विनियामक के रूप में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान दूरसंचार क्षेत्र को विनियमित करने के अपने कार्य को जारी रखा और कई पहलकदम उठाए जिससे प्रसारण और केबल सेवाओं के क्षेत्र में सब्सक्राइबर आधार में वृद्धि, दूरसंचार नेटवर्क में बढ़ोतरी और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा पर अधिक जोर देने सहित दूरसंचार क्षेत्र के विकास में सहायता मिली। प्रतिवेदन के इस भाग में भादूविप्रा द्वारा दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्रों में की गई पहलों के विहंगम अवलोकन; टैरिफ विनियमन में विकास; उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हेतु उपाय और सेवा-गुणवत्ता की निगरानी पर संक्षेप में चर्चा की गई है। इस प्रतिवेदन के भाग-एक, भाग-दो और भाग-तीन में इन पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई है।

दूरसंचार क्षेत्र

2. वर्ष के दौरान भादूविप्रा द्वारा दूरसंचार क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण क्रियाकलापों का विहंगावलोकन नीचे पैराग्राफों में दिया गया है।

3. वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान भारत में दूरसंचार क्षेत्र का कुल सब्सक्राइबर आधार (वायरलैस और वायरलाइन दोनों) 400 मिलियन के आंकड़े को पार कर गया और 31 मार्च, 2009 को सब्सक्राइबर आधार 429.72 मिलियन था। वर्ष 1999-2009 के दौरान में सब्सक्राइबर आधार में वृद्धि को नीचे दर्शाया गया है।

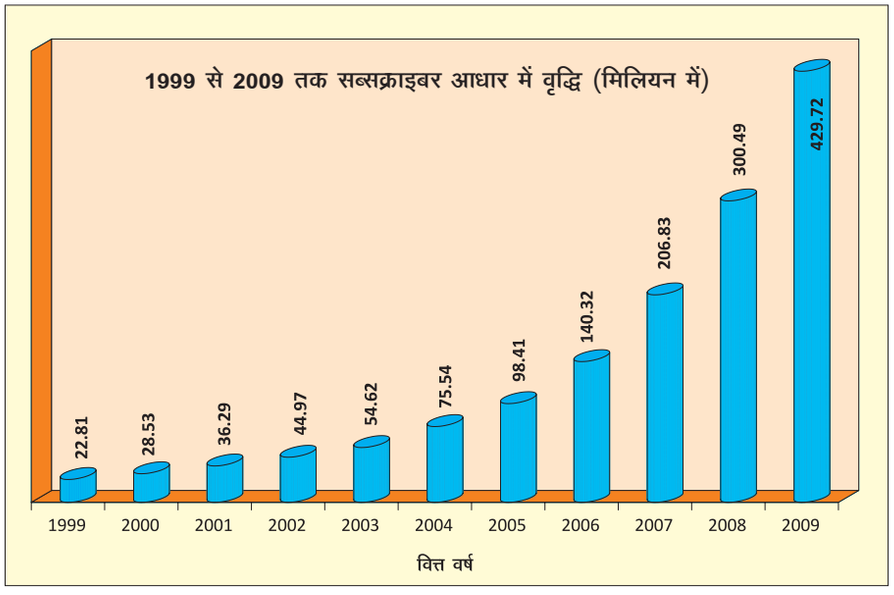

बॉक्स 1: वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान दूरसंचार क्षेत्र में प्रमुख उपलब्धियां

- वित्त वर्ष के अंत में कुल वायरलैस सब्सक्राइबर आधार (जीएसएम, सीडीएमए और डब्ल्यूएलएल (एफ)) 391.76 मिलियन था।
- 31 मार्च, 2009 को वायरलाइन सब्सक्राइबरों की संख्या 37.96 मिलियन थी।
- वित्त वर्ष के दौरान प्रति माह औसतन लगभग 10 मिलियन सब्सक्राइबरों की वृद्धि हुई।
- 31 मार्च, 2009 को देश में पीसीओ की कुल संख्या 6.20 मिलियन और वीपीटी की संख्या 5.61 मिलियन थी
- मार्च, 2008 की समाप्ति पर 26.22 प्रतिशत की तुलना में मार्च, 2009 के अंत में समग्र टेलीघनत्व 36.98 प्रतिशत था।
- मार्च, 2008 के अंत के 9.20 प्रतिशत की तुलना में मार्च, 2009 के अंत में ग्रामीण टेलीघनत्व 15.20 प्रतिशत था
- 31 मार्च, 2008 के 11.09 मिलियन की तुलना में 31 मार्च, 2009 को इंटरनेट सब्सक्राइबरों की संख्या 13.54 मिलियन थी।
- उपर्युक्त इंटरनेट सब्सक्राइबरों के अलावा, 117.82 मिलियन वायरलैस डाटा सब्सक्राइबर ऐसे हैं, जो वायरलैस (जीएसएम और सीडीएमए) नेटवर्क के माध्यम से इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं।
- 31 मार्च, 2009 को ब्रॉडबैंड कनेक्शनों की संख्या पूर्ववर्ती वर्ष की इसी अवधि के 3.87 मिलियन की तुलना में 6.22 मिलियन थी।

(क) "फिक्सड लाइन टेलीफोनों के लिए एकीकृत टेलीफोन डायरेक्ट्री के प्रकाशन के लिए निबंधन और शर्तें" पर सिफारिशें

4. भादूविप्रा ने 24 अप्रैल, 2008 को फिक्सड लाइन टेलीफोन के लिए एकीकृत टेलीफोन डायरेक्ट्री के प्रकाशन के लिए निबंधन और शर्तों पर अपनी सिफारिशें दूरसंचार विभाग को भेजीं। इन सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैः-

- लाइसेंस सेवा क्षेत्र आधार पर चयनित एजेंसी के प्राधिकार के माध्यम से मुद्रण।
- फिक्सड लाइन टेलीफोन की डायरेक्ट्री त्रि-वार्षिक आधार पर प्रकाशित की जाएगी। मुख्य डायरेक्ट्री पहले वर्ष में तथा उसकी अनुपूरक डायरेक्ट्रियां एक वर्ष के अंतराल के पश्चात।
- पहले छह वर्ष के लिए केवल एक प्राधिकृत एजेंसी।
- टेलीफोन डायरेक्ट्रियों के अनुभवी प्रकाशनों में से खुली बोली के माध्यम से चयन
- टेलीफोन सब्सक्राइबरों द्वारा अनुपालन की जाने वाली ऑप्ट-आउट प्रक्रिया। नए उपभोक्ताओं के लिए प्रचालकों द्वारा नामांकन-प्रपत्र में विकल्प हेतु प्रावधान किया जाएगा।
- टेलीफोन डायरेक्ट्री का मूल्य चयनित मानदण्डों के अनुरूप निर्धारित किया जाएगा।
- भादूविप्रा टेलीफोन डायरेक्ट्री के प्रकाशन के लिए अवधारण/दिशा-निर्देश

जारी करेगा जिसे सेवा प्रदाताओं द्वारा वेबसाइट पर रखा जाएगा।

5. तदनुसार, भादूविप्रा ने फिक्सड लाइन टेलीफोनों के लिए एसएसए-वार एकीकृत टेलीफोन डायरेक्ट्री के मुद्रण हेतु दिशा-निर्देश तैयार किए हैं। इन दिशा-निर्देशों के विवरण तथा इस सिफारिश से संबंधित अन्य मुद्दों पर इस प्रतिवेदन के भाग-तीन में चर्चा की गई है।

(ख) 3जी स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए नए एंटाटियों को अनुमति देने पर सिफारिशें

6. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) की '3जी एवं बीडब्ल्यूए सेवा के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन और मूल्य-निर्धारण' पर दिनांक 27 सितम्बर, 2006 की सिफारिशो पर दूरसंचार विभाग ने 3जी स्पेक्ट्रम के लिए अन्य भारतीय/विदेशी संभावित प्रचालकों की सहभागिता पर प्राधिकरण की राय मांगी थी। प्राधिकरण ने दूरसंचार विभाग के संदर्भ पर अपनी पूर्व की सिफारिशों पर पुनः विचार किया और पर्याप्त विचार-विमर्श के उपरांत अपनी सिफारिशें निम्नानुसार दीः-

- 3जी लाइसेंसियों के लिए बोली वर्तमान यूएएस/सीएमटीएस लाइसेंसियों तक ही सीमित होनी चाहिए।
- बोली के लिए स्पेक्ट्रम मॉड्यूल 2×5 एमएचजैड होना चाहिए।
- पूर्व में यथाअनुशंसित बोली का प्रकार स्वीकार किया जाना चाहिए।
- बोली की अवस्था पर स्पेक्ट्रम की कुल उपलब्धता सार्वजनिक की जानी चाहिए ताकि बोलीकर्ता बोली द्वारा अवधारित मूल्य पर आवंटन के पहले तथा पश्चातवर्ती चरण के बारे में पूरी तरह से अवगत रहें।
- यह परिकल्पना की गई है कि विद्यमान लाइसेंसियों के लिए अपेक्षित स्पेक्ट्रम की कुल मात्रा एक ही बार में उपलब्ध नहीं कराई जाए। इसी संदर्भ में, प्राधिकरण ने सिफारिश की थी कि जिन्हें पहले चरण में स्पेक्ट्रम प्रदान नहीं किया जा सका है, उन्हें प्रतीक्षा में रखा जाएगा तथा उन्हें निबंधन और शर्तों पर स्पेक्ट्रम उस समय आवंटित किया जाएगा, जब भी वह उपलब्ध हो जाए, जैसे कि प्रथम चरण में लाइसेंसियों को प्रदान किया गया है।
- भावी प्रत्याशित प्रौद्योगिकीय प्रगति को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने तीन वर्ष बाद समीक्षा किए जाने की सिफारिश की है।

(ग) राष्ट्रीय एकीकृत डायरेक्ट्री पूछताछ सेवा (एनआईडीक्यूएस) के लिए लाइसेंस के निबंधन और शर्तों पर सिफारिशें

7. भादूविप्रा ने फिक्सड और मोबाइल टेलीफोनों के लिए राष्ट्रीय एकीकृत लाइसेंस पूछताछ सेवा (एनआईडीक्यूएस) के लिए लाइसेंस के निबंधन और शर्तों पर 19 जून, 2008 को दूरसंचार विभाग को अपनी सिफारिशें भेजी थीं। भादूविप्रा की दिनांक 5 मई, 2005 की पूर्व सिफारिशों में दूरसंचार विभाग ने राष्ट्रीय एकीकृत डायरेक्ट्री पूछताछ सेवा (एनआईडीक्यूएस) के लिए निबंधन और शर्तें मांगी थीं। भादूविप्रा ने एक परामर्श-पत्र जारी कर राष्ट्रीय एकीकृत डायरेक्ट्री पूछताछ सेवा (एनआईडीक्यूएस) के प्रावधान में शामिल विभिन्न मुद्दों पर एक परामर्श-प्रक्रिया आरंभ की। सार्वजनिक परामर्शों के दौरान पणधारकों से प्राप्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, भादूविप्रा ने फिक्सड लाइन और सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन के लिए राष्ट्रीय एकीकृत डायरेक्ट्री पूछताछ सेवा (एनआईडीक्यूएस) के लिए प्रस्तावित नए लाइसेंस के लिए निबंधन

बॉक्स 2: वर्ष 2008-09 के दौरान की गई मुख्य सिफारिशें:

- फिक्सड लाइन टेलीफोनों के लिए एकीकृत टेलीफोन डायरेक्ट्री के प्रकाशन के लिए निबंधन और शर्तों पर सिफारिशें
- 3जी स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए नए एंटाइटी को अनुमति देने पर सिफारिशें
- प्रसारण क्षेत्र के लिए विदेशी निवेश सीमाओं पर सिफारिशें
- फिक्सड और मोबाइल टेलीफोनों के लिए राष्ट्रीय एकीकृत डायरेक्ट्री पूछताछ सेवा (एनआईडीक्यूएस) हेतु निबंधन और शर्तों पर सिफारिशें
- 2.3-2.4 जीएचजैड, 2.5-2.69 जीएचजैड एवं 3.3-3.6 जीएचजैड बैंडों के लिए आवंटन और मूल्य-निर्धारण पर सिफारिशें
- 3जी सेवाओं के लिए रिजर्व मूल्य तथा बोली प्रक्रिया पर दूरसंचार विभाग द्वारा प्रस्तावित परिवर्धनों पर सिफारिशें
- स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार तथा एकबारीय स्पेक्ट्रम संवर्धन प्रभारों पर दूरसंचार विभाग द्वारा प्रस्तावित परिवर्धनों पर सिफारिशें
- केबल टीवी सेवाओं के पुनर्गठन पर सिफारिशें
- मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर (एमवीएनओ) पर सिफारिशें
- इंटरनेट टेलीफोनी से संबंधित मुद्दों पर सिफारिशें
- टेलीविजन दर्शक मापन/टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट्स (टीआरपी) के लिए नीतिगत दिशा-निर्देशों और प्रचालनात्मक मुद्दो पर सिफारिशें
- लंबी दूरी के प्रचालकों द्वारा कॉलिंग कॉर्डों के प्रावधान पर सिफारिशें
- प्रसारण और वितरण क्रियाकलापों में कतिपय एंटाइटियों के प्रवेश से संबंधित मुद्दों पर सिफारिशें
- 3जी सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभारों पर दूरसंचार विभाग द्वारा प्रस्तावित परिवर्धनों पर सिफारिशें
- मूल्यवर्धित सेवाओं के विकास तथा विनियामक मुद्दों पर सिफारिशें
- मीडिया स्वामित्व पर सिफारिशें
- प्रोत्साहक साम्या के लिए लॉक-इन अवधि तथा एकीकृत एक्सेस सेवा लाइसेंसियों (यूएएसएल) से संबंधित अन्य मुद्दों पर सिफारिशें।
- ग्रामीण टेलीफोनी पर एक दृष्टिकोण पर सिफारिशें - त्वरित विकास के लिए सुझाए गए उपाय

और शर्तों पर अपनी सिफारिशें तैयार कीं। सिफारिशों में लाइसेंस की व्याप्ति; बाजार संरचना; पात्रता मादण्ड; प्रवेश शुल्क; लाइसेंस शुल्क; निष्पादन दायित्व; बैंक गारंटी; लाइसेंस की अवधि; डाटा शेयरिंग एवं डाटा सुरक्षा; डायरेक्ट्री पूछताछ सेवा हेतु एनआईडीक्यूएस में सूचीबद्धता; अंतरसंयोजन; राजस्व साझेदारी; टैरिफ आदि जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई है। सिफारिशों के विवरणों पर इस प्रतिवेदन के भाग-तीन में चर्चा की गई है।

(घ) "2.3-2.4 जीएचजैड, 2.5-2.69 जीएचजैड तथा 3.3-3.6 जीएचजैड बैंडों के लिए आवंटन और मूल्य-निर्धारण" पर सिफारिशें

8. भादूविप्रा ने 11 जुलाई, 2008 को "2.3-2.4 जीएचजैड, 2.5-2.69 जीएचजैड

तथा 3.3-3.6 जीएचजैड बैंडों के लिए आवंटन और मूल्य-निर्धारण पर अपनी सिफारिशें की थीं। प्राधिकरण ने "3जी और ब्रॉडबैंड वायरलैस एक्सेस (बीडब्ल्यूए) के लिए आवंटन और मूल्य-निर्धारण" पर सरकार को अपनी सिफारिशें 27 सितम्बर, 2006 को भेजी थीं। जब प्राधिकरण ने अपनी सिफारिशें दी थीं, तो 2.3-2.4 जीएचजैड तथा 2.5-2.69 जीएचजैड बैंडों में स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए उपलब्ध नहीं था, अतः प्राधिकरण ने उस समय सिफारिश की थी कि इन बैंडों में स्पेक्ट्रम का आवंटन और मूल्य-निर्धारण क्रियाविधि का निर्णय तब किया जाएगा, जैसे ही इन्हें उपलब्ध करा दिया जाएगा। विश्व रेडियो कांग्रेस, 07 (डब्ल्यूआरसी-07) के पश्चात, इन बैंडों की पहचान अंतरराष्ट्रीय मोबाइल दूरसंचार (आईएम टी) बैंडों के रूप में की गई तथा इन बैंडों में स्पेक्ट्रम अब बीडब्ल्यूए सेवाओं के लिए उपलब्ध है। तदनुसार, प्राधिकरण ने ये सिफारिशें प्रदान कीं। प्रौद्योगिकी उन्नति; आवंटन के लिए स्पेक्ट्रम की उपलब्धता के आधार पर तथा परामर्श-प्रक्रिया के माध्यम से पणधारकों से प्राप्त टिप्पणियों का विश्लेषण करने के पश्चात प्राधिकरण ने इस विषय पर अपनी सिफारिशें तैयार कीं। इन सिफारिशों के विवरणों पर इस प्रतिवेदन के भाग-तीन पर चर्चा की गई है।

(ड.) मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क प्रचालक (एमवीएनओ) पर सिफारिशें

9. भादूविप्रा ने 6 अगस्त, 2008 को "मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क प्रचालक (एमवीएनओ)" पर सिफारिशें जारी कीं, जिनके परिणामस्वरूप भारतीय दूरसंचार नेटवर्क में एमवीएनओ की शुरूआत हुई। दूरसंचार विभाग ने एमवीएनओ की शुरूआत की आवश्यकता और समय तथा ऐसे प्रचालकों को प्रदान किए जाने वाले लाइसेंस के निबंधन और शर्तों पर भादूविप्रा से सिफारिशें मांगी थीं। भारत में एमवीएनओ की शुरूआत में शामिल अनेक मुद्दों पर परामर्श-प्रक्रिया के माध्यम से भादूविप्रा ने एमवीएनओ की शुरूआत के लिए आवश्यकता और समय तथा साथ ही ऐसे प्रचालकों को प्रदान किए जाने वाले लाइसेंस के निबंधन और शर्तों पर अपनी सिफारिशें तैयार कीं।

10. प्राधिकरण ने एमवीएनओ की परिभाषा की संस्तुति इस प्रकार की है, "एमवीएनओ सेवा क्षेत्र में लाइसेंसी है, जिसके पास एक्सेस सेवा के लिए अपना स्वयं का स्पेक्ट्रम नहीं होता है, परंतु यह लाइसेंसशुदा एक्सेस प्रदाताओं, यूएएस/सीएमटीएस लाइसेंसी के साथ एक करार के माध्यम से अपने ग्राहकों को वायरलैस (मोबाइल) एक्सेस सेवाएं प्रदान कर सकता है।" एमवीएनओ अपने सेवा क्षेत्र में एक्सेस सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम बोली में भाग नहीं ले सकता है, क्योंकि उनके पास अपना स्वयं का स्पेक्ट्रम नहीं होता है। इसी प्रकार, आईएसपी एमवीएनओ बन सकता है, यदि उसके पास बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम नहीं है। सिफारिशों के विवरणों पर इस प्रतिवेदन के भाग-तीन पर चर्चा की गई है।

(च) इंटरनेट टेलीफोनी से संबंधित मुद्दों पर सिफारिशें

11. भारतीय दूररसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने 18 अगस्त, 2008 को "इंटरनेट टेलीफोनी से संबंधित मुद्दों" पर सिफारिशें जारी की थीं। प्राधिकरण ने स्वयं अपनी ओर से "इंटरनेट टेलीफोनी से संबंधित मुद्दों" पर एक परामर्श-प्रक्रिया आरंभ की थी। प्राधिकरण ने विनियामक ढांचे पर विचार किया जो प्रौद्योगिकी दृष्टि से तटस्थ है, आम जनता के लाभ के लिए दूरसंचार क्षेत्र

मे विकास, अभिनवता और वृद्धि को समर्थ बनाता है तथा यह सुनिश्चित किया कि कहीं एक्सेस दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के बिजनेस मॉडल तो प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं हो रहे हैं। विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच समान प्रतिस्पर्धात्मक अवसरों, अंतरसंयोजन तंत्र, अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार (आईयूसी), नम्बरिंग, विधिपूर्ण हस्तक्षेप, आपातकालीन नम्बर डायलिंग, अंतरप्रचालनात्मकता, सेवा गुणवत्ता आदि को पर्याप्त महत्व प्रदान किया गया। आईएसपी को गैर-प्रतिबंधित इंटरनेट टेलीफोनी की अनुमति प्रदान करते हुए समग्र लाइसेंसिंग ढांचे को संरक्षित किया गया है। परामर्श-प्रक्रिया का अनुपालन करने के पश्चात प्राधिकरण ने सरकार को सिफारिशें कीं।

12. ये सिफारिशें समर्थकारी विनियामक परिवेश को विकसित करने, प्रौद्योगिकीय उन्नतियों को प्रोत्साहित करने, कंवर्जेंस को समर्थ बनाने, अनवरत इंटरनेट टेलीफोनी को सुलभ बनाने तथा ब्रॉडबैंड की पैठ को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक कदम हैं। ये समर्थकारी सिफारिशें भारतीय दूरसंचार क्षेत्र को वैश्विक प्रवृत्तियों के समरूप लाएंगी। ग्रे-मार्किट की प्रवृत्तियों को विनियंत्रित किया जाएगा। यह परिकल्पना की गई है कि उपभोक्ता किफायती तथा अभिनव टेलीफोनी सेवा से अंततः लाभान्वित होंगे। आईएसपी के बिजनेस मॉडल में टेलीफोनी कॉल परिमाण में वृद्धि के कारण अनेक एक्सेस प्रदाताओं को प्रभावित किए बगैर सुधार आएगा।

(छ) "राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी प्रचालकों द्वारा कॉलिंग कार्डों के प्रावधान" पर सिफारिशें

13. भादूविप्रा ने "राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी प्रचालकों द्वारा कॉलिंग कार्डों के प्रावधान" पर अपनी सिफारिशें 20 अगस्त, 2008 को प्रेषित की थीं। ये सिफारिशें भारतीय उपभोक्ता को लंबी दूरी कैरियर का विकल्प उपलब्ध कराने के तंत्र की व्यापक समीक्षा का परिणाम हैं। सब्सक्राइबरों के लिए लंबी दूरी कैरियर के चयन के साधन को संभव बनाने के लिए प्राधिकरण ने सरकार से सिफारिश की है कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी के प्रचालकों को कॉलिंग कार्डों के माध्यम से क्रमशः राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी की वॉयस कॉलों की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए। ये सिफारिशें निम्नलिखित लाभ प्रदान करेंगी-

- उपभोक्ता कॉलिंग कार्डों के माध्यम से राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय कॉलों के लिए लंबी दूरी प्रचालक के विकल्प का प्रयोग करने में समर्थ होंगे।
- प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित किया जाएगा तथा वहनीय अभिनव टैरिफ प्लान उपलब्ध होंगे।
- उपभोक्ता किसी भी एक्सेस प्रदाता को सब्सक्राइब कर सकेंगे तथा लंबी दूरी कॉलों के लिए एक्सेस प्रदाता पर निर्भर नहीं रहेंगे।
- उपभोक्ता लंबी दूरी कॉलिंग कार्ड के माध्यम से किसी भी एक्सेस प्रदाता के टेलीफोन से लंबी दूरी की कॉलें कर सकेंगे।

(ज) दूरसंचार टैरिफ (अड़तालीसवां संशोधन) आदेश, 2008

14. भादूविप्रा ने 1 सितम्बर, 2008 को दूरसंचार टैरिफ (अड़तालीसवां संशोधन) आदेश, 2008 जारी किया। इस टैरिफ संशोधन

आदेश तथा दिनांक 1 सितम्बर, 2008 के निदेश द्वारा प्राधिकरण ने एक्सेस सेवा में टैरिफ पेशकशों में पारदर्शिता में सुधार लाने तथा अन्य उपभोक्ता संरक्षण उपाय करने के लिए अनेक विनियामक उपायों को अधिदेशित किया। प्राधिकरण ने पूर्व में उपभोक्ताओं के हित में अनेक अन्य विनियामक अधिदेश जारी किए हैं। प्राधिकरण ने नोट किया कि अनेक ऐसे अनेक उपायों के बावजूद उपभोक्ताओं के मध्य यह भावना व्याप्त है कि एक्सेस सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की गई विभिन्न पेशकशें पारदर्शी तथा उपभोक्तानुमुखी नहीं हैं। प्राधिकरण को उपभोक्ताओं तथा उपभोक्ता संगठनों से शिकायतें प्राप्त हो रहीं थीं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ पारदर्शिता के मुद्दे को उठाया गया था। अतः प्राधिकरण ने अपनी सार्वजनिक परामर्श की सुस्थापित प्रक्रिया के माध्यम से टैरिफ आदेशों के मामले में पारदर्शिता से संबंधित विनियामक ढांचे पर पुनः विचार करने का निर्णय लिया। टैरिफ आदेश की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैः-

- सब्सक्राइबरों को टॉक टाइम रीचार्जों पर पूरा टॉक टाइम मिलेगा, बशर्ते कि उसे 2 रु0 प्रति रीचार्ज से अनधिक प्रशासनिक शुल्क तथा लागू करों का भुगतान करना होगा।
- सब्सक्राइबर को सब्सक्राइबर द्वारा किसी स्पष्ट कार्रवाई, उदाहरण के लिए, एसएमएस भेजना आदि, के बिना ही प्रत्यक्ष टैरिफ कटौतियों का लाभ स्वतः ही प्राप्त होगा।
- विद्यमान आजीवन प्लानों के उपभोक्ता बिना किसी अतिरिक्त भुगतान के अथवा रीचार्जों के, कम प्रवेश शुल्क के साथ नए आजीवन प्लान में स्थानांतरित हो सकते हैं।
- आजीवन ग्राहक को संपर्क में बने रहने के लिए 6 माह में एक बार से अधिक रीचार्ज कराने की आवश्यकता नहीं है।
- उपभोक्ता को सेवा प्रदाता तथा उसके फ्रेंचाइजियों के सभी खुदरा पटलों पर भी स्थानीय भाषा मे प्रमुख टैरिफ जानकारी प्राप्त होगी।
- जब सब्सक्राइबर टैरिफ प्लान बदलता है अथवा प्रीपेड से पोस्टपेड अथवा इसके विपरीत स्थानांतरित होता है, तो उसके मोबाइल नम्बर में कोई परिवर्तन नहीं।
- ब्लैक आउट दिवस (ऐसे पारंपरिक/त्योहार वाले दिन जब निःशुल्क/छूट वाली कॉलें/एसएमएस उपलब्ध नहीं होते हैं) एक कैलेण्डर वर्ष में अधिकतम 5 दिन होंगे। ऐसे दिनों को पूर्व-निर्दिष्ट किया जाएगा तथा इसमें बाद में किसी परिवर्तन अथवा वृद्धि की अनुमति नहीं होगी।

15. प्राधिकरण द्वारा जारी निदेश तथा साथ ही इस टैरिफ आदेश में विभिन्न मुद्दों को शामिल किया गया है, जैसे जानकारी का प्रकटीकरण, प्लानों एवं बिलिंग प्लेटफार्मों के बीच सरल स्थानांतरण के लिए प्रावधान, संवर्धनात्मक पेशकशों को सरल बनाना, त्योहार/पारंपरिक दिवसों पर विविध वॉयस/एसएमएस टैरिफ आदि।

(झ) दूरसंचार अवांछनीय वाणिज्यिक संप्रेषण (दूसरा संशोधन) विनियम, 2008

16. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने 21 अक्तूबर, 2008 को "दूरसंचार अवांछनीय वाणिज्यिक संप्रेषण (यूसीसी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2008" अधिसूचित किया। अवांछनीय वाणिज्यिक संपेषण को नियंत्रित करने की दिशा में विनियामक ढांचे को मजबूत बनाने के लिए यह प्राधिकरण का एक और कदम है। दूरसंचार अवांछनीय वाणिज्यिक संप्रेषण (यूसीसी) को नियंत्रित करने के

लिए भादूविप्रा ने दिनांक 5 जून, 2007 को दूरसंचार अवांछनीय वाणिज्यिक संप्रेषण विनियम, 2007 (2007 का 4) तैयार किए। इसके अलावा, प्रभाविता में सुधार लाने के लिए मार्च, 2008 में इन विनियमों को संशोधित किया गया। संशोधन विनियमों की विशेषताएं हैः

- इस आशय का उपबंध जिसमें अधिदेश दिया गया है कि यथानिर्दिष्ट सात दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात अग्रेषित की गई शिकायतों के मामले में भी, ओरिजिनेटिंग सेवा प्रदाता विनियम 16 के उप-विनियम (3) और (4) के उपबंधों के संदर्भ में कार्यवाही करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि जो भी शिकायत उप-विनियम (1) के अनुरूप किसी सेवा प्रदाता को की गई है, वह समाधान किए बिना लंबित नहीं रह जाए।
- प्रधान विनियमों के द्वितीय संशोधन में उपयुक्त उपबंध अंतर्विष्ट किए गए हैं, जिनमें भादूविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 13 के अंतर्गत दिए गए निदेश के तहत प्राधिकरण द्वारा समय-सीमाएं विनिर्दिष्ट की गई हैं। प्राधिकरण ने सभी एक्सेस प्रदाताओं को निदेश दिए हैं कि वे अपने स्वयं के टेलीमार्केटरों के विरूद्ध शिकायतों के मामले में 28 दिन तथा अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से संबंधित टेलीमार्केटरों के विरूद्ध शिकायतों के मामले में 35 दिन की समय-सीमा का अनुपालन करें।
- जब कभी कोई सब्सक्राइबर एसएमएस द्वारा भेजे गए अवांछनीय वाणिज्यिक संप्रेषण की शिकायत करता है, जिसमें प्रेषणकर्ता की पहचान सामान्य दस अंक के मोबाइल अथवा फिक्सड नम्बर के अलावा किसी अन्य नम्बर के रूप में होती है, (अर्थात वर्णअंकीय नाम जैसे एसबीआई लाइफ अथवा एचएसबीसी आदि; अंकीय कोड जैसे 58888 अथवा 56262 आदि), तो सेवा प्रदाता के लिए उस सेवा प्रदाता की पहचान करने का कार्य काफी मुश्किल एवं समय लेने वाला बन जाता है, जिसके नेटवर्क से ऐसा अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण आरंभ हुआ है। अतः प्राधिकरण ने सेवा प्रदाताओं को यह निदेश दिए हैं कि सभी ऐसे वाणिज्यिक एसएमएस जिन्हें केवल प्रेषक की पहचान के साथ तथा सामान्य दस अंकीय मोबाइल नम्बर के बिना भेजा गया है, के वर्ण-अंकीय आइडेंटीफायर में प्राधिकरण द्वारा यथाविनिर्दिष्ट सेवा प्रदाता का कोड तथा सेवा क्षेत्र का कोड आगे शामिल कर दिया जाना चाहिए (उदाहरण के लिए एक्सवाई-एचएसबीसी के रूप में, जहां एक्स सेवा प्रदाता को आवंटि त कोड है तथा वाई सेवा क्षेत्र के लिए प्रयुक्त किया गया है) तथा यह 1फरवरी, 2009 से लागू होगा।

(ञ) मूल्यवर्धित सेवाओं के विकास तथा विनियामक मुद्दों पर सिफारिशें

17. मूल्यवर्धित सेवाओं के विकास तथा विनियामक मुद्दों पर सिफारिशें 13 फरवरी, 2009 को जारी की गई थीं। भारत में मूल्यवर्धित सेवा (वीएएस) बाजार की वृद्धि की व्यापक संभावनाएं विद्यमान हैं तथा इस विकास संभावना से प्राप्त होने वाला राजस्व वर्ष 2009-10 की समाप्ति तक लगभग 250 बिलियन रु0 तक पहुंचने की आशा है तथा यह आगामी 5-7 वर्षों में दूरसंचार एक्सेस सेवा प्रदाताओं के राजस्व का 30 प्रतिशत से अधिक होगा। भादूविप्रा ने एक पारदर्शी एवं समन्वित ढंग से मूल्यवर्धित सेवाओं के विकास में शामिल विभिन्न

मुद्दों के समाधान की आवश्यकता को पहचाना ताकि ये सेवाएं संभावित विकास हासिल कर सकें। व्यापक परामर्श प्रक्रिया तथा आंतरिक विश्लेषण करने के पश्चात प्राधिकरण ने मूल्यवर्धित सेवाओं के विकास तथा विनियामक मुद्दों पर सरकार को अपनी ओर से सिफारिशें अग्रेषित कीं। ये सिफारिशें मूल्यवर्धित सेवाओं के व्यवस्थित विकास का मार्ग प्रशस्त करेंगी तथा उपभोक्ता प्रतिस्पर्धी दरों पर नई एवं संवर्धित सेवाओं/मूल्यवर्धित सेवाओं से लाभान्वित होंगे। सिफारिशों के विवरणों पर इस प्रतिवेदन के भाग-तीन में विस्तारपूर्वक चर्चा की गई है।

(ट) बेहतर इंटरनेट/ब्रॉडबैंड सेवा के लिए दिशा-निर्देश

18. प्राधिकरण ने इंटरनेट/ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करने वाले सभी सेवा प्रदाताओं (आईएसपी, यूएएसएल, सीएमएसपी, बीएसओ) को दिशा-निर्देश जारी किए कि वे अपने सब्सक्राइबरों के लिए बेहतर सेवाएं सुनिश्चित करें। इंटरनेट सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जा रही अपर्याप्त ब्रॉडबैंड स्पीड के बारे में सब्सक्राइबरों से शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। अधिकांश शिकायतों में यह आरोप लगाया गया था कि उपलब्ध ब्रॉडबैंड स्पीड सब्सक्राइबर स्पीड से कम है। सब्सक्राइबर के छोर पर सब्सक्राइबर स्पीड की गैर-उपलब्धता के कारण प्रयोक्ताओं द्वारा प्रयोग किए जा रहे अनुप्रयोगों का कार्य-निष्पादन क्षीण होता है तथा इसके परिणामस्वरूप ब्रॉडबैंड कनेक्शन का उपयोग सीमित होता है। प्राधिकरण ने एक परामर्श-प्रक्रिया आरंभ की तथा परामर्श-प्रक्रिया के परिणामों के आधार पर, भादूविप्रा ने दिशा-निर्देश जारी किए। दिशा-निर्देशों की मुख्य विशेषताएं हैः-

- एक बेहतर व्यवसाय संव्यवहार के रूप में पेश की जा रही तथा विपणित की जा रहीं इंटरनेट/ब्रॉडबैंड सेवाओं के बारे में सब्सक्राइबरों को पर्याप्त सूचना उपलब्ध कराना।
- सेवा प्रदाताओं द्वारा उनके टैरिफ प्लानों में, जिन्हें भादूविप्रा को सूचित किया गया है, प्रक्रिया-नियमावली में उल्लिखित किया गया है, कॉल सेंटरों तथा उनकी वेबसाइटों में दर्शाया गया है, विभिन्न सेवाओं के लिए अपनाए गए आशय अनुपातों के बारे में सूचना उपलब्ध कराना।
- विभिन्न इंटरनेट/ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए आशय अनुपात तिमाही रूप में वेबसाइट पर प्रकाशित करना ताकि सब्सक्राइबरों द्वारा संसूचित निर्णय किया जा सके।
- सब्सक्राइबरों की संख्या के आधार पर विभिन्न सेवाओं के लिए भादूविप्रा द्वारा सुझाए गए अधिकतम आशय अनुपात के अनुरूप नेटवर्क में अपेक्षित न्यूनतम बैंडविड्थ की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

(ठ) दूरसंचार अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार (दसवां संशोधन) विनियम

19. दूरसंचार अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार (दसवां संशोधन) विनियम 2009, दिनांक 9 मार्च, 2009 को जारी किया गया था। इस विनियम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैः-

- समस्त प्रकार की घरेलू कॉलों के लिए अर्थात् फिक्सड से फिक्सड, फिक्सड से मोबाइल, मोबाइल से फिक्सड और मोबाइल से मोबाइल के लिए समापन प्रभार 30 पैसे प्रति मिनट से घटाकर 20 पैसे प्रति मिनट कर दिए गए हैं।
- आवक अंतरराष्ट्रीय कॉलों के लिए समापन प्रभार विद्यमान 30 पैसे प्रतिमिनट की तुलना में 40 पैसे प्रतिमिनट होंगे।

- घरेलू लंबी दूरी की कॉलों के कैरिज पर सीलिंग को 65 पैसे प्रतिमिनट बनाए रखा गया है। इस सीलिंग को कम न करने से राष्ट्रीय लंबी दूरी के प्रचालक ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं विस्तारित करने के लिए प्रोत्साहित होंगे।
- प्रारंभन प्रभार निर्दिष्ट नहीं किए गए हैं, क्योंकि ये अन्य प्रभारों के भुगतान के पश्चात टैरिफ से अपशिष्ट हो जाएंगे।
- लेवल-II ट्रंक ऑटोमेटिक एक्सचेंज से शार्ट डिस्टैंस चार्जिंग एरिया (एसडीसीए) को ट्रंजिट/कैरिज प्रभार विद्यमान 20 पैसे प्रतिमिनट के प्रभार की तुलना में 15 पैसे प्रतिमिनट होंगे।
- इंट्रा एसडीसीए ट्रंजिट प्रभार 20 पैसे प्रति मिनट से कम की तुलना में 15 पैसे प्रतिमिनट से कम होंगे।
- 3जी वॉयस कॉलों के लिए समापन प्रभार 2जी वॉयस कॉलों के ही समान होंगे।
- नए प्रभार 1 अप्रैल, 2009 से प्रभावी होंगे।

20. यह आशा की जाती है कि यह ढांचा नेटवर्क के विकास को संवर्धित करेगा।

(ङ) प्रोत्साहक की इक्विटी के लिए लॉक-इन अवधि तथा एकीकृत एक्सेस सेवा लाइसेंसियों (यूएएसएल) के लिए अन्य संबंधित मुद्दों पर सिफारिश

21. दूरसंचार विभाग ने एकीकृत एक्सेस सेवा लाइसेंसियों (यूएएसएल) के लिए प्रोत्साहक की इक्विटी के लिए लॉक-इन अवधि के मुद्दे से संबंधित निर्बंधनों, अतिरिक्त इक्विटी के मामले में विशेष लाभांश की घोषणा आदि तथा अन्य संबंधित मुद्दों आदि पर दूरसंचार आयोग के सुविचारित दृष्टि कोण पर प्राधिकरण की सिफारिशें मांगीं थीं। सम्यक परामर्श-प्रक्रिया अपनाने के पश्चात, प्राधिकरण ने 12 मार्च, 2009 को दूरसंचार विभाग को अपनी सिफारिशें की। सिफारिशों में प्रोत्साहक की इक्विटी के लिए लॉक-इन अवधि; प्रोत्साहक की परिभाषा; लाइसेंसी कंपनी की इक्विटी और निवल-मूल्य के विवरण; रिपोर्टिंग और प्रमाण-पत्र अपेक्षा; अतिरिक्त शेयर पूंजी; लाभांश/विशेष लाभांश; शेयरों की प्लेजिंग आदि जैसे मुद्दे शामिल थे।

(ढ) "ग्रामीण टेलीफोनी के प्रति दृष्टिकोण -संवर्धित विकास के लिए सुझाए गए उपाय" पर सिफारिशें

22. प्राधिकरण ने ग्रामीण टेलीफोनी के प्रति दृष्टिकोण-संवर्धित विकास के लिए सुझाए गए उपाय" पर अपनी स्वयं की सिफारिशें 19 मार्च, 2009 को कीं। इन सिफारिशों में बढ़ती हुई ग्रामीण दूरसंचार पैठ के मार्ग में आने वाली विविध बाधाओं को दूर करने के लिए ठोस उपाय शामिल थे। इन सिफारिशों की मुख्य बातें इस प्रकार हैः-

- यूएसओएफ प्रशासक को प्रभावी रूप से शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए।
- यूएसओएफ का दूरसंचार विभाग से पृथ्थकीकरण तथा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की तर्ज पर एक ढांचे की स्थापना पर विचार किया जाना चाहिए।
- यूएसओएफ निधि अधिनियम/नियम को इस प्रकार संशोधित किया जाना चाहिए कि उद्ग्रहण के माध्यम से यूएसओएफ को प्रोद्भूत होने वाली निधियों का संचालन सीधे संगठन द्वारा किया जाए तथा यह

संघ सरकार की बजटीय प्रक्रिया के माध्यम से न ले जाई जाए।

- यूएसओएफ को बोली प्रक्रिया का केवल तभी पालन करना चाहिए जहां यह आवश्यक हो तथा इसे मुख्य रूप से स्कीम की मॉनीटरिंग तथा कार्यान्वयन पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।

- यूएसओएफ को विभिन्न क्षेत्रों में मोबाइल टावरों की स्थापना के लिए आर्थिक सहायता का निर्धारण करना चाहिए तथा कोई भी आईपी-आई/सीएम टीएस/यूएएसएल प्रचालक, जो निर्दिष्ट एसडीसीए में टावर स्थापित करता है तथा उनकी भागीदारी करता है, उसे टावर की भागीदारी करने वाले प्रचालकों की संख्या के आधार पर आर्थिक सहायता का भुगतान किया जाना चाहिए।

- यूएसओएफ को निकटम ब्लॉक मुख्यालय से यूएसओएफ के आर्थिक-सहायतप्राप्त टावरों से ऑप्टिकल फाइबर उपलब्ध कराने के लिए आईपी-आई/एनएलडी/यूएएस लाइसेंसधारकों से अभिरूचि की अभिव्यक्ति की मांग करने के लिए एक स्कीम विकसित करनी चाहिए। यूएसओएफ प्रति शेयरिंग प्रति केएम अधिकतम एक लाख की दर से आर्थिक सहायता प्रदान करेगा (जिसे तीन वर्षों की अवधि मे वितरित किया जाएगा) बशर्ते कि यह इस न्यूनतम एक एक्सेस सेवा प्रदाता के साथ शेयर करे।

- यूएसओएफ राज्य सरकारों के साथ एक स्कीम/करार विकसित करेगा जिसमें ब्रॉडबैंड कनेक्शन को यूएसओएफ द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी, जबकि यूएसओएफ अस्पताल/विद्यालयों आदि जैसे सरकारी कार्यालयों/सार्वजनिक स्थानों के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्शनों की निश्चित संख्या निर्धारित करेगा।

- राइट-ऑफ वे अनुमति प्राप्त करने के लिए विलंब को कम करने के प्रयोजनार्थ भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 10 में संशोधन की सिफारिश की जाती है।

- यूएसओएफ को डाक विभाग से बातचीत करनी चाहिए ताकि निम्नलिखित क्रियाकलापों को सुकर बनाया जा सके -

  - दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के विक्रय केन्द्रों के रूप मे कार्य करना
  - पारस्परिक बातचीत से तय कमीशन के आधार पर बिल संग्रहण केन्द्र
  - सब्सक्राइबर सत्यापन
  - नए सब्सक्राइबर आकर्षित करने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाता कुछ कमीशन की पेशकश कर सकते हैं
  - अनुभव प्राप्त करने के लिए प्रत्येक राज्य में 3-6 माह की अवधि की एक प्रायोगिक स्कीम।

(ण) बुनियादी टेलीफोन सेवा (वायरलाइन) तथा सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा की सेवा गुणवत्ता पर विनियम

23. भादूविप्रा ने बुनियादी टेलीफोन सेवा (वायरलाइन) तथा सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा की सेवा गुणवत्ता पर 20 मार्च, 2009 को विनियम जारी किए। विनियमों की विस्तृत पृष्ठभूमि पर इस प्रतिवेदन के भाग तीन में चर्चा की गई है।

प्रसारण और केबल क्षेत्र

24. वर्ष के दौरान भादूविप्रा द्वारा प्रसारण क्षेत्र में की गई महत्वपूर्ण पहलों का विंहगावलोकन निम्नलिखित पैराओं में वर्णित किया गया है

(क) प्रसारण क्षेत्र के लिए विदेशी निवेश सीमा पर सिफारिशें

25. भादूविप्रा ने 26 अप्रैल 2008 को प्रसारण क्षेत्र के लिए विदेशी निवेश की सीमा पर अपनी सिफारिशें की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसारण क्षेत्र के विभिन्न खंडों के लिए विदेशी निवेश सीमा पर भादूविप्रा से सिफारिशें मांगी थीं। अपने परामर्शीय दृष्टिकोण के अनुरूप, प्राधिकरण ने प्रसारण क्षेत्र के विभिन्न खंडों के लिए विदेशी निवेश पर सरकार को अपनी सिफारिशें देने से पूर्व पणधारकों से इस विषय पर पर टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए एक परामर्श-पत्र जारी किया था।

26. प्राधिकरण की सिफारिशों के साथ प्रसारण क्षेत्र के विभिन्न खण्डों के लिए विदेशी निवेश सीमाओं की वर्तमान स्थिति को पृष्ठ के नीचे तालिका में दिया गया है।

27. ये सिफारिशें प्रसारण के विभिन्न खंडों में विदेशी निवेश के आकलन के लिए अनुमोदन तथा क्रियाविधि के लिए पद्धति को भी कवर करती हैं।

¼ख) केबल टीवी सेवाओं की पुनर्संरचना पर सिफारिशें

28. भादूविप्रा ने "केबल टीवी सेवाओं की पुनर्संरचना" पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय को अपनी अंतिम सिफारिशें 25 जुलाई 2008 को भेजीं। ये सिफारिशें प्रभावी लाइसेंसिंग अनुपालन, निवेश आकर्षित करने, नई मूल्यवर्धित सेवाओं को सुकर बनाने तथा डिजिटलीकरण को प्रोत्साहित करने को सुनिश्चित करने के लिए केबल टीवी नेटवर्क की पुनर्संरचना में एक और कदम है। इन सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ एलसीओ/एमएसओ के लिए

क्र0सं0	खण्ड	विद्यमान सीमा	सिफारिशें
1.	टेलीपोर्ट (हब)	49% (एफडीआई+एफआईआई)	74% (एफडीआई+एफआईआई)
2.	डीटीएच	49% (एफडीआई+एफआईआई) एफडीआई अवयव 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा	74% (एफडीआई+एफआईआई)
3.	उपग्रह रेडियो	आज तक कोई नीति नहीं*	अलग से भेजी जा रही है
4.	एचआईटीएस	आज तक कोई नीति नहीं**	74% (एफडीआई+एफआईआई)
5.	केबल नेटवर्क	49% (एफडीआई+एफआईआई)	74% (एफडीआई+एफआईआई)
6.	एफएम रेडियो	20% (एफडीआई+एफआईआई)	49% (एफडीआई+एफआईआई)
7.	टीवी चैनलों की डाउनलिंकिंग	100%	यथास्थिति
8.	टीवी समाचार चैनलों की अपलिंकिंग	26% (एफडीआई+एफआईआई आई)	49% (एफडीआई+एफआईआई)
9.	गैर-समाचार चैनलों की अपलिंकिंग	100%	यथास्थिति
10.	मोबाइल टेलीविजन	आज तक कोई नीति नहीं	74% (एफडीआई+एफआईआई)

* विदेशी उपग्रह रेडियो प्रचालक का अनुमोदन एफआईपीबी रूट के माध्यम से दिया जाता है

** एचआईटीएस के लिए अनुमति दो टेलीपोर्ट लाइसेंसियों को दी जाती है (49 प्रतिशत विदेशी निवेश सीमा)

बॉक्स 3: प्रसारण और वितरण क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान मुख्य विशेषताएं

- ❖ 31 मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार, केबल नेटवर्कों में प्रसारित किए जा रहे फ्री-टु-एयर (एफटीए) चैनलों तथा पे-चैनलों की संख्या क्रमशः 168 और 130 थी।
- ❖ दिल्ली, कोलकाता, मुंबई तथा चेन्नई के कैस, अधिसूचित क्षेत्रों में मार्च 2009 की समाप्ति तक स्थापित सेट टॉप बॉक्सों (एसटीबी) की कुल संख्या 7,70,053 थी।
- ❖ 31 मार्च, 2009 को दूरदर्शन की फ्री-टु-एयर डीटीएच सेवा के अलावा 6 निजी डीटीएच लाइसेंसी थे।
- ❖ 31 मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार, डीटीएच प्रचालकों का सब्सकाइबर आधार 13:9 मिलियन था।
- ❖ आकाशवाणी के अलावा, 31 मार्च 2009 को 245 एफएम रेडियो स्टेशन प्रचालन कर रहे थे।
- ❖ 31 मार्च 2009 के अनुसार, 67 लाइसेंसशुदा सामुदायिक रेडियो स्टेशन थे जिनमें से 41 स्टेशन प्रचालन में थे।

लाइसेंसिंग ढांचा; पात्रता मानदण्ड; एलसीओ/एमएसओ के लिए प्रवेश शुल्क; लाइसेंसिंग तथा अपीलीय प्राधिकारी का सुपरिभाषित ढांचा, सुपरिभाषित शिकायत निराकरण तंत्र, एलसीओ/एमसीओ के लिए सेवा गुणवत्ता मानक; लाइसेंस के निबंधन और शर्तों के गैर-अनुपालन के लिए शास्ति उपबंध आदि जैसे मुद्दे शामिल हैं।

¼x½ ÞVsyhfotu n'kZd ekiu@Vsyhfotu jsfVax IokbaV~l ¼Vhvkjih½ ds fy, uhfrxr fn'kk&funsZ'k rFkk izpkyukRed eqn~nksaß ij flQkfj'ksa

29. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन रेटिंग की प्रणाली और ढांचे पर तथा रेटिंग एजेंसियों के लिए अपनाए जाने वाले नीतिगत दिशा-निर्देशों पर भादूविप्रा की सिफारिशें मांगी थीं। प्राधिकरण ने टेलीविजन दर्शक मापन/टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट्स (टीआरपी) के लिए नीतिगत दिशा-निर्देश तथा प्रचालनात्मक मुद्दों" पर 19 अगस्त, 2008 को अपनी सिफारिशें कीं।

30. प्राधिकरण का मत है कि किसी अधिनियमन के रूप में सरकारी हस्तक्षेप इस अवस्था में वांछनीय नहीं है। अतः सरकारी दिशा-निर्देशों की ढाल, बीएआरसी के संगठनात्मक ढांचे, कार्यकरण तथा क्रियाविधि के साथ उद्योग के नेतृत्व वाले अलाभकारी निकाय बीएआरसी के माध्यम से स्व-विनियमन की सिफारिश की गई है। अनुशंसित उपायों में उद्योग द्वारा नेतृत्व प्रदान किए निकाय के लिए ढांचा, रेटिंग एजेंसियों के लिए सुझाई गई शर्तें, सैंपल आकार, प्रौद्योगिकी, क्रॉस-होल्डिंग, अनिवार्य लेखापरीक्षा, रेटिंग सेवाओं में प्रतिस्पर्धा आदि जैसे मुद्दे शामिल हैं।

घ) "प्रसारण तथा वितरण क्रियाकलापों में कतिपय सत्ताओं के प्रवेश से संबंधित मुद्दों" पर सिफारिशें

31. प्राधिकरण ने "प्रसारण और वितरण क्रियाकलापों में कतिपय सत्ताओं के प्रवेश से संबंधित मुद्दों" पर अपनी सिफारिशें 12 नवम्बर 2008 को प्रदान कीं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसारण क्रियाकलापों में कतिपय राज्य सरकारों,

शहरी और स्थानीय निकायों, 3-स्तरीय पंचायती राज निकायों, सार्वजनिक वित्त-पोषण निकायों, राजनैतिक निकायों तथा धार्मिक निकायों को प्रवेश करने की अनुमति देने के मामले की जांच करने के लिए भादूविप्रा से अनुरोध किया था, जिनमें प्रसारण चैनल प्रारंभ करना अथवा केबल सेवाओं, डीटीएच आदि वितरण प्लेटफार्म में प्रवेश करना शामिल होगा।

32. विभिन्न संवैधानिक एवं विधिक मुद्दों, प्रासंगिक सांविधिक उपबंधों, विधानमंडलों की बहसों, सरकारिया आयोग की सिफारिशों तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों की सावधानीपूर्वक जांच करने के पश्चात तथा साथ ही परामर्श-प्रक्रिया आयोजित करके और अपने स्वयं के विश्लेषण के आधार पर प्राधिकरण ने सिफारिश की कि इन सत्ताओं के प्रवेश के बारे में वर्तमान स्थिति को बनाए रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। भादूविप्रा ने यह सिफारिश की है कि प्रसारण के संबंध में राज्य सरकारों के दायित्वों की प्रसार भारती द्वारा तथा कतिपय सार्वजनिक सेवा प्रसारण दायित्व अधिरोपित करके पर्याप्त रूप से पूर्ति की जानी चाहिए, जैसाकि नीचे दर्शाया गया है-

- सार्वजनिक सेवा प्रसारण के लिए कंटेंट की तैयारी वैयक्तिकों द्वारा की जानी चाहिए जिसमें प्रसार भारती, डीएवीपी, राज्य सरकारों तथा उनके अंगों के अलावा निजी प्रसारक, एनजीओ, सामाजिक कार्य समूह आदि शामिल होंगे।

- भारत सरकार (सूचना और प्रसारण मंत्रालय) ऐसे कार्यक्रमों को अनुमोदित करने तथा प्रमाणित करने के लिए एक नियमित निकाय स्थापित करे जोकि सार्वजनिक सेवा प्रसारण (पीएसबी) दायित्व के भाग के रूप में प्रसारण के लिए उपयुक्त हों।

- इस निदेश के प्रारंभ के रूप में, प्रत्येक निजी प्रसारक को एक सप्ताह में न्यूनतम तीस मिनट की कुल अवधि के लिए ऐसे अनुमोदित कार्यक्रमों को कैरी करने के लिए अधिरोपित किया जाना चाहिए।

33. ऐसे सार्वजनिक सेवा प्रसारण कार्यक्रमों के लिए धनराशि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, भादूविप्रा ने आगे एक निधि की स्थापना की सिफारिश की है जिसे सार्वजनिक सेवा प्रसारण दायित्व निधि कहा जाएगा, जोकि दूरसंचार क्षेत्र में सार्वजनिक सेवा दायित्व (यूएसओ) निधि के अनुरूप ही होगी, तथा साथ ही उसने देश मे निजी प्रसारकों पर वार्षिक सार्वजनिक सेवा प्रसारण दायित्व उद्ग्रहण अधिरोपित करने और प्रसारण क्षेत्र में पहचान किए गए पणधारकों द्वारा भुगतान की जाने वाले सकल राजस्व के प्रतिशत में से एक मुख्य हिस्सा वसूलने की सिफारिश भी की है।

34. प्रसारण क्रियाकलापों में राजनैतिक दलों, धार्मिक निकायों, राज्य सरकारों के प्रवेश के बारे में सिफारिशों के अन्य विवरणों पर इस प्रतिवेदन के **भाग-तीन** में चर्चा की गई है।

(ड.) निजी एफएम रेडियो प्रसारण का तीसरा चरण-सरकार द्वारा की गई टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया पर सिफारिशें

35. प्राधिकरण ने प्राइवेट एफएम रेडियो प्रसारण के तीसरे चरण पर अपनी सिफारिशें 22 फरवरी, 2008 को भेजीं। तदंतर, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भादूविप्रा अधिनियम की धारा 11 के उपबंधों के निर्बंधनों के अनुसार भादूविप्रा

की सिफारिशों के कतिपय मुद्दों पर भादूविप्रा की प्रतिक्रिया के लिए अनुरोध किया। भादूविप्रा से जिन मुख्य मुद्दों पर प्रतिक्रिया मांगी गई थी, वे निम्नानुसार हैः-

- लाइसेंसिंग के लिए भौगोलिक आधार- शहर बनाम जिला
- मल्टीपल चैनलों के स्वामित्व पर सीमाएं
- परमीशन होल्डर कंपनी के स्वामित्व पर परिवर्तन
- समाचार एवं ताजी घटनाएं
- बोलियों का फ्लोर मूल्य
- अनुमतियों का स्वतः नवीकरण

36. प्राधिकरण द्वारा इन मुद्दों पर विचार किया गया था तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय को एक उत्तर 28 नवम्बर 2008 को प्रेषित किया गया था। प्राधिकरण द्वारा भेजी गई प्रतिक्रिया की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैः-

- प्रक्रिया में तेजी लाने के व्यापक हित में शहर स्तरीय लाइसेंसिंग को जारी रखना।
- प्राधिकरण ने अपनी पूर्व की सिफारिश को दृढ़ता के साथ दोहराया है कि देश में किसी अनुमति धारक द्वारा कुल अनुमति प्रदान किए गए एफएम रेडियो स्टेशनों के 15 प्रतिशत स्वामित्व की सीलिंग-सीमा को समाप्त किया जाए।
- एफएम रेडियो प्रसारण के आरंभ से पूर्व पुनर्संरचना की अनुमति पर सरकार के दृष्टिकोण को स्वीकार कर प्राधिकरण ने एफएम रेडियो के प्रसारण के आरंभ के पश्चात स्वामित्व के परिवर्तन पर निर्बंधनों पर अपने दृष्टिकोण को दोहराया है।
- प्राधिकरण ने एफएम रेडियो के लिए समाचार तथा ताजे घटनाक्रम के स्रोतों को सीमित करने के सरकार के दृष्टिकोण को स्वीकार कर लिया है तथा सिफारिश की है कि तीन वर्ष पश्चात स्रोतों के विस्तार के लिए समीक्षा पर विचार किया जाए।
- गैर-समाचार तथा ताजे घटनाक्रम प्रसारण के रूप में आने जाने वाले कंटेंट का श्रेणीकरण प्राधिकरण द्वारा स्वीकार्य है। ऐसे कंटेंट की व्याप्ति को अनुभव की समीक्षा के पश्चात तीन वर्ष की अवधि के बाद विस्तारित किया जाए।
- प्राधिकरण ने बोलियों के फ्लोर मूल्य के वर्तमान स्तर को जारी रखने के सरकार के दृष्टिकोण को स्वीकार किया है।
- किसी बोलीदाता द्वारा संदत्त एकबारीय प्रवेश शुल्क के उच्च "भावी मूल्य" की अनुमति का स्वतः नवीकरण अथवा समान राज्य में एक समान श्रेणी के शहर के लिए किसी बोलीदाता द्वारा नवीनतम एकबारीय प्रवेश शुल्क की सिफारिश उस विद्यमान अनुमति धारक के साथ की गई है जिसके पास इंकार करने का पहला अधिकार है।

(च) दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (तीसरा) (कैस क्षेत्र) टैरिफ (तीसरा संशोधन) आदेश, 2008

37. दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (तीसरा) (कैस-क्षेत्र) टैरिफ (तीसरा संशोधन) आदेश, 2008 दिनांक 26 दिसम्बर 2008 को जारी किया गया था। इस टैरिफ आदेश में सेट टॉप बॉक्स मूल्यों में बाजार विकास को प्रतिबिंबित किया गया था तथा, तदनुसार, कैस क्षेत्रों में केबल टीवी सेवाओं के लिए

सेट टॉप बॉक्स हेतु मानक टैरिफ पैकेजों के किरायों में कमी की गई थी।

38. कैस टैरिफ आदेश दिनांक 31 अगस्त, 2006 में कैस अधिसूचित क्षेत्रों में सब्सक्राइबर के छोर पर, प्रतिमाह 5/-रु0 (करों को छोड़कर) प्रति पे-चैनल और न्यूनतम 30 फ्री-टु-एयर चैनल वाले बुनियादी सेवा टियर के लिए प्रतिमाह 77/-रु0 (करों को छोड़कर) की सीलिंगें निर्धारित की गई थीं। 7 प्रतिशत वृद्धि की अनुमति देने के पश्चात, सब्सक्राइबर के छोर पर पे-चैनल के लिए सीलिंग को बढ़ाकर 5.35/-रु0 प्रति पे-चैनल प्रतिमाह (करों को छोड़कर) कर दिया है तथा उपभोक्ता को बुनियादी सेवा टियर 82/-रु0 प्रति माह (करों को छोड़कर) की लागत पर उपलब्ध होगा।

39. कैस क्षेत्रों के लिए टैरिफ संशोधन आदेश में प्रतिभूति जमा तथा सेट टॉप बॉक्स के लिए मासिक किराए में कटौती का प्रावधान किया गया है। सेर टॉप बॉक्सों के वर्तमान मूल्यों में गिरावाट के साथ यह कटौती आवश्यक बन गई है। इससे पूर्व, कैस क्षेत्रों में केबल टीवी सेवाओं के लिए टैरिफ आदेश में उपभोक्ताओं के लिए दो अनिवार्य स्कीमों का उपबंध किया गया था जिमसें प्रतिभूति जमा तथा मासिक किरायों को सेट टॉप बॉक्सों के उस समय प्रचलित मूल्यों के आधार पर निर्दिष्ट किया गया था। चूंकि सेट टॉप बॉक्सों के मूल्य कैस टैरिफ आदेश के कार्यान्वयन के विगत दो वर्षों के दौरान कम हो गए थे, उनकी पुनः समीक्षा करना तथा उपभोक्ताओं को लाभ प्रदान करने के लिए उसका उल्लेख टैरिफ आदेश में किया जाना अनिवार्य था। तदनुसार, प्रतिभूति जमा और सेट टॉप बॉक्सों के किरायों को संशोधित किया गया, तथा अब सेवा प्रदाताओं को दो स्कीमों की पेशकश करनी अपेक्षित है, पहली 250/-रु0 के स्थान पर 200/-रु0 की प्रतिभूति जमा के साथ जिसमें 45/-रु0 के स्थान पर मासिक किराया 34/-रु0 होगा तथा दूसरी 999/-रु0 के स्थान पर 750/-रु0 की प्रतिभूति जमा के साथ, जिसमें मासिक किराया 30/-रु0 के स्थान पर केवल 22/-रु0 होगा।

40. ये टैरिफ संशोधन आदेश 1 जनवरी 2009 से लागू बनाए गए हैं।

(छ) दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (दूसरा) टैरिफ (नौवां संशोधन) आदेश, 2008

41. दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (दूसरा) टैरिफ (नौवां संशोधन) आदेश, 2008 दिनांक 26 दिसम्बर 2008 को जारी किया गया था। इस आदेश का उद्देश्य गैर-कैस क्षेत्रों में केबल टीवी सेवाओं के लिए टैरिफ सीलिंगों में मुद्रास्फीति से जुड़े समायोजनों का प्रावधान करना था। इससे पूर्व, 4 अक्तूबर 2007 को यथासंशोधित गैर-कैस टैरिफ आदेश ने नए पे-चैनलों के कारण हुई वृद्धियों के लिए उपबंधों को करते हुए 01.12.2007 को वितरण श्रृंखला के विभिन्न स्तरों पर अदा किए जाने वाले केबल प्रभारों को सीलिंग के रूप में बनाया गया था। इसके अतिरिक्त, विद्यमान टैरिफ आदेश ने चैनलों की संख्या तथा उस शहर के आधार पर, जिसमें सब्सक्राइबर केबल टीवी सेवाएं प्राप्त कर रहा है, सब्सक्राइबर स्तर पर विशिष्ट सीलिंगों के लिए प्रावधान किए थे। चूंकि एक वर्ष की अवधि पहले ही बीत चुकी थी, यह आवश्यक समझा गया कि केबल टीवी क्षेत्र की इष्टतम वृद्धि के लिए सीलिंगों की पुनः समीक्षा की जाए। यह आवश्यक समझा गया कि केबल टीवी सेवाओं की वितरण श्रृंखला के विभिन्न प्लेयरों के लिए सीलिंग में मुद्रास्फीति से जुड़ी वृद्धि की जाए, तथा, तदनुसार, गैर-कैस क्षेत्रों में केबल सेवाओं के लिए थोक मूल्य सूचकांक संचलन के आधार पर 7

प्रतिशत वृद्धि उपलब्ध कराई गई है। इसी प्रकार, देश के विभिन्न भागों में पे-चैनलों की संख्या के आधार पर सब्सक्राइबर के छोर पर सीलिंगों की भी पुनः समीक्षा की गई हैं ताकि इस अनुमेय वृद्धि को आगे प्रतिबिंबित किया जा सके।

42. ये टैरिफ संशोधन आदेश 1 जनवरी, 2009 से लागू बनाए गए हैं।

(ज) सेवा गुणवत्ता मानक (प्रसारण और केबल सेवाएं) (केबल टेलीविजन - गैर-कैस क्षेत्र) विनियम, 2009

43. सेवा गुणवत्ता मानक (प्रसारण और केबल सेवाएं) (केबल टेलीविजन-गैर-कैस क्षेत्र) विनियम, 2009 दिनांक 24 फरवरी 2009 को जारी किए गए थे। ये विनियम उपभोक्ताओं को गैर-कैस क्षेत्रों में केबल टीवी सेवा प्रदाताओं से गुणवत्तापूर्ण सेवा प्राप्त करने में समर्थ बनाएगा। ये विनियम 1 अप्रैल 2009 से लागू बनाए गए। कैस अधिसूचित क्षेत्रों में केबल टीवी सेवाओं तथा डीटीएच सेवा के लिए सेवा गुणवत्ता विनियम जारी करने के पश्चात प्राधिकरण ने गैर-कैस क्षेत्रों में सेवा गुणवत्ता के मुद्दों पर परामर्श-प्रक्रिया संचालित की। परामर्श-प्रक्रिया में प्राप्त हुई टिप्पणियों तथा आंतरिक विश्लेषण के आधार पर प्राधिकरण ने समूचे देश में अत्यंत विखण्डित गैर-कैस केबल टीवी नेटवर्क के लिए सेवा गुणवत्ता विनियम जारी किए। इन विनियमों को तैयार करते समय, प्राधिकरण ने गैर-कैस क्षेत्रों में कुछ सेवा प्रदाताओं द्वारा स्वैच्छिक डिजिटलीकरण और एडेसेबिलिटी के अंगीकरण का स्वागत किया है तथा सेवा गुणवत्ता के मोर्चे पर सीवनरहित अंतरण के लिए प्रावधान बनाए गए हैं, जब कभी सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा भविष्य मे प्रचालन के उनके क्षेत्रों में कैस का विस्तार किया जाएगा। इन विनियमों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैः-

- केबल सेवाओं के कनेक्शन, विच्छेदन तथा पुनः कनेक्शन के लिए प्रक्रिया सात दिन के भीतर;
- केबल प्रचालकों के लिए केबल टीवी सब्सक्राइबरों को बिल तथा रसीदें जारी करना अनिवार्य बनाना;
- हैल्पडेस्क के रख-रखाव के साथ-साथ शिकायत निपटान एवं उसका निवारण प्रतिदिन प्रातः 8:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक
- स्वैच्छिक कैस के लिए डिजिटल डिकोडिंग तथा सेट टॉप बॉक्सों के प्रावधान हेतु मानक;
- केबल प्रचालकों द्वारा अनिवार्य तकनीकी मानकों का अनुपालन किया जाएगा, जिसमें बेहतर गुणवत्ता, सब्सक्राइबर के छोर पर मापनयोग्य सिगनल क्षमता, छह घंटे की पावर बैकअप का अनुरक्षण आदि शामिल है।

44. प्राधिकरण को आशा है कि ये सेवा गुणवत्ता विनियम, समग्र रूप से केबल टीवी उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण में मील का पत्थर साबित होंगे।

(ज) मीडिया स्वामित्व पर सिफारिशें

45. भादूविप्रा ने 25 फरवरी, 2009 को मीडिया स्वामित्व पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय को अपनी सिफारिशें प्रेषित की थीं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने रेडियो, प्रसारण और प्रिंट मीडिया हेतु भारत में क्रॉस मीडिया एवं स्वामित्व निर्बंधनों के लिए आवश्यकता पर भादूविप्रा की सिफारिशें मांगी थीं। भारत में मीडिया

स्वामित्व से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर परामर्श-प्रक्रिया का आयोजन करके, अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार का अध्ययन करके तथा अपने स्वयं के विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकरण ने इस मुद्दे पर सिफारिशें तैयार कीं। सिफारिशों में क्रॉस मीडिया नियंत्रण/स्वामित्व (हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन); वर्टिकल इंटीग्रेशन; एकल एंटाइटी द्वारा लाइसेंसर की संख्या पर सीमाएं; मीडिया के आस-पास केन्द्रीय/स्वामित्व संकेन्द्रण; दूरसंचार और मीडिया कंपनियों के आस-पास क्रॉस केन्द्रीय/स्वामित्व आदि जैसे मुद्दे शामिल थे। सिफारिशों के विवरणों पर इस प्रतिवेदन के भाग तीन में चर्चा की गई।

(झ) डायरेक्ट-टु-होम सेवाएं (सेवा गुणवत्ता के मानक तथा शिकायत निराकरण) (संशोधन) विनियम, 2009

46. संशोधन विनियम 12 मार्च, 2009 को जारी किए गए थे। डीटीएच सेवाओं के लिए सेवा गुणवत्ता और शिकायत निराकरण विनियमों में किए गए मुख्य संशोधन इस प्रकार हैः-

- डीटीएच प्रचालकों को सीधी खरीद आधार पर अर्जित किए गए डीटीएच उपभोक्ता परिसर उपस्कर की वारंटी की अवधि के दौरान विजिटिंग प्रभारों अथवा डीटीएच उपभोक्ता परिसर उपस्कर की मरम्मत और अनुरक्षण के लिए कोई भी शुल्क प्रभारित करने से प्रतिषिद्ध किया गया है।
- डीटीएच प्रचालकों को उनके सब्सक्रिप्शन पैकेज में नामांकन के पहले छह माह के दौरान अथवा किसी प्री-पेड सब्सक्रिप्शन की वैधता की अवधि के दौरान, इनमें से जो भी बाद में हो, उनके सब्सक्रिप्शन पैकेजों की संरचना में परिवर्तन करने से प्रतिषिद्ध किया गया है।
- डीटीएच प्रचालकों को किसी पैकेज के लिए, जिससे नामांकन के पहले छह माह के दौरान कोई चैनल हटाया गया है अथवा किसी प्री-पेड सब्सक्रिप्शन पैकेज की वैधता की अवधि के दौरान, इनमें से जो भी अधिक अवधि का हो, सब्सक्रिप्शन प्रभारों को आनुपातिक रूप से कम करने अथवा उस चैनल को समान विषय-वस्तु और भाषा के चैनल से बदलने के लिए अधिदेशित किया गया है।
- किसी ऐसे चैनल को बदलने के लिए जोकि डीटीएच प्लेटफार्म पर उपलब्ध नहीं रहा है, किसी सब्सक्रिप्शन पैकेज में समान विषय-वस्तु और भाषा के चैनल के चयन का विकल्प डीटीएच प्रचालक को दिया गया है।
- कम प्रभारों के साथ पैकेज को पसंद करने अथवा बदले गए चैनल के साथ पैकेज लेने का विकल्प सब्सक्राइबर को दिया गया है।
- किसी सब्सक्रिप्शन पैकेज की संरचना को परिवर्तन करने से पूर्व डीटीएच प्रचालक द्वारा पन्द्रह दिन का पूर्व-नोटिस दिया जाएगा।
- डीटीएच प्रचालकों को उस स्थिति में सेवाओं निलंबन के लिए डीटीएच सब्सक्राइबरों के अनुरोधों पर कार्रवाई करने के लिए अधिदेशित किया गया है, यदि निलंबन की अनुरोध की गई अवधि तीन कैलेण्डर माह से अधिक नहीं है तथा कैलेण्डर माह का भाग नहीं बनती है।

(ञ) दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतरसंयोजन (पांचवां संशोधन) विनियम, 2009

47. प्राधिकरण ने दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतरसंयोजन (पांचवां संशोधन) विनियम, 2009 दिनांक 17 मार्च 2009 को जारी किए। यह संशोधन अनिवार्य रूप से गैर-भेदभाव आधार पर कंटेंट की एक्सेस, एडेसेबल प्लेटफार्मों के लिए अंतरसंयोजन से संबंधित मुद्दों तथा अंतरसंयोजन करारों के पंजीकरण से संबंधित मुद्दों को कवर करता है। अंतरसंयोजन विनियमों में किए गए मुख्य संशोधन निम्नानुसार हैः-

- टीवी चैनलों के वितरकों को उन चैनलों के लिए जिनके संबंध में टीवी चैनलों के वितरकों द्वारा कैरिज शुल्क की मांग की जा रही है, किसी प्रसारक से अंतरसंयोजन विनियम के "मस्ट प्रोवाइड" खंड के निर्बंधनों में सिगनल प्राप्त करने से बाधित किया गया है।
- टीवी चैनलों का वितरक, तथापि, अपने वितरण प्लेटफार्म पर अन्य प्रसारकों के चैनलों की तुलना में किसी प्रसारक के चैनल के प्लेस्मेंट के लिए शुल्क प्रभारित कर सकेगा।
- सभी प्रसारकों के लिए सभी एडेसेबल प्रणालियों हेतु संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव रखना अनिवार्य बनाकर स्वैच्छिक कैस की शुरूआत तथा उसके क्रियान्वयन को सुकर बनाया गया है। इसके अलावा एडेसेबल प्रणालियों के लिए न्यूनतम तकनीकी विनिर्देशन भी निर्दिष्ट किए गए हैं।
- ऐसे निबंधन और शर्तें निर्दिष्ट की गई हैं जो डीटीएच अथवा किसी अन्य एडेसेबल प्रणाली, जैसे स्वैच्छिक कैस, आईपीटीवी, एचआईटीएस आदि के लिए संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव का अनिवार्यतः भाग बनती हों।
- एडेसेबल प्रणालियों को स्थापित करने वाले टीवी चैनलों के वितरकों को उनकी सेवाएं वाणिज्यिक सब्सक्राइबरों तक उपलब्ध करने के लिए समर्थ बनाया गया है।
- सभी अंतरसंयोजन करारों को लिखित रूप में किए जाने को अनिवार्य बनाया गया है।

48. यह आशा की जाती है कि विद्यमान अंतरसंयोजन विनियमों में किए गए ये संशोधन एड्रेसेबल प्लेटफार्मों को स्थापित करते हुए टीवी चैनलों के वितरकों के लिए कंटेंट की गैर-भेदभावपूर्ण निबंधनों पर एक्सेस को सुकर बनाने के लिए मील का पत्थर साबित होंगे, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न पे-टीवी वितरण प्लेटफार्मों के बीच अधिक प्रतिस्पर्धा आएगी, जिसमें उपभोक्ताओं को पर्याप्त लाभ प्राप्त होगा।

(ट) अंतरसंयोजन करार का रजिस्टर (प्रसारण और केबल सेवाएं) (चौथा संशोधन) विनियम, 2009 दिनांक 18 मार्च, 2009

49. प्राधिकरण ने अंतरसंयोजन करार का रजिस्टर (प्रसारण और केबल सेवाएं) (चौथा संशोधन) विनियम, 2009 दिनांक 18 मार्च 2009 को जारी किए। भादूविप्रा ने प्रसारकों द्वारा विभिन्न प्लेटफार्मों के प्रदाताओं के साथ किए गए अंतरसंयोजन करारों को दाखिल करने तथा उनके पंजीकरण के लिए 31 दिसम्बर, 2004 को विनियम जारी किए थे। संशोधन से पूर्व अंतरसंयोजन

करारों के विवरण प्रसारकों तथा डीटीएच प्रचालकों द्वारा भादूविप्रा को तिमाही रूप से दाखिल किए जा रहे थे। तथापि, प्राधिकरण ने नोट किया कि उद्योग में प्रचलित प्रथा के अनुसार अंतरसंयोजन करार मुख्य रूप से वार्षिक आधार पर हस्ताक्षरित किए जाते हैं और वे भी मुख्यतः किसी और कैलेण्डर वर्ष अथवा वित्तीय वर्ष के लिए। उद्योग की प्रथा के साथ विनियम को सांमजस्यपूर्ण बनाने के लिए प्राधिकरण ने इस उपबंध के साथ विनियम को संशोधित किया है कि इन सेवा प्रदाताओं द्वारा प्राधिकरण के पास तिमाही रूप से अनुबंध के दाखिले के स्थान पर वे वार्षिक रूप से दाखिल किए जाएंगे।

50. बेहतर मॉनीटरिंग के लिए, नए उभरते हुए सेवा प्रदाताओं जैसे एचआईटीएस प्रचालक तथा आईपीटीवी सेवा प्रदाता, के लिए भी उनके प्रसारकों के साथ किए गए अंतरसंयोजन करारों को वार्षिक आधार पर प्राधिकरण के पास दायर करना अनिवार्य बनाया गया है। प्राधिकरण ने यह भी निर्णय लिया है कि समस्त अंतरसंयोजन करार प्रसारकों और एमएसओ द्वारा लिखित रूप में किए जाएंगे। यह प्रसारकों तथा एमएसओ का उत्तरदायित्व होगा कि वे ऐसे लिखित करारों को निष्पादित करने के पश्चात टीवी चैनल के वितरक को सौंप दें। इस संबंध में एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने का उपबंध भी वर्तमान विनियम में अंतर्विष्ट किया गया है। प्राधिकरण ने निर्णय लिया है कि अंतरसंयोजन फाइलिंगों को उनकी फाइलिंग की तारीख से तीन वर्ष की अवधि तक अथवा करार की वैधता की तारीख की समाप्ति, जो भी बाद में हो, तक रखा जाएगा तथा तदनुसार इस प्रयोजनार्थ विनियमों को उपयुक्त रूप से संशोधित किया गया है।

टैरिफ विनियम में विकास

51. भादूविप्रा को देश में दूरसंचार सेवाओं के लिए टैरिफों को विनियमित करने का अधिदेश दिया गया है। वहनीय तथा प्रभावी संप्रेषण की उपलब्धता नई दूरसंचार नीति (एनटीपी, 1999) के उद्देश्य एवं लक्ष्य का केन्द्रीय बिंदु है। इस कृत्य का निर्वहन भादूविप्रा द्वारा समय-समय पर दूरसंचार टैरिफ आदेशों के माध्यम से किया जाता है। हाल ही में, भारत में दूरसंचार क्षेत्र ने विश्व में उच्चतम वृद्धि दर देखी है जिसकी मुख्य वजह मोबाइल टेलीफोन का अभूतपूर्व विकास है तथा आने वाले वर्षों में इसमें और भी वृद्धि होने की आशा है। दूरसंचार भारत के ऐसे क्षेत्रों में शामिल है, जो आर्थिक मंदी के बीच में भी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस क्षेत्र के प्रति यह भी आशा बलवती है कि यह नए अवसरों का सृजन करेगा जिससे भविष्य में भी विकास होगा। भारत की दूरसंचार यात्रा इस बात की भी साक्षी रही है कि इस क्षेत्र में एकाधिकार के स्थान पर एक अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मकपूर्ण बाजार स्थापित हो गया है तथा इसके टैरिफ विश्व के न्यूनतम टैरिफों में से हैं। क्षेत्र में किए गए सुधारों की वजह से निजी कंपनियां उभर कर सामने आई हैं। जिससे अत्यधिक प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, टैरिफों में गिरावट आई है तथा सब्सक्राइबरों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि आई है।

52. प्रसारण क्षेत्र में वित्त वर्ष के दौरान दो टैरिफ आदेश जारी किए गए अर्थात दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (दूसरा) टैरिफ (नौवां संशोधन) आदेश, 2008 तथा दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (तीसरा) (कैस क्षेत्र) टैरिफ (तीसरा संशोधन) आदेश। इन टैरिफ आदेशों का उद्देश्य कैस तथा गैर-कैस

क्षेत्रों में केबल टीवी सेवाओं के लिए टैरिफ सीलिंग में मुद्रास्फीति संबंधित समायोजन उपलब्ध कराना था। ये टैरिफ संशोधन आदेश सेट टॉप बॉक्सों में बाजार विकास को भी प्रतिबिंबित करते हैं तथा, तदनुसार, कैस क्षेत्रों में केबल टीवी सेवाओं के लिए सेट-टॉप बॉक्सों हेतु मानक टैरिफ पैकेज के किरायों में कटौती उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा, वित्त वर्ष के दौरान दूरसंचार टैरिफ (अड़तालीसवां संशोधन) आदेश, 2008 जारी किया गया जिसमें एक्सेस सेवाओं में टैरिफ पेशकशों में पारदर्शिता में सुधार लाने के उपाय तथा उपभोक्ता संरक्षण के अन्य उपाय निहित थे।

उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए उपाय

53. प्राधिकरण सेवा प्रावधान के मामले में उपभोक्ता पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सेवा प्रदाताओं को आदेश/निदेश जारी करता है। वर्ष के दौरान निम्नलिखित उपभोक्ता संरक्षण उपाय किए गए:-

- प्राधिकरण ने 1 सितम्बर, 2008 को एक निदेश जारी किया जोकि अन्य बातों के साथ-साथ उनके द्वारा दूरसंचार उपभोक्ताओं को प्रदान किए जा रहे प्रत्येक टैरिफ प्लान पर टैरिफ सूचना के बारे में था जिसका उद्देश्य टैरिफ प्लानों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना था।
- दूरसंचार टैरिफ आदेश के 48वें संशोधन को उपभोक्ता पारदर्शिता एवं संरक्षण में वृद्धि करने के उद्देश्य से जारी किया गया था।
- वर्ष 2008-09 के दौरान नौ उपभोक्ता शिक्षा कार्यशालाएं आयोजित की गईं (भादूविप्रा द्वारा 5 आयोजित की गईं तथा भादूविप्रा के पास पंजीकृत सीएजी द्वारा बाहरी मॉडल के रूप में 4 अन्य आयोजित की गई)।
- नए पंजीकृत हुए सीएजी के लाभ के लिए भादूविप्रा के पास पंजीकृत सीएजी तथा एनजीओ के साथ 22 और 23 अक्तूबर, 2009 को दो पुनश्चर्या कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- समूचे देश में उपभोक्ताओं की समस्याओं की बेहतर समझ के लिए भादूविप्रा द्वारा उसके पास पंजीकृत सभी सीएजी एवं एनजीओ के साथ 24 अक्तूबर, 2008 को एक बैठक आयोजित की गई।
- पुरानी समिति की एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात 15 सितम्बर, 2008 को दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा तथा संरक्षण निधि (सीयूटीसीईएफ) पर एक नई समिति का गठन।
- बेहतर कनेक्टिविटी तथा बेहतर सेवा गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सभी सेवा प्रदाताओं को 2 मार्च, 2009 को दिशा-निर्देश जारी किए गए।

सेवा गुणवत्ता (क्यूओएस) की मॉनीटरिंग

54. भादूविप्रा को विभिन्न सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की गई सेवा गुणवत्ता के मापदण्ड निर्धारित करने तथा सेवा गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अधिदेशित किया गया है। तदनुसार, भादूविप्रा ने बुनियादी और सेल्युलर मोबाइल सेवाओं के लिए सेवा गुणवत्ता पर विनियम जारी किए थे जिसमें सेवा गुणवत्ता मापदण्ड विनिर्दिष्ट किए गए थे। भादूविप्रा ने 20 मार्च, 2009 को इस विषय पर वर्ष 2005 को पूर्व में जारी विनियमों की समीक्षा करने के पश्चात बुनियादी टेलीफोन

सेवा (वायरलाइन) तथा सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा की सेवा गुणवत्ता के मानक विनियम, 2009 जारी किए।

55. दिल्ली, चेन्नई, मुंबई तथा कोलकाता के कैस अधिसूचित क्षेत्रों में एमएसओ/केबल प्रचालकों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली सेवा गुणवत्ता को विनियमित करने के लिए भादूविप्रा ने वर्ष 2006 में सेवा गुणवत्ता के मानक (प्रसारण और केबल सेवाएं) (केबल टेलीविजन-कैस) विनियम, 2006 जारी किए थे। दिनांक 31 अगस्त, 2007 को डायरेक्ट-टु-होम सेवाएं (सेवा गुणवत्ता के मानक तथा शिकायत निराकरण) विनियम, 2007 जारी किए गए जिनमें डायरेक्ट-टु-होम (डीटीएच) प्रसारण सेवाओं के लिए सेवा गुणवत्ता मानकों के बेंचमार्क निर्दिष्ट किए गए थे। वित्त वर्ष 2008-09 में, सेवा गुणवत्ता के मानक (प्रसारण और केबल सेवाएं) (केबल टेलीविजन-गैर कैस क्षेत्र) विनियम, 2009 जारी किए गए जिनमें गैर-कैस क्षेत्रों में केबल टीवी सेवाओं के लिए मापदण्ड निर्दिष्ट किए गए थे। इसके अलावा, 12 मार्च, 2009 को डायरेक्ट-टु-होम प्रसारण सेवाएं (सेवा गुणवत्ता के मानक और शिकायत निराकरण) (संशोधन) विनियम 2009 जारी किया गया ताकि उक्त संदर्भित 31 अगस्त, 2007 के प्रधान विनियम में कतिपय संशोधन किए जा सकें।

56. बुनियादी तथा सेल्युलर मोबाइल सेवा के निष्पादन की मॉनीटरिंग भादूविप्रा द्वारा सेवा प्रदाताओं से प्राप्त तिमाही निष्पादन मॉनीटरिंग रिपोर्ट (पीएमआर) के माध्यम से बुनियादी और सेल्युलर मोबाइल सेवाओं के लिए सेवा गुणवत्ता पर विनियम के माध्यम से निर्दिष्ट बेंचमार्कों की तुलना में की जाती हे। भादूविप्रा सेल्युलर मोबाइल सेवा प्रदाता (सीएमएसपी) से प्राप्त तिमाही रिपोर्टों के माध्यम से प्वाइंट ऑफ इंटरकनेक्शन (पीओआई) कंजेशन की भी मॉनीटरिंग करता है। सेवा गुणवत्ता के संबंध में उनके निष्पादन को सुधारने के लिए सेवा प्रचालकों के साथ अनुवर्ती बैठक भी आयोजित की गई। भादूविप्रा विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच पीओआई पर कंजेशन के स्तर की भी मासिक आधार पर मॉनीटरिंग करता है। यह मापदण्ड उस सुविधा को इंगित करता है, जिसके द्वारा किसी एक नेटवर्क का ग्राहक दूसरे नेटवर्क के ग्राहक से बातचीत करने में समर्थ है। यह मापदण्ड यह भी दर्शाता है कि दो नेटवर्कों के बीच अंतरसंयोजन कितना प्रभावशाली है। इस मापदण्ड के लिए जुलाई, 2005 के सेवा गुणवत्ता विनियमों में भादूविप्रा द्वारा अधिसूचित मापदण्ड 0.5 से कम प्रतिशत है।

57. मार्च, 2009 का समाप्त अवधि के लिए पीओआई कंजेशन रिपोर्ट का विश्लेषण यह दर्शाता है कि पीओआई पर कंजेशन के संबंध में सीएमएसपी के निष्पादन में दिसम्बर, 2008 के निष्पादन की तुलना में मार्च, 2009 के माह में गिरावट आई है। इस अवधि के दौरान, सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सब्सक्राइबर आधार दिसम्बर, 2008 में 346.89 मिलियन से बढ़कर मार्च, 2009 में 391.76 मिलियन हो गया। कंजेशन वाले पीओआई की संख्या दिसम्बर, 2008 में 66 से बढ़कर मार्च, 2009 में 76 हो गई। इन कंजेशन रिपोर्टों का विश्लेषण किया गया तथा विश्लेषण के निष्कर्षों को आम जनता की जानकारी में लाया गया। सभी पणधारकों/जनता की जानकारी के लिए विश्लेषण के निष्कर्षों को भादूविप्रा की वेवसाइट पर भी रखा गया ।

58. बुनियादी, सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन तथा ब्रॉडबैंड सेवा प्रदातओं द्वारा सूचित की गई जानकारी की प्रमाणिकता की जांच करने तथा सेवा गुणवत्ता के बारे में उपभोक्ता की सोच का निर्धारण करने के उद्देश्य से भादूविप्रा ने स्वतंत्र एजेंसियों अर्थात् मैसर्स आईएमआरबी इंटरनेशनल, मैसर्स वॉयस, मैसर्स टीसीआईएल तथा मैसर्स मार्केट पल्स को (1) बुनियादी, सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा तथा ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की गई सेवा की गुणवत्ता का वस्तुपरक मूल्यांकन करने तथा (2) सेवा के बारे में उपभोक्ता की सोच का मूल्यांकन करने के लिए तथा साथ ही जोनल आधार पर दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण एवं शिकायत निराकरण विनियम, 2007 के क्रियान्वयन एवं प्रभाविता का आकलन करने के लिए वस्तुपरक ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण संचालित करने के प्रयोजनार्थ नियुक्त किया है। प्रथम एवं द्वितीय अर्ध-वार्षिक अवधि के लिए रिपोर्टें प्राप्त हो चुकी हैं, तथा उनका सेवा क्षेत्रवार विश्लेषण किया जा चुका है और प्रेस विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है तथा साथ ही पणधारकों की जानकारी के लिए उन्हें भादूविप्रा की वेबसाइट पर भी रखा गया है।

बाक्स 4 : कार्रवाई के लिए कार्यसूची

- देश को प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए तैयार करना
- दूरसंचार के विकास को बनाए रखना और संवर्धित करना
- ग्रामीण कवरेज में सुधार लाना
- ब्रॉडबैंड को प्रोत्साहन देना
- यह सुनिश्चित करना कि उपभोक्ता संतुष्टि/संरक्षण का विकास हो
- टीवी प्रसारण में मुद्दे
- रेडियो प्रसारण में मुद्दे
- कंवर्जेंस की दिशा में कार्य करना
- प्रभावी विनियमन सुनिश्चित करना

भाग - एक
नीतियां तथा कार्यक्रम

1.1 दूरसंचार क्षेत्र में व्याप्त परिवेश की समीक्षा
1.2 नीतियों तथा कार्यक्रमों की समीक्षा

माननीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ए0 राजा नई दिल्ली में आयोजित 10वीं एसएटीआरसी बैठक का दीप प्रज्ज्वलित कर उद्घाटन करते हुए

माननीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री ज्योर्तिरादित्य एम0 सिंधिया नई दिल्ली में आयोजित 10 वीं एसएटीआरसी बैठक में मुख्य संबोधन भाषण देते हुए

1.1
दूरसंचार क्षेत्र में सामान्य परिवेश की समीक्षा

पिछले वर्ष के विकास पैटर्न के ही अनुक्रम में, वर्ष 2008-09 में भी दूरसंचार क्षेत्र में सब्सक्राइबर आधार में असाधारण वृद्धि देखी गई तथा वर्ष 2007-08 के ही समान, इस वर्ष ने 400 मिलियन सब्सक्राइबरों तक पहुंचने का एक और कीर्तिमान स्थापित कर दिया, जिसमें अकेले मोबाइल सब्सक्राइबरों की संख्या 300 मिलियन के आंकड़े को पार कर गई। इस प्रकार 1990 के मध्य से सब्सक्राइबर आधार में वृद्धि का जो सिलसिला प्रारंभ हुआ वह निरंतर जारी रहा। दूरसंचार क्षेत्र की विभिन्न सेवाओं के विकास की स्थिति को इस अध्याय में रेखांकित किया गया है

वायरलाइन

2. वायरलाइन सब्सक्राइबरों का सब्सक्राइबर आधार 31 मार्च, 2008 के 39.42 मिलियन सब्सक्राइबर की तुलना में 31 मार्च, 2009 को 37.96 मिलियन था अर्थात उसमें वर्ष 2008-09 के दौरान 1.46 मिलियन सब्सक्राइबरों की कमी दर्ज की गई। 37.96 मिलियन वायरलाइन सब्सक्राइबरों में से, 27.38 मिलियन शहरी वायरलाइन सब्सक्राइबर और 10.58 मिलियन ग्रामीण सब्सक्राइबर हैं। गत छह वर्षों के दौरान वायरलाइन सब्सक्राइबरों की स्थिति नीचे **चित्र 1.1** में दर्शायी गई है।

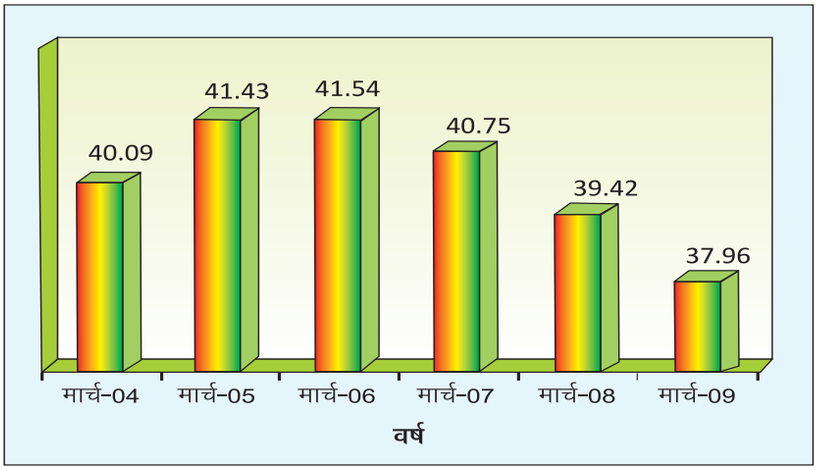

चित्र 1.1 : वायरलाइन सब्सक्राइबर

वायरलेस

3. वायरलेस सब्सक्राइबर आधार जो मार्च, 2008 के अंत में 261.07 मिलियन था, चालू वित्त वर्ष के अंत में 391.76 मिलियन सब्सक्राइबर के स्तर को पार कर गया। वित्त वर्ष 2008-09 में इसमें 130.69 मिलियन सब्सक्राइबरों की वृद्धि हुई अर्थात् लगभग 50.06 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। वायरलेस सेवाओं का कुल सब्सक्राइबर आधार मार्च, 04 के 33.69 मिलियन से बढ़कर मार्च, 09 में 391.26 मिलियन हो गया, जैसाकि नीचे **चित्र 1.2** में दर्शाया गया है।

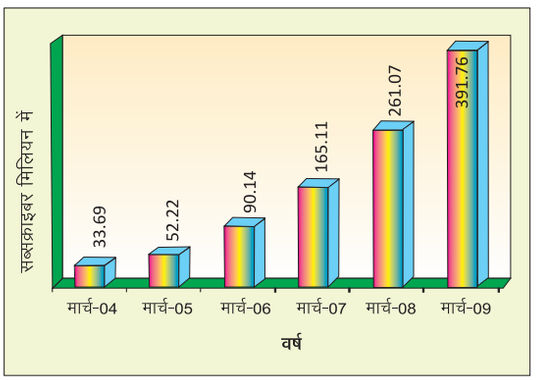

चित्र 1.2 : वायरलैस सब्सक्राइबर

इंटरनेट सब्सक्राइबर

4. देश में इंटरनेट सब्सक्राइबर आधार पिछले वर्ष के 11.09 मिलियन की तुलना में 31 मार्च, 2009 को 13.54 मिलियन था अर्थात् उसमें लगभग 22.09 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। पिछले पांच वर्षों के लिए सब्सक्राइबर आधार को नीचे **चित्र 1.3** में दर्शाया गया है।

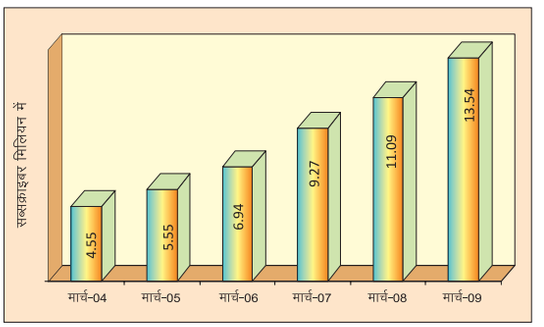

चित्र 1.3 : इंटरनेट सब्सक्राइबर

ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर

5. कुल ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर आधार मार्च, 2008 के अंत के 3.87 मिलियन की तुलना में मार्च, 2009 के अंत में बढ़कर 6.22 मिलियन हो गया अर्थात् वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबरों में 2.35 मिलियन की निवल वृद्धि दर्ज की गई तथा विकास दर 60.72 प्रतिशत थी। पिछले पांच वर्षों के लिए सब्सक्राइबर आधार को नीचे **चित्र 1.4** में दर्शाया गया है।

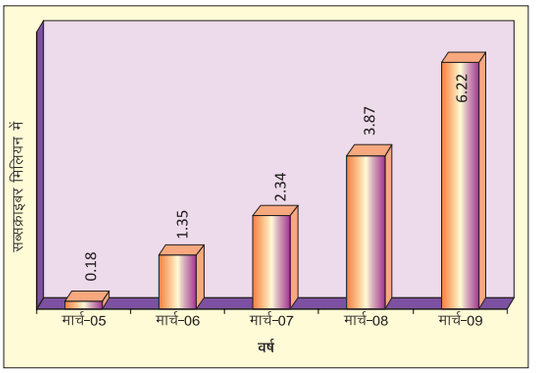

चित्र 1.4 : ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर

टेलीघनत्व

6. मार्च, 2009 के अंत में टेलीघनत्व, जो पिछले वर्ष के अंत में 26.22 प्रतिशत था, बढ़कर 36.98 प्रतिशत हो गया अर्थात् उसमें लगभग 10.76 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज

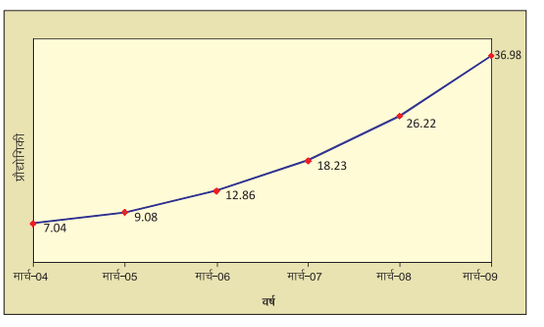

चित्र 1.5 : टेलीघनत्व में वृद्धि

हुई। मार्च, 2004 से टेलीघनत्व में विकास को नीचे **चित्र 1.5** में दर्शाया गया है।

7. भारतीय उपभोक्ताओं को कम टैरिफ से काफी लाभ हुआ है जो क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हुई वृद्धि का एक प्रमुख कारक है। दूरसंचार क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में अत्यधिक प्रतिस्पर्धा और टैरिफ में निरन्तर कमी पर विचार करते हुए, भादूविप्रा ने ऐसी प्रणाली को छोड़कर, जहां टैरिफों का विनियमन कड़ाई से एक ही सत्ता द्वारा किया जाता है, ऐसी प्रणाली अपना ली, जहां कुल मिलाकर टैरिफों का निर्णय बाजारी ताकतों द्वारा किया जाता है। इस समय भादूविप्रा ऐसे क्षेत्रों को छोड़कर, जहां प्रतिस्पर्धा अपर्याप्त है, अन्य क्षेत्रों में टैरिफ के निर्धारण में 'हस्तक्षेप न करने' का दृष्टिकोण अपना रहा है। इस प्रकार, ग्रामीण टेलीफोनी, रोमिंग सेवाओं और लीज्ड लाइनों जैसे कुछ प्रमुख क्षेत्रों के लिए टैरिफ विनियामक प्रणाली के अंतर्गत बने रहेंगे जबकि अन्य सभी टैरिफों को प्रवरित रखा गया है।

8. विनियामक पहलों, प्रौद्योगिकीय उन्नतियों और नीतिगत पहलों से उत्पन्न प्रतिस्पर्धा से विकास का नए स्तरों तक बढ़ना जारी रहा। यह प्रवृत्ति मोबाइल और लंबी दूरी की सेवाओं में अधिक दिखाई देती है। प्रतिस्पर्धात्मक दबावों से भी सेवा प्रदाताओं को अपने टैरिफ प्रस्तावों में नई-नई बातें शामिल करनी पड़ी।

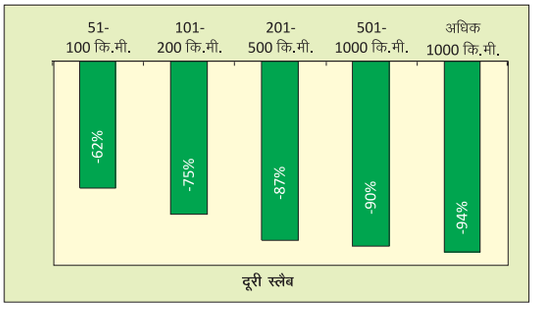

चित्र 1.6 : राष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवा - 1 मई, 99 से 31 मार्च, 99 से पूर्व की अवधि के दौरान टैरिफों में कमी का प्रतिशत

टिप्पणी : ऊपर दशाई गई प्रतिशत कमी में बीएसएनएल के सामान्य प्लान में दो मिनट के लिए 1.20 रुपए प्रति मिनट की वर्तमान एसटीडी दर को हिसाब में लिया गया है। यदि इसकी इंडिया वन प्लान, जिसमें दूरी स्लैब के बावजूद एसटीडी दर दो मिनट के लिए 1 रुपए है, से तुलना की जाए तो यह कमी और अधिक बैठेगी।

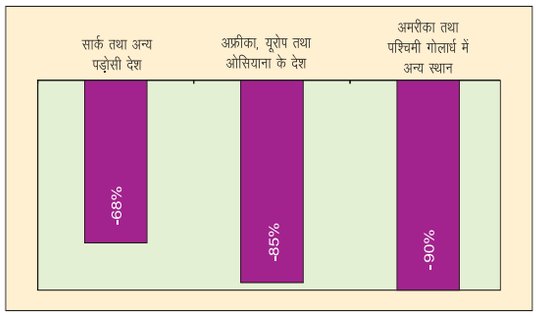

चित्र 1.7 : अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवा - 1 मई, 99 से 31 मई, 99 से पूर्व की अवधि के दौरान टैरिफों में कमी का प्रतिशत

टिप्पणी : प्रतिशत यह कमी और अधिक बैठेगी यदि इंडिया वन प्लान से तुलना की जाएगी, जहां अन्तरराष्ट्रीय लंबी दूरी (आईएलडी) प्रभार क्रमशः 6 रुपए/8 रुपए/10 रुपए है।

9. राष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवाओं तथा अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवाओं में टैरिफ में कटौती को क्रमशः **चित्र 1.6 और चित्र 1.7** में देखा जा सकता है

10. विभिन्न सर्किलों में भिन्न-भिन्न सेवाओं के लिए जारी लाइसेंसों की कुल संख्या और 31 मार्च, 2009 से शुरू की गई वास्तविक सेवाओं की संख्या (बीएसएनएल और एमटीएनएल को छोड़कर) को रिपोर्ट के इस भाग के अंत में दिए गए अनुबंध में **सारणी 1.1** में दर्शाया गया है। भारत में लाइसेंसिंग प्रणाली सर्किल आधारित है और देश को 23 सर्किलों में बांटा गया है अर्थात् दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश (पश्चिम), उत्तर प्रदेश (पूर्व), राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, हिमाचल प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, असम, उत्तरपूर्व तथा जम्मू और कश्मीर।

1.1.1 बुनियादी सेवाओं की समीक्षा

11. 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार, बीएसएनएल और एमटीएनएल के अतिरिक्त 5 लाइसेंसप्राप्त निजी प्रचालक वायरलाइन कनेक्शन प्रदान कर रहे हैं। वायरलेस सेवाएं प्रदान करने वाले सेवा प्रदाताओं की सूची और उनका प्रचालन का कार्यक्षेत्र नीचे दिया गया है :

सभी 5 निजी प्रचालक अर्थात बुनियादी सेवा प्रदाता (वायरलाइन) वर्ष 2003-04 में एकीकृत एक्सेस सेवा प्रणाली में अंतरित हो गए हैं।

12. पिछले वर्ष की तुलना में 2008-09 में, बुनियादी सेवाओं (वायरलाइन) के सब्सक्राइबर आधार की वार्षिक विकास दर में 3.68 प्रतिशत की आंशिक गिरावट दर्ज की गई। 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार सब्सक्राइबर आधार का प्रचालकवार तथा सेवाक्षेत्रवार ब्योरा इस रिपोर्ट के इस भाग के अंत में दिए गए अनुबंध में सारणी 1.2 में दिया गया है। **सारणी 1**.2 दर्शाती है कि पिछले वर्ष की तुलना में 2008-09 में, बुनियादी सेवाओं (वायरलाइन) के सब्सक्राइबर आधार की वार्षिक विकास दर में 3.68 प्रतिशत की गिरावट हुई। इसकी तुलना में, वर्ष 2008-09 के दौरान निजी बुनियादी सेवा प्रचालकों (बीएसओ) के सब्सक्राइबर आधार में 8.60 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। 31 मार्च, 2009 को इन्कमबेंट बीएसएनएल और एमटीएनएल के सब्सक्राइबर आधार के हिसाब से बाजार में क्रमशः 77.30 प्रतिशत और 9.41 प्रतिशत हिस्सा था, जबकि सभी पांच निजी बुनियादी सेवा प्रचालकों का कुल मिलाकर हिस्सा मात्र 13.19 प्रतिशत था। पिछले वर्ष के दौरान मार्च, 2009 के अंत में बीएसएनएल तथा एमटीएनएल इंकम्बेंटों का बाजार हिस्सा क्रमशः 80 प्रतिशत तथा 11 प्रतिशत था, जबकि सभी पांचों निजी बुनियादी सेवा प्रचालकों का कुल मिलाकर शेयर 8 प्रतिशत था। इस प्रकार, इन्कमबेंट बीएसएनएल तथा एमटीएनएल के सब्सक्राइबर आधार के

बीएसएनएल	21 सर्किल (दिल्ली और मुंबई को छोड़कर)
एमटीएनएल	2 सर्किल (केवल दिल्ली और मुंबई सर्किल)
रिलायंस इंफोकॉम लि0	21 सर्किल (आंध्र प्रदेश, बिहार, चेन्नई, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश (पूर्व), उत्तर प्रदेश (पश्चिम) तथा पश्चिम बंगाल)
टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड	20 सर्किल (असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु (चेन्नई सहित), उत्तर प्रदेश (पूर्व), उत्तर प्रदेश (पश्चिम) उत्तरांचल एवं पश्चिम बंगाल सहित)
भारती एयरटेल लिमिटेड	17 सर्किल (आंध्र प्रदेश, चेन्नई, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश (पूर्व), उत्तर प्रदेश (पश्चिम) उत्तरांचल एवं पश्चिम बंगाल सहित)
श्याम टेलीलिंक लिमिटेड	राजस्थान सर्किल
एचएफसीएल इंफोटेल लिमिटेड	पंजाब सर्किल

हिसाब से बाजार शेयर में मामूली गिरावट आई है जबकि निजी बुनियादी सेवा प्रचालकों का बाजार हिस्सा 2.29 प्रतिशत बढ़ा है।

13. 5 निजी बीएसओ ने 8.60 लाख नई डीईएल जोड़ी। बीएसएलएल ने 22.06 लाख डीईएल की कमी दर्ज की, जबकि एमटीएनएल में भी 1.05 लाख डीईएल की वार्षिक कमी हुई। लेकिन, नए प्रचालकों ने डीएलई में नई वृद्धि करने में सर्वाधिक योगदान दिया है। तथापि, कुल सब्सक्राइबर आधार में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में 14.51 लाख डीईएल की वार्षिक कमी दर्ज की गई। 31 मार्च, 2009 को संस्थापित डीईएल और प्रतीक्षा सूची का प्रचालकवार ब्यौरा रिपोर्ट के इस भाग के अंत में दिए गए अनुबंध में **सारणी 1.3** में दिया गया है।

सज्जित स्विचिंग क्षमता

14. 31 मार्च, 2008 को 7.81 मिलियन की तुलना में 31 मार्च, 2009 को कुल सज्जित स्विचिंग क्षमता 9.22 मिलियन थी। अतः पिछले वर्ष की तुलना में सज्जित स्विचिंग क्षमता में 1.41 मिलियन की वृद्धि दर्ज की गई। रिपोर्ट के इस भाग के अंत में दिए गए अनुबंध में **सारणी 1.4** में बुनियादी सेवा प्रदाताओं के संदर्भ में सज्जित स्विचिंग क्षमता, शुद्ध क्षमता वृद्धि, आदि का ब्यौरा दिया गया है।

सार्वजनिक कॉल घर (पीसीओ)

15. 31 मार्च, 2009 को देश में सार्वजनिक कॉल घरों (पीसीओ) की संख्या 6.20 मिलियन से कुछ अधिक है। वर्ष के दौरान, 15,537 पीसीओ जोड़े गए और 0.25 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई। 31 मार्च, 2008 की तुलना में 31 मार्च, 2009 को पीसीओ के प्रचालकवार और सर्किलवार आंकड़े रिपोर्ट के इस भाग के अंत में दिए गए अनुबंध में **सारणी 1.5** में दर्शाए गए हैं।

ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी)

16. वर्ष 2008-09 की समाप्ति पर 1036 वीपीटी की वृद्धि देखी गई है, जैसाकि **सारणी 1.6** में दर्शाया गया है। 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार देश के 5,93,485[1] गांवों में से, 5,60,539 गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) उपलब्ध कराए गए हैं। 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार, वीपीटी-रहित कुल गांवों की संख्या 32,946 है। इन वीपीटी में निजी प्रचालकों का हिस्सा बहुत ही कम है और लगभग सभी वीपीटी बीएसएनएल द्वारा संस्थापित किए गए हैं। मार्च, 2009 की समाप्ति पर बीएसएनएल के कुल वीपीटी की संख्या 5,49,294 दर्ज की गई जबकि मार्च, 2009 में निजी प्रचालकों के वीपीटी की संख्या 11,245 है। प्रतिशत के संदर्भ में बीएसएनएल का योगदान 92.55 प्रतिशत और निजी बीएसओ का योगदान 5.56 प्रतिशत था तथा 5.56 प्रतिशत गांव बिना वीपीटी के छूट गए हैं। गत छह वर्षों के दौरान वीपीटी की स्थिति नीचे **चित्र 1.8** में दशाई गई है।

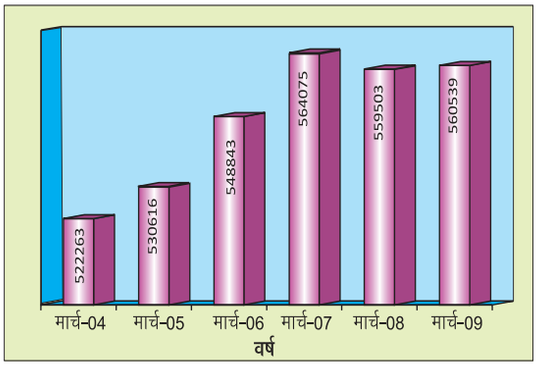

चित्र 1.8 : गत छह वर्षों के दौरान वीपीटी की स्थिति

[1]टिप्पणी : गांवों की कुल संख्या 2001 की जनगणना के अनुसार दिखाई गई है।

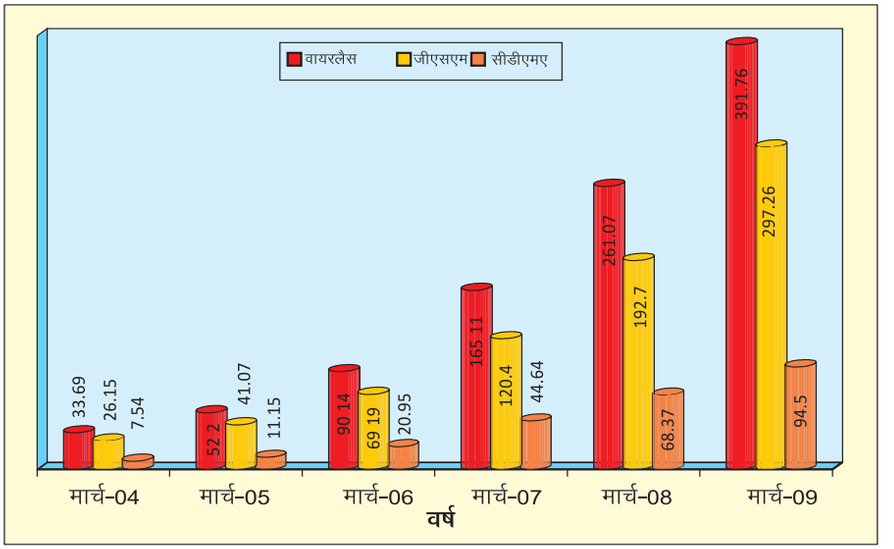

चित्र 1.9 : वायरलैस सेवाओं (जीएसएम और सीडीएमए) के सब्सक्राइबर में वृद्धि (आंकड़े मिलियन में)

1.1.2 वायरलैस (जीएसएम और सीडीएमए) सेवाओं की समीक्षा

17. वित्त वर्ष 2008-09 के अंत तक वायरलैस उद्योग ने 391 मिलियन सब्सक्राइबर के स्तर को पार कर लिया। इस कुल 391.76 मिलियन के सब्सक्राइबर आधार में 297.26 मिलियन (75.88 प्रतिशत) जीएसएम और 94.50 मिलियन (24.12 प्रतिशत) सीडीएमए सब्सक्राइबर शामिल हैं। वित्त वर्ष 2007-08 के दौरान 58.12 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वित्त वर्ष 2008-09 में लगभग 130.69 मिलियन सब्सक्राइबर जोड़े गए और वर्ष 2007-08 में 58.12 प्रतिशत की तुलना में लगभग 50.06 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई। मार्च, 2004 से मार्च, 2009 के लिए वायरलैस (जीएसएम और सीडीएमए सहित) प्रचालकों का सब्सक्राइबर विकास **चित्र 1.9** में दर्शाया गया है।

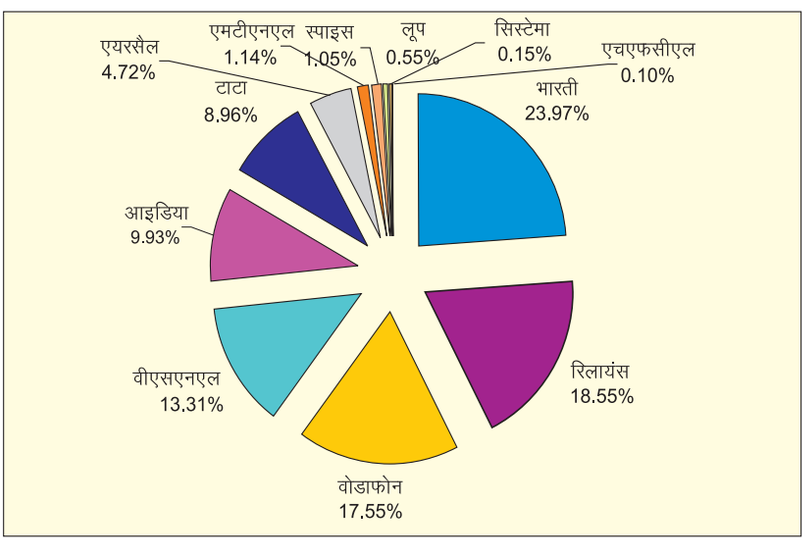

चित्र 1.10 : 31 मार्च 2009 को वायरलैस प्रचालकों का सब्सक्राइबर आधार और बाजार हिस्सा (प्रतिशत में)

18. मार्च, 2005 से मार्च, 2009 तक वायरलैस सेवा प्रदाताओं (जीएसएम और सीडीएमए दोनों) का सब्सक्राइबर आधार और वित्त वर्ष 2007-08 की तुलना में उसमें प्रतिशत वृद्धि रिपोर्ट के इस भाग के अंत में दिए गए अनुबंध में **सारणी 1.7** में दी गई है। मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार विभिन्न मोबाइल प्रचालकों का सब्सक्राइबर आधार और उनका बाजार हिस्सा **चित्र 1.10** में दिया गया है विभिन्न सेवा क्षेत्रों में लाइसेंस प्राप्त वायरलैस सेवा प्रदाताओं की सूची रिपोर्ट के इस भाग के अंत में दिए गए अनुबंध में **सारणी 1.8** में दी गई है।

19. पिछले वर्ष के 192.70 मिलियन की तुलना में वित्त वर्ष 2008-09 के अंत में वायरलैस भाग में जीएसएम सेवाओं के सब्सक्राइबरों की संख्या 297.26 मिलियन हो गई। वर्ष के दौरान लगभग 104.56 मिलियन सब्सक्राइबर और बढ़े और इसमें लगभग 54.27 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई।

20. जीएसएम सेवाओं के मामले में, सब्सक्राइबर आधार तथा बाजार हिस्से की दृष्टि से 93.92 मिलियन सब्सक्राइबर आधार के साथ से मैसर्स भारती सबसे बड़ा जीएसएम ऑपरेटर बना हुआ है तथा उसके बाद मैसर्स वोडाफोन, मैसर्स बीएसएनएल तथा मैसर्स आइडिया का स्थान है, जिनका सब्सक्राइबर आधार क्रमशः 68.77 मिलियन, 46.71 मिलियन तथा 38.89 मिलियन है। 31 मार्च, 2009 को विभिन्न जीएसएम प्रचालकों का सब्सक्राइबर आधार तथा बाजार हिस्सा **चित्र 1.11** में दर्शाया गया है।

21. सेल्युलर सीडीएमए सेवाओं के मामले में, सब्सक्राइबर आधार तथा बाजार में हिस्से की दृष्टि से 52.65 मिलियन सब्सक्राइबर आधार के साथ मैसर्स रिलायंस सबसे बड़ा सीडीएमए प्रचालक है तथा उसके बाद मैसर्स टाटा और मैसर्स बीएसएनएल का स्थान है जिनका सब्सक्राइबर आधार क्रमशः 35.12 मिलियन और 5.44 मिलियन है। मार्च, 2009

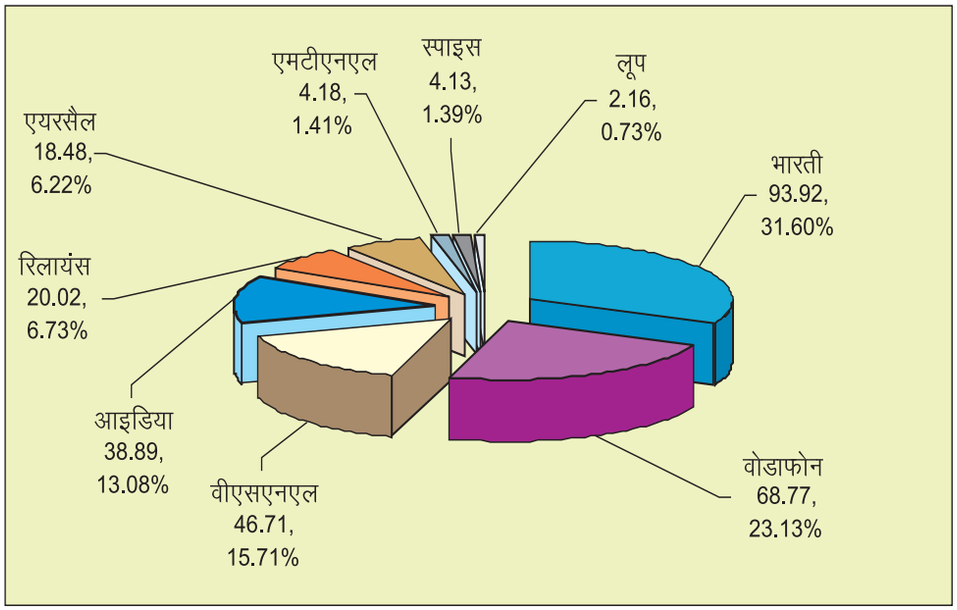

चित्र 1.11 : 31 मार्च, 2009 को विभिन्न जीएसएम प्रचालकों का और सब्सक्राइबर आधार (मिलियम में) बाजार हिस्सा (प्रतिशत)

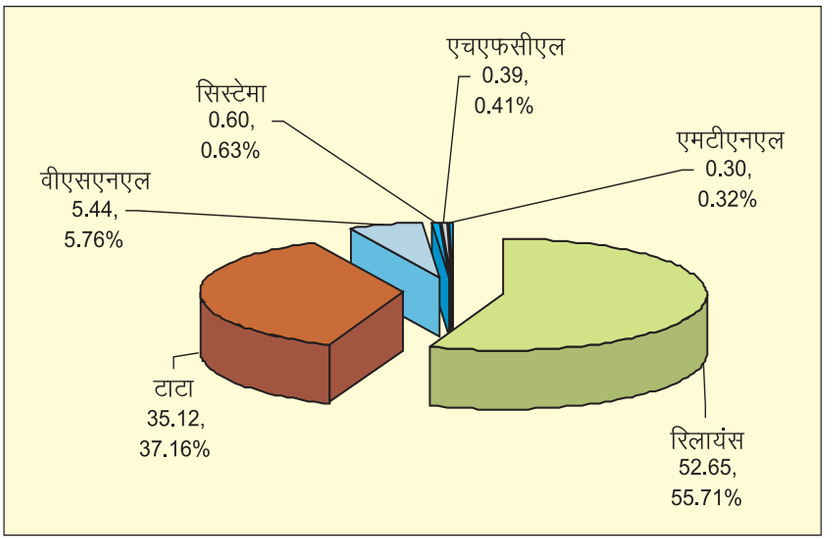

चित्र 1.12 : 31 मार्च, 2009 को सब्सक्राइबर आधार के संदर्भ में विभिन्न सीडीएमए प्रचालकों का सब्सक्राइबर आधार (मिलियन में)तथा बाजार हिस्सा (प्रतिशत)

की स्थिति के अनुसार विभिन्न सीडीएमए प्रचालकों के सब्सक्राइबर आधार और बाजार के हिस्से **चित्र 1.12** में दर्शाए गए हैं।

22. आगे दी गई सारणी मार्च 2009 के अंत में वायरलैंस सेवाओं के लाइसेंसधारियों (सेल्युलर तथा एकीकृत) की संख्या

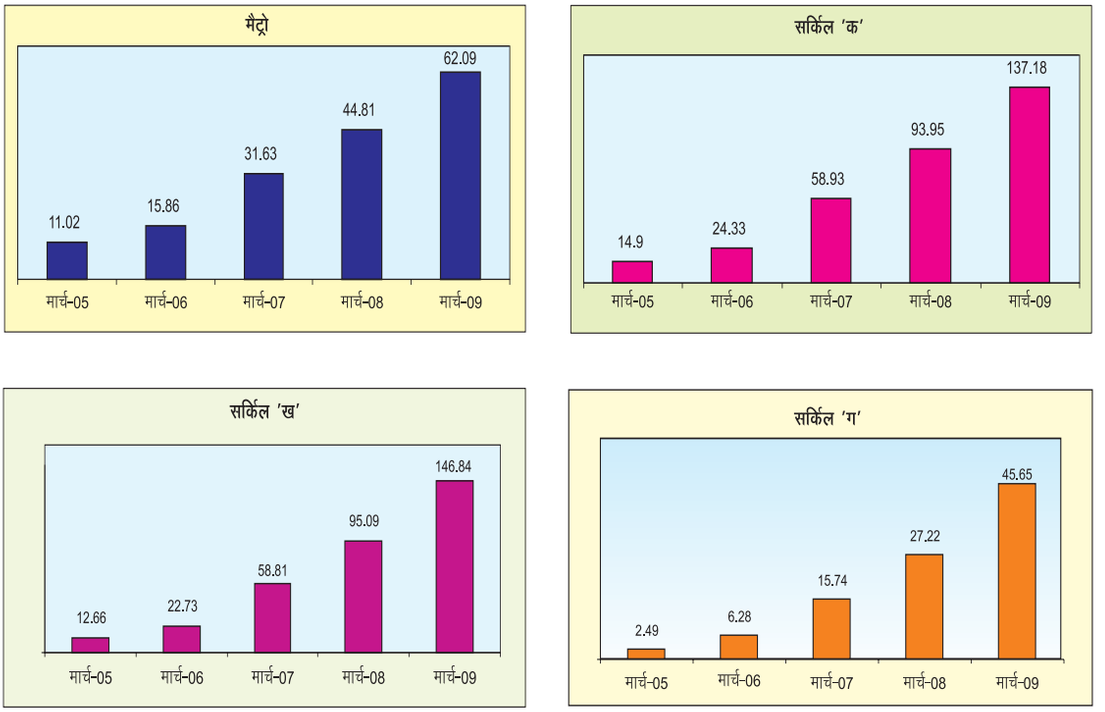

चित्र 1.13 :मार्च, 2005 से मार्च, 2009 तक महानगरों और सर्किलों में वायरलैस सेवा का सब्सक्राइबर आधार (आंकडे मिलयन में)

सेवा क्षेत्रों की संख्या	23/22
निजी लाइसेंसधारियों की संख्या	256
उपभोक्ताओं की कुल संख्या - मेट्रो (एमटीएनएल सहित) - सर्किल	391.76 मिलियन 62.09 मिलियन 329.67 मिलियन

स्रोत : दूरसंचार विभाग और सेवा प्रदाता।

तथा उनका सब्सक्राइबर आधार दर्शाती है। मार्च 2005 से मार्च 2009 के दौरान सेवा क्षेत्रों की विभिन्न श्रेणियों में सेल्युलर वायरलैस सेवाओं का सब्सक्राइबर आधार **चित्र 1.13** में ग्राफ रूप में दिया गया है

23. रिपोर्ट के इस भाग के अंत में दिए गए अनुबंध में **सारणी 1.9** में वर्ष 2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 में सेवा क्षेत्रों की विभिन्न श्रेणियों में और जोड़े गए जीएसएम वायरलैस मोबाइल सब्सक्राइबरों की संख्या तथा वार्षिक वृद्धि दर दर्शाई गई है। जीएसएम सेल्युलर मोबाइल सेवाओं के अखिल भारतीय सब्सक्राइबर आधार में 54.26 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई है तथा 2008-09 में 'ग' सर्किल में अधिकतम 70.86 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

1.1.3 फिक्सड तथा मोबाइल सेवाओं के विकास में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का योगदान

24. दूरसंचार क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने से पहले दूरसंचार सेवाओं में वृद्धि प्रमुखतः सार्वजनिक क्षेत्र के एकाधिकार के तहत ही होती थी और उस दौरान इसमें बहुत ही कम वृद्धि दर्ज की गई चूंकि 1948 से 1998 के 50 वर्षों के बीच वर्तमान टेलीघनत्व केवल 1.92 प्रतिशत ही था। एनटीपी, 94 के साथ शुरू हुई सुधार प्रक्रिया के प्रारंभिक चरण में दूरसंचार क्षेत्र में विकास की गति धीमी रही परन्तु बाद में एनटीपी '99, जिसमें निश्चित लाइसेंस शुल्क के स्थान पर राजस्व की भागीदारी की प्रणाली अपनाने का प्रावधान था, के अन्तर्गत इसकी गति बढ़ी। भादूविप्रा द्वारा 1999 में लागतोन्मुखी दूरसंचार टैरिफ भी लागू किए गए। 2003 के बाद सरकार तथा विनियामक द्वारा "कॉल करने वाली पार्टी भुगतान करे' (सीपीपी) प्रणाली शुरू करने, एकीकृत अभिगम लाइसेंस प्रणाली अपनाने तथा एडीसी में राजस्व की भागीदारी की प्रणाली शुरू करने के साथ-साथ अभिगम घाटा प्रभार कम करने जैसे कुछ व्यावहारिक निर्णय लेने के परिणामस्वरूप इस वृद्धि की गति को और बढ़ावा मिला।

25. सरकार तथा विनियामक द्वारा अपनाई गई नीति तथा स्थापित विनियामक प्रणाली से सार्वजनिक क्षेत्र के इन्कमबेंट उपक्रमों तथा निजी क्षेत्र के प्रचालकों के सब्सक्राइबर आधार का विकास तेजी से हुआ है। 1998-2009 की अवधि के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रचालकों के सब्सक्राइबर आधार में कुल विकास 71.73 मिलियन हुआ जिसमें 17.18 मिलियन फिक्सड सब्सक्राइबर तथा 54.51 मिलियन मोबाइल सब्सक्राइबर हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रचालकों ने प्रतिस्पर्धा के वातावरण में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है जबकि सुधार से पूर्व की गैर-प्रतिस्पर्धी वातावरण में उनका कार्यनिष्पादन धीमा था। **चित्र 1.14** में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के प्रचालकों के सब्सक्राइबर आधार में वृद्धि को दर्शाया गया है।

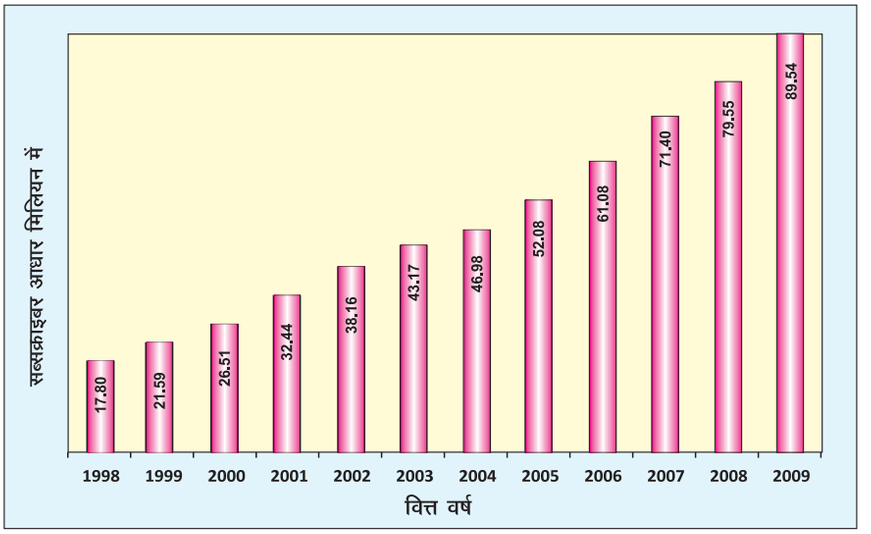

चित्र 1.14 : पीएसयू प्रचालकों का सब्सक्राइबर आधार (1998-2009)

26. अत्याधिक प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में निजी प्रचालकों ने भी उल्लेखनीय वृद्धि की है। वर्ष 1998-2009 के दौरान निजी प्रचालकों के सब्सक्राइबर आधार में 339.84 मिलियन की कुल वृद्धि हुई जिसमें 10.67 मिलियन फिक्सड सब्सक्राइबर और 329.17 मिलियन मोबाइल सब्सक्राइबर हैं। निजी प्रचालकों ने मुख्यतः मोबाइल सेवाओं में 1998 के बाद हुई वृद्धि में लागत और जल्दी लगने के लाभ के कारण काफी अधिक योगदान दिया। **चित्र 1.15** में निजी प्रचालकों के सब्सक्राइबर आधार में वृद्धि को दर्शाया गया है।

1.1.4 वेरी स्माल एपर्चर टर्मिनल (वीसेट)

27. इस समय 9 वीसेट सेवा प्रदाता, वीसेट सेवा प्रदान कर रहे हैं। वर्ष 2008-09 के दौरान वीसेट उद्योग ने 20,845 वीसेट कनेक्शन जोड़े हैं। वीसेट कनेक्शनों की कुल संख्या मार्च, 2008 के 81,395 से बढ़कर मार्च,

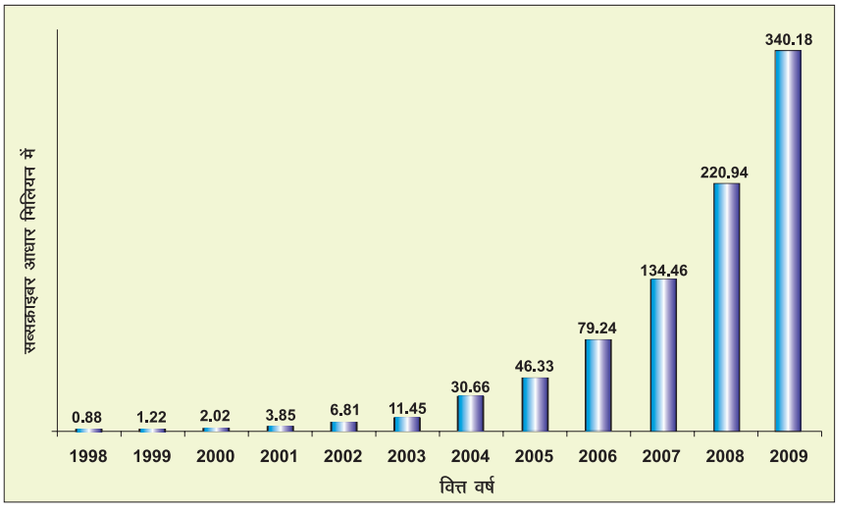

चित्र 1.15 : निजी प्रचालकों का सब्सक्राइबर आधार (1998-2008)

2009 में 1,02,240 हो गई अर्थात् उसमें 2007-08 में हुई 33.84 प्रतिशत की वृद्धि दर की तुलना में 25 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। मार्च, 2008 और मार्च, 2009 को समाप्त अवधि को प्रत्येक सेवा प्रदाता के सब्सक्राइबरों की संख्या रिपोर्ट के इस भाग के अंत में दिए गए अनुबंध में **सारणी 1.10** में दी गई है। मैसर्स ह्यूजेज़ कम्पयुनिकेशन लिमिटेड 30011 के सब्सक्राइबर आधार के साथ बाजार में अग्रणी बना हुआ है जिसके बाद 26463 वीसैट सब्सक्राइबर के साथ मै0 भारती एयरटेल लिमिटेड और 25914 के साथ मै0 एचसीएल कोमनेट का स्थान है।

1.1.5 पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंक्ड सर्विसेज

28. निजी क्षेत्र के लिए पब्लिक मोबाइल ट्रंक्ड सर्विस (पीएमआरटीएस) वर्ष 1995 में खोली गई थी। 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार 12 प्रचालक, पीएमआरटीएस सेवा प्रदान कर रहे हैं। इसका सब्सक्राइबर आधार मार्च, 2008 के अंत के 36,240 से कम होकर मार्च 2009 के अंत में 31,603 हो गया। रिपोर्ट के इस भाग के अंत में दिए गए अनुबंध में **सारणी 1.11** में 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार पीएमआरटीएस ग्राहकों की संख्या दी गई है।

1.1.6 रेडियो पेजिंग सेवाएं

29. भारत में रेडियो पेजिंग सेवाएं 1992 में खोली गई थीं तथा यह सेवा वर्ष 1995 में वाणिज्यिक रूप से प्रारंभ की गईं थीं। लाइसेंस सर्किल आधार तथा शहर आधार पर प्रदान किए गए। प्रारंभिक वर्षों में वृद्धि उत्साहजनक थी परंतु हाल ही में उद्योग सेल्युलर सेक्टर से भारी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है जिसके परिणामस्वरूप इसका कार्य-निष्पादन बहुत अच्छा नहीं है। दिसम्बर, 2004 के बाद, प्रचालकों से रेडियो पेजिंग सेवा प्रदाताओं की कार्य-निष्पादन रिपोर्टें प्राप्त नहीं हुई हैं। अतः यह प्रतीत होता है कि रेडियो पेजिंग सेवाएं या तो बंद हो गई हैं अथवा उनके लाइसेंस समाप्त हो गए हैं।

1.1.7 इंटरनेट सेवाएं

इंटरनेट सब्सक्राइबर

30. 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार देश में इंटरनेट सब्सक्राइबर आधार पिछले वर्ष 11.09 मिलियन की तुलना में 13.54 मिलियन था जिसमें लगभग 22.09 प्रतिशत की वार्षिक विकास दर दर्ज की गई।

ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर

31. मार्च, 2009 की समाप्ति तक कुल ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर आधार मार्च, 2008 की समाप्ति में 3.87 मिलियन की तुलना में 6.22 मिलियन पहुंच गया है और इस प्रकार इसमें वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान 2.35 मिलियन ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबरों की निवल वृद्धि हुई तथा 60.72 प्रतिशत की विकास दर दर्ज की गई।

32. भादूविप्रा इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) द्वारा प्रस्तुत की जा रही कार्य-निष्पादन मॉनीटरिंग रिपोर्टों (पीएमआर) का विश्लेषण करने के माध्यम से देश में इंटरनेट तथा ब्रॉडबैंड सेवाओं के विकास की निरंतर मॉनीटरिंग कर रहा है। अनुकूल परिवेश का सृजन करने तथा सेवाओं के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भादूविप्रा द्वारा वित्त वर्ष के दौरान आईएसपी द्वारा समय-समय पर उठाए गए मुद्दों का सफलतापूर्वक समाधान किया गया है। दूरसंचार विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 31 जनवरी, 2009 की स्थिति के अनुसार

इंटरनेट सेवाओं के लिए 365 लाइसेंस दिए गए थे। 167 आईएसपी द्वारा भादूविप्रा को प्रस्तुत की गई रिपोर्टों के अनुसार, 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार देश में इंटरनेट सब्सक्राइबर आधार 31 मार्च, 2008 को 11.09 मिलियन की तुलना में 13.54 मिलियन था, जिसमें 22.09 प्रतिशत का वार्षिक विकास दर्ज किया गया। सब्सक्राइबर आधार तथा 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध करा रहे आईएसपी के अन्य विवरणों को दर्शाने वाली एक तालिका प्रतिवेदन के इस भाग के अंत में अनुबंध में **तालिका 1.12** पर दी गई है। इसके अलावा, मार्च, 2009 की समाप्ति तक 117.82 मिलियन सब्सक्राइबर थे जो अपने मोबाइल फोनों (जीएसएम/सीडीएमए) का प्रयोग करते हुए इंटरनेट सहित डाटा सेवाओं को एक्सेस कर रहे थे।

33. 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार पीएसयू द्वारा स्वामित्व वाले आईएसपी तथा निजी आईएसपी के मध्य इंटरनेट सब्सक्राइबरों का वितरण नीचे दर्शाया गया है-

सार्वजनिक क्षेत्र के आईएसपी	9,380,929
निजी क्षेत्र के आईएसपी	4,155,140
कुल	13,536,069

31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार सब्सक्राइबर आधार के संदर्भ में शीर्ष दस इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) का बाजार हिस्सा नीचे तालिका में दर्शाया गया है

34. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के स्वामित्व वाले आईएसपी में मैसर्स बीएसएनएल और मैसर्स एमटीएनएल का सब्सक्राइबर आधार क्रमशः 7.25 मिलियन और 2.12 मिलियन है। निजी क्षेत्र में मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड, मैसर्स रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मैसर्स सिफि टेक्नालॉजीज़ ने क्रमशः 1.08 मिलियन, 0.93 मिलियन तथा 0.41 मिलियन की सूचना दी है।

1.1.8 ब्रॉडबैंड

35. ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबरों (256 केबीपीएस या उससे अधिक की डाउनलोड स्पीड वाले) की संख्या 31 मार्च, 2008 के 3.87 मिलियन सब्सक्राइबरों की तुलना में 31 मार्च, 2009 को 6.22 मिलियन थी और उसमें 60.72 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। 31 मार्च, 2009 को सरकारी आईएसपी और निजी आईएसपी के बीच ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबरों का बंटवारा नीचे दिखाया गया है

क्रमांक	आईएसपी का नाम	बाजार हिस्सा प्रतिशत
1	भारत संचार निगम लि0	53.61
2	महानगर टेलीफोन निगम लि0	15.69
3	भारती एयरटेल लि0	8.01
4	रिलायंस कम्युनिकेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर लि0	6.91
5	सिफी टेक्नालॉजीज लि0	2.99
6	टाटा टेलीकम्युनिकेशन्स इंटरनेट सर्विसेज लि0	2.72
7	हैथवे केबल एण्ड डाटाकॉम प्रा0 लि0	2.50
8	डाटा इंफोसिस लि0	1.83
9	यू टेलीकॉम इंडिया प्रा0 लि0	1.47
10	एशियानेट सेटेलाइट कम्युनिकेशंस लि0	0.54

सरकारी इंटरनेट सेवा प्रदाता	4.25 मिलियन
गैर-सरकारी इंटरनेट सेवा प्रदाता	1.97 मिलियन
कुल	6.22 मिलियन

1.1.9 इंटरनेट टेलीफोनी

36. भादूविप्रा की दिनांक 10 मई, 2007 की सिफारिश पर, सरकार ने इंटरनेट टेलीफोनी शुरू करने हेतु 24 अगस्त, 2007 को मार्गनिर्देश जारी किए जिसमें सभी आईएसपी को इंटरनेट टेलीफोनी उपलब्ध कराने हेतु नए आईसीपी लाइसेंस की अनुमति देकर इंटरनेट टेलीफोनी को और खोला गया। इंटरनेट टेलीफोनी हेतु प्रयोग किए जा रहे उपकरणों पर से भी प्रतिबंध हटा दिया गया। 31 जनवरी, 2009 के अनुसार दूरसंचार विभाग ने 169 आईएसपी (श्रेणी ए-71; श्रेणी बी-74; और श्रेणी सी-29) को इंटरनेट टेलीफोनी सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी। 31 मार्च, 2009 के अंत तक 34 आईएसपी इंटरनेट टेलीफोनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। 31 मार्च, 2009 के अंत में इंटरनेट टेलीफोनी का कुल मिनट प्रयोग 131.63 मिलियन का है। इंटरनेट टेलीफोनी प्रदान करने वाले आईएसपी की सूची रिपोर्ट के इस भाग के अंत में दिए गए अनुबंध में **सारणी 1.13** में दी गई है।

1.1.10 प्रसारण और केबल टीवी सेवाएं

37. प्रसारण तथा केबल सेवाओं के 'कैरिज' को विनियमित करने के लिए भारत सरकार ने 9 जनवरी, 2004 को एक अधिसूचना जारी की जिसके द्वारा प्रसारण तथा केबल सेवाओं को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 2 (ट) के अनुसार 'दूरसंचार सेवाओं' की परिधि में लाया गया है। सरकार ने 9 जनवरी, 2004 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम की धारा 11 (घ) के अंतर्गत एक आदेश भी जारी किया जिसमें भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को यह अधिदेश दिया गया कि वह ऐसी शर्तों के संबंध में सिफारिश करे जिनके अनुसार ग्राहकों को 'एड्रेसेबल सिस्टम' प्रदान किया जाएगा और प- चैनल तथा दूसरे चैनलों में विज्ञापनों के लिए अधिकतम समय विनियमित करने के पैरामीटर तय किए जाएंगे। यह आदेश भादूविप्रा को पे-चैनलों के लिए मानक मानदण्डों तथा अंतरिम उपायों के विनिर्धारण सहित उनकी दरों में संशोधन की अवधि में संशोधन करने का अधिकार भी प्रदान करता है।

1.1.11 केबल टीवी सेवा

38. नवीनतम अनुमानों के अनुसार इस समय भारत में 127 मिलियन परिवारों के पास टेलीविजन सेट हैं। इनमें से 82 मिलियन परिवार केबल टेलीविजन सेवाओं के सब्सक्राइबर हैं। 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार एमएसओ द्वारा देशभर में अपने नेटवर्क पर 168 फ्री-टु-एयर चैनल, 118 पे-चैनल और 8 स्थानीय चैनल चलाए जा रहे हैं। ये आंकड़े, कुछ प्रमुख सेवा प्रदाताओं द्वारा अपने नेटवर्क में एनालॉग और/या डिजिटल रूप में चलाए जा रहे चैनलों की संख्या के बारे में दी गई रिपोर्ट पर आधारित हैं। ये चैनल पे, फ्री-टु-एयर तथा स्थानीय चैनलों के भिन्न-भिन्न संयोजन वाले सेवा प्रदाताओं के विभिन्न नेटवर्कों पर चल रहे हैं।

39. 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के कैस अधिसूचित क्षेत्रों में लगाए गए सेट टॉप बॉक्स की कुल संख्या 7.70.053 थी। चार महानगरों में सेट टॉप बॉक्स

का ब्यौरा **चित्र 1.16** में दर्शाया गया है।

1.1.12 डीटीएच सेवाएं

40. दूरदर्शन की फ्री-टु-एयर सेवा के अतिरिक्त, छह निजी डीटीएच लाइसेंसधारक हैं और 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार इन छह लाइसेंसधारकों में से केवल पांच लाइसेंसधारक ग्राहकों को डीटीएच सेवा प्रदान कर रहे हैं। 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार, इन डीटीएच प्रचालकों का सब्सक्राइबर आधार 13.09 मिलियन है। ये छह निजी डीटीएच लाइसेंसधारक निम्न हैः

1. डिश टीवी
2. टाटा स्काई लिमिटेड
3. सन डायरेक्ट टीवी प्राइवेट लिमिटेड
4. रिलायंस ब्लू मैजिक लिमिटेड
5. भारती टेलीमीडिया लिमिटेड
6. भारती बिजनेस चैनल लिमिटेड

1.1.13 एफएम रेडियो/सामुदायिक रेडियो सेवा

41. आकाशवाणी (एआईआर) के एफएम रेडियो स्टेशनों के अतिरिक्त 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार देश में 245 निजी एफएम रेडियो स्टेशन चल रहे हैं। मार्च, 2009 को समाप्त हुई तिमाही में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के 67 लाइसेंसधारकों में से 41 स्टेशन कार्यरत हैं।

1.1.14 सेटेलाइट टीवी चैनल

42. मार्च, 2009 के अंत तक 130 पे-चैनल चलने की सूचना मिली है और इन्हें 19 प्रसारकों या उनके वितरकों द्वारा प्रसारित/वितरित किया जा रहा है।

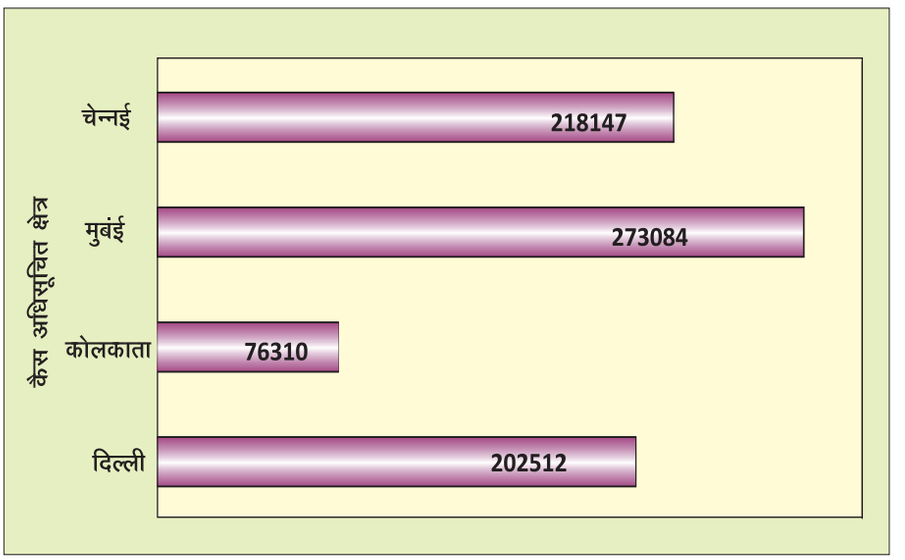

चित्र 1.16 : कैस अधिसूचित क्षेत्रों में सेट टॉप बॉक्स

1.2
नीतियों तथा कार्यक्रमों की समीक्षा

नई दूरसंचार नीति (एनटीपी) 1999, नए दूरसंचार क्षेत्र की मुख्य मार्गदर्शक नीति है। इस नीति के उद्देश्य निम्नानुसार हैः

- देश के सामाजिक तथा आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए दूरसंचार अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूरसंचार नीति का केन्द्र बिन्दु और लक्ष्य नागरिकों को वहनीय तथा प्रभावी दूरसंचार व्यवस्था उपलब्ध कराना है।
- ग्रामीण क्षेत्रों सहित सभी दूरसंचारविहीन क्षेत्रों को सार्वभौमिक रूप से इस सेवा की व्यवस्था करने और देश की अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुरूप उच्चस्तरीय सेवाओं की व्यवस्था करने के बीच अपेक्षित संतुलन का प्रयास करना।
- देश के दूरस्थ, पहाड़ी तथा आदिवासी क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं का विकास करना।
- भारत सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक 'महाशक्ति' बन सके इसके लिए आधुनिक और सक्षम दूरसंचार आधारिक संरचना बनाई जाए जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी, संचार माध्यमों, दूरसंचार और कंज्यूमर इलेक्ट्रानिकी के पारस्परिक सामंजस्य एवं समन्वयन को ध्यान में रखा जाए।
- पीसीओ को जहां भी समीचीन हो बहुमाध्यम क्षमताओं वाले सार्वजनिक टेली-इन्फो केंद्रों में रूपांतरित करना जिनमें आईएसडीएन सेवा, दूरस्थ डाटाबेस एक्सेस हो और जो सामुदायिक सूचना प्रणाली में सहायक हो।
- दूरसंचार क्षेत्र को समयबद्ध तरीके से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में, अधिक उच्च स्तर की प्रतिस्पर्धा वाले परिवेश में परिवर्तित करना, जहां सभी सेवा प्रदाताओं के लिए समान अवसर और एक जैसी कार्य - सुविधाएं उपलब्ध हों।
- देश में अनुसंधान और विकास के प्रयासों को सुदृढ़ करना और विश्वस्तरीय निर्माण-क्षमता मुहैया करना।
- स्पेक्ट्रम प्रबंधन के क्षेत्र में दक्षता तथा पारदर्शिता प्राप्त करना।
- देश की रक्षा व्यवस्था और सुरक्षा के हितों का बचाव करना।
- भारत की दूरसंचार कंपनियों को वास्तविक अर्थों में विश्वस्तरीय बनाना।

44. नई दूरसंचार नीति (एनटीपी)-1999 में निम्नलिखित विशिष्ट लक्ष्य रखे गये हैः

- वर्ष 2002 तक टेलीफोन, मांग पर उपलब्ध हो जाए इसका प्रयास करना। उसके बाद इस स्थिति को बनाए रखना ताकि इसके परिणामस्वरूप, दूरसंचार का घनत्व 2005 तक 7 तक और 2010 तक 15 तक पहुंच जाए,
- ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार के विकास को प्रोत्साहित करना जिसके लिए उसके टैरिफ ढांचे को उपयुक्त तरीके से संशोधित करना ताकि आम जनता उसका वहन कर सके और सभी फिक्स्ड सेवा प्रदाताओं के लिए ग्रामीण संचार को अनिवार्य बनाना,
- वर्ष 2010 तक ग्रामीण टेलीघनत्व वर्तमान 0.4 से बढ़कर 4 करना और सभी ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वसनीय संचार माध्यम उपलब्ध करना,
- वर्ष 2002 तक देश के सभी गांवों तक दूरसंचार सुविधा उपलब्ध कराना और सभी एक्सचेंजों में विश्वसनीय संचार माध्यमों की व्यवस्था करना,
- वर्ष 2000 तक सभी जिला मुख्यालयों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराना,
- जिन नगरों की जनसंख्या 2 लाख से अधिक है उनमें, वर्ष 2002 तक, आईएसडीएन सहित अन्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके उच्च गति वाले आंकड़ा तंत्र (डाटा) तथा बहुमाध्यम (मल्टीमीडिया) क्षमता की व्यवस्था करना।

1.2.1 ग्रामीण टेलीफोन नेटवर्क

45. एनटीपी 1999 में ग्रामीण टेलीफोन नेटवर्क के उद्देश्य और लक्ष्य निम्नलिखित हैः

- सभी फिक्स्ड सेवा प्रदाताओं के लिए ग्रामीण संचार अनिवार्य करके और टैरिफ के ढांचे के जरिये दूरसंचार को वहनीय बनाकर ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार के विकास को प्रोत्साहित करना।
- वर्ष 2010 तक गांवों में दूरसंचार का घनत्व प्रति सौ पर 4 तक ले आना।
- वर्ष 2002 तक सभी गांवों तक शत-प्रतिशत दूरसंचार कवरेज प्राप्त करना और समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वसनीय संचार माध्यम उपलब्ध कराना।

46. देश में, 5,93,485 में से, 5,60,539 गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) उपलब्ध हैं। 32,946 गांवों में अभी वीपीटी उपलब्ध कराया जाना है। प्रतिशत के हिसाब से 94.44 प्रतिशत गांवों में वीपीटी उपलब्ध है और 5.56 प्रतिशत गांवों में अभी वीपीटी उपलब्ध कराया जाना है। वित्त वर्ष के दौरान 1036 वीपीटी की वृद्धि हुई। इन वीपीटी में निजी प्रचालकों का हिस्सा काफी कम है और लगभग सारे वीपीटी, बीएसएनएल द्वारा संस्थापित किए गए हैं। मार्च, 2008 में निजी प्रचालकों के 11,245 वीपीटी की तुलना में मार्च, 2009 में बीएसएनएल के कुल 5,49,294 वीपीटी थे। 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार, कुल 429.72 मिलियन सब्सक्राइबरों में से, ग्रामीण सब्सक्राइबर 120.29 मिलियन थे, जिनमें 10.58 मिलियन वायरलाइन तथा 111.63 मिलियन वायरलैस थे। पिछले वर्ष के 9.20 प्रतिशत की तुलना में 31 मार्च, 2009 को ग्रामीण टेलीघनत्व 15.02 था।

1.2.2 टेलीफोन नेटवर्क का विस्तार

47. ग्रामीण नेटवर्क के अलावा, जिसकी चर्चा ऊपर की जा चुकी है, टेलीफोन नेटवर्क के विस्तार के बारे में

एनटीपी 1999 के प्रमुख उद्देश्य तथा लक्ष्य निम्नानुसार हैः

- वर्ष 2002 तक टेलीफोन मांग पर उपलब्ध कराना और वर्ष 2005 तक 7 प्रतिशत और वर्ष 2010 तक 15 प्रतिशत का टेलीघनत्व प्राप्त करना।
- वर्ष 2000 तक सभी जिला मुख्यालयों तक इंटरनेट पहुंचाना।
- वर्ष 2002 तक 2 लाख से अधिक जनसंख्या वाले सभी नगरों में, आईएसडीएन जैसी प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल से हाई स्पीड डाटा तथा मल्टीमीडिया क्षमता उपलब्ध कराना।
- औचित्य होने पर पीसीओ को आईएसडीएन सेवाएं, रिमोट डाटाबेस एक्सेस तथा सूचना प्रणालियों आदि जैसी मल्टीमीडिया क्षमताओं वाले पब्लिक टेली-इन्फोर्मेशन केंद्रों में बदलना।

48. पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में वर्ष 2008-09 में बुनियादी सेवाओं (वायरलाइन) के सब्सक्राइबर आधार में 1.46 मिलियन सब्सक्राइबरों (लगभग 3.75 प्रतिशत) की मामूली गिरावट दर्ज की गई। मोबाइल उद्योग में 130.69 मिलियन सब्सक्राइबरों की वृद्धि हुई जोकि 50.06 प्रतिशत की वृद्धि थी। वर्ष 2007-08 के दौरान मोबाइल सब्सक्राइबरों की 95.96 मिलियन संख्या की तुलना में वर्ष 2008-09 में यह संख्या 130.69 थी। वित्त वर्ष 2008-09 के अंत तक मोबाइल सब्सक्राइबरों की कुल संख्या 391.76 मिलियन थी। कुल मोबाइल सब्सक्राइबरों में 297.26 मिलियन जीएसएम और 94.50 मिलियन सीडीएमए सब्सक्राइबर हैं। दूरसंचार क्षेत्र के भीतर जिस अन्य सेवा में भारी वृद्धि हुई है, वह इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवा है। जबकि इंटरनेट सेवाओं के सब्सक्राइबरों की कुल संख्या मार्च, 2008 के 11.09 मिलियन की तुलना में बढ़कर मार्च, 2009 में 13.54 मिलियन हो गई और उसमें लगभग 22.09 प्रतिशत की विकास दर दर्ज की गई, ब्रॉडबैंड का सब्सक्राइबर आधार मार्च, 2008 के 3.87 मिलियन की तुलना में बढ़कर मार्च, 2009 के अंत तक 6.22 मिलियन हो गया तथा उसमें 60.72 प्रतिशत की विकास दर दर्ज की गई। देश में दूरसंचार नेटवर्क का पर्याप्त विस्तार हुआ है, जैसाकि उपर्युक्त उल्लिखित विभिन्न प्रकार की सेवाओं मे हुए विकास से देखा जा सकता है। वर्ष के दौरान समग्र दूरसंचार घनत्व पिछले वर्ष 26.22 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर 36.98 प्रतिशत हो गया।

1.2.3 बुनियादी तथा मूल्यवर्धित दोनों तरह की सेवाओं में निजी क्षेत्र का प्रवेश

(क) बुनियादी सेवा

49. सितंबर, 1994 में एनटीपी - 94 की घोषणा के बाद, दूरसंचार विभाग ने बुनियादी दूरसंचार सेवा में निजी क्षेत्र के प्रवेश के लिए दिशा-निर्देश जारी किए। 1995 के शुरूआत में बुनियादी सेवा के लिए बोलियां आमंत्रित की गई तथा वे अगस्त, 1995 में प्राप्त हुई। मार्च, 1996 तक सफल बोलीदाताओं को बुनियादी सेवा के लिए छांटा गया और 1997 में छह सर्किलों के लिए निजी बुनियादी सेवा प्रचालकों के साथ लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर किए गए। तथापि, अन्य सेवाओं से विपरीत, लाइसेंस दिए जाने के बाद भी बुनियादी सेवा जल्द शुरू नहीं हो पाई।

50. नई दूरसंचार नीति, 1999 की घोषणा के बाद, जिन छः सर्किलों में लाइसेंस जारी किए जा चुके थे, वहां अतिरिक्त लाइसेंस

देने तथा 15 खाली दूरसंचार सर्किलों में बुनियादी सेवा के लिए नए लाइसेंस देने के लिए भादूविप्रा से सिफारिशें मांगी गई थीं। भादूविप्रा ने 31, अगस्त, 2000 को सरकार को अपनी सिफारिशें भेज दी थी।

51. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की सिफारिशों के अनुसरण में सरकार ने 25 जनवरी, 2001 को बुनियादी सेवा के लाइसेंस जारी करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए। इन दिशा निर्देशों में, प्रचालकों की संख्या पर कोई सीमा लगाए बिना, बुनियादी टेलीफोन सेवा को खोलने की व्यवस्था है।

52. मार्च 2008 के अंत तक, 5 निजी बुनियादी सेवा प्रचालकों (बीएसओ) को लाइसेंस दिए जा चुके हैं। इनके नाम हैं- मैसर्स रिलायंस इन्फोकाम लि0 (21 सर्किल), मैसर्स टाटा टेलीसर्विसेज लि0 (20 सर्किल), मैसर्स भारती एयरटेल सर्विस लि0 (17 सर्किल), मैसर्स श्याम टेलीलिंक लि0 (राजस्थान सर्किल) और मैसर्स एचएफसीएल इन्फोटेल लि0 (पंजाब सर्किल)। इन सभी पांचों निजी प्रचालकों ने 2003-04 के दौरान एकीकृत अभिगम सेवा प्रणाली अपना ली थी।

(ख) मूल्यवर्धित सेवाएं

53. दूरसंचार परंपरागत रूप से वाइस कम्युनिकेशन सेवा रहा है। आज ये सेवा अपनी बुनियादी भूमिका से भी आगे जाकर एक गैर-प्रमुख (नॉन-कोर) सेवाओं का स्पेक्ट्रम बन गई है जिसे दूरसंचार की भाषा में मूल्यवर्धित सेवा (वीएएस) कहा जाता है।

54. मूल्यवर्धित सेवा या तो स्वयं दूरसंचार प्रचालकों अथवा किसी तीसरे पक्ष द्वारा प्रदान की जाती है जिसे मूल्यवर्धित सेवा प्रदाता (वीएएसपी) कहा जाता है। वीएएसपी, शार्ट मैसेज पीर-टू-पीर प्रोटोकॉल (एसएमपीपी) जैसे प्रोटोकाल का प्रयोग करके अन्तर कार्यरत इकाइयों (इंटर वर्किंग यूनिट) के माध्यम से दूरसंचार प्रचालकों के प्रमुख उपकरणों से संपर्क साधते हैं तथा या तो प्रत्यक्ष रूप से शार्ट मैसेज सर्विस सेंटर (एसएमएससी) से अथवा मैसेजिंग गेटवे से सीधे जुड़ते हैं जिससे दूरसंचार प्रचालकों का कंटेंट पर नियंत्रण हो जाता है।

55. प्रमुख या बुनियादी सेवाओं से भिन्न, वीएएस की विशिष्ट विशेषता है और वे अन्य सेवाओं से विभिन्न प्रकार से संबद्ध है। मूलतः दो प्रकार की मूल्यवर्धित सेवाएं हैः- (i) प्रचालनात्मक दृष्टिकोण से एकल (स्टैंड अलोन) मूल्यवर्धित सेवाएं और (ii) वॉइस सेवा के साथ एक वैकल्पिक सेवा के रूप में प्रदत्त मूल्यवर्धित सेवाएं। एसएमएस जैसी मूल्यवर्धित सेवाएं एकल मूल्यवर्धित सेवाओं का उदाहरण है। इस समय दूरसंचार प्रचालक मूल्यवर्धित सेवाएं उपलब्ध करा रहे है जिन्हें अगल पृष्ठ पर तालिका में दर्शाया गया है।

1.2.4 सेवा प्रदाताओं के बीच प्रभावी अन्तरसंयोजन तथा तकनीकी सुसंगता

पृष्ठभूमि

56. एक बहु-प्रचालक परिवेश में अन्तर-प्रचालक समाधान को ज्यादा निश्चितता प्रदान करने और अन्तर-संयोजन समझौतों को सुसाध्य बनाने के लिए एक अन्तरसंयोजन प्रयोग प्रभार प्रणाली (आईयूसी) विनिर्दिष्ट करना आवश्यक है। भादूविप्रा ने 24 जनवरी, 2003 को अन्तरसंयोजन प्रयोग प्रभार (आईयूसी) विनियम अधिसूचित किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बहु-प्रचालक परिवेश में कॉल के ओरिजिनेशन, कैरिज तथा टर्मिनेशन के लिए प्रभार तथा लागत

क्र0सं0	मूल्यवर्धित सेवा का प्रकार	वर्णन
1.	समाचार	राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, व्यापार, मनोरंजन, खेल समाचार
2.	वित्त	स्टॉक (एनएसई, बीएसई, नेस्डेक), फोरेक्स
3.	मनोरंजन	खेल, मोबाइल टीवी और चुटकुले
4.	यात्रा	रेलवे, एयरलाइंस
5.	डाउनलोड्स	लोगो, रिंगटोन्स, कॉलरटोन्स आदि
6.	ज्योतिष सेवा	व्यक्तिगत जन्मकुंडली/व्यक्तिगत भविष्यवाणी
7.	क्रिकेट	क्रिकेट स्कोर, मैच की झलकियां, क्रिकेट कमेंटरी
8.	मिस्ड कॉल ऑल्टर	जब सब्सक्राइबर का मोबाइल फोन स्विच ऑफ/नॉट रीचेबल और बिजी हो तब सब्सक्राइबर को इनकमिंग कॉल का एसएमएस अलर्ट मिलेगा।
9.	ई-मेल	एसएमएस के माध्यम से ई-मेल
10.	म्यूजिक ऑन डिमांड	सांग डॉयल करो
11.	प्रतियोगिता	रियलिटी शो
12.	जीपीआरएस/डब्ल्यूएपी	मोबाइल इंटरनेट, मोबाइल चैट, मोबाइल टीवी
13.	एमएमएस	पिक्चर मैसेज, पिक्चर क्लिपिंग
14.	हेल्थ	हेल्थ टिप्स, ब्यूटी टिप्स
15.	एम-कॉमर्स	भुगतान के अनेक तरीकों सहित लेन-देन सेवाएं और डब्ल्यूएपी, जीपीआरएस, आईवीआर और वेब जैसे कई सहायक डोमेन
16.	विविध	आध्यात्मिक, मूवीज और म्यूजिक, फन, नेवीगेशन आदि

से कम पर एक्सेस के प्रभार के कारण बीएसओ के एक्सेस डेफिसिट को कवर करने के लिए एक्सेस डेफिसिट प्रभार (एडीसी) लगाना शामिल है। इस विनियम के अनुसार, विभिन्न असंगठित नेटवर्क तत्वों के मिनट-प्रयोग के लिए तथा इन तत्वों की लागत के आधार पर आईयूसी का निर्धारण किया जाना है। ओरिजिनेशन, ट्रांजिट तथा टर्मिनेशन के लिए आईयूसी, तत्व आधारित प्रभारण के सिद्धांत पर आधारित है अर्थात इसमें एक प्रचालक द्वारा दूसरे प्रचालक से उसके कॉल के वहन के लिए उपयोग के मिनट के हिसाब से लगे संसाधन के लिए प्रभार लिया जाता है। आईयूसी प्रणाली की समय-समय पर समीक्षा की जाती है ताकि एडीसी प्रभार को धीरे-धीरे कम किया जा सके और एडीसी प्रणाली के लाभार्थियों की समीक्षा की जा सके। वर्ष, 2006 में, 23 फरवरी, 2006 को जारी आईयूसी विनियम से एडीसी प्रणाली में परिवर्तन करके उसे मिनट आधारित से राजस्व की भागीदारी वाली प्रणाली बनाया गया है। वार्षिक समीक्षा के एक भाग के तौर पर भादूविप्रा ने 27 मार्च, 2008 को दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार (नौवां संशोधन) विनियम, 2008 जारी किया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ

निजी सेवा प्रदाताओं द्वारा बीएसएनएल को देय एक्सेस डेफिसिट चार्ज (एडीसी) पर निर्धारित किया गया था। समीक्षा की प्रक्रिया तथा तदनुसार संशोधन के परिणामस्वरूप सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) के माध्यम से बीएसएनएल के ग्रामीण वायरलाइन नेटवर्क को समर्थन जारी रखने हेतु दूरसंचार विभाग को सिफारिश की गई। विनियम तथा उपर्युक्त सिफारिशें जारी करने से इस प्रक्रिया ने एडीसी प्रभार समाप्त किए। अंतरसंयोजन से संबंधित मामलों में भादूविप्रा द्वारा की गई पहलों के विवरणों पर इस रिपोर्ट के **भाग दो** और **भाग तीन** में चर्चा की गई है।

1.2.5 दूरसंचार प्रौद्योगिकी

57. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अपनी नीतियों में प्रौद्योगिकी-तटस्थ दृष्टि कोण अपनाता है।

(क) बुनियादी सेवा

58. बुनियादी टेलीफोनी में प्रतिस्पर्धा ने, बुनियादी सेवा प्रचालकों को सक्षम एवं नवीन प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए मजबूर किया है ताकि, उपभोक्ताओं को नई-नई विशिष्टताएं और मूल्यवर्द्धित/अनुपूरक सेवाओं की पेशकश की जा सके। बिलिंग एक ऐसा प्रमुख क्षेत्र है, जहां एक तरफ तो नई-नई विशिष्टताओं और मूल्यवर्धित/पूरक सेवाओं को लाने का प्रयास हो रहा है तो दूसरी तरफ नए बहु प्रचालक (मल्टी ऑपरेटर) माहौल में अंतर प्रचालक प्रभारण के लिए नई तकनीकी पहल हो रही हैं। बहु-प्रचालक परिदृश्य ने प्रचालकों को अंतर-प्रचालक समाधानों के लिए नई बिलिंग प्रणाली अपनाने के लिए बाध्य कर दिया है।

(ख) सेल्युलर मोबाइल सेवाएं

59. देश में सेल्युलर मोबाइल सेवाएं इस समय शार्ट मैसेज सर्विस (एसएमएस), मोबाइल इन्टरनेट सेवा, ई-मेल सेवाएं, चैटिंग सेवांए, कॉन्फरेंसिंग, आदि जैसी विभिन्न नई-नई मूल्यवर्द्धित सेवाएं तथा अनुपूरक सेवाओं के साथ मुख्यतः वॉयस सेवाएं प्रदान कर रही हैं। अधिकांश ऑपरेटरों ने अपने ग्राहकों को जनरल पैकेट रेडियो सर्विस (जीपीआरएस), एन्हैन्स्ड डाटा फॉर जीएसएम एवोलूशन (ईडीजीई) अथवा ईवीडीओ प्रौद्योगिकियों के माध्यम से डाटा सेवाएं भी देना प्रारंभ कर दिया है। ग्राहकों की जरूरतों को देखते हुए विभिन्न नूतन सेवाएं शुरू की गई हैं। पीएसयू प्रचालक अपने 3जी नेटवर्क स्थापित कर रहे हैं जबकि यह आशा की जाती है कि निजी प्रचालक दूरसंचार विभाग से 3जी स्पेक्ट्रम की बोली के पश्चात अपनी सेवाएं शुरू कर देंगे।

(ग) ब्रॉडबैंड

60. ब्रॉडबैंड नीति 2004 के अनुसार, ब्रॉडबैंड को ऐसे 'सदैव चालित' डाटा कनेक्शन के रूप में परिभाषित किया गया है, जो इंटरनेट एक्सेस सहित इंटरएक्टिव सेवाओं को समर्थित करने में समर्थ है तथा जिसमें ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करने के लिए आशयित सेवा प्रदाता के प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) से किसी वैयक्तिक सब्सक्राइबर को न्यूनतम 256 केबीपीएस डाउन स्पीड की क्षमता है, जहां ऐसे वैयक्तिक ब्रॉडबैंड कनेक्शन एकीकृत हैं तथा सब्सक्राइबर इस पीओपी के माध्यम से इंटरनेट सहित इन इंटरएक्टिव सेवाओं को एक्सेस करने में समर्थ हैं। ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकियां उपलब्ध हैं। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन (डीएसएल) देश में ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान

करने के लिए सेवा प्रदाताओं द्वारा सर्वाधिक पसंदीदा प्रौद्योगिकी है। ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रयुक्त अन्य प्रौद्योगिकियां हैं, केबल मोडम, एथेरनेट लैन, फाइबर, वायरलैस, लीज्ड लाइन आदि।

(घ) भावी पीढ़ी नेटवर्क (एनजीएन)

61. नए अनुप्रयोगों, कंटेंटों तथा कन्वर्जिंग प्रौद्योगिकियों के विकास ने ऐसा परिवेश सृजित कर दिया है जहां प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोगों, दोनों ही के संदर्भ में भावी दूरसंचार के प्रकार पर विचार करना आवश्यक बन गया है। हालांकि वर्तमान में, नेटवर्क वस्तुतः पृथक हैं तथा फिक्सड सेवाएं, मोबाइल सेवाएं और इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, भावी कंवर्जेंस एक सामान्य प्लेटफार्म पर निष्पादित किया जाएगा जिसे भावी पीढ़ी नेटवर्क (एनजीएन) कहा जाएगा। एनजीएन का प्रयोग करते हुए एक ही आईपी आधार पर विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराना संभव हो सकेगा। एनजीएन में अंतरण को सुकर बनाने के लिए, कतिपय लाइसेंसिंग मुद्दों का समाधान किया जाना है। समस्त प्रासंगिक मुद्दों का समाधान करने के लिए, भादूविप्रा ने 'भावी पीढ़ी नेटवर्क से संबंधित लाइसेंसिंग मुद्दों' पर परामर्श प्रक्रिया प्रारंभ की।

(ड.) इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन (आईपीटीवी)

62. इंटरनेट प्रोटोकॉल टीवी (आईपीटीवी) एक आईपी नेटवर्क और हाई स्पीड ब्रॉडबैंड प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके टेलीविजन कार्यक्रमों को प्रसारित करने तथा देखने का एक नया तरीका है। यह कई देशों में तेजी से लोकप्रिय होती एक मूल्यवर्धित सेवा है। दूरसंचार प्रौद्योगिकी में तेजी से होते विकास, आईपी प्लेटफार्म की अत्यधिक क्षमता और प्रसारण क्षेत्र में बढ़ते डिजिटलीकरण के कारण ही आईपीटीवी जैसी सेवाएं फल-फूल रही हैं। ''आईपीटीवी सेवाओं के प्रावधान'' के बारे में प्राधिकरण की दिनांक 4 जनवरी, 2008 की सिफारिशों के परिणामस्वरूप सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा क्रमशः नए नीतिगत दिशा-निर्देश बनाए गए तथा लाइसेंस करार के निबंधन और शर्तों पर संशोधन किए गए।

(च) इंटरनेट सेवाएं

63. देश में इंटरनेट सेवाएं 15 अगस्त, 1965 को आरंभ की गई थीं। नवम्बर, 1998 में सरकार ने निजी प्रचालकों द्वारा इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए क्षेत्र को खोल दिया। समूचे देश में इंटरनेट की पैठ को बढ़ाने के उद्देश्य से एक उदारवादी लाइसेंसिंग प्रणाली स्थापित की गई थी। हालांकि, बड़ी संख्या में आईएसपी को इंटरनेट सेवाओं के लिए लाइसेंस दिए गए हैं, शीर्ष 20 आईएसपी 98 प्रतिशत सब्सक्राइबरों को इंटरनेट सेवा प्रदान करते हैं। इंटरनेट तथा ब्रॉडबैंड का विकास देश में अभी भी धीमा है तथा सरकार के इंटरनेट एंव ब्रॉडबैंड के क्रमशः 40 मिलियन और 20 मिलियन सब्सक्राइबरों के लक्ष्य से कहीं पीछे है। नई सेवाएं जैसे आईपीटीवी, इंटरनेट टेलीफोनी, वीडियो ऑन डिमांड (वीओडी) लोकप्रिय हो रही हैं।

1.2.6 नई दूरसंचार नीति का कार्यान्वयन

64. नई दूरसंचार नीति, 1999 (एनटीपी' 1999) का उद्देश्य दूरसंचार उद्योग के तीव्र विकास के लिए दूरसंचार क्षेत्रों को मुक्त परिवेश के लिए खोलना है। इसमें यह भी परिकल्पना है कि ऐसे वातावरण और परिस्थितियों का निर्माण किया जाए जिससे दूरसंचार उद्योग

नई और सक्षम प्रौद्योगिकियों को अपना सके, तथा वहनीय दरों पर विभिन्न प्रकार की सेवाएं उपलब्ध करा सके, कनवर्ज्ड वातावरण में अन्तरण मुमकिन हो, फ्रिक्वेंसी स्पैक्ट्रम का कुशल तथा दक्ष आबंटन हो और अनुसंधान तथा विकास प्रयासों को बल मिले। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, एनटीपी, 99 में यह अपेक्षा की गई है कि सरकार, भादूविप्रा के विचार जाने और उससे सिफारिश मांगे। दूरसंचार सेवाओं से संबंधित अनेक मामलों पर, भादूविप्रा को सरकार से ऐसे कई अनुरोध प्राप्त हुए। नई दूरसंचार नीति के कार्यान्वयन के लिए भादूविप्रा के निर्णयों का ब्यौरा इस रिपोर्ट के **भाग-दो** तथा **भाग-तीन** में दिया गया है।

1.2.7 सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यूएसओ)

65. यूएसओ के संबंध में भादूविप्रा द्वारा 03.10.2001 को सरकार को दी गई सिफारिश के आधार पर भारत सरकार ने निधि प्रशासक के नेतृत्व वाली एक सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) की स्थापना की। भादूविप्रा ने दिनांक 27 अक्तूबर, 2005 की 'ग्रामीण भारत में दूरसंचार सेवाओं का विकास' के बारे में अपनी सिफारिशों में यह सुझाव दिया था कि वर्तमान नीति को नेटवर्क अवसंरचना विस्तार दृष्टिकोण हेतु व्यक्तिगत कनेक्शनों (डीईएल, वीपीटी आदि) पर आधारित राजसहायता पर अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। भादूविप्रा ने यह सिफारिश की कि मोबाइल सेवाओं को यूएसओ निधि के दायरे में लाया जाए और यूएसओ द्वारा अवसंरचना सहभागिता को समर्थन प्रदान किया जाए। इसके बाद 29 दिसम्बर, 2006 को भारतीय तार (संशोधन) अधिनियम 2006 पारित किया गया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ मोबाइल सेवाओं और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को सार्वभौमिक सेवाओं के दायरे में लाया गया। दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने देश के ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में मोबाइल सेवाओं हेतु अवसंरचना की स्थापना के लिए यूएसओएफ से वित्तीय सहायता देने के लिए एक योजना शुरू की है। भादूविप्रा ने इस योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु जिन चिंताओं का समाधान किया जाना है, उन पर अपने विचार अग्रेषित किए। वर्ष के दौरान भादूविप्रा ने 'ग्रामीण टेलीफोनी पर दृष्टिकोण- संवर्धित विकास के लिए सुझाए गए उपाय' पर 19 मार्च, 2009 को सिफारिशें जारी कीं। इन सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि से वित्त-पोषण के बारे में कतिपय सुझावों की सिफारिशें की गई हैं। इन उपायों के विवरणों पर इस प्रतिवेदन के **भाग दो** तथा **भाग तीन** में चर्चा की गई है।

1.2.8 सेवा गुणवत्ता

66. भादूविप्रा अधिनियम की धारा 11 (ख) (ज) निर्धारित करती है कि भादूविप्रा सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवा की गुणवत्ता के मानक निर्धारित करेगा तथा उसे सेवा गुणवत्ता सुनिश्चित करनी होगी और वह सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की गई ऐसी सेवा का आवधिक सर्वेक्षण संचालित करेगा ताकि दूरसंचार सेवा के उपभोक्ताओं के हित का संरक्षण किया जा सके। भादूविप्रा ने बुनियादी और सेल्युलर मोबाइल सेवाओं डायल-अप तथा लीज्ड लाइन इंटरनेट एक्सेस सेवाओं, ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए सेवा गुणवत्ता विनियम जारी किए हैं, जिनके सेवा गुणवत्ता बेंचमार्क निर्धारित किए गए हैं। भादूविप्रा ने वर्ष 2005 में इस विषय पर जारी किए गए पूर्व के विनियमों की समीक्षा

करते हुए 20 मार्च, 2009 को बुनियादी टेलीफोन सेवा (वायरलाइन) और सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा की सेवा गुणवत्ता विनियम, 2009 जारी किए।

67. दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता के कैस-अधिसूचित क्षेत्रों में एमएसओ/केबल प्रचालक द्वारा अनुपालन की गई सेवा गुणवत्ता को विनियमित करने के लिए भादूविप्रा ने वर्ष 2006 में सेवा गुणवत्ता के मानक (प्रसारण और केबल सेवाएं) (केबल टेलीविजन-कैस) विनियम, 2006 जारी किए। 31 अगस्त, 2007 को डायरेक्ट-टु-होम (सेवा गुणवत्ता के मानक और शिकायत निराकरण) विनियम, 2007 जारी किए गए जिनमें डायरेक्ट-टु-होम प्रसारण सेवाओं के लिए सेवा गुणवत्ता मानकों के बेंचमार्क विनिर्धारित किए गए थे। वित्त वर्ष 2008-09 मे सेवा गुणवत्ता के मानक (प्रसारण और केबल सेवाएं) (केबल टेलीविजन गैर-कैस क्षेत्र) विनियम, 2009 जारी किए गए जिनमे गैर-कैस क्षेत्रों में केबल टीवी सेवाओं के लिए मापदण्ड विनिर्धारित किए गए थे। इसके अलावा, उक्त संदर्भित दिनांक 31 अगस्त, 2007 के प्रधान विनियम में कतिपय संशोधन करने के लिए 12 मार्च, 2009 को डायरेक्ट-टु-होम प्रसारण सेवाएं (सेवा गुणवत्ता के मानक तथा शिकायत निराकरण) (संशोधन) विनियम, 2009 जारी किए गए थे।

68. बुनियादी तथा सेल्युलर मोबाइल सेवा के निष्पादन की भादूविप्रा द्वारा बुनियादी और सेल्युलर मोबाइल सेवा की सेवा गुणवत्ता विनियम द्वारा निर्धारित बेंचमार्कों की तुलना में सेवा प्रदाताओं से प्राप्त तिमाही निष्पादन रिपोर्ट (पीएमआर) के माध्यम से मॉनीटरिंग की जाती है। भादूविप्रा सेल्युलर मोबाइल सेवा प्रदाता (सीएमएसपी) से प्राप्त मासिक रिपोर्टों के माध्यम से प्वाइंट ऑफ इंटरकनेक्शन (पीओआई) कंजेशन की निगरानी भी करता है। सेवा गुणवत्ता के संबंध में सेवा प्रदाताओं के कार्य-निष्पादन में सुधार के लिए सेवा प्रदाताओं के साथ अनुवर्ती-कार्रवाई की बैठकें भी आयोजित की गईं। भादूविप्रा विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच पीओआई पर कंजेशन के स्तर को भी मासिक आधार पर मॉनीटर करता है। यह पैरामीटर उस आसानी को दर्शाता है जिसके द्वारा किसी एक नेटवर्क का ग्राहक दूसरे नेटवर्क के ग्राहक के साथ बातचीत करने में समर्थ होता है। यह मापदण्ड यह भी दर्शाता है कि दो नेटवर्कों के बीच अंतरसंयोजन कितना प्रभावी है। इस मापदण्ड के लिए भादूविप्रा द्वारा जुलाई 2005 के सेवा गुणवत्ता विनियमों में अधिसूचित बेंचमार्क <0.5 प्रतिशत है।

69. मार्च, 2009 को समाप्त अवधि के लिए पीओआई कंजेशन रिपोर्ट का विश्लेषण दर्शाता है कि पीओआई पर कंजेशन के संबंध में सीएमएसपी के निष्पादन में दिसम्बर, 2008 के निष्पादन की तुलना में मार्च, 2009 के माह में गिरावट आई है। अवधि के दौरान सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सब्सक्राइबर आधार दिसम्बर, 2008 में 346.89 मिलियन से बढ़कर मार्च, 2009 में 391.76 मिलियन हो गया। कंजेशन वाले पीओआई की संख्या दिसम्बर, 2008 में 66 से बढ़कर मार्च, 2009 में 76 हो गई। इन कंजेशन रिपोर्टों का विश्लेषण किया गया तथा विश्लेषण के निष्कर्षों को आम जनता के ध्यान में लाया गया। विश्लेषण के निष्कर्ष सभी पणधारकों/जनता की जानकारी के लिए भादूविप्रा की वेबसाइट पर भी रखे गए।

70. बुनियादी, सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन तथा ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाताओं द्वारा सूचित की गई जानकारी की प्रामाणिकता की जांच करने तथा सेवा गुणवत्ता के विषय में उपभोक्ता की आकांशा का सुनिश्चित करने के लिए भादूविप्रा ने (1) बुनियादी, सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा तथा ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की गई सेवा गुणवत्ता का वस्तुपरक मूल्यांकन संचालित करने तथा (2) सेवा के बारे में उपभोक्ता की आकांशा का मूल्यांकन करने के लिए विषयपरक उपभोक्ता संतुष्टि सर्वेक्षण तथा साथ ही जोन आधार पर दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण और शिकायत निराकरण विनियम, 2007 के क्रियान्वयन एवं प्रभाविता का भी मूल्यांकन करने के लिए स्वतंत्र एजेंसियों अर्थात मैसर्स आईएमआरबी इंटरनेशनल, मैसर्स वॉयस, मैसर्स टीसीआईएल तथा मैसर्स मार्केट प्लस को नियुक्त किया है। पहली तथा दूसरी अर्ध-वार्षिक अवधि की रिपोर्टें प्राप्त हो गई हैं, सेवाक्षेत्रवार उनका विश्लेषण किया जा चुका है तथा प्रेस प्रकाशनियां जारी की जा चुकी हैं। इसके अलावा, उन्हें पणधारकों की जानकारी के लिए भादूविप्रा की वेबसाइट पर भी डाला गया है।

अनुलग्नक

सारणी 1.1

सेवा क्षेत्रों के लिए जारी लाइसेंसों की कुल संख्या तथा 31, मार्च, 2009 तक जिन लाइसेंसों के लिए सेवा शुरू की गई, (बीएसएनएल तथा एमटीएनएल को छोडकर) उनकी संख्या

क्रम संख्या	सेवा का नाम	निजी क्षेत्र के लाइसेंसधारी	मार्च, 2008 को सेवा प्रदान करने वाले
1.	यूएएसएल	241	115
2.	एनएलडी सेवा	16	5
3.	आईएलडी सेवा	13	4
4.	सेल्युलर	15	15
5.	वेरी स्माल अपरचर टर्मिनल (वीसैट) सेवा	9	9
6.	पब्लिक मोबाइल रेडियो टंक्ड सेवा (पीएमआरटीएस)	12	12
7.	रेडियो पेजिंग	-	-
8.	ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्यूनिकेशन सिस्टम (जीएमपीसीएस)	-	-
9.	आईएसपी लाइसेंस	365	167

स्रोतः दूरसंचार विभाग/सेवा प्रदाता।

सारणी - 1.2

31 मार्च 2008 की स्थिति के अनुसार बुनियादी सेवाओं (वायरलाइन) का सब्सक्राइबर आधार

क्र0 सं0	सर्किल सेवा क्षेत्र का नाम	सेवा प्रदाता	31 मार्च, 2009को डीईएल की सं0		31 मार्च, 2008 को कुल डीईएल	31 मार्च, 2009को डीईएल की सं0		31 मार्च, कुल डीईएल	वार्षिक वृद्धि दर %
			शहरी	ग्रामीण		शहरी	ग्रामीण		
			(वायरलाइन)			(वायरलाइन)			
1	अंडमान-निकोबार	बीएसएनएल	12043	12813	24856	10146	9209	19355	-22.13
2	आंध्र प्रदेश	बीएसएनएल	1451412	1007823	2459235	1357831	868247	2226078	-9.48
		टाटा	122452	1	122453	132297	7	132304	8.04
		रिलायंस	68012	3	68015	85858	33	85891	26.28
		भारती	61173	0	61173	103463	0	103463	69.13
3	असम	बीएसएनएल	307306	123004	430310	250163	100859	351022	-18.43
		टाटा	0	0	0	8	0	8	-
4	बिहार (झारखंड सहित)	बीएसएनएल	914699	504385	1419084	885228	494616	1379844	-2.77
		रिलायंस	1348	0	1348	2226	0	2226	65.13
		टाटा	4369	0	4369	2774	0	2774	-36.51
5	दिल्ली	भारती	716755	0	716755	821061	0	821061	14.55
		एमटीएनएल	1576918	0	1576918	1525981	0	1525981	-3.23
		टाटा	23313	0	23313	27190	0	27190	16.63
		रिलायंस	106156	0	106156	147077	0	147077	38.55
6	गुजरात	बीएसएनएल	1490183	638036	2128219	1389867	538410	1928277	-9.39
		रिलायंस	90203	0	90203	107586	0	107586	19.27
		भारती	23055	0	23055	35394	0	35394	53.52
		टाटा	35279	0	35279	40934	1984	42918	21.65
7	हरियाणा	बीएसएनएल	545814	377624	923438	499359	340457	839816	-9.06
		भारती	20961	0	20961	21359	0	21359	1.90
		रिलायंस	7844	31	7875	8640	43	8683	10.26
		टाटा	1992	0	1992	5348	0	5348	168.47
8	हिमाचल प्रदेश	बीएसएनएल	81341	332567	413908	72826	302997	375823	-9.20
		रिलायंस	3217	0	3217	3384	0	3384	5.19
		टाटा	390	0	390	646	1	647	0.00
9	जम्मू-कश्मीर	बीएसएनएल	211087	48397	259484	196921	42874	239795	-7.59
		रिलायंस	1	0	1	1	0	1	0.00
10	कर्नाटक	बीएसएनएल	1609802	704779	2314581	1544996	628397	2173393	-6.10
		भारती	365957	0	365957	419307	0	419307	14.58
		टाटा	81628	0	81628	89549	11	89560	9.72
		रिलायंस	81617	0	81617	100556	0	100556	23.20
11	केरल	बीएसएनएल	1069063	2517056	3586119	1028503	2435125	3463628	-3.42
		रिलायंस	43855	151	44006	55362	163	55525	26.18
		टाटा	3656	0	3656	6443	0	6443	76.23
		भारती	38917	0	38917	50774	0	50774	30.47
12	मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित)	बीएसएनएल	1109055	358172	1467227	1011789	328406	1340195	-8.66
		भारती	298396	0	298396	300772	0	300772	0.80
		रिलायंस	25441	0	25441	32666	1	32667	28.40
		टाटा	1119	0	1119	2244	0	2244	100.54

क्र0 सं0	सर्किल सेवा क्षेत्र का नाम	सेवा प्रदाता	31 मार्च, 2009को डीईएल की सं0		31 मार्च, 2008 को कुल डीईएल	31 मार्च, 2009को डीईएल की सं0		31 मार्च, कुल डीईएल	वार्षिक वृद्धि दर %
			शहरी	ग्रामीण		शहरी	ग्रामीण		
			(वायरलाइन)			(वायरलाइन)			
13	महाराष्ट्र (मुंबई सहित)	बीएसएनएल एवं एमटी एनएल	4256791	1308805	5565596	4004525	1058049	5062574	-9.04
		रिलायंस	179242	338	179580	233845	611	234456	30.56
		भारती	181791	0	181791	317589	0	317589	74.70
		टाटा	389322	11461	400783	512153	24917	537070	34.01
	मुंबई	एमटीएनएल	2101452	0	2101452	2047225	0	2047225	-2.58
		रिलायंस	124095	0	124095	161570	0	161570	30.20
		भारती	150692	0	150692	264901	0	264901	75.79
		टाटा	308870	0	308870	407705	0	407705	32.00
	महाराष्ट्र (मुंबई को छोड़कर)	बीएसएनएल	2155339	1308805	3464144	1957300	1058049	3015349	-12.96
		रिलायंस	55147	338	55485	72275	611	72886	31.36
		भारती	31099	0	31099	52688	0	52688	69.42
		टाटा	80452	11461	91913	104448	24917	129365	40.75
14	उत्तर पूर्व	बीएसएनएल	245228	97046	342274	246614	88806	335420	-2.00
15	उड़ीसा	बीएसएनएल	472865	295378	768243	394971	246818	641789	-16.46
		रिलायंस	3722	0	3722	2861	0	2861	-23.13
		टाटा	1192	0	1192	2810	0	2810	0.00
16	पंजाब	बीएसएनएल	789416	635890	1425306	763549	581362	1344911	-5.64
		एचएफसीएल	147595	0	147595	162217	0	162217	9.91
		रिलायंस	43480	0	43480	46025	0	46025	5.85
		भारती	26171	0	26171	87210	0	87210	233.23
		टाटा	4512	0	4512	7965	334	8299	83.93
17	राजस्थान	बीएसएनएल	980736	582855	1563591	936424	544465	1480889	-5.29
		भारती	22186	0	22186	33171	0	33171	49.51
		श्याम	143262	14194	157456	120736	8538	129274	-17.90
		रिलायंस	14609	0	14609	20621	1	20622	41.16
		टाटा	615	0	615	1857	0	1857	0.00
18	तमिलनाडु (चेन्नई सहित)	बीएसएनएल	2499527	847379	3346906	2320292	772542	3092834	-7.59
		टाटा	26212	0	26212	33753	54	33807	28.98
		भारती	84202	0	84202	414723	0	414723	392.53
		रिलायंस	99897	0	99897	122815	0	122815	22.94
	चेन्नई	बीएसएनएल	959676	50383	1010059	961598	49982	1011580	0.15
		रिलायंस	70965	0	70965	85937	0	85937	21.10
		टाटा	23894	0	23894	-	-	-	-
		भारती	20766	0	20766	276828	0	276828	1233.08
	तमिलनाडु (चेन्नई को छोड़कर)	बीएसएनएल	1539851	796996	2336847	1358694	722560	2081254	-10.94
		टाटा	2318	0	2318	33753	54	33807	-
		भारती	63436	0	63436	137895	0	137895	117.38
		रिलायंस	28932	0	28932	36878	0	36878	27.46
19	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	बीएसएनएल	1050425	403890	1454315	1043606	401423	1445029	-0.64
		रिलायंस	30638	3	30641	36100	0	36100	17.82
		टाटा	1295	0	1295	5808	0	5808	0.00
		भारती	134060	0	134060	38100	0	38100	-71.58

क्र0 सं0	सर्किल सेवा क्षेत्र का नाम	सेवा प्रदाता	31 मार्च, 2009को डीईएल की सं0		31 मार्च, 2008 को कुल डीईएल	31 मार्च, 2009को डीईएल की सं0		31 मार्च, कुल डीईएल	वार्षिक वृद्धि दर %
			शहरी	ग्रामीण		शहरी	ग्रामीण		
			(वायरलाइन)			(वायरलाइन)			
20	उत्तर प्रदेश (पश्चिम) (उत्तरांचल सहित)	बीएसएनएल	1026110	242880	1268990	1011498	238522	1250020	-1.49
		रिलायंस	7344	0	7344	10318	0	10318	40.50
		भारती	270631	0	270631	22403	0	22403	-91.72
		टाटा	1444	0	1444	2895	40	2935	0.00
21	पश्चिम बंगाल (कोलकाता सहित)	बीएसएनएल	1918188	573878	2492066	1878616	524348	2402964	-3.58
		रिलायंस	66816	1	66817	91769	2	91771	37.35
		भारती	39071	0	39071	60914	0	60914	55.91
		टाटा	12699	0	12699	16658	0	16658	31.18
	कोलकाता	बीएसएनएल	1374363	0	1374363	1374422	0	1374422	0.00
		रिलायंस	62212	0	62212	86861	0	86861	39.62
		भारती	39071	0	39071	60914	0	60914	55.91
		टाटा	12470	0	12470	15738	0	15738	26.21
	पश्चिम बंगाल (कोलकाता को छोड़कर)	बीएसएनएल	543825	573878	1117703	504194	524348	1028542	-7.98
		रिलायंस	4604	1	4605	4908	2	4910	6.62
		टाटा	229	0	229	920	0	920	301.75
जोड़			2,77,77,123	1,16,38,840	3,94,15 ,963	2,73,81,940	1,05,82,672	3,79,64 ,612	-3.68

** M/s Tata has included Chennai figure in Tamil Nadu Circle figure for March 2009.*

सारणी - 1.3

31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार बुनियादी सेवा प्रदाताओं द्वारा स्थापित कुल डीईएल

क्र0 सं0	बुनियादी सेवा प्रदाता (वायरलाइन)	प्रचालन क्षेत्र	संस्थापित डीई,ल	टेलीफोन प्रतीक्षा सूची
1	बीएसएनएल	संपूर्ण भारत	29346431	222815
2	एमटीएनएल	दिल्ली एवं मुंबई	3573206	655
3	भारती एयरटेल लिमिटेड	आंध्रप्रदेश, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु (चेन्नई सर्किल सहित), उत्तर प्रदेश (पूर्व), उत्तर प्रदेश (पश्चिम) (उत्तरांचल सहित) एवं पश्चिम बंगाल	2726240	0
4	टाटा टेलीसर्विसेज; महाराष्ट्र, लिमिटेड	महाराष्ट्र एवं मुंबई	537070	0
5	टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड	आंध्रप्रदेश, असम, तमिलनाडु, (चेन्नई सहित), कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश (पूर्व), उत्तर प्रदेश (पश्चिम) (उत्तरांचल सहित), पश्चिम बंगाल एवं कोलकाता	381610	0
6	एचएफसीएल इन्फोटेल लिमिटेड	पंजाब	162217	0
7	श्याम टेलीलिंक लिमिटेड	राजस्थान	129274	0
8	रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड	आंध्रप्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, चेन्नई ,उत्तर प्रदेश (पूर्व), उत्तर प्रदेश (पश्चिम), पश्चिम बंगाल, कोलकाता	1108564	0
कुल योग			**3,79,64,612**	**2,23,470**

स्रोतः बीएसएनएल/एमटीएनएल और निजी सेवा प्रदाता

सारणी - 1.4

31 मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार बुनियादी सेवा प्रदाताओं के संबंध में सज्जित स्विचिंग क्षमता, निवल क्षमता वृद्धि आदि के विवरण

सर्किल/सेवा क्षेत्र का नाम	सेवा प्रदाता	सज्जित क्षमता		वर्ष में जोड़ी गयी क्षमता (करोड़ में)
		31, मार्च 2008 को	31, मार्च 2009 को	
अंडमान- निकोबार	बीएसएनएल	60096	58378	-1718
आंध्र प्रदेश	बीएसएनएल	3890327	3829527	-60800
	टाटा	4150	5000000	4995850
	*रिलायंस	0	0	0
	भारती	74856	171762	96906
असम	बीएसएनएल	714684	707500	-7184
बिहार (झारखंड सहित)	बीएसएनएल	1337532	1992589	655057
	*रिलायंस	0	0	0
	टाटा	1315000	3048750	1733750
दिल्ली	भारती	808976	282036	-526940
	एमटीएनएल	2810129	2810129	0
	टाटा	3330000	3836000	506000
	*रिलायंस	0	0	0
गुजरात	बीएसएनएल	3614182	3609314	-4868
	*रिलायंस	0	0	0
	भारती	240000	240000	0
	टाटा	45180	81164	35984
हरियाणा	बीएसएनएल	1515388	1425028	-90360
	भारती	23672	3600	-20072
	*रिलायंस	0	0	0
	टाटा	978267	974667	-3600
हिमाचल प्रदेश	बीएसएनएल	642514	641306	-1208
	*रिलायंस	0	0	0
	टाटा	420000	10500	-409500
जम्मू-कश्मीर	बीएसएनएल	417104	405664	-11440
	*रिलायंस	0	0	0
कर्नाटक	बीएसएनएल	3372201	3364177	-8024
	भारती	503800	786116	282316
	टाटा	77864	13175	-64689
	*रिलायंस	0	0	0

सर्किल/सेवा क्षेत्र का नाम	सेवा प्रदाता	सज्जित क्षमता		वर्ष में जोड़ी गयी क्षमता (करोड़ में)
		31, मार्च 2008 को	31, मार्च 2009 को	
केरल	बीएसएनएल	4269131	4235745	-33386
	*रिलायंस	0	0	0
	टाटा	50000	784000	734000
	भारती	93248	43410	-49838
मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित)	बीएसएनएल	1652244	2059235	406991
	भारती	407640	62352	-345288
	*रिलायंस	0	0	0
	टाटा	0	1650000	1650000
मुंबई	एमटीएनएल	4734081	4734081	0
	*रिलायंस	0	0	0
	भारती	145470	249984	104514
	टाटा	2509166	2673000	163834
महाराष्ट्र (मुंबई को छोड़कर)	बीएसएनएल	5123506	5100260	-23246
	*रिलायंस	0	0	0
	भारती	29520	48660	19140
	टाटा	3835750	5435000	1599250
उत्तर पूर्व I	बीएसएनएल	284800	285216	416
उत्तर पूर्व II	बीएसएनएल	218668	211008	-7660
उड़ीसा	बीएसएनएल	968004	968820	816
	*रिलायंस	0	0	0
	टाटा	620000	1900000	1280000
पंजाब	बीएसएनएल	2707853	2615569	-92284
	एचएफसीएल	328835	778835	450000
	*रिलायंस	0	0	0
	भारती	76624	16140	-60484
	टाटा	60782	67782	7000
राजस्थान	बीएसएनएल	2258942	2238234	-20708
	भारती	25248	9864	-15384
	एसटीएल	350000	450000	100000
	*रिलायंस	0	0	0
	टाटा	1808097	2680743	872646

सर्किल/सेवा क्षेत्र का नाम	सेवा प्रदाता	सज्जित क्षमता		वर्ष में जोड़ी गयी क्षमता (करोड़ में)
		31, मार्च 2008 को	31, मार्च 2009 को	
चेन्नई	बीएसएनएल	1303427	1293627	-9800
	*रिलायंस	0	0	0
	टाटा	443368	443368	0
	भारती	357882	357882	0
तमिलनाडु (चेन्नई को छोड़कर)	बीएसएनएल	3499296	3384444	-114852
	टाटा	4096	855656	851560
	भारती	589728	660140	70412
	*रिलायंस	0	0	0
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	बीएसएनएल	2312348	2308356	-3992
	*रिलायंस	0	0	0
	टाटा	2135675	2346023	210348
	भारती	29538	6396	-23142
उत्तर प्रदेश (पश्चिम) (उत्तरांचल सहित)	बीएसएनएल	1718322	2172710	454388
	*रिलायंस	0	0	0
	भारती	24038	4608	-19430
	टाटा	1671908	2290887	618979
कोलकाता	बीएसएनएल	1602113	1575487	-26626
	*रिलायंस	0	0	0
	भारती	44490	21252	-23238
	टाटा	1722000	80000	-1642000
पश्चिम बंगाल (कोलकाता को छोड़कर)	बीएसएनएल	1705447	1712223	6776
	*रिलायंस	0	0	0
	टाटा	143000	50000	-93000
जोड		**7,80,60,207**	**9,21,52,379**	**1,40,92,172**

- *मैसर्स रिलायंस के आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए गए*

स्रोतः बीएसएनएल/एमटीएनएल और निजी सेवा प्रदाता

सारणी - 1.5

31 मार्च 2008 की तुलना में 31 मार्च 2009 को पब्लिक कॉल ऑफिसों का प्रचालनवार तथा सर्किलवार विवरण

1	2	3	4	5	6	7
क्र.सं0	सर्किल/सेवा क्षेत्र का नाम	सेवा प्रदाता	31 मार्च, 2008	31 मार्च, 2009	मार्च, 09 को समाप्त तिमाही के दौरान जोड़े गए पीसीओ	31 मार्च 2009 को समाप्त तिमाही में प्रतिशत वृद्धि
1	अंडमान एवं निकोबार	बीएसएनएल	963	702	-261	-27.10
2	आंध्र प्रदेश	बीएसएनएल	241212	200291	-40921	-16.96
		टाटा	45842	180217	134375	293.13
		रिलायंस	364385	389106	24721	6.78
		भारती	3964	3308	-656	-16.55
3	असम	बीएसएनएल	34518	33862	-656	-1.90
4	बिहार (झारखंड सहित)	बीएसएनएल	87499	86114	-1385	-1.58
		रिलायंस	74844	89081	14237	19.02
		टाटा	52563	95,611	43048	81.90
5	दिल्ली	भारती	27497	19784	-7713	-28.05
		एमटीएनएल	82692	75493	-7199	-8.71
		टाटा	25809	48533	22724	88.05
		रिलायंस	66225	54165	-12060	-18.21
6	गुजरात	बीएसएनएल	106021	89587	-16434	-15.50
		रिलायंस	99295	97792	-1503	-1.51
		टाटा	5846	112908	107062	1831.37
		भारती	574	302	-272	-47.39
7	हरियाणा	बीएसएनएल	28218	26273	-1945	-6.89
		भारती	2760	1754	-1006	-36.45
		रिलायंस	24177	20102	-4075	-16.85
		टाटा	48998	25303	-23695	-48.36
8	हिमाचल प्रदेश	बीएसएनएल	12020	11416	-604	-5.02
		रिलायंस	5579	5459	-120	-2.15
		टाटा	133591	5983	-127608	-95.52
9	जम्मू एवं कश्मीर	बीएसएनएल	14395	12693	-1702	-11.82
10	कर्नाटक	बीएसएनएल	256305	242020	-14285	-5.57
		भारती	46262	44877	-1385	-2.99
		टाटा	105321	142099	36778	34.92
		रिलायंस	191183	214778	23595	12.34
11	केरल	बीएसएनएल	129135	123469	-5666	-4.39
		रिलायंस	103562	104985	1423	1.37
		भारती	8120	8864	744	9.16
		टाटा	69730	44739	-24991	-35.84

1	2	3	4	5	6	7
12	मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित)	बीएसएनएल	65688	65622	-66	-0.10
		भारती	40888	32227	-8661	-21.18
		रिलायंस	63741	76207	12466	19.56
		टाटा	46508	49118	2610	5.61
13	महाराष्ट्र (मुंबई सहित)	बीएसएनएल-एमटीएनएल	470423	400206	-70217	-14.93
		टाटा	251311	545297	293986	116.98
		भारती	1311	508	-803	-61.25
		रिलायंस	320281	322518	2237	0.70
	मुंबई	एमटीएनएल	156643	137409	-19234	-12.28
		टाटा	65000	131,080	66080	101.66
		भारती	812	365	-447	-55.05
		रिलायंस	119057	128018	8961	7.53
	महाराष्ट्र (मुंबई को छोड़कर)	बीएसएनएल	313780	262797	-50983	-16.25
		टाटा	186311	414217	227906	122.33
		भारती	499	143	-356	-71.34
		रिलायंस	201224	194500	-6724	-3.34
14	उत्तर पूर्व	बीएसएनएल	17967	18159	192	1.07
15	उड़ीसा	बीएसएनएल	28848	24796	-4052	-14.05
		रिलायंस	30975	35652	4677	15.10
		टाटा	40082	63536	23454	58.52
16	पंजाब	बीएसएनएल	27837	23897	-3940	-14.15
		एचएफसीएल	36794	27924	-8870	-24.11
		रिलायंस	32234	24618	-7616	-23.63
		भारती	3970	2926	-1044	-26.30
		टाटा	251403	37665	-213738	-85.02
17	राजस्थान	बीएसएनएल	63132	55445	-7687	-12.18
		भारती	1543	1613	70	4.54
		एसटीएल	41700	35592	-6108	-14.65
		रिलायंस	81346	82324	978	1.20
		टाटा	157995	47745	-110250	-69.78
18	तमिलनाडु (चेन्नई सहित)	बीएसएनएल	319128	296068	-23060	-7.23
		टाटा	74550	124476	49926	66.97
		भारती	58550	51171	-7379	-12.60
		रिलायंस	305734	331262	25528	8.35
	चेन्नई	बीएसएनएल	82711	79513	-3198	-3.87
		टाटा	46853	46853	0	0.00
		रिलायंस	59074	70293	11219	18.99
	तमिलनाडु (चेन्नई को छोड़कर)	बीएसएनएल	236417	216555	-19862	-8.40
		टाटा	27697	124476	96779	349.42
		भारती	58550	51171	-7379	-12.60
		रिलायंस	246660	260969	14309	5.80

1	2	3	4	5	6	7
19	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	बीएसएनएल	122849	124809	1960	1.60
		रिलायंस	85553	111924	26371	30.82
		भारती	2848	2488	-360	-12.64
		टाटा	44842	67478	22636	50.48
20	उत्तर प्रदेश (पश्चिम) (उत्तरांचल सहित)	बीएसएनएल	56294	55168	-1126	-2.00
		रिलायंस	91511	93892	2381	2.60
		भारती	2679	2072	-607	-22.66
		टाटा	133291	55243	-78048	-58.55
21	पश्चिम बंगाल (कोलकाता सहित)	बीएसएनएल	125709	124264	-1445	-1.15
		रिलायंस	104875	82038	-22837	-21.78
		भारती	1484	1433	-51	-3.44
		टाटा	80925	92390	11465	14.17
	कोलकाता	बीएसएनएल	60024	64083	4059	6.76
		रिलायंस	27419	25747	-1672	-6.10
		भारती	1484	1433	-51	-3.44
		टाटा	43677	40287	-3390	-7.76
	पश्चिम बंगाल (कोलकाता को छोड़कर)	बीएसएनएल	65685	60181	-5504	-8.38
		रिलायंस	77456	56291	-21165	-27.33
		टाटा	37248	52103	14855	39.88
	जोड़		**6185904**	**6201441**	**15537**	**0.25**

सारणी 1.6

31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार वीपीटी की प्रचालकवार तथा सर्किलवार स्थिति

क्र.सं0	सर्किल/सेवा क्षेत्र का नाम	सेवा प्रदाता	31 मार्च, 2008	31 मार्च, 2009	मार्च 09 को समाप्त तिमाही के दौरान उपलब्धि	31 मार्च 2009 को समाप्त तिमाही में प्रतिशत वृद्धि
1	अंडमान एवं निकोबार	बीएसएनएल	179	271	92	51.40
2	आंध्र प्रदेश	बीएसएनएल	20396	21600	1204	5.90
		टाटा	1358	1358	0	0.00
		भारती		0	0	0.00
		रिलायंस	0	0	0	0.00
3	असम	बीएसएनएल	22407	23369	962	4.29
4	बिहार (झारखंड सहित)	बीएसएनएल	63154	65040	1886	2.99
		रिलायंस	0	0	0	0.00
		टाटा	0	0	0	0.00
5	दिल्ली	भारती	0	0	0	0.00
		एमटीएनएल	0	0	0	0.00
		टाटा	0	0	0	0.00
		रिलायंस	0	0	0	0.00
6	गुजरात	बीएसएनएल	14978	16504	1526	10.19
		भारती		0	0	0.00
		रिलायंस	4115	4115	0	0.00
		टाटा	0	0	0	0.00
7	हरियाणा	बीएसएनएल	6369	6600	231	3.63
		भारती	0	0	0	0.00
		रिलायंस	0	0	0	0.00
		टाटा	27883	0	-27883	-100.00
8	हिमाचल प्रदेश	बीएसएनएल	15945	17045	1100	6.90
		रिलायंस	0	0	0	0.00
		टाटा	680	0	-680	-100.00
9	जम्मू एवं कश्मीर	बीएसएनएल	5642	5795	153	2.71
10	कर्नाटक	बीएसएनएल	26425	27254	829	3.14
		भारती	0	0	0	0.00
		रिलायंस	0	0	0	0.00
		टाटा	0	0	0	0.00
11	केरल	बीएसएनएल	1372	1372	0	0.00
		भारती		0	0	0.00
		रिलायंस	0	0	0	0.00
		टाटा	0	0	0	0.00

क्र.सं0	सर्किल/सेवा क्षेत्र का नाम	सेवा प्रदाता	31 मार्च, 2008	31 मार्च, 2009	मार्च 09 को समाप्त तिमाही के दौरान उपलब्धि	31 मार्च 2009 को समाप्त तिमाही में प्रतिशत वृद्धि
12	मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित)	बीएसएनएल	66821	69373	2552	3.82
		भारती	0	0	0	0.00
		रिलायंस	0	0	0	0.00
		टाटा	0	0	0	0.00
13	महाराष्ट्र (मुंबई सहित)	बीएसएनएल-एमटीएनएल	35245	38437	3192	9.06
		भारती		0	0	0.00
		टाटा	2542	2542	0	0.00
		रिलायंस	0	**0**	0	0.00
	मुंबई	एमटीएनएल	0	0	0	0.00
		भारती		0	0	0.00
		रिलायंस		0	0	0.00
		टाटा	126	126	0	0.00
	महाराष्ट्र (मुंबई को छोड़कर)	बीएसएनएल	35245	38437	3192	9.06
		भारती		0	0	0.00
		रिलायंस		0	0	0.00
		टाटा	2416	2416	0	0.00
14	उत्तर पूर्व	बीएसएनएल	7917	8340	423	5.34
15	उड़ीसा	बीएसएनएल	38835	40783	1948	5.02
		रिलायंस	0	0	0	0.00
		टाटा	0	0	0	0.00
16	पंजाब	बीएसएनएल	12000	12008	8	0.07
		एचएफसीएल	299	220	-79	-26.42
		भारती		0	0	0.00
		रिलायंस	0	0	0	0.00
		टाटा	0	0	0	0.00
17	राजस्थान	बीएसएनएल	33998	38560	4562	13.42
		भारती		0	0	0.00
		श्याम	3010	3010	0	0.00
		रिलायंस	0	0	0	0.00
		टाटा	0	0	0	0.00
18	तमिलनाडु (चेन्नई सहित)	बीएसएनएल	14810	15292	482	3.25
		भारती		0	0	0.00
		टाटा	0	0	0	0.00
		रिलायंस	0	0	0	0.00
	चेन्नई	बीएसएनएल	1459	1498	39	2.67
		रिलायंस	0	0	0	0.00
	तमिलनाडु (चेन्नई को छोड़कर)	बीएसएनएल	13351	13794	443	3.32
		टाटा	0	0	0	0.00
		रिलायंस	0	0	0	0.00
		भारती	0	0	0	0.00

क्र.सं0	सर्किल/सेवा क्षेत्र का नाम	सेवा प्रदाता	31 मार्च, 2008	31 मार्च, 2009	मार्च 09 को समाप्त तिमाही के दौरान उपलब्धि	31 मार्च 2009 को समाप्त तिमाही में प्रतिशत वृद्धि
19	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	बीएसएनएल	70457	76485	6028	8.56
		भारती		0	0	0.00
		रिलायंस	0	0	0	0.00
		टाटा	0	0	0	0.00
20	उत्तर प्रदेश (पश्चिम) (उत्तरांचल सहित)	बीएसएनएल	31989	33066	1077	3.37
		रिलायंस	0	0	0	0.00
		भारती	0	0	0	0.00
		टाटा	0	0	0	0.00
21	पश्चिम बंगाल (कोलकाता सहित)	बीएसएनएल	30677	32100	1423	4.64
		भारती		0	0	0.00
		रिलायंस	0	0	0	0.00
		टाटा	0	0	0	0.00
	कोलकाता	बीएसएनएल	567	567	0	0.00
		भारती		0	0	0.00
		रिलायंस	0	0	0	0.00
		टाटा	0	0	0	0.00
	पश्चिम बंगाल (कोलकाता को छोड़कर)	बीएसएनएल	30110	31533	1423	4.73
		रिलायंस	0	0	0	0.00
		टाटा	0	0	0	0.00
	जोड़		**5,59,503**	**5,60,539**	**1,036**	**0.19**

स्रोतः बीएसएनएल/एमटीएनएल/निजी सेवा प्रदाता

सारणी - 1.7

मार्च 2005 से लेकर 31 मार्च 2009 तक मोबाइल (जीएसएम और सीडीएमए) सेवाओं का सब्सक्राइबर आधार

सेवा प्रदाता	वित्त वर्ष 2005	वित्त वर्ष 2006	वित्त वर्ष 2007	वित्त वर्ष 2008	वित्त वर्ष 2009	वित्त वर्ष 2008 की तुलना में प्रतिशत वृद्धि
भारती	10.98	19.58	37.14	61.98	93.92	51.53%
बीएसएनएल	9.9	17.65	30.99	40.79	52.15	58.70%
रिलायंस	10.45	17.31	28.01	45.79	72.67	55.84%
वोडाफोन	7.8	15.36	26.44	44.13	68.77	27.85%
टाटा	1.09	4.85	16.02	24.33	35.12	44.35%
आइडिया एस्कोटेल	5.07	7.37	14.01	24.00	38.89	62.03%
एयरसेल	1.76	2.61	5.51	10.61	18.48	74.18%
एमटीएनएल	1.08	2.05	2.94	3.53	4.48	26.91%
स्पाइस	1.44	1.93	2.73	4.21	4.13	-1.90%
बीपीएल	2.58	1.34	1.07	1.29	2.16	67.44%
एचएफसीएल	0.05	0.06	0.15	0.30	0.60	30.00%
सिस्टीमा	0.03	0.03	0.10	0.11	0.39	445.45%
कुल	**52.23**	**90.14**	**165.11**	**261.07**	**391.76**	**50.06%**

स्रोतः सेवा प्रदाता
आंकड़ों में डब्ल्यूएलएल (एफ) सब्सक्राइबर शामिल हैं

सारणी - 1.8

31 मार्च, 2008 को वायरलैस सेवा प्रदाताओं की सेवा-क्षेत्रवार सूचा

क्र0सं0	सर्किल	एक्सेस सेवा प्रदाता
	सेवा क्षेत्र - महानगर	
1	दिल्ली	भारती वोडाफोन एमटीएनएल आइडिया सेल्युलर लिमिटेड एयरसेल लिमिटेड एटीसलट डीबी टेलीकॉम प्रा0 लिमिटेड* डाटाकॉम सोल्यूशंस प्रा0 लिमिटेड* यूनीटेक वायरलेस (दिल्ली) लिमिटेड* स्पाइस कम्युनिकेशंस लिमिटेड* लूप टेलीकॉम प्रा0 लिमिटेड* सिस्टीमा श्याम टेलीसर्विसेज लिमिटेड* रिलायंस इन्फोकॉम टाटा टेलीसर्विसेज
2	मुंबई	लूप टेलीकॉम प्रा0 लिमिटेड वोडाफोन एमटीएनएल भारती एयरसेल लिमिटेड* आइडिया सेल्युलर लिमिटेड एटीसलट डीबी टेलीकॉम प्रा0 लिमिटेड* डाटाकॉम सोल्यूशंस प्रा0 लिमिटेड* यूनीटेक वायरलेस (मुंबई) प्रा0 लिमिटेड* सिस्टीमा श्याम टेलीसर्विसेज लिमिटेड* रिलायंस इन्फोकॉम टाटा टेलीसर्विसेज
3	चेन्नई	एयरसेल सेल्युलर लिमिटेड बीएसएनएल वोडाफोन रिलायंस इन्फोकॉम # टाटा टेलीसर्विसेज भारती # डाटाकॉम सोल्यूशंस प्रा0 लिमिटेड*# आइडिया सेल्युलर लिमिटेड'*# यूनीटेक वायरलेस (तमिलनाडु) प्रा0 लिमिटेड'*# एटीसलट डीबी टेलीकॉम प्रा0 लिमिटेड*# लूप टेलीकॉम प्रा0 लिमिटेड*# सिस्टीमा श्याम टेलीसर्विसेज लिमिटेड'

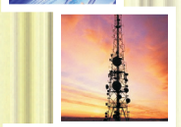

क्र0सं0	सर्किल	एक्सेस सेवा प्रदाता
4	कोलकाता	भारती वोडाफोन बीएसएनएल रिलायंस टेलीकॉम डिशनेट वायरलेस लिमिटेड' डाटाकॉम सोल्यूशंस प्रा0 लिमिटेड'* आइडिया सेल्युलर लिमिटेड* यूनीटेक वायरलेस (कोलकाता) लिमिटेड* लूप टेलीकॉम प्रा0 लिमिटेड* सिस्टीमा श्याम टेलीसर्विसेज लिमिटेड* रिलायंस इन्फोकॉम टाटा टेलीसर्विसेज
	सेवा क्षेत्र-'क' क्षेत्र	
5	महाराष्ट्र	वोडाफोन आइडिया सेल्युलर लिमिटेड बीएसएनएल भारती एयरसैल लिमिटेड* डाटाकॉम सोल्यूशंस प्रा0 लिमिटेड* यूनीटेक वायरलेस (पश्चिम) प्रा0 लिमिटेड* स्पाइस कम्युनिकेशंस लिमिटेड* एटीसलट डीबी टेलीकॉम प्रा0 लिमिटेड* लूप टेलीकॉम प्रा0 लिमिटेड* सिस्टीमा श्याम टेलीसर्विसेज लिमिटेड* रिलायंस इन्फोकॉम टाटा टेलीसर्विसेज
6	गुजरात	वोडाफोन आइडिया सेल्युलर लिमिटेड बीएसएनएल भारती एयरसैल लिमिटेड* डाटाकॉम सोल्यूशंस प्रा0 लिमिटेड* यूनीटेक वायरलेस (पश्चिम) प्रा0 लिमिटेड* स्वान टेलीकॉम प्रा0 लिमिटेड* लूप टेलीकॉम प्रा0 लिमिटेड* सिस्टीमा श्याम टेलीसर्विसेज लिमिटेड* रिलायंस इंफोकॉम टाटा टेलीसर्विसेज
7	आंध्र प्रदेश	आइडिया सेल्युलर लिमिटेड भारती बीएसएनएल वोडाफोन एयरसैल लिमिटेड डाटाकॉम सोल्यूशंस प्रा0 लिमिटेड* यूनीटेक वायरलेस (दक्षिण) प्रा0 लिमिटेड*

क्र0सं0	सर्किल	एक्सेस सेवा प्रदाता
		स्पाइस कम्युनिकेशंस लिमिटेड*
		एटीसलट डीबी टेलीकॉम प्रा0 लिमिटेड*
		लूप टेलीकॉम प्रा0 लिमिटेड*
		सिस्टीमा श्याम टेलीसर्विसेज लिमिटेड*
		रिलायंस इन्फोकॉम
		टाटा टेलीसर्विसेज
8	कर्नाटक	भारती
		स्पाइस
		बीएसएनएल
		वोडाफोन
		एयरसेल लिमिटेड
		डाटाकॉम सोल्यूशंस प्रा0 लिमिटेड*
		आइडिया सेल्युलर लिमिटेड*
		यूनीटेक वायरलेस (दक्षिण) लिमिटेड*
		एटीसलट डीबी टेलीकॉम प्रा0 लिमिटेड*
		लूप टेलीकॉम प्रा0 लिमिटेड*
		सिस्टीमा श्याम टेलीसर्विसेज लिमिटेड*
		रिलायंस इन्फोकॉम
		टाटा टेलीसर्विसेज
9	तमिलनाडु	वोडाफोन
		एयरसेल लिमिटेड
		बीएसएनएल
		रिलायंस इन्फोकॉम#
		टाटा टेलीसर्विसेज#
		भारती#
		डाटाकॉम सोल्यूशंस प्रा0 लिमिटेड*#
		आइडिया सेल्युलर लिमिटेड'*#
		यूनीटेक वायरलेस (तमिलनाडु) प्रा0 लिमिटेड'*#
		एटीसलट डीबी टेलीकॉम प्रा0 लिमिटेड'*#
		लूप टेलीकॉम प्रा0 लिमिटेड'*#
		सिस्टीमा श्याम टेलीसर्विसेज लिमिटेड*#
		lok {k=&*[k^ {k=
10	केरल	आइडिया सेल्युलेट लि0
		वोडाफोन
		बीएसएनएल
		भारती
		डिशनेट वायरलेस लिमिटेड
		डाटाकॉम सोल्यूशंस प्रा0 लिमिटेड'*
		यूनीटेक वायरलेस (दक्षिण) लिमिटेड'*
		एटीसलट डीबी टेलीकॉम लिमिटेड*
		लूप टेलीकॉम प्रा0 लिमिटेड'
		सिस्टीमा श्याम टेलीसर्विसेज लिमिटेड*
		रिलायंस इन्फोकॉम
		टाटा टेलीसर्विसेज

क्र0सं0	सर्किल	एक्सेस सेवा प्रदाता
11	पंजाब	स्पाइस भारती बीएसएनएल वोडाफोन डिशनेट वायरलेस लिमिटेड'* आइडिया सेल्युलर लिमिटेड'* यूनीटेक वायरलेस (उत्तर) प्रा0 लिमिटेड* एटीसलट डीबी टेलीकॉम प्रा0 लिमिटेड* लूप टेलीकॉम प्रा0 लिमिटेड'* सिस्टीमा श्याम टेलीसर्विसेज लिमिटेड'* रिलायंस इन्फोकॉम एचएफसीएल इन्फोकॉम टाटा टेलीसर्विसेज
12	हरियाणा	आइडिया सेल्युलर लि0 वोडाफोन बीएसएनएल भारती डिशनेट वायरलेस लिमिटेड' डाटाकॉम सोल्यूशंस प्रा0 लिमिटेड' यूनीटेक वायरलेस (उत्तर) प्रा0 लिमिटेड' स्पाइस कम्युनिकेशंस लिमिटेड' एटीसलट डीबी टेलीकॉम प्रा0 लिमिटेड' लूप टेलीकॉम प्रा0 लिमिटेड' सिस्टीमा श्याम टेलीसर्विसेज लिमिटेड' रिलायंस इन्फोकॉम टाटा टेलीसर्विसेज
13	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	आइडिया सेल्युलर लि0 भारती बीएसएनएल वोडाफोन डिशनेट वायरलेस लिमिटेड' डाटाकॉम सोल्यूशंस प्रा0 लिमिटेड' यूनीटेक वायरलेस (उत्तर) प्रा0 लिमिटेड' एटीसलट डीबी टेलीकॉम प्रा0 लिमिटेड' लूप टेलीकॉम प्रा0 लिमिटेड' सिस्टीमा श्याम टेलीसर्विसेज लिमिटेड' रिलायंस इन्फोकॉम टाटा टेलीसर्विसेज
14	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	वोडाफोन बीएसएनएल भारती आइडिया सेल्युलर लिमिटेड डिशनेट वायरलैस लिमिटेड' डाटाकॉम सोल्यूशंस प्रा0 लिमिटेड' यूनीटेक वायरलेस (पूर्व) प्रा0 लिमिटेड' एटीसलट डीबी टेलीकॉम प्रा0 लिमिटेड'

क्र0सं0	सर्किल	एक्सेस सेवा प्रदाता
		लूप टेलीकॉम प्रा0 लिमिटेड'
		सिस्टीमा श्याम टेलीसर्विसेज लिमिटेड'
		रिलायंस इन्फोकॉम
		टाटा टेलीसर्विसेज
15	राजस्थान	वोडाफोन
		हेक्साकॉम (भारती)
		बीएसएनएल
		आइडिया सेल्युलर लिमिटेड
		डिशनेट वायरलेस लिमिटेड'
		डाटाकॉम सोल्यूशंस प्रा0 लिमिटेड'
		यूनीटेक वायरलेस (उत्तर) प्रा0 लिमिटेड'
		एटीसलट डीबी टेलीकॉम प्रा0 लिमिटेड'
		लूप टेलीकॉम प्रा0 लिमिटेड'
		रिलायंस इन्फोकॉम
		सिस्टीमा श्याम टेलीसर्विसेज लिमिटेड
		टाटा टेलीसर्विसेज
16	मध्य प्रदेश	आइडिया सेल्युलर लिमिटेड
		रिलायंस टेलीकॉम
		बीएसएनएल
		भारती
		डिशनेट वायरलेस लिमिटेड*
		डाटाकॉम सोल्यूशंस प्रा0 लिमिटेड*
		यूनीटेक वायरलेस (पश्चिम) प्रा0 लिमिटेड*
		लूप टेलीकॉम प्रा0 लिमिटेड*
		सिस्टीमा श्याम टेलीसर्विसेज लिमिटेड*
		एस्सार स्पेसटेल प्रा0 लिमिटेड (वोडाफोन)*
		एलाइज इन्फोटेक प्रा0 लिमिटेड*
		रिलायंस इन्फोकॉम
		टाटा टेलीसर्विसेज
17	पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह	रिलायंस टेलीकॉम
		बीएसएनएल
		भारती
		वोडाफोन
		डिशनेट वायरलेस लिमिटेड
		डाटाकॉम सोल्यूशंस प्रा0 लिमिटेड*
		आइडिया सेल्युलर प्रा0 लिमिटेड*
		यूनीटेक वायरलेस (पूर्व) प्रा0 लिमिटेड*
		लूप टेलीकॉम प्रा0 लिमिटेड*
		सिस्टीमा श्याम टेलीसर्विसेज लिमिटेड*
		रिलायंस इन्फोकॉम
		टाटा टेलीसर्विसेज

क्र0सं0	सर्किल	एक्सेस सेवा प्रदाता
		l ok {k= & *x^ {k=
18	हिमाचल प्रदेश	भारती
		रिलायंस टेलीकॉम
		बीएसएनएल
		आइडिया सेल्युलर लिमिटेड
		डिशनेट वायरलेस लिमिटेड
		एस्सार स्पेसटेल प्रा0 लिमिटेड (वोडाफोन)
		डाटाकॉम सोल्यूशंस प्रा0 लिमिटेड*
		यूनीटेक वायरलेस (उत्तर) प्रा0 लिमिटेड*
		एस टेल लिमिटेड*
		लूप टेलीकॉम प्रा0 लिमिटेड*
		सिस्टीमा श्याम टेलीसर्विसेज लिमिटेड*
		रिलायंस इन्फोकॉम
		टाटा टेलीसर्विसेज
19	बिहार	रिलायंस टेलीकॉम
		बीएसएनएल
		भारती
		डिषनेट वायरलेस लि0
		एस्सार स्पेसटेल प्रा0 लिमिटेड (वोडाफोन)
		आदित्य बिडला टेलीकॉम लिमिटेड (आइडिया)
		डाटाकॉम सोल्यूशंस प्रा0 लिमिटेड*
		यूनीटेक वायरलेस (पूर्व) प्रा0 लिमिटेड*
		एस टेल लिमिटेड*
		लूप टेलीकॉम प्रा0 लिमिटेड*
		सिस्टीमा श्याम टेलीसर्विसेज लिमिटेड*
		रिलायंस इन्फोकॉम
		टाटा टेलीसर्विसेज
		एलायंज़ इफ्राटेक (प्रा0) लिमिटेड*
20	उड़ीसा	रिलायंस टेलीकॉम
		बीएसएनएल
		भारती
		डिशनेट वायरलेस लि0
		एस्सार स्पेसटेल प्रा0 लिमिटेड (वोडाफोन)*
		डाटाकॉम सोल्यूशंस प्रा0 लिमिटेड*
		आइडिया सेल्युलर लिमिटेड*
		यूनीटेक वायरलेस (पूर्व) प्रा0 लिमिटेड*
		एस टेल लिमिटेड*
		लूप टेलीकॉम प्रा0 लिमिटेड*
		सिस्टीमा श्याम टेलीसर्विसेज लिमिटेड*
		रिलायंस इन्फोकॉम
		टाटा टेलीसर्विसेज
21	असम	रिलायंस टेलीकॉम
		बीएसएनएल
		भारती

क्र0सं0	सर्किल	एक्सेस सेवा प्रदाता
		डिशनेट वायरलेस लि0 एस्सार स्पेसटेल प्रा0 लिमिटेड (वोडाफोन) डाटाकॉम सोल्यूशंस प्रा0 लिमिटेड* आइडिया सेल्युलर लिमिटेड* यूनीटेक वायरलेस (पूर्व) प्रा0 लिमिटेड* टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड* एस टेल लिमिटेड* लूप टेलीकॉम प्रा0 लिमिटेड* सिस्टीमा श्याम टेलीसर्विसेज लिमिटेड*
22	उत्तर पूर्व	रिलायंस टेलीकॉम भारती बीएसएनएल डिशनेट वायरलेस लि0 एस्सार स्पेसटेल प्रा0 लिमिटेड (वोडाफोन) डाटाकॉम सोल्यूशंस प्रा0 लिमिटेड* आइडिया सेल्युलर लिमिटेड* यूनीटेक वायरलेस (पूर्व) प्रा0 लिमिटेड* टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड* एस टेल लिमिटेड* लूप टेलीकॉम प्रा0 लिमिटेड* सिस्टीमा श्याम टेलीसर्विसेज लिमिटेड*
23	जम्मू एवं कश्मीर	बीएसएनएल भारती डिशनेट वायरलेस लि0 एस्सार स्पेसटेल प्रा0 लिमिटेड (वोडाफोन) डाटाकॉम सोल्यूशंस प्रा0 लिमिटेड* आइडिया सेल्युलर लिमिटेड* यूनीटेक वायरलेस (उत्तर) प्रा0 लिमिटेड* टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड* एस टेल लिमिटेड* लूप टेलीकॉम प्रा0 लिमिटेड* सिस्टीमा श्याम टेलीसर्विसेज लिमिटेड* रिलायंस इंफोकॉम

स्रोतः दूरसंचार विभाग और सेवा प्रदाता

* सेवाएं प्रारंभ नहीं हुई हैं

\# तमिलनाडु और चेन्नई के लिए सिंगल लाइसेंस

सारणी - 1.9

वर्ष, 2006-07, 2007-08 और 2008-09, के दौरान विभिन्न सर्किलों में जोड़े गए अतिरिक्त जीएसएम वायरलैस सब्सक्राइबरों की संख्या तथा वार्षिक वृद्धि दर

सर्किल	अप्रैल, 06 से मार्च 07 के दौरान जोड़े गए उपभोक्ताओं की संख्या	अप्रैल, 07 से मार्च 08 के दौरान प्रतिशत वृद्धि	अप्रैल, 08 से मार्च 09 के दौरान जोड़े गए उपभोक्ताओं की संख्या (लाखों में)	वर्ष 2007-08 के दौरान प्रतिशत वृद्धि	अप्रैल, 08 से मार्च 09 के दौरान जोड़े गए उपभोक्ताओं की संख्या (लाखों में)	वर्ष 2008-09 के दौरान प्रतिशत वृद्धि
मेट्रो	5.99	32.77%	8.39	38.38%	12.27	40.58%
सर्किल 'क'	18.35	75.42%	27.36	64.11%	35.12	50.43%
सर्किल 'ख'	20.39	89.74%	26.97	62.55%	41.14	58.70%
सर्किल 'ग'	6.55	104.30%	9.51	74.18%	15.83	70.86%
संपूर्ण भारत	**51.28**	**74.11%**	**72.23**	**59.96%**	**104.56**	**54.26%**

स्रोत : सेवा प्रदाताओं की तिमाही रिपोर्ट

सारणी - 1.10

31 मार्च, 2008 को वीसैट ग्राहकों की संख्या

क्र.सं0	सेवा प्रदाता	अवधि	
		मार्च, 2008	मार्च, 2009
1	हयूजेज कम्यूनिकेशंस लिमिटेड	25464	30011
2	एचसीएल कॉमनेट	23050	25914
3	भारती एयरटेल लिमिटेड	18193	26463
4	भारती ब्राडबैंड	5276	5276
5	एस्सेल श्याम *	2647	2728
6	टाटानेट सर्विसेज	5069	8390
7	आईटीआई	45	37
8	जीएनएफसी	0	0
9	बीएसएनएल	1651	3421
	कुल	**81395**	**102240**

सारणी - 1.11

31 मार्च, 2009 को पीएमआरटीएस उपभोक्ताओं की संख्या

क्र. सं0	सेवा प्रदाता	मार्च, 2008 का सब्सक्राइबर आधार	मार्च, 2009 का सब्सक्राइबर आधार
1	आर्यदूत ट्रांसपोर्ट प्रा0 लि0	1649	1901
2	जैट-एआईयू स्काईलाइन ट्रांसपोर्ट प्रा0 लि0	511	479
3	कंटेनर मूवमेंट (बॉम्बे) ट्रांसपोर्ट प्रा0 लि0	5	6
4	आर्य ऑफश्योर सर्विसेज प्रा0 लि0	1368	1106
5	जर्मन एक्सप्रेस शिपिंग एजेन्सी (इंडिया) प्रा0 लि0 (हेपाग लॉयड)	887	735
6	यूनाइटेड लाइनर एजेन्सीज ऑफ इंडिया (प्रा0) लि0	2100	1828
7	प्रोकॉल लि0	9192	6939
8	दि अरविंद मिल्स लि0	11817	11222
9	स्मार्टटॉक प्रा0 लि0	2449	2511
10	क्विककॉल	4668	3305
11	भीलवाड़ा टेलीनेट सर्विसेज प्रा0 लि0	1392	1464
12	इंडिया सेटकॉम लि0	202	110
	जोड़	**36240**	**31603**
	%e of)		12.80

स्रोत : सेवा प्रदाताओं की तिमाही रिपोर्ट

lkj.kh & 1-12

vkbl, lih }kjk crk;k x;k lClØkbcj vk/kkj vkj vU; C;kjk

J.kh d				
Ø1-	lok inkrk dk uke	J.kh	ipkyu dk Hkkxkfyd {k=	ekpZ 09
1	नेट मैजिक सोल्यूशंस (प्रा0) लि0	क	संपूर्ण भारत	602
2	भारत संचार निगम लि0	क	संपूर्ण भारत	7256701
3	भारती एयरटेल लि0	क	संपूर्ण भारत	1084872
4	रिलायंस कम्यूनिकेशंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0	क	संपूर्ण भारत	935373
5	सिफी टेक्नोलॉजिज लि0	क	संपूर्ण भारत	405254
6	टाटा कम्युनिकेशंस इंटरनेट सर्विसेज लिमिटेड	क	संपूर्ण भारत	367900
7	हैथवे केबल एंड डेटाकाम प्रा0 लि0	क	संपूर्ण भारत	339032
8	डाटा इन्फोसेस लि0	क	संपूर्ण भारत	248032
9	यू टेलीकॉम इंडिया प्रा0 लि0	क	संपूर्ण भारत	198451
10	टाटा टेलीसर्विसेज (महाराष्ट्र) लि0	क	संपूर्ण भारत	55328
11	पुंज लाएड (स्पेक्ट्रा नेट लि0)	क	संपूर्ण भारत	40200
12	ओरटेल कम्युनिकेशंस लि0	क	संपूर्ण भारत	26964
13	ब्राडबैंड पेसनेट (आई) प्रा0 लि0	क	मुंबई	12470
14	इंडुसिंड मीडिया एंड कम्यु0 लि0	क	संपूर्ण भारत	11571
15	ह्रुजेज कम्यूनिकेशन्स इंडिया लि0	क	संपूर्ण भारत	8950
16	डी–वोइस ब्रॉडबैंड प्रा0 लि0	क	संपूर्ण भारत	6176
17	टाटा कम्युनिकेशंस लि0	क	संपूर्ण भारत	5527
18	ट्रैक ऑनलाइन नेट इंडिया प्रा0 लि0	क	संपूर्ण भारत	3467
19	स्विफ्टमेल कम्युनिकेशंन्स लि0	क	संपूर्ण भारत	3797
20	एचसीएल कॉमनेट सिस्टम्स एंड सर्विसेज लि0	क	संपूर्ण भारत	3140
21	डेन नेटवर्क्स लि0	क	संपूर्ण भारत	1769
22	डिशनेट वायरलेस लि0	क	संपूर्ण भारत	1278
23	तुलिप टेलीकॉम लि0	क	संपूर्ण भारत	952
24	वायर एंड वायरलेस (आई) लि0	क	संपूर्ण भारत	802
25	सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया	क	संपूर्ण भारत	550
26	लिमरास एरोनेट ब्रॉडबैंड सर्विस प्रा0 लि0	क	तमिलनाडू	438
27	आईकेएफ टेक्नोलॉजिस लि0	क	संपूर्ण भारत	421

28	पैसिफिक इंटरनेट इंडिया प्रा0 लि0	क	संपूर्ण भारत	256
29	वर्ल्ड फोन इंटरनेट सर्विसेज प्रा0 लि0	क	संपूर्ण भारत	165
30	प्राइमनेट ग्लोबल लि0	क	संपूर्ण भारत	159
31	वरीजन कम्युनिकेशन्स इंडिया प्रा0 लि0	क	संपूर्ण भारत	155
32	करूतूरी टेलीकॉम प्रा0 लि0	क	संपूर्ण भारत	104
33	बीटी ग्लोबल कम्युनिकेशंस इंडिया प्रा0 लि0	क	संपूर्ण भारत	104
34	रीच नेटवर्क इंडिया प्रा0 लि0	क	संपूर्ण भारत	77
35	गुज इन्फो पेट्रो लि0 (जीआईपीएल)	क	गुजरात	77
36	माइलाइ करपागबल इंर्फोमेशन सिस्टम (प्रा0) लि0	क	चिन्नाई	60
37	भारती ब्रॉडबैंड लि0	क	संपूर्ण भारत	54
38	नेक्स्टजन कम्युनिकेशंन्स लि0	क	संपूर्ण भारत	53
39	एस्सेल श्याम कम्युनिकेशन्स लि0	क	संपूर्ण भारत	47
40	ग्लोबल वन इंडिया प्रा0 लि0	क	संपूर्ण भारत	21
41	नेल्को लि0	क	संपूर्ण भारत	14
42	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि0	क	संपूर्ण भारत	13
43	ऐस्ट्रो नेटवर्क इंडिया प्रा0 लि0	क	संपूर्ण भारत	9
44	रिलायंस वाइमेक्स लि0 (गेटवे सिस्टम (आई) लि0)	क	संपूर्ण भारत	5
45	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड	क	संपूर्ण भारत	3
46	ओप्टो नेटवर्क प्रा0 लि0	क	संपूर्ण भारत	3
47	जीटीएल लि0	क	संपूर्ण भारत	2
48	टाटा इंटरनेट सर्विसेज लि0	क	संपूर्ण भारत	2
49	एल एण्ड टी फाइनेंस लि0 (एल एण्ड टी नेट कॉम लि0)	क	संपूर्ण भारत	1
50	गुजरात नर्मदा वैली फर्टीलाइजर कं0 लि0 (जीएनएफसी)	क	संपूर्ण भारत	0
51	वीएसएनएल ब्रॉडबैंड लि0	क	संपूर्ण भारत	0
52	टाटानेट सर्विसेज लि0	क	संपूर्ण भारत	0
53	नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क लि0	क	संपूर्ण भारत	0
54	कोरडिला एलटी कम्युनिकेशन्स प्रा0 लि0	क	संपूर्ण भारत	0
55	तिकोना डिजीटल नेटवर्क्स प्रा0 लि0	क	संपूर्ण भारत	0
56	एचसीएल इंफाइनेट लि0	क	संपूर्ण भारत	42189
57	अरनेट इंडिया	क	संपूर्ण भारत	1070
	कुल (1)			**11064660**

J.kh [k				
Ø1-	lok inkrk dk uke	J.kh	ipkyu dk Hkkxkfyd {k=	ekp] 09
1	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	ख	दिल्ली -मुंबई	2124228
2	एशियानेट सेटेलाइट कम्यूनिकेशंस लि0	ख	केरल	73382
3	एचएफसीएल इन्फोटेल लि0	ख	पंजाब टेलीकॉम सर्किल	67894
4	श्याम इंटरनेट सर्विसेज लि0	ख	राजस्थान	32691
5	बीम केबल सिस्टम प्रा0 लि0	ख	आंध्र प्रदेश	31423
6	वोडाफोन एस्सार गुजरात लि0	ख	गुजरात	18001
7	एलायंस ब्राडबैंड सर्विसेज प्र0 लि0	ख	कोलकाता	17661
8	सिसकॉन इंफोवे प्रा0 लि0	ख	मुंबई	14161
9	आईओएल नेटकॉम लि0	ख	मुंबई	9973
10	वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रानिक्स इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर0 लि0	ख	कोलकाता, प0बं0	7365
11	मेघबेला केबल एण्ड ब्रॉडबैंड सर्विसेज (प्रा0) लि0	ख	कोलकाता	6965
12	राजेश मल्टी चैनल प्रा0 लि0	ख	मुंबई	6733
13	साउदर्न ऑनलाइन बायो टेक्नो. लि0	ख	आंध्र प्रदेश	6449
14	त्रिकोण इलेक्ट्रानिक्स प्रा0 लि0	ख	मुंबई	4568
15	स्पेसनेट इंटरनेट सर्विसेज प्रा0 लि0	ख	दिल्ली	4236
16	गुजरात टेलीलिंक प्रा0 लि0	ख	गुजरात	3386
17	देसकान लि0	ख	कोलकाता एवं पश्चिम बंगाल टेलीकॉम सर्किल	3249
18	हैथवे भवानी केबलटेल एंड डाटाकॉम प्रा0 लि0	ख	मुंबई	3141
19	जियोसिटी नेटवर्क सोल्यूशंस प्रा0 लि0	ख	दिल्ली	1974
20	वैल्यु हेल्थकेयर लि0	ख	मुंबई	1777
21	सीजेएम कंसलटेंसी सर्विसेज प्रा0 लि0	ख	दिल्ली	1379
22	डिजिटल वर्चुअल आईएसपी प्रा0 लि0	ख	गुजरात	1024
23	स्पेस ऑनलाइन लि0	ख	गुजरात	1023
24	अंबर ऑनलाइन सर्विसेज लि0	ख	आंध्र प्रदेश	860
25	ब्लेजनेट लि0	ख	गुजरात	834
26	नार्थ ईस्ट डाटा नेटवर्क प्रा0 लि0	ख	कर्नाटक	798
27	औनस्टी नेट सोल्युशंस (आई) प्रा0 लि0	ख	मुंबई	781
28	पायनीर ईलैब्स लि0 (पायनीर ऑनलाइन प्रा0 लि0)	ख	आंध्र प्रदेश	719

29	एफ/एक्स वायरलेस टेक्नोलॉजी सौल्युशंस प्रा0 लि0	ख	मुंबई	657
30	एस.एस. नेटकॉम प्रा0 लि0	ख	नार्थ ईस्ट सर्किल	528
31	आइस नेटवर्क प्रा0 लि0	ख	बंगलोर	460
32	नेटकॉम ऑनलाइन सोल्यूशंस इंडिया प्रा0 लि0	ख	तमिलनाडु	393
33	अंखनेट इंफारमेशंस प्रा0 लि0	ख	मुंबई	364
34	आरएस ब्रॉडबैंड सर्विस इंडिया प्रा0 लि0	ख	तमिलनाडु एसएसए	266
35	अतरिया कन्वरजेंस टेक्नोलॉजी प्रा0 लि0	ख	कर्नाटक	202
36	वैनवी इंडस्ट्रीज लि0	ख	आंध्र प्रदेश	200
37	नेटलिंक्स लि0	ख	आंध्र प्रदेश	173
38	सिटी ऑनलाइन सर्विस लि0	ख	आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक	164
39	रेडीलिंक्स इंटरनेट सर्विस प्रा0 लि0	ख	कोयंबटूर एसएसए एंड इरोड एसएसए	111
40	आईकैन सोल्युशंस प्रा0 लि0	ख	मुंबई	75
41	ईशान नेटसोल प्रा0 लि0	ख	गुजरात	31
42	ऑनलाइन मीडिया सोल्यूशंस लि0	ख	आंध्र प्रदेश	22
43	केमिकल एंड मेटालुरजिकल डिजाइन कं0 लि0	ख	दिल्ली	22
44	विश्वशक्ति टेक्नोलॉजी प्रा0 लि0	ख	हैदराबाद	16
45	गोदरेज इंफोटेक लि0	ख	मुंबई	9
46	पैन इडिया नेटवर्क इंफ्रावेस्ट प्रा0 लि0	ख	मुंबई, नवी मुंबई	4
47	मनीपाल ईकॉमर्स लि0	ख	कर्नाटक	3
48	फोनिक नेट प्रा0 लि0	ख	मुंबई	2
49	करुतूरी ग्लोबल लि0 (करुतूरी नेटवर्क्स लि0)	ख	कर्नाटक	1
50	एडवांस फाइनेंशल सर्विस प्रा0 लि0	ख	हैदराबाद	1
51	डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू कम्युनिकेशंस लि0	ख	दिल्ली	0
52	स्वास्तिक नेटविजन टेलीकॉम प्रा0 लि0	ख	गुजरात	0
53	गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि0 (जीएसपीसी)	ख	गुजरात	0
54	वीकेयर कॉल सेंटर इंडिया प्रा0 लि0	ख	दिल्ली	0
55	यूनाइटेड टेलीकॉम लि0*	ख	महाराष्ट्र	0
56	स्टार ब्रॉडबैंड सर्विस (आई) प्रा0 लि0	ख	दिल्ली	1407
	कुल (2)			**2451786**

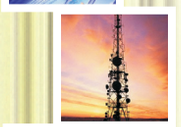

J.kh x				
Ø1-	lok inkrk dk uke	J.kh	ipkyu dk HkkSxkfyd {k=	ekp] 09
1	भूपति होटल्स प्रा0 लि0	ग	दिल्ली	2436
2	केबल कम्बाइन कम्युनिकेशन प्रा0 लि0	ग	सिलीगुड़ी एसएसए	1619
3	नर्मदा साइबरजोन प्रा0 लि0	ग	गुजरात	1475
4	इंटरमीडिया केबल कम्युनिकेशन प्रा0 लि0	ग	पुणे/नासिक	1354
5	संचार टेलीनेटवर्क प्रा0 लि0	ग	भावनगर एसएसए	1051
6	केजन इंफोनेट प्रा0 लि0	ग	सूरत एंड वल्साड एसएसए	980
7	क्वेस्ट कंसलटेंसी प्रा0 लि0	ग	वल्साड एसएसए	868
8	ब्रॉडलेन नेटवर्कस प्रा0 लि0	ग	डोंबीविली, महाराष्ट्र	844
9	राजेश पटेल नेट सर्विस प्रा0 लि0	ग	इंदौर (एमपी)	815
10	आईएसपी साल्युशंस इंडिया प्रा0 लि0	ग	कोयम्बटूर एसएसए	760
11	यशहश केबल नेटवर्क प्रा0 लि0	ग	मैसूर एसएसए	592
12	स्पीड ऑनलाइन.नेट प्रा0 लि0	ग	राजकोट	576
13	भिवानी कम्युनिकेशंस प्रा0 लि0	ग	रोहतक	549
14	अपना टेलीलिंक लि0	ग	जालंधर	520
15	केलनेट कम्युनिकेशंस सर्विसेज प्रा0 लि0	ग	त्रिवेन्द्रम	431
16	गोमती केबल नेटवर्क प्रा0 लि0	ग	लखनऊ एसएसए	337
17	बोहरा प्रतिष्ठान प्रा0 लि0	ग	उदयपुर एसएसए	326
18	मिकी ऑनलाइन प्रा0 लि0	ग	मुरादाबाद एसएसए	280
19	मल्टीनेट (उदयपुर) प्रा0 लि0	ग	उदयपुर एसएसए	260
20	खेतान केबल नेटवर्क (प्रा0) लि0	ग	इंदौर एसएसए	253
21	रीडा कम्युनिकेशंस प्रा0 लि0	ग	अलीगढ़ एसएसए	246
22	रेनबो कम्युनिकेशंस (इंडिया) प्र0 लि0	ग	सेलम एसएसए	197
23	आईपाथ इंडिया प्रा0 लि0	ग	एरनाकुलम एसएसए	186
24	ऐरोवे नेटवर्क्स प्रा0 लि0	ग	मैसूर एसएसए	183
25	क्विक ऑनलाइन प्रा0 लि0	ग	गाज़ियाबाद एसएसए	160
26	ड्रीम्ज़क्राफ्ट इंफो सोल्युशंस प्रा0 लि0	ग	देहरादून एसएसए	158
27	ईस्टर्न टेलीसर्विसेज प्रा0 लि0	ग	जमशेदपुर एसएसए	156
28	निहार इंटरनेट सर्विसेज प्रा0 लि0	ग	गाज़ियाबाद एसएसए	156
29	संयोग नेटवर्क्स प्रा0 लि0	ग	त्रिपुरा एसएसए	149

30	आदया टेक वन सर्विसेज प्रा0 लि0	ग	गाज़ियाबाद एसएसए	131
31	माइनेट सर्विसेज इंडिया प्रा0 लि0	ग	तमिलनाडु एसएसए	100
32	ओऐसिस केबल प्रा0 लि0	ग	हरिद्वार एसएसए	93
33	श्री विनायगा इंटरनेट प्रा0 लि0	ग	मदुरै एसएसए	90
34	तरंगा कम्युनिकेशंस प्रा0 लि0	ग	गुवाहटी एसएसए	83
35	ईरोनेट ब्रॉडबैंड सर्विस इंडिया प्रा0 लि0	ग	इरोड	80
36	आईएसपी सर्विसेज (इंडिया) प्रा0 लि0	ग	त्रिची	79
37	हरिश्री केबल नेट प्रा0 लि0	ग	कानपुर एसएसए	59
38	एसटीएन कम्युनिकेशंस एंड एडवरटाइजिंग प्रा0 लि0	ग	गुवाहटी	47
39	कोनार्क इंफोकॉम प्रा0 लि0	ग	गाज़ियाबद एसएसए	42
40	कंजोएनिक्स टेक्नोलॉजीज प्रा0 लिमिटेड	ग	जे एड के, चंडीगढ़	27
41	सीजेऑनलाइन प्रा0 लिमिटेड	ग	गाज़ियाबाद	23
42	केरला एस्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉ0 लि0	ग	तिरूवंतपुरम	23
43	यूनाइटेड विलेज नेटवर्क्स प्रा0 लि0	ग	भुवनेश्वर	21
44	सेंटर फार डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कम्प्युटिंग, सी-डीएसी	ग	गाज़ियाबाद एसएसए	13
45	मेपल पीसी एंड पेरिफिरल्स प्रा0 लि0	ग	जमशेदपुर एसएसए	9
46	फास्ट लाइनेक्स इंटरनेट सर्विस प्रा0 लि0	ग	लुधियाना	8
47	माई ओन इंफोटेक प्रा0 लि0	ग	सूरत एसएसए	5
48	एबीटी लि0	ग	कोयंबटूर एसएसए	3
49	कम्प्यूकॉम (आई) प्रा0 लि0	ग	जयपुर	2
50	स्पेक्ट्रम सॉफ्टटेक सोल्यूशंस प्रा0 लि0	ग	एरनाकुलम एसएसए	0
	कुल (3)			**18855**

		Js.kh x		
Ø1-	lsok inkrk dk uke	Js.kh	ipkyu dk Hkkxksfyd {k=	ekp] 09
1	सब इंडट्रीज़ लि0	ख, ग	पंजाब, करनाल, अंबाला, हिसार	463
2	डेलडीएसएल इंटरनेट प्रा0 लि0	ख, ग	दिल्ली, एवं गुड़गांव	284
3	विर्तेला इंडिया प्रा0 लि0	ख, ग	मुंबई, बंगलोर, गुडगांव	12
4	पल्स टेलीसिस्टम प्रा0 लि0	ख, ग	चेन्नई एवं पांडेचेरी	9
	कुल (4)			**768**
	कुल योग (1 + 2 + 3 + 4)			**13536069**

सारणी 1.13

31 मार्च 2009 तक इंटरनेट टेलीफोनी सेवा प्रदान करने वाले सेवा प्रदाताओं की सूची

क्र.सं.	आईएसपी का नाम
1	अपना टेलीलिंक लि0
2	एशियानेट सेटेलाइट कम्यूनिकेशंस लि0
3	ब्लेजनेट लि0
4	ब्राडबैंड पेसनेट (इंडिया) प्रा0 लि0
5	सिटी ऑनलाइन सर्विसेज लि0
6	सीजे ऑनलाइन प्रा0 लि0
7	डाटा इन्फोसिस लि0
8	डेल डीएसएल इंटरनेट प्रा0 लि0
9	डिजिटल टु वर्चुअल आईएसपी प्रा0 लि0
10	डिशनेट वायरलेस लि0
11	करूतुरी टेलीकॉम प्रा0 लि0
12	महानगर टेलीफोन निगम लि0
13	मणिपाल ई-कॉमर्स लि0
14	माई ओन इंफोटेक प्रा0 लि0
15	माइलाइ करपागमबल इंर्फोमेशन सिस्टम्स (प्रा0) लि0
16	नेटमैजिक सोल्युशन्स (प्रा0) लि0
17	नेटलिक्स लि0
18	ओप्टो नेटवर्क प्रा0 लि0
19	नर्मदा साइबरजोन प्रा0 लि0
20	पल्स टेलीसिस्टम्स प्रा0 लि0
21	सिफी लि0
22	साउदर्न ऑनलाइन बायोटेक्नोलॉजिज लि0
23	स्विफ्ट मेल कम्युनिकेशंस लि0
24	स्वास्तिक नेटविजन टेलीकॉम प्रा0 लि0
25	ट्रैक ऑनलाइन नेट इंडिया प्रा0 लि0
26	त्रिकोन इलेक्ट्रानिक्स प्रा0 लि0
27	टाटा कम्युनिकेशंस लि0
28	टाटा कम्युनिकेशंस इंटरनेट सर्विसेज प्रा0 लि0
29	यू टेलीकॉम इंडिया सर्विसेज प्रा0 लि0
30	वर्ड फोन इंटरनेट सर्विसेज प्रा0 लि0
31	कॉर्डिया एलटी कम्युनिकेशंस प्रा0 लि0
32	आईओएल नेटकॉम लि0
33	टाटा टेलीसर्विसेज (महाराष्ट्र) लि0
34	आईकेएफ टेक्नोलॉजीज़ लि0

भाग-दो

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कार्यकरण और परिचालन की समीक्षा

श्री आर.एन. प्रभाकर, सदस्य, ट्राई मुबंई में आयोजित वैस इंडिया 2009 अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में संबोधन देते हुए

श्री आर.के. आर्नल्ड, सचिव, ट्राई पीटीसीआईएफ के 15 वें वार्षिक सम्मेलन 'जनता के लिए ब्रॉडबैंड की एक्सेस में तेजी लाना' के एक सत्र को संबोधित करते हुए

2.
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कार्यकरण और परिचालन की समीक्षा

प्रतिवेदन के भाग-एक में, प्रसारण तथा केबल सेवाओं सहित दूरसंचार सेक्टर में विद्यमान सामान्य परिवेश का विहंगम दृश्य प्रस्तुत किया गया है और 2008-2009 के दौरान सरकार की नीतियों तथा कार्यक्रमों का उल्लेख किया गया है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) के कार्यो में मुख्य रूप से इस बात पर बल दिया गया है कि वह नई दूरसंचार नीति, 1999 (एनटीपी,99) के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऐसे वातावरण का निर्माण करे जिसमें दूरसंचार क्षेत्र में दक्षतापूर्ण प्रतिस्पर्धा तथा विकास संभव हो सके और साथ ही बेहतर गुणवत्ता वाली सेवाएं वहनीय कीमतों पर उपलब्ध हों। भादूविप्रा अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अधिदेश के अनुसार, भादूविप्रा ने दूरसंचार, प्रसारण तथा केबल सेवाओं के विकास में अभिप्रेरक योगदान किया है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का यह सतत् प्रयास रहा है कि एक ऐसा माहौल सुनिश्चित किया जाए जो स्पष्ट तथा पारदर्शी हो, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता हो, जिसमें सभी सेवा प्रदाताओं को समान अवसर और समान परिस्थितियां मिलें, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हो तथा सभी को प्रौद्योगिकीय लाभ् प्राप्त हो।

2. भारत सरकार ने 9 जनवरी, 2004 को एक अधिसूचना जारी की जिसके द्वारा प्रसारण तथा केबल सेवाओं को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2000 द्वारा यथासंशोधित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के धारा 2 (ट) के अनुसार दूरसंचार सेवाओं की परिधि में लाया गया है। इस अधिसूचना से प्रसारण तथा केबल सेवाओं का 'कैरिएज' भाग भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में आ गया है।

3. भादूविप्रा अधिनियम, 1997 के तहत भादूविप्रा को, अन्य बातों के साथ-साथ, लाइसेंस के निबंधन और शर्तों का पालन सुनिश्चित करने, सेवा प्रदाताओं द्वारा मुहैया की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता के मानक निर्धारित करने तथा सेवा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने, टैरिफ संबंधी नीति विनिर्दिष्ट करने, नए सेवा प्रदाताओं के प्रवेश संबंधी शर्तो और साथ ही सेवा प्रदाताओं के लाइसेंस के निबंधन और शर्तों की सिफारिश करने का अधिदेश दिया गया है। भादूविप्रा के कार्यक्षेत्र में, टैरिफ नीति की मानीटरिंग, अंतरसंयोजन के वाणिज्यिक और तकनीकी पहलुओं,

कॉल रूटिंग और काल हैंडओवर के सिद्धांतों, अलग-अलग सेवा प्रदाताओं तक जनता के लिए खुला विकल्प और अभिगम की समान सुविधा, विभिन्न दूरसंचार सेवाओं के लिए विविध प्रकार के नेटवर्क ढांचों और बाजार में हुए परिवर्तनों के कारण उत्पन्न विवादों का समाधान, विद्यमान नेटवर्क और प्रणालियों के उन्नयन की जरूरत, सेवा प्रदाताओं के बीच विचारों के आदान-प्रदान और उपभोक्ता संगठनों के साथ प्राधिकरण के संपर्क के लिए मंच की स्थापना करने से जुड़े मामलों पर विचार करना और निर्णय देना भी शामिल है। सरकार ने भादूविप्रा अधिनियम की धारा 11 (घ) के अंतर्गत 9 जनवरी, 2004 को एक आदेश जारी किया जिसमें भादूविप्रा को उन शर्तों के बारे में सिफारिश करने का अधिदेश दिया गया जिनके अनुसार ग्राहकों के लिए 'एड्रेसेबल प्रणालियां' मुहैया कराई जाएंगी और पे-चैनल तथा अन्य चैनलों में विज्ञापनों के लिए अधिकतम समय विनियमित करने के लिए पैरामीटर तय किए जाएंगे। यह आदेश, भादूविप्रा को अंतरिम उपायों सहित पे-चैनलों की दरों में संशोधन की अवधि तथा उसके मानदण्ड निर्धारित करने का अधिकार भी प्रदान करता है।

4. अपनी नीतियों और सिफारिशों को प्रतिपादित करने के लिए भादूविप्रा सेवा प्रदाताओं, उनके संगठनों, उपभोक्ता समर्थन ग्रुपों/उपभोक्ता संगठनों और इस क्षेत्र के अन्य विशेषज्ञों जैसे विभिन्न पणधारकों के साथ आपस में तालमेल बिठाता है। प्राधिकरण ने एक ऐसी प्रक्रिया विकसित की है जिसमें भादूविप्रा द्वारा प्रतिपादित की जाने वाली नीति में सभी पणधारकों तथा आम जनता को उनसे राय मांगे जाने पर उनके द्वारा राय दिए जाने के माध्यम से भाग लेने का अवसर दिया जाता है। इस प्रक्रिया में नीतिगत मुद्दों पर भिन्न-भिन्न प्रकार के विचार और स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए देश के विभिन्न भागों में ओपन हाउस बैठकें करना, ई-मेल पर तथा पत्रों के जरिए लिखित में टिप्पणियां आमंत्रित करना और स्टेकहोल्डरों तथा विशेषज्ञों के साथ पारस्परिक विचार-विमर्श हेतु संपर्क-सत्र आयोजित करना शामिल है। भादूविप्रा द्वारा जारी विनियमों/राजपत्र आदेशों के साथ व्याख्यात्मक ज्ञापन भी दिया जाता है जिसमें वे कारण स्पष्ट किये जाते हैं जिनके आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। भादूविप्रा द्वारा अपनाई गई सहभागितापूर्ण और व्याख्यात्मक प्रक्रिया की व्यापक सराहना हुई है।

5. दूरसंचार तथा प्रसारण सेक्टर के उपभोक्ता संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों के विचार जानने के लिए भादूविप्रा उनके साथ भी पारस्परिक विचार-विनिमय करता है। यह दूरसंचार सेक्टर के कार्यों से जुड़े उपभोक्ता संगठनों/गैर सरकारी संगठनों के पंजीकरण और नियमित अन्तरालों पर उनके साथ पारस्परिक विचार-विमर्श करने की प्रणाली भी अपनाता है। भादूविप्रा ने 31 मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार सारे देश से 41 (इकतालीस) उपभोक्ता संगठनों का अपने पास पंजीकरण किया है, और उसकी हमेशा कोशिश रहती है कि इनको सुदृढ़ और सक्रिय बनाने के प्रयास किए जाते रहें। भादूविप्रा विभिन्न तकनीकी मुद्दों पर अन्तरराष्ट्रीय विशेषज्ञों के सहयोग से सेमिनारों और कार्यशालाओं का आयोजन भी करता है और स्टेकहोल्डरों, उपशेक्ता संगठनों तथा अन्य अनुसंधान संस्थानों को इन सेमिनारों में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता है।

6. वर्ष 2008-09 के दौरान, भादूविप्रा ने निम्न टैरिफ आदेश अधिसूचित किए:-

- ❖ दूरसंचार टैरिफ (अड़तालीसवां संशोधन) आदेश, 2008 (2008 का 3) दिनांक 1 सितम्बर, 2008
- ❖ दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (दूसरा) टैरिफ (नौवां संशोधन) आदेश, 2008 (2008 का 4) दिनांक 26 दिसम्बर, 2008

- दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (तीसरा) (कैस क्षेत्र) टैरिफ (तीसरा संशोधन) आदेश, 2008 (2008 का 5) दिनांक 26 दिसम्बर, 2008

7. वर्ष 2008-09 के दौरान भादूविप्रा द्वारा सरकार को निम्नलिखित सिफारिशें की गईं:-

- फिक्सड लाइन टेलीफोनों के लिए एकीकृत टेलीफोन डायरेक्टरी के प्रकाशन हेतु निबंधन और शर्तों पर सिफारिशें दिनांक 24 अप्रैल, 2008
- 3जी स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए नई एंटाइटी को अनुमति देने पर सिफारिशें दिनांक 25 अप्रैल, 2008
- प्रसारण क्षेत्र के लिए विदेशी निवेश सीमाओं पर सिफारिशें दिनांक 26 अप्रैल, 2008
- फिक्सड और मोबाइल टेलीफोनों के लिए राष्ट्रीय एकीकृत डायरेक्ट्री पूछताछ सेवा (एनआईडीक्यूएस) हेतु निबंधन और शर्तों पर सिफारिशें दिनांक 19 जून, 2008
- 2.3-2.4 जीएचजैड, 2.5-2.69 जीएचजैड तथा 3.3.-3.6 जीएचजैड के लिए आवंटन और मूल्य निर्धारण पर सिफारिशें दिनांक 11 जुलाई, 2008
- 3जी सेवाओं के लिए रिजर्व मूल्य तथा बोली प्रक्रिया पर दूरसंचार विभाग द्वारा प्रस्तावित संशोधनों पर सिफारिशें दिनांक 12 जुलाई, 2008
- स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभारों तथा एकबारीय स्पेक्ट्रम संवधर्न प्रभारों पर दूरसंचार विभाग द्वारा प्रस्तावित संशोधनों पर सिफारिश दिनांक 16 जुलाई, 2008
- केबल टीवी सेवाओं के पुनर्गठन पर सिफारिशें दिनांक 25 जुलाई, 2008
- मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क प्रचालक (एमवीएनओ) पर सिफारिशें दिनांक 6 अगस्त, 2008
- इंटरनेट टेलीफोनी से संबंधित मामलों पर सिफारिशें दिनांक 18 अगस्त, 2008
- टेलीविजन दर्शक मापन/टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट्स (टीआरपी) के लिए नीतिगत दिशा-निर्देशों तथा प्रचालनात्मक मुद्दो पर सिफारिशें दिनांक 19 अगस्त, 2008
- लंबी दूरी के प्रचालकों द्वारा कॉलिंग कार्डों के प्रावधान पर सिफारिशें दिनांक 20 अगस्त, 2008
- प्रसारण और वितरण कार्यकलापों में कतिपय इंटाइटीज के प्रवेश से संबंधित मुद्दे पर सिफारिशें दिनांक 12 नवम्बर, 2008
- प्राइवेट एफएम रेडियो प्रसारण के तीसरे चरण पर सिफारिशें - सरकार द्वारा की गई गई टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया दिनांक 28 नवम्बर, 2008
- 3जी सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभारों पर दूरसंचार विभाग द्वारा प्रस्तावित संशोधनों पर सिफारिशें दिनांक 9 दिसम्बर, 2008
- मूल्यवर्धित सेवाओं के विकास तथा विनियामक मुद्दों पर सिफारिशें दिनांक 13 फरवरी, 2009
- मीडिया स्वामित्व पर सिफारशें दिनांक 25 फरवरी, 2009

- प्रोत्साहकों की इक्विटी के लिए लॉक-इन अवधि तथा एकीकृत एक्सेस सेवा लाइसेंसियों (यूएएसएल) के लिए अन्य संबंधित मुद्दों पर सिफारिशें दिनांक 12 मार्च, 2000
- ग्रामीण टेलीफोन पर दृष्टिकोण-परिवर्धित वृद्धि के लिए सुझाए गए उपायों पर सिफारिशें दिनांक 19 मार्च, 2009

8. भादूविप्रा ने अपने आदेशों/विनियमों के अनुपालन के लिए वर्ष 2008-09 के दौरान सेवा प्रदाताओं को निम्नलिखित निदेश भी जारी किए:

- प्राधिकरण द्वारा यथाविनिर्धारित अधिकतम अलाकार्टे दरों को नियत करने के लिए दिनांक 5 जून, 2008 का निदेश
- इंटलीजेंट नेटवर्क आधारित निःशुल्क फोन सेवा के लिए करार करने संबंधी 12 जून, 2008 का निदेश
- डायरेक्ट-टु-होम प्लेटफार्मों के लिए संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव में आशोधन के बारे में दिनांक 18 जून, 2008 और 24 जून, 2008 का निदेश
- आवंटित कोडों को खोलने के लिए सेवा प्रदाताओं को दिनांक 14 अगस्त 2008, का निदेश
- अपने संबंधित नेटवर्कों में कैरियर चयन के कार्यान्वयन के बारे में एक्सेस प्रदाताओं (बुनियादी सेवा प्रचालक/ सेल्युलर मोबाइल सेवा प्रदाता/ एकीकृत एक्सेस सेवा प्रदाता) तथा राष्ट्रीय लंबी दूरी के प्रचालकों और अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी के प्रचालकों के लिए दिनांक 20 अगस्त, 2008 का निदेश
- इसके चैनलों के लिए अलाकार्टे तथा बुके दरों को परिवर्धित करने के लिए दिनांक 28 अगस्त, 2008 का निदेश
- कैस क्षेत्रों तथा गैर-कैस क्षेत्रों के लिए वाणिज्यिक टैरिफ की रिपोर्टिंग के लिए प्रसारकों को दिनांक 28 अगस्त, 2008 का निदेश
- टैरिफ आदेशों में पारदर्शिता के बारे में सभी एक्सेस सेवा प्रदाताओं को दिनांक 1 सितम्बर, 2008 का निदेश
- अवांछनीय वाणिज्यिक संप्रेषणों के बारे में दिनांक 21 अक्तूबर, 2008 का निदेश
- दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी) तथा सेवा क्षेत्र कोडों को शामिल करने के बारे में दिनांक 10 दिसम्बर, 2008 का निदेश

9. वर्ष 2008-09 के दौरान भादूविप्रा ने निम्नलिखित विनियम जारी किए:-

- दूरसंचार अवांछनीय वाणिज्यिक संप्रेषण (दूसरा संशोधन) विनियम, 2008 (2008 का 3) दिनांक 21 अक्तूबर, 2008
- भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) (सातवां संशोधन) विनियम, 2008 (2008 का संख्यांक 4) दिनांक 31 दिसम्बर 2008/09 जनवरी, 2009
- सेवा गुणवत्ता के मानक (प्रसारण और केबल सेवाएं) (केबल टेलीविजन-गैर कैस क्षेत्र) विनियम, 2009 (2009 का 1) दिनांक 24 फरवरी, 2009

- दूरसंचार अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार (दसवां संशोधन) विनियम, 2009 (2009 का 2) दिनांक 9 मार्च, 2009
- डायरेक्ट-टु-होम प्रसारण सेवाएं (सेवा गुणवत्ता के मानक और शिकायत निराकरण) (संशोधन) विनियम, 2009 (2009 का 3) दिनांक 12 मार्च, 2009
- दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतरसंयोजन (पांचवां संशोधन) विनियम, 2009 (2009 का 4) दिनांक 17 मार्च, 2009
- अंतरसंयोजन करार का रजिस्टर (प्रसारण और केबल सेवाएं) (चौथा संशोधन) विनियम, 2009 (2009 का 5) दिनांक 18 मार्च, 2009
- भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति) (आठवां संशोधन) विनियम, 2009 (2009 का 6) दिनांक 20 मार्च, 2009
- बुनियादी टेलीफोन सेवा (वायरलाइन) तथा सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा की सेवा गुणवत्ता के मानक विनियम, 2009 (2009 का 7) दिनांक 20 मार्च, 2009

10. वर्ष 2008-09 के दौरान भादूविप्रा द्वारा जारी किए गए परामर्श-पत्र निम्नानुसार है:-

- 2.3-2.4 जीएचजी, 2.5-2.69 जीएचजी तथा 3.3-3.6 जीएचजी बैंडों के लिए आवंटन तथा मूल्य-निर्धारण पर परामर्श-पत्र दिनांक 2 मई, 2008
- मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क प्रचालक (एमवीएनओ) पर परामर्श-पत्र दिनांक 05 मई, 2008
- कैरियर चयन पर परामर्श-पत्र दिनांक 07 मार्च, 2008
- इंटरनेट टेलीफोनी से संबंधित मुद्दों पर परामर्श-पत्र दिनांक 12 मई, 2008
- मूल्यवर्धित सेवाओं विकास तथा विनियामक मुद्दों पर परामर्श-पत्र दिनांक 28 मई, 2008
- जनवरी, 2008 में आरंभ हुई परामर्श-प्रक्रिया के अनुक्रम में दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 पर संक्षिप्त परामर्श-पत्र दिनांक 23 जुलाई, 2008
- मीडिया स्वामित्व पर परामर्श-पत्र दिनांक 23 सितम्बर, 2008
- गैर-कैस क्षेत्रों में केबल टीवी सेवाओं तथा डीटीएच सेवाओं की सेवा गुणवत्ता से संबंधित मुद्दों पर परामर्श-पत्र दिनांक 1 दिसम्बर, 2008
- प्रसारण और केबल सेवाओं से संबंधित अंतरसंयोजन मुद्दों पर परामर्श-पत्र दिनांक 15 दिसम्बर, 2008
- बुनियादी सेवा (वायरलाइन) तथा सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा के सेवा गुणवत्ता निष्पादन मापदण्डों की समीक्षा पर परामर्श-पत्र दिनांक 18 दिसम्बर, 2008

- अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार (आईयूसी) की समीक्षा पर परामर्श-पत्र दिनांक 31 दिसम्बर, 2008
- प्रोत्साहक की इक्विटी के लिए लॉक-इन अवधि तथा एकीकृत एक्सेस सेवा लाइसेंसियों (यूएएसएल) के लिए अन्य संबंधित मुद्दों पर परामर्श-पत्र दिनांक 9 जनवरी, 2008
- बेहतर कनेक्टिविटी के लिए आईएसपी हेतु अपेक्षित बैंडविथ तथा परिवर्धित सेवा गुणवत्ता पर परामर्श-पत्र दिनांक 15 जनवरी, 2009
- भावी पीढ़ी नेटवर्क से संबंधित लाइसेंसिंग मुद्दों पर परामर्श-पत्र दिनांक 27 जनवरी, 2009
- टैरिफ विनियमों से संबंधित डीटीएच मुद्दों तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संदर्भाधीन नए मुद्दों पर परामर्श-पत्र दिनांक 6 मार्च, 2009

11. अपनी सिफारिशें प्रदान करने, विनयम या टैरिफ आदेश तैयार करने अथवा निदेश जारी करने की प्रक्रिया में, वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान प्राधिकरण ने देश के विभिन्न भागों में कुल 15 (पंद्रह) ओपन हाउस चर्चाएं आयोजित कीं, जिनमें सेवा प्रदाताओं के प्रतिनिधियों, उनके संघों, दूरसंचार क्षेत्र में एनजीओ/उपभोक्ता संगठनों, दूरसंचार के विशेषज्ञों तथा उपभोक्ताओं ने भाग लिया। प्राधिकरण ने 4 (चार) क्षेत्रीय कार्यशालाएं आयोजित कीं जिनमें से एक-एक कार्यशाला देहरादून (9 मई, 2008); मदुरै (8 अगस्त, 2008); अगरतला (12 सितम्बर, 2008); और गोवा (28 अक्तूबर 2008) में आयोजित हुईं, जिनका उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए सरकार तथा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा की गई पहलों के बारे में उपभोक्ता संगठनों के मध्य जागरूकता का सृजन करना था। वर्ष के दौरान 1 (एक) नया संगठन भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के पास पंजीकृत हुआ। नए पंजीकृत हुए संगठनों के लिए 22 अक्तूबर से 24 अक्तूबर, 2008 तक एक तीन-दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

2.1 ग्रामीण टेलीफोन नेटवर्क

12. यह देखा गया है कि पिछले दस वर्षों के दौरान कई उपाय किए जाने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार की बुनियादी संरचना आशयित स्तर की तुलना में पिछड़ी हुई है। नई वायरलैस प्रौद्योगिकियों के उद्भव से देश में टेलीघनत्व में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है, परन्तु शहरी तथा ग्रामीण टेलीघनत्व के बीच अन्तर बढ़ रहा है। इसे **चित्र 2.1** में स्पष्ट किया गया है।

ग्रामीण सब्सक्राइबर

13. 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार, वायरलैस ग्रामीण (मोबाइल और डब्ल्यूएलएल (एफ)) बाजार पिछले वर्ष में इसी अवधि में 62.28 मिलियन की तुलना में 111.63 मिलियन पहुंच गया। सेवा प्रदाताओं की रिपोर्ट यह दर्शाती है कि कुल वायरलैस सब्सक्राइबरों में से 28.50 प्रतिशत से अधिक सब्सक्राइबरों की संख्या 2008-09 से धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है। वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान प्रत्येक तिमाही के दौरान ग्रामीण सब्सक्राइबर आधार अगल पृष्ठ पर **तालिका 2.1** में दर्शाया गया है।

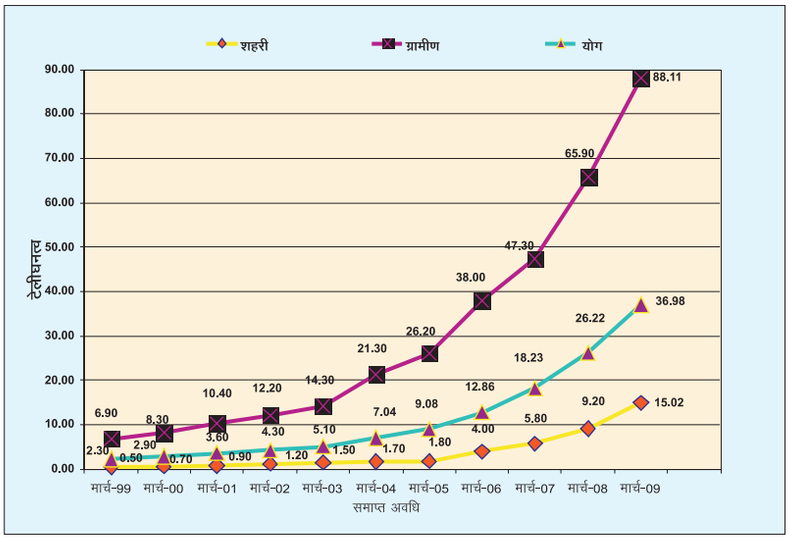

चित्र-2.1 ग्रामीण और शहरी टेलीघनत्व

14. प्रचालकवार ग्रामीण सब्सक्राइबर तथा बाजार हिस्सा **तालिका 2.2** में अगले पृष्ठ पर दर्शाया गया है।

15. अपनी विभिन्न सिफारिशों के माध्यम से, भादूविप्रा ने ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं की पहुंच में सुधार करने के लिए उपाय सुझाए हैं। भादूविप्रा ने लाइसेंस के निबंधन और शर्तों की समीक्षा तथा एक्सेस प्रदाताओं की संख्या पर सीमाएं लगाए जाने पर दी गई दिनांक 29 अगस्त, 2007 की सिफारिशों में ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना के विस्तार के लिए वित्तीय प्रोत्साहनों की सिफारिश की थी (विकास खंडों के 75 प्रतिशत पर यूएसओएफ के अंशदान में 2 प्रतिशत की कटौती)।

16. ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से भादूविप्रा ने 16 दिसम्बर, 2008 को "ग्रामीण भारत में दूरसंचार पहुंच में सुधार लाने के उपाय - आगामी 100 मिलियन सब्सक्राइबर" पर एक पत्र जारी किया। पत्र में चर्चा किए गए विभिन्न मुद्दों पर पणधारकों से 12 जनवरी, 2009 तक टिप्पणियां आमंत्रित की गई थीं। प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर तथा अपने स्वयं के विश्लेषण के अनुसार प्राधिकरण ने 19 मार्च, 2009 को 'ग्रामीण टेलीफोनी पर दृष्टिकोण - संवर्धित वृद्धि के लिए सुझाए गए उपाय' पर अपनी सिफारिशें जारी कीं। इन सिफारिशों के माध्यम से भादूविप्रा ने ग्रामीण क्षेत्र में पहुंच को बढ़ाने की राह में आने वाली विभिन्न बाधाओं पर नियंत्रण पाने के लिए ठोस उपाय की अनुशंसा की है।

तालिका 2.1 वायरलैस ग्रामीण सब्सक्राइबर आधार (मिलियन में)

समाप्त तिमाही	सब्सक्राइबर आधार	तिमाही के दौरान वृद्धि	प्रतिशत वृद्धि
जून 2008	70.83	8.55	13.72 %
सितम्बर 2008	79.61	8.78	12.39 %
दिसम्बर 2008	93.15	13.54	17.00 %
मार्च 2009	111.63	18.48	19.83 %

तालिका 2.2 वायरलैस प्रचालकों का सब्सक्राइबर आधार

क्रमांक	वायरलैस ग्रुप	मार्च, 09 की स्थिति के अनुसार सब्सक्राइबर (मिलियन में)	ग्रामीण सब्सक्राइबर (मिलियन में)	ग्रामीण सब्सक्राइबरों का प्रतिशत	ग्रामीण सब्सक्राइबरों का बाजार शेयर
1	भारती	93.92	29.53	31.44	26.46
2	रिलायंस	72.67	15.13	20.82	13.55
3	वोडाफोन	68.77	22.33	32.48	20.00
4	बीएसएनएल	52.14	19.09	36.61	17.10
5	आइडिया	38.89	15.83	40.70	14.18
6	टाटा	35.12	2.66	7.58	2.38
7	एयरसैल	18.48	5.63	30.49	5.05
8	एमटीएनएल	4.48	0.00	0.00	0.00
9	स्पाइस	4.13	1.41	34.23	1.27
10	बीपीएल	2.16	0.00	0.00	0.00
11	एचएफसीएल	0.60	0.004	0.63	0.00
12	श्याम	0.39	0.001	0.38	0.00
	योग	**391.76**	**111.63**	**28.50**	**100.00**

17. दूरसंचार विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार ऐसे निर्दिष्ट ग्रामीण और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में, जहां पर विद्यमान में कोई भी फिक्सड अथवा मोबाइल कवरेज नहीं है, मोबाइल सेवाओं के प्रावधान के लिए 27 राज्यों में फैले 500 जिलों में 7871 (जिसे बाद में संशोधित कर 7440 कर दिया गया) अवसंरचना स्थलों (टावरों) की स्थापना के लिए आर्थिक-सहायता उपलब्ध कराने के लिए यूएसओ निधि से एक स्कीम आरंभ की गई थी। इस प्रकार सृजित की गई अवसंरचना को मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए तीन सेवा प्रदाताओं द्वारा बांटा जाएगा। 1 जून, 2007 से प्रभावी करारों को मई, 2007 में सफल बोलीदाताओं के साथ हस्ताक्षरित कर लिया गया है। इन टावरों से मोबाइल सेवाएं एक चरणबद्ध तरीके से वर्ष 2008 की समाप्ति तक आरंभ किए जाने की संभावना है।

18. यह भी प्रस्तावित किया गया है कि देश के अन्य कवर न किए गए क्षेत्रों को भी मोबाइल सेवाओं से कवर किया जाए, जिसके लिए अतिरिक्त टावरों की पहचान की जा रही है। स्कीम के दूसरे चरण के अंतर्गत लगभग 11000 टावर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है, जिसे कि शीघ्र ही आरंभ किया जाएगा।

2.2 दूरसंचार नेटवर्क का विस्तार

19. एक विनियामक के रूप में भादूविप्रा उपभोक्ताओं के कल्याण में यथासंभव वृद्धि करने, दूरसंचार क्षेत्र के पर्याप्त विकास तथा दूरसंचार कंपनियों की वित्तीय व्यवहार्यता के प्रति चिंतित है। वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान भारत में दूरसंचार क्षेत्र के कुल सब्सक्राइबर आधार (वायरलैस एवं वायरलाइन दोनों) 400 मिलियन के आंकड़े को पार कर गया, तथा यह 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार 429.72 मिलियन सब्सक्राइबर था। मार्च, 2008 की समाप्ति पर 261.17 मिलियन के सब्सक्राइबर आधार की तुलना में, वित्त वर्ष 2008-09 की समाप्ति पर वायरलैस सब्सक्राइबर ने 391 मिलियन सब्सक्राइबर आंकडा पार कर लिया। इसमें वित्त

वर्ष 2008-09 में लगभग 130.69 मिलियन सब्सक्राइबरों की वृद्धि हुई तथा लगभग 50.06 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि विकास दर दर्ज की गई। 31 मार्च, 2009 को कुल 391.76 मिलियन कुल वायरलैस सब्सक्राइबरों में से 280.13 मिलियन वायरलैस सब्सक्राइबर शहरी सब्सक्राइबर थे तथा 111.63 मिलियन ग्रामीण सब्सक्राइबर थे। 31 मार्च, 2008 को 39.42 मिलियन सब्सक्राइबरों की तुलना में 31 मार्च, 2009 को वायरलाइन सब्सक्राइबरों की संख्या 37.96 थी, जिसमें वर्ष 2008-09 के दौरान 1.46 मिलियन सब्सक्राइबरों की कमी दर्ज की गई। 37.96 मिलियन वायरलाइन सब्सक्राइबरों में से, 27.38 मिलियन शहरी वायरलाइन सब्सक्राइबर हैं तथा 10.58 मिलियन ग्रामीण सब्सक्राइबर हैं। 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार देश में इंटरनेट सब्सक्राइबर आधार पिछले वर्ष के 11.09 मिलियन की तुलना में 13.54 मिलियन था, जिसमें लगभग 22.09 प्रतिशत की वार्षिक विकास दर दर्ज की गई। मार्च, 2008 की समाप्ति पर 3.87 मिलियन की तुलना में कुल ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर आधार मार्च, 2009 की समाप्ति पर 6.22 मिलियन तक पहुंच गया है, और इस प्रकार इसमें वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान 2.35 मिलियन ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर की निवल वृद्धि दर्ज की गई।

2.3 बुनियादी तथा मूल्यवर्धित सेवाओं में निजी सेक्टर का प्रवेश

20. भादूविप्रा ने अनेक दूरसंचार क्षेत्रों जैसे कि बुनियादी सेवाओं, सेल्युलर मोबाइल सेवाओं, राष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवा, अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवा, वी-सैट, पीएमआरटीएस और जीएमपीसीएस, में नए प्रचालकों के प्रवेश के संबंध में सिफारिशें दी हैं। विशेष ध्यान इस बात पर रखा गया है कि विभिन्न सेवा प्रदाताओं का प्रवेश और परिचालन सुविधाजनक हो और, साथ ही उनकी सेवाओं के कार्यक्षेत्र का विस्तार भी होता रहे। 31 मार्च 2009 के अन्त तक, बुनियादी सेवा सेक्टर में बीएसएनएल तथा एमटीएनएल के अलावा, विभिन्न दूरसंचार सर्किलों में, लाइसेंसशुदा निजी प्रचालकों की संख्या पांच थी। ये सभी पांच निजी प्रचालक अब एकीकृत एक्सेस सेवा प्रणाली में अंतरित हो गए हैं। वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान, 02 नए एकीकृत एक्सेस सेवा लाइसेंस दिए गए हैं, और इस प्रकार वर्ष की समाप्ति पर वायरलैस सेवाएं प्रदान करने वाले लाइसेंसधारकों की संख्या कुल 279 तक पहुंच गई है।

21. भादूविप्रा ने मूल्यवर्धित सेवाओं के विकास तथा विनियामक मुद्दे पर सरकार को अपनी ओर से सिफारिशें 13 फरवरी, 2009 को अग्रेषित कीं। दूरसंचार एक्सेस सेवा प्रदाताओं तथा कंटेंट प्रदाताओं/कंटेंट एग्रेगेटरों के विकास तथा उनको राजस्व मुहैया कराने के लिए भारत में मूल्यवर्धित सेवाओं (वीएएस) में भारी संभावनाएं विद्यमान हैं। वर्ष 2009-10 तक इन विकास संभावनाओं से 250 बिलियन रू0 से अधिक प्राप्त होने तथा आगामी 5-7 वर्षों में दूरसंचार एक्सेस सेवा प्रदाताओं के कुल राजस्व का 30 प्रतिशत होने का अनुमान है। इस मुद्दे के सभी संबंधित पहलुओं को उजागर करने के लिए प्राधिकरण ने 28 मई, 2008 को मूल्यवर्धित सेवाओं के विकास तथा विनियामक मुद्दों पर एक परामर्श-पत्र जारी किया। प्राधिकरण ने इसके साथ-साथ इस विषय पर नई दिल्ली में 11.07.2008 को एक ओपन हाउस चर्चा भी आयोजित की। इससे आशा की जाती है कि ये सिफारिशें मूल्यवर्धित सेवाओं के व्यवस्थित विकास का मार्ग प्रशस्त करेंगी तथा उपभोक्ता भी प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर मिलने वाली नई एवं अभिनव सेवाओं/मूल्यवर्धित सेवाओं के लाभान्वित होंगे। सिफारिशों के विवरणों पर इस संकलन के **भाग-तीन** में विस्तारपूर्वक चर्चा की गई है।

2.4 सेवा प्रदाताओं के बीच तकनीकी सुसंगतता तथा प्रभावी अंतरसंयोजन

22. भादूविप्रा के लिए अंतरसंयोजन एक सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण मुद्दा रहा है तथा उपलब्ध सभी संभव विनियामक साधनों का उपयोग करके इनमें से अनेक मुद्दों का सक्रियतापूर्वक समाधान किया गया है। भादूविप्रा ने अंतरसंयोजन को सुसाध्य बनाने के लिए अनेक निदेश, निर्णय और विनियम जारी किए हैं।

23. भादूविप्रा ने 24 जनवरी 2003 को, अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार (आईयूसी) विनियम जारी किया। इस विनियम ने, अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार (IUC) व्यवस्था के लिए एक फ्रेमवर्क उपलब्ध कराया है। इस विनियम के अनुसार, 'आईयूसी' का निर्धारण विभिन्न विसमूहित नेटवर्क घटकों के उपयोग-मिनटों और इन घटकों की लागत के आधार पर किया जाना है। कॉल के प्रारंभ (ओरिजिनेशन), संप्रेषण (ट्रंजिट/कैरिएज) और समापन (टर्मिनेशन) के निमित्त, 'आईयूसी' घटक आधारित प्रभारों के सिद्धांतों पर निश्चित किया जाता है। दूसरे शब्दों में, एक प्रचालक दूसरे प्रचालक से, उसकी कॉलों के वहन या कैरिएज के लिए प्रयुक्त संसाधनों के उपयोग-मिनटों के हिसाब से प्रभार लेता है। आईयूसी प्रणाली से एक अभिगम घाटा प्रभार (एडीसी) तंत्र भी बना है जिससे उन नुकसानों की भरपाई होती है, जो फिक्स्ड लाइन के किराये लागत से कम होने, मुफ्त कॉलों की व्यवस्था करने, तथा फिक्स्ड लाइन देने वाले बीएसओ द्वारा कुछ लोकल कॉल, लागत से कम पर देने से होती हैं। मुख्य रूप से एडीसी प्रभारों को धीरे-धीरे कम करने के लिए तथा एडीसी प्रणाली को लाभार्थियों की समीक्षा करने के लिए आईयूसी प्रणाली की समय-समय पर समीक्षा की गई है। वर्ष 2006 में, 23 फरवरी, 2006 को जारी आईयूसी विनियमों ने पूर्व के मिनट आधारित प्रभारों से राजस्व साझेदारी अवधारणा तक एडीसी प्रणाली के स्थानांतरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। एडीसी की वार्षिक समीक्षा की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप दूरसंचार अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार (नौवां संशोधन) विनियम, 2008 जारी किया गया तथा उसके साथ-साथ यूएसओएफ के माध्यम से बीएसएनएल के ग्रामीण वायरलाइन नेटवर्क को सहायता जारी रखने के लिए दूरसंचार विभाग को सिफारिशों का सेट भी जारी किया गया। संशोधनकारी विनियम तथा सिफारिशों के जारी किए जाने के साथ ही अक्तूबर, 2008 से एडीसी को समाप्त किए जाने की प्रक्रिया की समाप्ति हुई।

वर्ष के दौरान की गई पहलें

24. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने 'दूरसंचार अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार (दसवां संशोधन) विनियम' दिनांक 9 मार्च, 2009 जारी किया। दिनांक 31 दिसम्बर, 2008 को एक विस्तृत परामर्श-पत्र जारी किया गया था। परामर्श के मुख्य मुद्दे थे समीक्षा किए जाने वाले अवयव, मोबाइल टर्मिनेशन प्रभार के आकलन के लिए क्रिया-विधि, फिक्सड एवं मोबाइल टर्मिनेशन लागत आकलनों के लिए क्रिया-विधि, सभी विद्यमान एवं नए सेवा प्रदाताओं तथा साथ ही फिक्सड एवं मोबाइल सेवाओं के लिए मोबाइल टर्मिनेशन प्रभार की प्रयोज्यता, अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी की आवक कॉलों के लिए टर्मिनेशन प्रभार निर्धारित करना, नए नेटवर्क तथा नई सेवाओं जैसे 3जी, वाईमैक्स तथा एनजीएन के आईयूसी पर संभावित प्रभाव। प्राधिकरण का प्रयास ऐसा ढांचा तैयार करना रहा है जो प्रभावी अंतरसंयोजन को सुनिश्चित कर सके तथा प्रतिस्पर्धा को सुकर बना सके, यह सुनिश्चित करे कि उदारीकरण के सकारात्मक प्रभाव समाज के विशालतम वर्गों तक पहुंचे तथा दूरसंचार का अनवरत विकास उपलब्ध कराए। उक्त परामर्श-पत्र

की समाप्ति 'दूरसंचार अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार (दसवां संशोधन) विनियम' दिनांक 9 मार्च, 2009 जारी किए जाने के साथ ही हुई। विनियमों के विवरणों पर इस संकलन के **भाग-तीन** में चर्चा की गई है।

25. विद्यमान आईयूसी विनियम 29 अक्तूबर, 2003 को अधिसूचित किया गया था तथा यह 1 फरवरी, 2004 से प्रवृत्त हुआ। इसका उद्योग द्वारा स्वागत किया गया तथा यह उद्योग के विकास एवं टैरिफ में कटौती के लिए काफी लाभदायक सिद्ध हुआ है। दिनांक 17 मार्च, 2005 को एक परामर्श-पत्र के माध्यम से एक समीक्षा आयोजित की गई तथा 23 फरवरी, 2006 को एक संशोधित आईयूसी प्रणाली आरंभ की गई, जोकि 1 मार्च, 2006 से क्रियान्वित की गई है। इस विनियम में, प्राधिकरण ने कैरिज प्रभारों पर सीलिंग लगाने का निर्णय लिया।

26. वर्तमान में लागू आईयूसी प्रभारों के निर्धारण के लिए अनेक कारणों को ध्यान में रखा गया है। बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा, सब्सक्राइबरों की व्यापक वृद्धि तथा सीलिंग पैटर्नों मे कटौती के कारण सकल परियात और इसके अवयवों में भी काफी परिवर्तन हुए हैं। कुछ अवयवों के अधोवर्ती अथवा उर्ध्ववर्ती संचलन के कारण सेवाएं प्रदान करने की लागत में भी परिवर्तन हुआ है। इसके अलावा, वर्ष 2003 में पहली बार आईयूसी विनियम जारी किए जाने तथा 2006 में संशोधित किए जाने के बाद से अनेक नीतिगत तथा विनियामक परिवर्तन हुए हैं, जिनका इनमें से एक अथवा अधिक परिवर्तनों पर प्रभाव पड़ा है। निष्क्रिय अवसंरचना साझेदारी ने भी सेवा प्रदाताओं की कैपेक्स/ओपेक्स संरचना में परिवर्तन किए हैं। नए लाइसेंसों तथा कंपनियों को स्पेक्ट्रम आवंटन के मुद्दे के परिणामस्वरूप भी क्षेत्र में पूंजी का निवेश होगा जोकि प्रचालनों की व्यवहार्यता की उनकी परिकल्पना पर आधारित होगा। प्रौद्योगिकी के बढ़ते चरणों पर ध्यान देना भी आवश्यक समझा गया है। अधिकाधिक सेवा प्रदाता उनके नेटवर्क कैपेक्स एवं ओपेक्स में कमी लाने तथा संभवतः अंततः एनजीएन में अंतरित होने वाली संभावना को ध्यान में रखते हुए इंटरनेट प्रोटोकॉल (आईपी) नेटवर्कों को अपना रहे हैं। प्रासंगिक स्पेक्ट्रम की बोली तथा पश्चातवर्ती 3जी सेवाओं की तैनाती अब प्रारंभ होने को ही है, अतः इस मुद्दे पर सेवा प्रदाताओं के दृष्टिकोण को समझना आवश्यक समझा गया कि क्या 2जी एवं 3जी, दोनों ही वॉयस टर्मिनेशन को समान माना जाना चाहिए।

27. अंतरसंयोजन प्रभारों के सही स्तर का पता लगाना किसी भी दृष्टि से आसान कार्य नहीं था। ऐसा अनुमान लगाया गया था कि कोई भी निर्धारण अनेक कारकों के बीच के संतुलन को प्रभावित कर देगा, जिनमें से कुछ एक-दूसरे के साथ विवाद की उत्पन्न कर देंगे। सेवा प्रदाताओं के प्रचालकों की स्थिरता, उपभोक्ताओं का हित, दूरसंचार क्षेत्र का विकास; सेवा प्रदाताओं द्वारा अभिनव टैरिफ प्लानों को शुरू करने की प्रक्रिया में आसानी एवं लचीलापन ऐसे कारक थे, जिनका समाधान किया जाना था। अतः प्राधिकरण ने सेवा प्रदाताओं को एक व्यापक पूर्व-परामर्श प्रक्रिया में शामिल करना उचित समझा गया। उसमें उत्पन्न सामान्य प्रतिक्रिया आईयूसी प्रणाली के सभी घटकों की पुनरीक्षा करने के पक्ष में थी।

2.5 दूरसंचार प्रौद्योगिकी

28. भादूविप्रा एक प्रौद्योगिकी तटस्थ दृष्टिकोण का अनुपालन करता है। तथापि, इसका उद्देश्य ऐसी परिस्थितियां उपलब्ध कराना है, जिसके अंतर्गत सेवा प्रदाता आधुनिक एवं कार्यकुशल प्रौद्योगिकियों को अपनाने में समर्थ हो सकें तथा विरासत में मिले नेटवर्क तथा प्रक्रियाओं द्वारा उत्पन्न की गई अड़चनों का समाधान कर सकें। इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम हैं - मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी और राष्ट्रीय कॉल-न-करें रजिस्ट्री (एनडीएनसी) का क्रियान्वयन।

मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी

29. मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) सब्सक्राइबरों को उनके सब्सक्राइबर नम्बर बनाए रखते हुए उनके सेवा प्रदाताओं को बदलने की अनुमति प्रदान करती है। पोर्टेबिलिटी सब्सक्राइबरों को लाभ पहुंचाती है और सेवा प्रदाताओं के बीच प्रतिस्पर्धा का स्तर बढ़ाती है, तथा उन प्रचालकों को लाभ देती है जिनके पास बेहतर ग्राहक सेवा, मोबाइल कवरेज तथा सेवा गुणवत्ता है। भादूविप्रा ने 8 मार्च, 2006 को मोबइल नम्बर पोर्टेबिलिटी पर दूरसंचार विभाग को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थीं। दूरसंचार विभाग ने दिनांक 10 दिसम्बर, 2007 की अपनी प्रेस विज्ञप्ति में वर्ष 2008 की चौथी तिमाही तक प्रथम चरण में चार महानगर शहरों में एमएनपी को क्रियान्वित करने के बारे में अपनी सहमति व्यक्त की थीं। दूरसंचार विभाग ने देश में एमएनपी के क्रियान्वयन में शामिल अनेक मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक विषय-निवार्चन समिति का गठन करने हेतु प्राधिकरण से अनुरोध भी किया था।

30. तदनुसार, प्राधिकरण ने टीईसी सेवा प्रदाताओं तथा भादूविप्रा के तत्वावधान में कार्य कर रही उनकी एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों से मिलकर बनी एक विषय-निर्वाचन समिति का गठन किया। इस विषय-निर्वाचन समिति ने अपनी अनेक बैठकें आयोजित कीं तथा प्राधिकरण को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट के आधार पर, प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरपीएफ) का मसौदा तैयार किया गया तथा पश्चातवर्ती आशोधन दूरसंचार विभाग को क्रमशः 10 अप्रैल, 2008 और 30 अप्रैल, 2004 को भेजे गए थे ताकि एक्सेस प्रदाताओं, एनएलडीओ एवं आईएलडीओ द्वारा मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी के चयन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सके। दूरसंचार विभाग ने मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी पर 1 अगस्त, 2008 को दिशा-निर्देश जारी किए। इन दिशा-निर्देशों में 11 लाइसेंसशुदा सेवा क्षेत्रों (एलएसए) को शामिल करते हुए दो मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी जोन (जोन 1 और जोन 2) की परिकल्पना की गई है तथा इसमें प्रत्येक जोन में 2 मेट्रो सेवा क्षेत्र हैं। आरंभ में, एमएनपी को लाइसेंस के प्रदान किए जाने के छह महीने के भीतर सभी महानगरों तथा श्रेणी श्क' सेवा क्षेत्रों में क्रियान्वित किया जाना है। इसके पश्चात, एमएनपी का प्रचालन शेष संबंधित जोनों में भी चरणबद्ध तरीके से समयबद्ध आधार पर विस्तारित कर दिया जाएगा। जोन 1 (उत्तर और पश्चिम भारत) के लिए मैसर्स साइनिवर्स टेक्नॉलॉज़ीज (आई) प्रा0 लि0 तथा एमएनपी सेवा जोन 2 (पूर्वी एवं दक्षिण भारत) के लिए मैसर्स एमएनपी इंटरकनेक्शन टेलीकॉम सोल्युशन्त (आई) प्रा0 लि0 को दिनांक 17 अप्रैल, 2009 को लाइसेंस जारी किए गए।

यूसीसी/एनडीएनसी रजिस्ट्री

31. टेलीमार्केटरों से अवांछनीय वाणिज्यिक कॉलों को विनियमित करने के उद्देश्य से भादूविप्रा ने दूरसंचार अवांछनीय वाणिज्यिक संप्रेषण विनियम, 2007 (2007 का 4) दिनांक 5 जून, 2007 अधिसूचित किया गया। इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय कॉल-न-करें (एनडीएनसी) रजिस्ट्री स्थापित की गई जोकि मुख्यतः एक राष्ट्रीय डाटाबेस है जिसमें ऐसे सभी सब्सक्राइबरों के टेलीफोन नम्बरों की सूची निहित है जो यूसीसी प्राप्त नहीं करना चाहते हैं। एनआईसी ने एनडीएनसी को तैयार किया है, उसे विकसित किया है तथा इसका अनुरक्षण भी कर रहा है। आज सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने अपने ऐसे सब्सक्राइबरों से अनुरोध प्राप्त करने के लिए 'शुल्क रहित टेलीफोन लाइनों' के साथ कॉल सेंटर स्थापित किए हैं, जो अपने नम्बर एनडीएनसी में दर्ज करना चाहते हैं। एनडीएनसी में पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए दूरसंचार विभाग ने एक सार्वभौमिक नम्बर ''1909'' आवंटित किया है। प्रारंभिक पंजीकरण दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा किया जाता है, जो पंजीकृत सब्सक्राइबरों के अपने डाटाबेस के साथ आवधिक रूप से एनडीएनसी को अद्यतन बनाएंगे और इस प्रकार एनडीएनसी में ऐसे सभी

सब्सक्राइबरों (समूचे देश में) के टेलीफोन नम्बरों को दर्ज कर लिया जाएगा जिन्होंने किसी यूसीसी को प्राप्त न करने का विकल्प दिया है।

32. दूरसंचार विभाग के दिनांक 6 जून, 2007 के दिशा-निर्देशों के अनुसार टेलीमार्केटरों को दूरसंचार विभाग के साथ पंजीकृत होने का अधिदेश दिया गया है। पंजीकरण के पश्चात टेलीमार्केटरों को एनडीएनसी की एक्सेस की अनुमति प्राप्त हो जाती है। वे क्रबिंग के लिए कॉलिंग लिस्ट एनडीएनसी रजिस्ट्री (पंजीकरण आईडी का प्रयोग करते हुए) को प्रस्तुत कर सकते हैं तथा ऐसे टेलीफोन नम्बरों को हटाने के पश्चात, जिन्होंने यूसीसी प्राप्त न करने के लिए पंजीकरण कराया होता है, लिस्ट को वापस लौटा देते हैं। एनडीएनसी 12 अक्तूबर, 2007 से प्रचलन में आई है।

33. एनडीएनसी के कार्यकरण तथा प्रभाविता की समीक्षा के दौरान भादूविप्रा को पता चला है कि चूंकि टेलीमार्केटर उच्च राजस्व वाले सब्सक्राइबर होते हैं, अतः संबंधित सेवा प्रदाता दोषी टेलीमार्केटरों के खिलाफ कार्रवाई करने में झिझकते हैं। इस पहलू पर विचार करते हुए, भादूविप्रा ने दूरसंचार अवांछनीय वाणिज्यिक (संशोधन) विनियम, 2008 दिनांक 17 मार्च, 2008 जारी किए हैं। प्रधान विनियम में संशोधन करने वाले इस विनियम में राष्ट्रीय कॉल-न-करें रजिस्ट्री (एनडीएनसी) में पंजीकृत सब्सक्राइबरों को अवांछनीय वाणिज्यिक संप्रेषण (यूसीसी) करने वाले टेलीमार्केटरों के लिए उच्च टैरिफ अधिरोपित करने का उपबंध करने के साथ-साथ ऐसे सेवा प्रदाताओं के लिए वित्तीय हतोत्साहन का उपबंध है, जो यथासंशोधित यूसीसी विनियमों के विनियम 15 अथवा विनियम 16 अथवा विनियम 17 के उपबंधों का उल्लंघन करते हैं। हालांकि, उक्त संदर्भित उपायों के साथ यूसीसी की संख्या में पर्याप्त कमी आई है, फिर भी यह महसूस किया गया कि ऐसे गैर-पंजीकृत टेलीमार्केटरों द्वारा अभी भी बड़ी मात्रा में अवांछनीय संप्रेषण किए जा रहे हैं, जो अभी विनियम के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। अतः अनेक देशों में प्रचलित संव्यवहार के ही अनुरूप अवांछनीय वाणिज्यिक संप्रेषण को एक अपराध के रूप में संज्ञान लेने के लिए एक उपयुक्त विधान अधिनियम करने हेतु प्राधिकरण द्वारा एक प्रस्ताव दूरसंचार विभाग को प्रेषित किया गया है।

34. इसके अलावा, प्रधान विनियमों के क्रियान्वयन की मॉनीटरिंग के दौरान, प्राधिकरण द्वारा यह देखा गया है कि सेवा प्रदाताओं द्वारा सब्सक्राइबरों की शिकायतों के निपटान के लिए तथा शिकायत करने वाले सब्सक्राइबर की शिकायत के आधार पर की गई कार्रवाई तथा जांच के परिणाम को सूचित करने के लिए समय-सीमा निर्दिष्ट किए जाने की भी आवश्यकता है। तदनुसार, प्रधान विनियमों के द्वितीय संशोधन में उपयुक्त उपबंध भी अंतर्विष्ट किए गए हैं, जिसमें भादूविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 13 के अंतर्गत एक निदेश के तहत प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट की जाने वाली समय-सीमा का उपबंध किया गया है। प्राधिकरण ने सभी एक्सेस प्रदाताओं को अपने टेलीमार्केटरों के विरूद्ध शिकायत के मामले में 28 दिन तथा अन्य दूरसंचार सेवा प्रदातओं से संबंधित टेलीमार्केटरों के विरूद्ध शिकायतों के मामले में 35 दिन की समय-सीमा का अनुपालन करने का निदेश दिया है।

35. तदन्तर, सेवा प्रदाताओं द्वारा प्राधिकरण को दिए गए इस फीडबैक के आलोक में कि जब कभी कोई सब्सक्राइबर एसएमएस द्वारा अवांछनीय वाणिज्यिक संप्रेषण की शिकायत करता है जिसमें प्रेषक की पहचान सामान्य दस अंकीय मोबाइल अथवा फिक्सड नम्बर से भिन्न होती है (अर्थात कुछ वर्णअंकीय नाम जैसे एसबीआई या एचएसबीसी आदि, कुछ अंकीय कोड जैसे 58888 या 56262 आदि), तो सेवा प्रदाताओं के लिए उन सेवा प्रदाताओं की पहचान करना एक अत्यंत कठिन तथा समय लेने वाली प्रक्रिया

बन जाती है, जिनके नेटवर्क से ऐसी अवांछनीय वाणिज्यिक संप्रेषण उत्पन्न हुए हैं। इस संबंध में, प्राधिकरण ने सेवा प्रदाताओं को निदेश दिए हैं कि ऐसे सभी वाणिज्यिक एसमएएस के वर्णअंकीय आइडेंटीफाइयरों, जिन्हें केवल प्रेषक की पहचान के साथ और सामान्य दस अंकीय मोबाइल नम्बर के बिना भेजा गया है, के आगे प्राधिकरण द्वारा यथानिर्दिष्ट सेवा प्रदाता का कोड तथा सेवा क्षेत्र का कोड जोड़ा जाएगा (उदाहरण के लिए एक्सवाई-एचएसबीसी के रूप में, जहां एक्स सेवा प्रदाता को आवंटित कोड है तथा वाई सेवा क्षेत्र का कोड है) तथा इसे 1 फरवरी, 2009 से क्रियान्वित किया गया है।

36. 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार, 3.1 करोड़ सब्सक्राइबरों ने एनडीएनसी रजिस्ट्री में 'कॉल-न-करें' के लिए पंजीकरण करा लिया है, जोकि देश के सभी टेलीफोन सब्सक्राइबरों का लगभग 8.13 प्रतिशत है। लगभग 22272 टेलीमार्केटरों ने स्वयं को दूरसंचार विभाग के पास पंजीकृत करवा लिया है। एनडीएनसी को प्रयोग रोज लगभग 1300 टेलीमार्केटरों द्वारा किया जा रहा है जो अपनी कॉलिंग सूची की स्क्रबिंग करते हैं। एनडीएनसी की स्थापना के बारे में लगभग 1766 करोड़ नम्बर टेलीमार्केटरों द्वारा स्क्रबिंग के लिए अपलोड किए गए हैं जिनमें से लगभग 111 करोड़ नम्बर डीएनडी रजिस्टर्ड पाए गए, अतः उन्हें एनडीएनसी द्वारा हटा दिया गया।

37. सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों के अनुसार, उन्हें पिछले तीन माह में 'कॉल-न-करें' के उल्लंधन की 32024 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन शिकायतों के लिए सेवा प्रदाताओं ने 5040 टेलीमार्केटरों से 500 रु0 अथवा 1000 रु0 का उच्च टैरिफ प्रभारित किया है तथा टेलीमार्केटरों के 5314 टेलीफोन काट दिए गए। सेवा प्रदाताओं द्वारा पिछले तीन महीने में प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या एनडीएनसी रजिस्ट्री में पंजीकृत सब्सक्राइबरों का 0.1 प्रतिशत भाग बैठती है।

2.6 नई दूरसंचार नीति (एनटीपी'99) का कार्यान्वयन

38. नई दूरसंचार नीति, 1999 (एनटीपी-99) ने भादूविप्रा को सरकार द्वारा परिकल्पित आवश्यक नीतिगत ढांचा उपलब्ध कराया है। भादूविप्रा अधिनियम, भादूविप्रा को उसमें निर्दिष्ट मुद्दे पर या तो स्वयं अपनी ओर से अथवा लाइसेंसर द्वारा अनुरोध किए जाने पर सिफारिशें करने के लिए शक्तियां प्रदान करता है। तदनुसार, भादूविप्रा ने या तो स्वयं अपनी ओर से अथवा सरकार के अनुरोध पर अब तक अनेक मुद्दों पर अपनी सिफारिशें दी हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैः-

- सेल्युलर मोबाइल सेवा से संबंधित मुद्दे;
- बुनियादी सेवा प्रदाताओं को लाइसेंस देना;
- राष्ट्रीय लम्बी दूरी सेवा के लिए लाइसेंस देना;
- सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा लाइसेंस के रिक्त स्लॉटों को भरना;
- सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यूएसओ)
- रेडियो पेजिंग सेवा (आरपीएस) के लिए लाइसेंस शुल्क;
- रेडियो पेजिंग सेवा के लिए नए लाइसेंस जारी करना;
- इनसैट एमएसएस रिपोर्टिंग सेवा;
- वी-सैट सेवा प्रदाताओं के लिए नए लाइसेंस जारी करना;
- पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंक्ड सेवाओं से संबंधित लाइसेंस के मुद्दे;
- सेल्युलर मोबाइल सेवा प्रदाताओं (सीएमएसपीएस) - चौथे परिचालक का प्रवेश;
- मोबाइल कम्युनिटी फोन सेवाओं की व्यवस्था;

- वॉयस मेल/आडियोटेक्स सेवाएं;
- इन्टरनेट टेलीफोनी की शुरुआत;
- यूनिफाइड संदेश सेवा
- यूनिफाइड लाइसेंस एक्सेस प्रणाली
- इन्ट्रा सर्किल मर्जर तथा अधिग्रहण
- इफ्रास्ट्रक्चर प्रदाताओं-II (आईपी-II) के लिए लाइसेंस शुल्क तथा बैंक गारंटी माफ करना
- इन्टरनेट और ब्राडबैंड की पैठ की गति को बढ़ाना
- दूरसंचार सेक्टर में ओम्बडसमैन कार्यालय की स्थापना
- सभी टेलीकॉम सेवाओं के लिए पूर्ण एकीकृत लाइसेंस प्रणाली
- स्पेक्ट्रम से संबंधित मुद्दे
- ग्रामीण भारत में दूरसंचार सेवाओं का विकास
- टेलीफोन निर्देशिका तथा निर्देशिका पूछताछ सेवाएं
- मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी
- भावी पीढ़ी नेटवर्क
- वर्च्युअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन)
- भारत में आईपीवी4 से आईपीवी6 में अन्तरण
- डीटीएच से संबंधित लाइसेंसिंग मुद्दे
- 3जी और ब्रॉडबैंड वायरलैस एक्सेस सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम का आवंटन और मूल्य-निर्धारण
- नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया की प्रभाविता
- सेवा प्रदाताओं द्वारा मूल्यवर्धित इंट्रा-नेटवर्क सेवाओं जैसे यूएसएसडी (अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंटरी सर्विस डाटा) के प्रावधान में । और # के प्रयोग को अनुमति
- इंटरनेट सेवाओं की नीति की समीक्षा
- लाइसेंस के निबंधन और शर्तों की समीक्षा तथा एक्सेस प्रदाताओं की संख्या को नियंत्रित करना, डीटीएच के लिए विस्तृत नीतिगत ढांचा
- मोबाइल टेलीविजन सेवाओं से संबंधित मुद्दे
- तकनीकी पोर्टेबिलिटी के बारे में डीटीएच की लाइसेंस व शर्तों में संशोधन
- एफएम रेडियो प्रसारण चरण-III की नीति में शामिल किए जाने वाले परिवर्धन के मुद्दे
- मूल्यवर्धित सेवाएं तथा विनियामक मुद्दे
- फिक्सड और मोबाइल टेलीफोन के लिए राष्ट्रीय एकीकृत डायरेक्ट्री पूछताछ सेवा (एनआईडीक्यएस) तथा फिक्सड लाइन टेलीफोनों के लिए एकीकृत टेलीफोन डायरेक्ट्री
- 3जी स्पेक्ट्रम का आवंटन
- प्रसारण क्षेत्र के लिए विदेश निवेश सीमाएं
- केबल टीवी सेवाओं की पुर्नसंरचना
- मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर (एमवीएनओ)
- टेलीविजन दर्शक मापन/टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट्स (टीआरपी) के लिए नीतिगत दिशा-निर्देश तथा प्रचालनात्मक मुद्दे
- लंबी दूरी के प्रचालकों द्वारा कॉलिंग कॉर्डों का प्रावधान
- प्रसारण और वितरण क्रियाकलापों में कतिपय इंटाइटियों के प्रवेश से संबंधित मामले
- मीडिया स्वामित्व

- ❖ प्रोत्साहकों की इक्विटी के लिए लॉक-इन अवधि तथा एकीकृत सेवा लाइसेंसियों (यूएएसएल) से अन्य संबंधित मुद्दे।
- ❖ अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा में प्रतिस्पर्धा की शुरूआत
- ❖ लोकल लूप में वायरलैस के माध्यम से सीमित मोबिलिटी से संबंधित मुद्दे
- ❖ एडीसी को हटाने पर यूएसओएफ से ग्रामीण वायरलाइल कनेक्शनों को सहायता
- ❖ अंतरराष्ट्रीय प्राइवेट लीज्ड सर्किट (आईपीएलसी) में पुनःबिक्री के लिए निबंधन और शर्तें।

2.7 सेवा की गुणवत्ता

(क) बुनियादी तथा सेल्युलर मोबाइल सेवाओं के लिए सेवा प्रदाताओं से प्राप्त तिमाही रिपोर्ट :

39. भादूविप्रा सेवा प्रदाताओं से प्राप्त होने वाली तिमाही कार्यनिष्पादन मॉनीटरिंग रिपोट (पीएमआर) के माध्यम से बुनियादी तथा सेल्युलर मोबाइल सेवाओं पर विनियमों के जरिए भादूविप्रा द्वारा निर्धारित बेंचमार्कों की तुलना में बुनियादी एवं सेल्युलर मोबाइल सेवा के निष्पादन की मॉनीट रिंग करता है। भादूविप्रा सेल्युलर मोबाइल सेवा प्रदाताओं (सीएमएसपी) से प्राप्त होने वाली मासिक रिपोर्टों के माध्यम से पीओआई कंजेशन की भी निगरानी करता है। बुनियादी सेवा प्रदाताओं, सेल्युलर मोबाइल सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत तिमाही रिपोर्टों का सेवा गुणवत्ता बेंचमार्कों के संबंध में उनके निष्पादन का आकलन करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है।

(ख) ब्रॉडबैंड सेवा :

40. भादूविप्रा ब्रॉडबैंड सेवा की सेवा-गुणवत्ता विनियम के माध्यम से इसके द्वारा प्रदान किए गए बेंचमार्कों की तुलना करते हुए ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाताओं के कार्य-निष्पादन की गहन निगरानी करता है। सेवा प्रदाताओं द्वारा तिमाही रूप से प्रस्तुत रिपोर्टों का विश्लेषण किया जाता है ताकि सेवा गुणवत्ता बेंचमार्कों के संबंध में उनके कार्य-निष्पादन का आकलन किया जा सके।

(ग) आईएसपी की सेवा गुणवत्ता की निगरानी :

41. भादूविप्रा ने दिसम्बर, 2001 में डायल-अप तथा लीज्ड लाइन इंटरनेट एक्सेस सेवा की सेवा गुणवत्ता पर विनियम अधिसूचित किया था, जिसमें इंटरनेट डायल-अप एक्सेस के लिए बेंचमार्क निर्धारित किए गए थे। तदनुसार आईएसपी को सेवा गुणवत्ता बेंचमार्कों का अनुपालन करना अपेक्षित है। भादूविप्रा आईएसपी से तिमाही कार्य-निष्पादन निगरानी रिपोर्टें प्राप्त करता है तथा सेवा गुणवत्ता बेंचमार्कों के अनुसार इनके कार्य-निष्पादन का आकलन करने के लिए इनका विश्लेषण किया जाता है।

(घ) अंतरसंयोजन बिंदु (पीओआई कंजेशन रिपोर्टें) :

42 मोबाइल नेटवर्क का विकास बहुत ही तेजी से हो रहा है तथा लगभग 10-15 मिलियन सब्सक्राइबर हर माह इसमें शामिल हो जाते हैं। प्रभावी अंतरसंयोजन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भादूविप्रा विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच अंतरसंयोजन बिंदु (पीओआई) पर कंजेशन की निगरानी कर रहा है। यह मापदण्ड उस आसानी को इंगित करता है, जिससे एक नेटवर्क का ग्राहक दूसरे नेटवर्क में बातचीत करने मे समर्थ रहता है। यह मापदण्ड यह भी प्रतिबिंबित करता है कि दो नेटवर्कों के बीच अंतरसंयोजन कितना प्रभावी है। भादूविप्रा द्वारा इस मापदण्ड के लिए सेवा गुणवत्ता विनियम में अधिसूचित बेंचमार्क 0.5 प्रतिशत से कम है।

ङ) स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से वस्तुपरक मूल्यांकन :

43. बुनियादी, सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन तथा ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाताओं द्वारा सूचित की गई जानकारी की प्रमाणिकता की जांच करने तथा सेवा गुणवत्ता के बारे में उपभोक्ता के विचार जानने के उद्देश्य से, प्राधिकरण ने (1) बुनियादी, सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा तथा ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाताओं द्वारा सेवा की गुणवत्ता के वस्तुपरक मूल्यांकन करने तथा (2) सेवा के विषय में ग्राहकों के दृष्टिकोण का मूल्यांकन करने के लिए विषयपरक उपभोक्ता संतुष्टि सर्वेक्षणों तथा जोन आधार पर दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण तथा शिकायत निराकरण विनियम, 2007 के क्रियान्वयन एवं प्रभाविता का मूल्यांकन करने के लिए स्वतंत्र एजेंसियों अर्थात मैसर्स आईएमआरबी इंटरनेशनल, मेसर्स वॉयस, मैसर्स टीसीआईएल एवं मैसर्स मार्केट प्लस को नियुक्त किया। प्रथम और द्वितीय अर्ध-वार्षिक अवधि के लिए प्राप्त हुई रिपोर्टों का सेवाक्षेत्रवार विश्लेषण किया गया और प्रेस विज्ञप्तियां जारी की गई तथा साथ ही उन्हें पणधारकों की जानकारी के लिए भादूविप्रा की वेबसाइट पर भी रखा गया।

2.8. उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए उपाय

44. भादूविप्रा समूचे देश में उपभोक्ताओं की समस्याओं को बेहतर रूप से समझने के लिए पंजीकृत उपभोक्ता संगठनों के साथ अर्ध-वार्षिक बैठकें आयोजित करता है, जैसाकि विनियम में उपबंधित किया गया है। दूरसंचार क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों के विषय में उपभोक्ता संगठनों को अवगत कराने के उद्देश्य से भादूविप्रा उन्हें दूरसंचार मुद्दों पर आयोजित की जाने वाली संगोष्ठियों, कार्यशालाओं और सम्मेलनों में भी आमंत्रित करता है। ऐसे आयोजन में भाग लेने से उन्हें उनकी क्षमता का निर्माण करने तथा उपभोक्ता परामर्श कौशल का विकास करने में सहायता मिलती है। एनजीओ/उपभोक्ता परामर्शी समूहों तथा दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ भादूविप्रा द्वारा किए गए विभिन्न परामर्शों के परिणामस्वरूप जो महत्वपूर्ण उपलब्धि सामने आई है, वह है सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा एक साझे चार्टर का अंगीकरण। साझा चार्टर सेवा प्रदाताओं द्वारा स्वैच्छिक रूप से विभिन्न सेवा आयामों के बारे में एक लिखित घोषणा है। यह उपभोक्ताओं के लिए एक खुला आमंत्रण है कि वे सेवा की गुणवत्ता की मांग कर सकें। इस चार्टर की नियमित अंतरालों पर समीक्षा की जाती है तथा इसे उन्नयित किया जाता है ताकि यह उपभोक्ताओं की बदलती हुई उपेक्षाओं के अनुरूप बन सके।

45. वर्ष 2008-09 के दौरान, भादूविप्रा ने उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करने के लिए अनेक कदम उठाए, जिनका वर्णन नीचे किया गया है-

(i) प्राधिकरण ने 1 सितम्बर, 2008 को एक निदेश जारी किया जोकि अन्य बातों के साथ-साथ टैरिफ प्लानों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सेवा प्रदाताओं द्वारा उनके द्वारा दूरसंचार उपभोक्ताओं को प्रदान किए गए प्रत्येक टैरिफ प्लान पर टैरिफ संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के बारे में था।

(ii) उपभोक्ता पारदर्शिता तथा संरक्षण में वृद्धि करने के लिए उद्देश्य से दूरसंचार टैरिफ आदेश में 48वां संशोधन जारी किया गया।

(iii) वर्ष 2008-09 के दौरान नौ उपभोक्ता शिक्षा कार्यशालाएं आयोजित की गईं (05 भादूविप्रा द्वारा आयोजित की गई थी तथा 04 अन्य का आयोजन भादूविप्रा के साथ पंजीकृत उपभोक्ता परामर्श समूहों द्वारा आउटसोर्स मॉडल पर किया गया था)।

(iv) नए पंजीकृत हुए उपभोक्ता परामर्शी समूहों के लाभ के लिए भादूविप्रा के साथ पंजीकृत सीएजी तथा एनजीओ के साथ 22 और 23 अक्तूबर, 2008 को दो दिवसीय अभिमुखी कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

(v) समूचे देश में उपभोक्ताओं की समस्याओं को बेहतर रूप से समझने के लिए भादूविप्रा के साथ पंजीकृत सीएजी तथा एनजीओ के साथ 24 अक्तूबर, 2008 को एक बैठक आयोजित की गई।

(vi) पुरानी समिति का एक वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के पश्चात 15 सितम्बर, 2008 को दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (सीयूटीसीईएफ) की नई समिति का गठन।

(vii) बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने तथा सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सभी सेवा प्रदाताओं को 2 मार्च, 2009 को दिशा-निर्देश जारी किए गए।

2.9 सार्वभौमिक सेवा दायित्व

46. सार्वभौमिक सेवा समर्थन समिति 1 अप्रैल, 2002 से लागू हुई। इसके पश्चात सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) को संवैधानिक दर्जा दिए जाने के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा दिसम्बर, 2003 में भारतीय तार (संशोधन) अधिनियम, 2003 पारित किया गया था। इस निधि का उपयोग अनन्य रूप से सार्वभौमिक सेवा दायित्व की पूर्ति के लिए किया जाना है तथा निधि के क्रेडिट का शेष वित्त-वर्ष की समाप्ति पर पूरा नहीं होगा। निधि में क्रेडिट संसदीय अनुमोदनों के माध्यम से ही किया जाएगा। यूएसओ के क्रियान्वयन के लिए संसाधनों को सार्वभौमिक सेवा उद्ग्रहण (यूएसएल) के माध्यम से अर्जित किया जाता है, जोकि वर्तमान में विशुद्ध मूल्यवर्धित सेवा प्रदाताओं जैसे इंटरनेट, वॉयसमेल, ई-मेल सेवा प्रदाताओं आदि को छोड़कर सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के 5 प्रतिशत की दर से प्रभारित किया जाता है। इसके अलावा, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदानों तथा ऋणों का भी प्रावधान है।

47. सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि को प्रशासक, यूएसओएफ द्वारा संचालित किया जाता है। उनके उत्तरदायित्वों में शामिल है - परियोजनाओं के चयन और अनुमोदन के लिए कार्य-पद्धतियां तैयार करना, निधि का वितरण तथा ग्रामीण टेलीफोनी में विस्तार करने के लिए यूएसओ में परिकल्पित समग्र क्रियान्वयन संचालित करना। यूएसओएफ प्रशासक का कार्यालय दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एक संबद्ध कार्यालय के रूप में कार्य करता है।

48. 30 अक्तूबर, 2006 को भारतीय तार अधिनियम, 1885 में संशोधन करने के लिए एक अध्यादेश प्रख्यापित किया गया ताकि देश के ग्रामीण और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में मोबाइल सेवाओं तथा ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए भी यूएसओएफ से सहायता प्रदान की जा सके। इस अध्यादेश को तदंतर भारतीय तार अधिनियम, 1885 में संशोधन करने के लिए भारतीय तार (संशोधन) अधिनियम, 2006 के रूप में 29 दिसम्बर, 2006 को एक अधिनियम पारित करके प्रतिस्थापित किया गया।

49. नियमों के अनुसार, निधि द्वारा निम्नलिखित सेवाओं को समर्थन प्रदान किया जाएगा, अर्थातः-

(i) **धारा I** - सार्वजनिक दूरसंचार तथा सूचना सेवाओं का प्रावधान -

(क) वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार पहचान किए गए राजस्व ग्रामों में विलेज पब्लिक टेलीफोन का प्रचालन एवं अनुरक्षण तथा वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार अतिरिक्त राजस्व ग्रामों में विलेज पब्लिक टेलीफोन की स्थापना -

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार पहचाने गए राजस्व गांवों में विलेज पब्लिक टेलीफोन की स्थापना सकल लागत का निर्धारण करने के लिए केवल प्रचालन व्यय और राजस्व को ही हिसाब में लिया जाएगा। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार पहचाने गए अतिरिक्त राजस्व गांवों के लिए सकल लागत का निर्धारण करने के लिए पूंजीगत वसूली को भी हिसाब में लिया जाएगा।

परंतु यह कि विलेज पब्लिक टेलीफोन के मामले में, जोकि वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार पहचाने गए गांवों में अभी स्थापित किए जाने हैं, सकल लागत का निर्धारण करने के लिए पूंजीगत वसूली को भी हिसाब में लिया जाएगा।

(ख) प्रत्येक राजस्व ग्राम में एक विलेज पब्लिक टेलीफोन का लक्ष्य प्राप्त करने के पश्चात उन क्षेत्रों में अतिरिक्त ग्रामीण सामुदायिक फोनों का प्रावधान-

जहां किसी गांव की जनसंख्या 2000 से अधिक है तथा जहां कोई भी पब्लिक कॉल ऑफिस विद्यमान नहीं है, वहां एक दूसरा पब्लिक फोन स्थापित किया जाएगा तथा निवल लागत का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ प्रचालन व्यय तथा राजस्व को हिसाब में लिया जाएगा।

(ग) 1 अप्रैल, 2002 से पूर्व स्थापित मल्टी एक्सेस रेडियो रिले प्रौद्योगिकी विलेज पब्लिक टेलीफोन का प्रतिस्थापन -

निवल लागत का निर्धारण करने के लिए पूंजीगत वसूली, प्रचालन व्ययों तथा राजस्व को हिसाब में लिया जाएगा।

टिप्पणी- जब तक कि सरकार द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो, धारा की मद (क) से (ङ) में निर्दिष्ट कार्यकलापों के लिए निवल लागत का आकलन करने के प्रयोजनार्थ सेकेन्ड्री स्विचिंग एरिया को एक इकाई के रूप में लिया जाएगा।

(ii) **धारा II** - केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविनिर्धारित ग्रामीण एवं सुदूरवर्ती क्षेत्रों में कुटुंब टेलीफोनों का प्रावधानः

(क) 1 अप्रैल, 2002 से पूर्व स्थापित कुटुंब डायरेक्ट एक्सचेंज लाइनों के लिए ग्रामीण सब्सक्राइबरों से वास्तव में प्रभारित किराए तथा ऐसे सब्सक्राइबरों के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा विनिर्धारित किराए के बीच के अंतर की ऐसे समय तक प्रतिपूर्ति की जाएगी, जब तक भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट एक्सेस डेफिसिट प्रभारों में ऐसे अंतर को हिसाब में नहीं ले लिया जाता।

(ख) 1 अप्रैल, 2002 के बाद स्थापित कुटुंब डायरेक्ट एक्सचेंज लाइनों के लिए निवल लागत का निर्धारण करने के लिए पूंजीगत कटौती, प्रचालनात्मक व्यय तथा राजस्व को हिसाब में लिया जाएगा।

टिप्पणी - जब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो, धारा II की मद में निर्दिष्ट कार्यकलापों के लिए निवल लागत का आकलन करने के प्रयोजनार्थ कम दूरी प्रभारण क्षेत्र को एक इकाई के रूप में लिया जाएगा।

(iii) **धारा III** - ग्रामीण और दूरवर्ती क्षेत्रों में मोबाइल सेवाओं के प्रावधान के लिए अवसंरचना का सृजन

(क) मोबाइल सेवाओं के प्रावधान के लिए अवसंरचना का सृजन करने वाली परिसंपत्तियों का निर्धारण केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर किया जाएगा।

(ख) मोबाइल सेवाओं के प्रावधान हेतु अवसंरचना के लिए निवल लागत का

निर्धारण करने के लिए पूंजीगत वसूली के प्रतिशत को हिसाब में लिया जाएगा।

(iv) **धारा IV** - एक चरणबद्ध तरीके से ग्रामों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का प्रावधान

ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए अवसंरचना हेतु निवल लागत का निर्धारण करने के लिए पूंजीगत वसूली के प्रतिशत को हिसाब में लिया जाएगा।

(v) **धारा V** - दूरसंचार सेवाओं के विकास के लिए ग्रामीण एवं सुदूरवर्ती क्षेत्रों में सामान्य अवसंरचना का सृजन

(क) विकास के लिए स्थापित की जाने वाली सामान्य अवसंरचना की मदें केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएंगी।

(ख) सामान्य अवसंरचना के विकास हेतु निवल लागत का निर्धारण करने के लिए पूंजीगत वसूली के प्रतिशत को हिसाब में लिया जाए।

टिप्पणी - जब तक कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए, धारा III, IV और V में निर्दिष्ट कार्यकलापों के लिए नियम लागत का आकलन करने के राजस्व जिला/राजस्व जिलों के समूह को एक इकाई के रूप में लिया जाएगा।

(vi) **धारा VI** - ग्रामीण एवं सुदूरवर्ती क्षेत्रों में दूरसंचार क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकीय विकासों का अधिष्ठापन

दूरसंचार क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकीय विकास स्थापित करने की प्रयोगिक परियोजना, जिसे ग्रामीण एवं सुदूरवर्ती क्षेत्र में स्थापित किया जा सकता है, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन में समर्थित की जाए।

50. भादूविप्रा ने ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं का विकास पर अपनी सिफारिशें 3 अक्तूबर, 2003 को अग्रेषित कीं जिनमें इस बात पर बल दिया गया था कि अवसंरचना साझेदारी को यूएसओएफ से समर्थन प्राप्त होना चाहिए। तदन्तर, भादूविप्रा ने 19 मार्च, 2009 को 'ग्रामीण टेलीफोनी का दृष्टिकोण - संवर्धित विकास के लिए सुझाए गए उपाय' पर सिफारिशें जारी कीं। इन सिफारिशों में, अन्य बातों के साथ-साथ यूएसओ वित्त-पोषण से संबंधित कतिपय मुद्दे भी शामिल हैं।

51. सिफारिशों के विवरणों पर इस प्रतिवेदन के **भाग-तीन** में चर्चा की गई है। भादूविप्रा ने यूएसओ पर अंतरमंत्रालयी परामर्श समिति मे की बैठकों में विचार-विमर्श करना, भाग लेना तथा उसमें योगदान देना जारी रखा।

भाग-तीन

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम की धारा 11 में विनिर्दिष्ट मामलों के संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कृत्य

सदस्य, भादूविप्रा तथा सचिव, भादूविप्रा व्यवसाय उद्यम एवं विनियामक सुधार (बीईआरआर) लंदन, यूके के शिष्टमंडल का भादूविप्रा, नई दिल्ली में स्वागत करते हुए

प्राधिकरण संचार मंत्रालय, ब्रूनेई दरूस्सलाम से आए प्रतिनिधिमंडल के साथ भादूविप्रा, नई दिल्ली में विचार -विमर्श करते हुए।

3.

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) अधिनियम की धारा 11 में विनिर्दिष्ट मामलों के संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कृत्य

प्राधिकरण ने नई दूरसंचार नीति 1999 के उद्देश्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया के अनुसरण में टैरिफों पर अनेक निर्णय अधिसूचित किए है, स्वयं अपनी ओर से अथवा सरकार द्वारा इसे भेजे गए विभिन्न मामलों में अपनी सिफारिशें प्रदान की हैं, अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार के संबंध में अपने विनियम अधिसूचित किए हैं, अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए विनियम अधिसूचित किए हैं, लाइसेंस के निबंधन और शर्तों को लागू करने की कार्रवाई की है तथा अभिगम घाटा प्रभार (एडीसी) की समीक्षा सहित कई मुद्दों पर कार्य शुरू किया है । विभिन्न अनुशंसात्मक और विनियामक कृत्यों का निर्वहन करते हुए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने समूचे देश में दूरसंचार सेवाओं के सेवा प्रदाताओं की संख्या में वृद्धि, उपभोक्ताओं के संवर्धन तथा इसके विशाल नेटवर्क के संदर्भ में दूरसंचार सेवाओं के विकास में काफी योगदान दिया है । इन सतत उपायों की वजह से उपभोक्ताओं को सेवा के विकल्प, दूरसंचार सेवाओं की कम दरें तथा सेवा की बेहतर गुणवत्ता आदि के संदर्भ में लाभ हुआ है ।

3.1 भारत के अन्दर और भारत के बाहर दूरसंचार दरें जिनमें वे दरें भी शामिल हैं जिन पर भारत से बाहर किसी भी देश को संदेश भेजे जा सकते हैं ।

2. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2000 द्वारा यथासंशोधित, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11(2) प्राधिकरण को सरकारी राजपत्र में वे दरें अधिसूचित करने की शक्ति प्रदान करती है जिन पर, भारत के अन्दर और भारत के बाहर, दूरसंचार सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं जिनमें वे दरें भी शामिल हैं जिन पर भारत से बाहर किसी भी देश को संदेश भेजे जा सकते हैं । इसमें यह व्यवस्था भी शामिल है कि प्राधिकरण एकसमान दूरसंचार सेवाओं के लिए, विभिन्न व्यक्तियों अथवा श्रेणी के व्यक्तियों हेतु, भिन्न-भिन्न दरें अधिसूचित कर

सकता है । विभिन्न सेवाओं के लिए टैरिफ व्यवस्था विनिर्दिष्ट करने के अलावा, ट्राई को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि बाजार में प्रचलित टैरिफ, विनिर्दिष्ट टैरिफ व्यवस्था के अनुरूप हों । इस प्रयोजनार्थ प्राधिकरण उन दरों की मानीटरिंग करता है जिन दरों पर सेवा प्रदाताओं द्वारा विभिन्न दूरसंचार सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने 9 जनवरी, 2004 के आदेश के द्वारा ट्राई को पे चैनलों के मानक मानदण्ड तथा उनकी दरों में संशोधन करने की अवधि विनिर्दिष्ट करने का कार्य सौंपा है, जिसमें अंतरिम उपाय करना भी शामिल है । इस प्रकार पे चैनलों की दरों के निर्धारण के मानदण्डों को विनिर्दिष्ट करना तथा केबल सेवाओं के टैरिफ के निर्धारण का कार्य भी ट्राई को सौंपा गया है ।

3.1.1 दूरसंचार टैरिफ आदेश

3. दिनांक 1 अप्रैल, 1999 से कार्यान्वित हुए प्राधिकरण के दूरसंचार टैरिफ आदेश (टीटीओ) 1999 को विनियामक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक उपकरण के रूप में प्रयोग करने तथा दूरसंचार क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने, उपभोक्ता हितों का संरक्षण करने और निवेश को संवर्धित करने के लिए एक संकते के रूप में कार्य करने हेतु प्रयोग किया गया है। वर्ष 2008-09 के दौरान प्राधिकरण ने एक्सेस सेवा की टैरिफ पेशकशों तथा अन्य उपभोक्ता संरक्षण उपायों में पारदर्शिता में सुधार लाने के उद्देश्य से दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 में संशोधन किए। इसके अलावा, वर्ष के दौरान प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए भी टैरिफ आदेशों में संशोधन जारी किए गए। टीटीओ, 99 तथा प्रसारण एवं केबल सेवाओं के लिए टैरिफ आदेशों में संशोधनों को **तालिका 3.1** में सूचीबद्ध किया गया है।

दूरसंचार टैरिफ (अड़तालीसवां संशोधन) आदेश, 2008, दिनांक 1 सितम्बर, 2008

4. प्राधिकरण ने 'एक्सेस सेवा प्रदाताओं द्वारा पेश किए गए टैरिफ प्लानों की संख्या को सीमित करना' नामक परामर्श-पत्र जारी करके वर्ष 2004 में एक्सेस बाजार में टैरिफ प्लानों की अत्यधिकता के कारण उत्पन्न होने वाली उपभोक्ता पारदर्शिता के मुद्दे पर विचार किया। उस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप जुलाई, 2004

3.1 : तालिका 3.1 : दूरसंचार टैरिफ आदेश (संशोधन)

क्रमांक	दूरसंचार टैरिफ आदेश	जारी करने की तारीख	संक्षिप्त विवरण
1.	दूरसंचार टैरिफ (अड़तालीसवां संशोधन) आदेश, 2008 (2008 का 3)	1 सितम्बर, 2008	एक्सेस सेवा तथा अन्य उपभोक्ता संरक्षण उपायों में टैरिफ आदेशों में पारदर्शिता में सुधार
2.	दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (दूसरा) टैरिफ (नौवां संशोधन) आदेश, 2008 (2008 का 4)	26 दिसम्बर, 2008	टैरिफ सीलिंग में मुद्रास्फीति संबंधी समायोजन
3.	दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (तीसरा) (कैस क्षेत्र) टैरिफ (तीसरा संशोधन) आदेश, 2008 (2008 का 5)	26 दिसम्बर, 2008	सेट टॉप बॉक्सों के लिए स्टैंडर्ड टैरिफ पैकेज किरायों में कटौती

में टीटीओ में 31वां संशोधन जारी किया गया जिसमें उपभोक्ताओं को छह माह की अवधि के लिए टैरिफों में वृद्धि के संरक्षण प्रदान करने के ऐतिहासिक उपबंध अंतर्विष्ट थे। इसके पश्चात, प्राधिकरण ने उपभोक्ताओं के हित में अन्य अनेक विनियामक अधिदेश जारी किए, जिनमें टीटीओ का 43वां संशोधन शामिल है, जिसमें आजीवन प्लानों सहित लंबी वैधता वाले प्लानों में नामांकित ग्राहकों के लिए विस्तारित संरक्षण की गारंटी सुनिश्चित की गई है। प्राधिकरण द्वारा ऐसे अनेक उपाय किए जाने के बावजूद उपभोक्ताओं में यह भावना व्याप्त है कि एक्सेस सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न पेशकशें पारदर्शी और उपभोक्तानुमुखी नहीं हैं। प्राधिकरण को उपभोक्ताओं तथा उपभोक्ता संगठनों से शिकायतें प्राप्त होनी जारी रहीं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ पारदर्शिता के मुद्दों को इंगित किया गया था।

5. अतः प्राधिकरण ने सार्वजनिक परामर्श की सुस्थापित प्रक्रिया के माध्यम से टैरिफ पेशकशों के मामले में पारदर्शिता से संबंधित विनियामक ढांचे पर पुनः विचार करने का निर्णय लिया। इस दिशा में 29 जनवरी, 2008 को एक परामर्श-पत्र जारी करने के साथ ही प्राधिकरण द्वारा एक परामर्श-प्रक्रिया आरंभ की गई। परामर्श-प्रक्रिया के पश्चात, प्राधिकरण ने 1 सितम्बर, 2008 को दूरसंचार टैरिफ (अड़तालीसवां संशोधन) आदेश, 2008 जारी किया। इस आदेश में निम्न का अधिदेशित किया गया था:-

(i) सेवा प्रदाता टॉक टाइम रिचार्जों पर सब्सक्राइबरों को पूरा टॉक टाइम उपलब्ध कराएंगे।

(त्त) उपभोक्ताओं द्वारा स्पष्ट कार्रवाई के बिना ही सीधी टैरिफ कटौतियों का लाभ उपभोक्ताओं को प्रदान किया जाएगा।

(iii) किसी अतिरिक्त भुगतान अथवा रिचार्ज की शर्त के बिना ही विद्यमान आजीवन उपभोक्ताओं को नए आजीवन प्लानों में अंतरित होने की अनुमति दी जाएगी।

(iv) सेवा प्रदाता वायदा की गई आजीवन वैधता अवधि के दौरान संपर्क बनाए रखने के लिए आजीवन प्लानों में छह माह से कम की अवधि के बीच रिचार्ज के लिए दबाव नहीं डालेगा।

दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (दूसरा) टैरिफ (नौवां संशोधन) आदेश, 2008 दिनांक 26 दिसम्बर, 2008

6. दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (दूसरा) टैरिफ (नौवां संशोधन) आदेश, 2008 दिनांक 26 दिसम्बर, 2008 को जारी किया गया था। इस आदेश का उद्देश्य गैर-कैस क्षेत्रों में केबल टीवी सेवाओं के लिए टैरिफ सीलिंगों में मुद्रास्फीति से जुड़े समायोजनों का प्रावधान करना था। इससे पूर्व, 4 अक्तूबर, 2007 को यथासंशोधित गैर-कैस क्षेत्र टैरिफ आदेश ने नए पे-चैनलों के कारण हुई वृद्धियों के लिए उपबंधों को करते हुए 01.12.2007 को वितरण श्रृंखला के विभिन्न स्तरों पर अदा किए जाने वाले केबल प्रभारों की सीलिंग के रूप में बनाया गया था। इसके अतिरिक्त, संशोधन से पूर्व के टैरिफ आदेश ने चैनलों की संख्या तथा उस शहर के आधार पर, जिसमें सब्सक्राइबर केबल टीवी सेवाएं प्राप्त कर रहा है, सब्सक्राइबर स्तर पर विशिष्ट सीलिंगों के लिए प्रावधान किए थे। चूंकि एक वर्ष की अवधि पहले ही बीत चुकी थी, यह आवश्यक समझा गया कि केबल टीवी क्षेत्र की इष्टतम वृद्धि के लिए सीलिंगों की पुनः समीक्षा की जाए। यह आवश्यक समझा गया कि केबल टीवी सेवाओं की वितरण

श्रृंखला के विभिन्न प्लेयरों के लिए सीलिंग में मुद्रास्फीति से जुड़ी वृद्धि की जाए, तथा, तदनुसार, गैर-कैस क्षेत्रों में केबल सेवाओं के लिए थोक मूल्य सूचकांक संचलन के आधार पर 7 प्रतिशत वृद्धि उपलब्ध कराई गई है। इसी प्रकार, देश के विभिन्न भागों में पे-चैनलों की संख्या के आधार पर सब्सक्राइबर के छोर पर सीलिंगों की भी पुनः समीक्षा की गई हैं ताकि इस अनुमेय वृद्धि को आगे प्रतिबिंबित किया जा सके।

7. यह टैरिफ संशोधन आदेश 1 जनवरी, 2009 से लागू है।

दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (तीसरा) (कैस-क्षेत्र) टैरिफ (तीसरा संशोधन) आदेश, 2008 दिनांक 26 दिसम्बर, 2008

8. दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (तीसरा) (कैस-क्षेत्र) टैरिफ (तीसरा संशोधन) आदेश, 2008 दिनांक 26 दिसम्बर, 2008 को जारी किया गया था। इस टैरिफ आदेश में सेट टॉप बॉक्स मूल्यों में बाजार विकासों को प्रतिबिंबित किया गया था तथा, तदनुसार, कैस क्षेत्रों में केबल टीवी सेवाओं के लिए सेट टॉप बॉक्स हेतु मानक टैरिफ पैकेजों के किरायों में कमी की गई थी। कैस टैरिफ आदेश दिनांक 31 अगस्त, 2006 में कैस अधिसूचित क्षेत्रों में सब्सक्राइबर के छोर पर, प्रतिमाह 5/-रु0 (करों को छोड़कर) प्रति पे-चैनल और न्यूनतम 30 फ्री-टु-एयर चैनल वाले बुनियादी सेवा टियर के लिए प्रतिमाह 77/-रु0 (करों को छोड़कर) की सीलिंगें निर्धारित की गई थीं। 7 प्रतिशत वृद्धि की अनुमति देने के पश्चात, सब्सक्राइबर के छोर पर पे-चैनल के लिए सीलिंग को बढ़ाकर 5.35/- रु0 प्रति पे-चैनल प्रतिमाह (करों को छोड़कर) कर दिया है तथा उपभोक्ता को बुनियादी सेवा टियर 82/-रु0 प्रति माह की लागत पर उपलब्ध होगा।

9. कैस क्षेत्रों के लिए टैरिफ संशोधन आदेश में प्रतिभूति जमा तथा सेट टॉप बॉक्स के लिए मासिक किराए में कटौती का प्रावधान किया गया है। इससे पूर्व, कैस क्षेत्रों में केबल टीवी सेवाओं के लिए टैरिफ आदेश में उपभोक्ताओं के लिए दो अनिवार्य स्कीमों का उपबंध किया गया था जिमसें प्रतिभूति जमा तथा मासिक किरायों को सेट टॉप बॉक्सों के उस समय प्रचलित मूल्यों के आधार पर निर्दिष्ट किया गया था। चूंकि सेट टॉप बॉक्सों के मूल्य कैस टैरिफ आदेश के कार्यान्वयन के विगत दो वर्षों के दौरान कम हो गए थे, उनकी पुनः समीक्षा करना तथा उपभोक्ताओं को लाभ प्रदान करने के लिए उसका उल्लेख टैरिफ आदेश में किया जाना अनिवार्य था। इससे केबल नेटवर्कों पर टीवी सिगनलों की डिजिटल डिलीवरी को लोकप्रिय बनाने में भी सहायता मिल सकती थी। तदनुसार, प्रतिभूति जमा और सेट टॉप बॉक्सों के किरायों की समीक्षा की गई, तथा अब सेवा प्रदाताओं को दो स्कीमों की पेशकश करनी अपेक्षित है, पहली 250/-रु0 के स्थान पर 200/-रु0 की प्रतिभूति जमा के साथ जिसमें 45/-रु0 के स्थान पर मासिक किराया 34/-रु0 होगा तथा दूसरी 999/-रु0 के स्थान पर 750/-रु0 की प्रतिभूति जमा के साथ, जिसमें मासिक किराया 30/-रु0 के स्थान पर केवल 22/-रु0 होगा।

10. यह टैरिफ संशोधन आदेश 1 जनवरी, 2009 से लागू है।

3.1.2 विनियम

11. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, 1997 की धारा 11(1) (ग) प्राधिकरण को ऐसी सेवाओं के संबंध में, जोकि विनियम द्वारा अवधारित की जाएं, निर्दिष्ट दरों पर शुल्क तथा अन्य प्रभार उद्ग्रहित करने की शक्तियां प्रदान करती हैं। इसके अलावा,

उक्त अधिनियम की धारा 11(1) (ख) प्राधिकरण को विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच तकनीकी सामंजस्य और प्रभावी अंतरसंयोजन सुनिश्चित करने तथा दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने से प्राप्त उनके राजस्व की साझेदारी के लिए सेवा प्रदाताओं के बीच व्यवस्था को विनियमित करने की शक्ति प्रदान करती है। भादूविप्रा अधिनियम की धारा 11(1) (ख) प्राधिकरण को सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की गई सेवा की गुणवत्ता के मानक निर्धारित करने तथा सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा साथ ही ऐसी सेवा के आवधिक सर्वेक्षण संचालित करने की शक्तियां भी प्रदान करती है ताकि उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण किया जा सके। वर्ष 2007-08 के दौरान, प्राधिकरण ने भाइविप्रा अधिनियम के उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए भादूविप्रा अधिनियम के उपर्युक्त उपबंधों के अनुसरण में **तालिका 3.2** में सूचीबद्ध विनियम अधिसूचित किए।

दूरसंचार अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण (दूसरा संशोधन) विनियम, 2008, दिनांक 21 अक्तूबर, 2008

12. अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण (यूसीसी) पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से, भादूविप्रा ने दिनांक 05 जून, 2003 को दूरसंचार अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण विनियम,

भादूविप्रा द्वारा वर्ष 2008-09 के दौरान जारी किए गए विनियम

क्रमांक	विनियम	दिनांक
1.	दूरसंचार अवांछनीय वाणिज्यिक संप्रेषण (दूसरा संशोधन) विनियम, 2008 (2008 का 3)	21 अक्तूबर, 2008
2.	भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) (सातवां संशोधन) विनियम, 2008 (2008 का 4)	9 फरवरी, 2009
3.	सेवा गुणवत्ता के मानक (प्रसारण और केबल सेवाएं) (केबल टेलीविजन-गैर कैस क्षेत्र) विनियम, 2009 (2009 का 1)	24 फरवरी, 2009
4.	दूरसंचार अतरसंयोजन प्रयोग प्रभार (दसवां संशोधन) विनियम, 2009 (2009 का 2)	9 मार्च, 2009
5.	डायरेक्ट-टु-होम प्रसारण सेवाएं (सेवा की गुणवत्ता तथा शिकायत निराकरण) (संशोधन) विनियम, 2009 (2009 का 3)	12 मार्च, 2009
6.	दूरसंचार (प्रसारण और केबल) अंतरसंयोजन (पांचवा संशोधन) विनियम, 2009 (2009 का 4)	17 मार्च, 2009
7.	अंतरसंयोजन करार का रजिस्टर (प्रसारण और केबल सेवाएं) (चौथा संशोधन) विनियम, 2009 (2009 का 5)	18 मार्च, 2009
8.	भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) (आठवां संशोधन) विनियम, 2009 (2009 का 6)	20 मार्च, 2009
9.	बुनियादी टेलीफोन सेवा (वायरलाइन) तथा सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा की सेवा गुणवत्ता के मानक विनियम, 2009 (2009 का 7)	20 मार्च, 2009

2007 (2007 का 4) जारी किए। इसके अलावा, प्रभाविता में सुधार लाने के लिए मार्च, 2008 को इन विनियमों को संशोधित किया गया।

13. कुछ सेवा प्रदाताओं ने अभ्यावेदन दिए थे कि ओरिजिनेटिंग एक्सेस प्रदाता इस आधार पर शिकायतों को अग्रेषित करने को अस्वीकार कर रहे हैं कि वे उनके द्वारा सात दिन की उस अवधि के पश्चात पश्चात प्राप्त हुई हैं, जैसाकि विनियम 16 के उप-विनियम (2) में निर्दिष्ट है। जबकि सात दिन की अवधि के पश्चात सेवा प्रदाता द्वारा शिकायतों को अग्रेषित करना उक्त उप-विनियम का उल्लंघन है, इसे ओरिजिनेटिंग एक्सेस प्रदाता द्वारा ऐसी शिकायतों पर कार्यवाही न करने के लिए एक बहाने के रूप में मानने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अतः एक उपयुक्त उपबंध-अंतर्विष्ट किए जाने की आवश्यकता थी जिसमें अधिदेश दिया गया हो कि यथानिर्दिष्ट सात दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात अग्रेषित की गई शिकायतों के मामले में भी, ओरिजिनेटिंग सेवा प्रदाता विनियम 16 के उप-विनियम (3) और (4) के उपबंधों के संदर्भ में कार्यवाही करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि जो भी शिकायत उप-विनियम (1) के अनुरूप किसी सेवा प्रदाता को की गई है, वह समाधान किए बिना लंबित नहीं रह जाए।

14. प्रधान विनियम के कार्यान्वयन की संवीक्षा के दौरान, प्राधिकरण द्वारा यह देखा गया कि सेवा प्रदाताओं द्वारा सब्सक्राइबरों की शिकायतों के निपटान के लिए और जांच के परिणामों को सूचित करने के लिए तथा जिस सब्सक्राइबर ने शिकायत की है, उसे शिकायत के आधार पर की गई कार्रवाई के विषय में बताने के लिए समय-सीमाएं निर्दिष्ट किए जाने की भी आवश्यकता है। तदनुसार, प्रधान विनियमों के द्वितीय संशोधन में उपयुक्त उपबंध अंतर्विष्ट किए गए हैं, जिनमें भादूविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 13 के अंतर्गत दिए गए निदेश के तहत प्राधिकरण द्वारा समय-सीमाएं विनिर्दिष्ट की गई हैं। प्राधिकरण ने सभी एक्सेस प्रदाताओं को निदेश दिए हैं कि वे अपने स्वयं के टेलीमार्केटरों के विरूद्ध शिकायतों के मामले में 28 दिन तथा अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से संबंधित टेलीमार्केटरों के विरूद्ध शिकायतों के मामले में 35 दिन की समय-सीमा का अनुपालन करें।

15. जब कभी कोई सब्सक्राइबर एसएमएस द्वारा भेजे गए अवांछनीय वाणिज्यिक संप्रेषण की शिकायत करता है, जिसमें प्रेषणकर्ता की पहचान सामान्य दस अंक के मोबाइल अथवा फिक्सड नम्बर के अलावा किसी अन्य नम्बर के रूप में होती है, (अर्थात वर्णअंकीय नाम जैसे एसबीआई लाइफ अथवा एचएसबीसी आदि; अंकीय कोड जैसे 58888 अथवा 56262 आदि), तो सेवा प्रदाता के लिए उस सेवा प्रदाता की पहचान करने का कार्य काफी मुश्किल एवं समय लेने वाला बन जाता है, जिसके नेटवर्क से ऐसा अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण आरंभ हुआ है। अतः प्राधिकरण ने सेवा प्रदाताओं को यह निदेश दिए हैं कि सभी ऐसे वाणिज्यिक एसएमएस जिन्हें केवल प्रेषक की पहचान के साथ तथा सामान्य दस अंकीय मोबाइल नम्बर के बिना भेजा गया है, के वर्ण-अंकीय आइडेंटीफायर में प्राधिकरण द्वारा यथाविनिर्दिष्ट सेवा प्रदाता का कोड तथा सेवा क्षेत्र का कोड आगे शामिल कर दिया जाना चाहिए (उदाहरण के लिए एक्सवाई-एचएसबीसी के रूप में, जहां एक्स सेवा प्रदाता को आवंटित कोड है तथा वाई सेवा क्षेत्र के लिए प्रयुक्त किया गया है)।

सेवा गुणवत्ता के मानक (प्रसारण और केबल सेवाएं) (केबल टेलीविजन-गैर-कैस क्षेत्र) विनियम, 2009 दिनांक 24 फरवरी, 2009

16. गैर-कैस क्षेत्रों में 80 मिलियन से भी अधिक उपभोक्ता केबल टीवी सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं, जिन्हें लगभग 60,000 केबल प्रचालकों द्वारा सेवा प्रदान की जा रही है। सुस्थापित परामर्श-प्रक्रिया संचालित करने तथा आंतरिक विश्लेषण करने के पश्चात प्राधिकरण ने समूचे देश में अत्यंत विखण्डित गैर-कैस केबल टीवी नेटवर्क के लिए 24 फरवरी, 2009 को सेवा गुणवत्ता के मानक (प्रसारण और केबल सेवाएं) (केबल टेलीविजन-गैर-कैस क्षेत्र) विनियम, 2009 जारी किए। ये विनियम गैर-कैस क्षेत्रों में केबल टीवी सेवा प्रदाताओं से गुणवत्तापूर्ण सेवा प्राप्त करने के लिए उपभोक्ताओं को अधिकार प्रदान करेंगे।

17. विनियमों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैः-

- केबल सेवाओं के कनेक्शन, विच्छेदन तथा पुनः कनेक्शन के लिए प्रक्रिया सात दिन के भीतर;
- केबल प्रचालकों के लिए केबल टीवी सब्सक्राइबरों को बिल तथा रसीदें जारी करना अनिवार्य बनाना;
- हैल्पडेस्क के रख-रखाव के साथ-साथ शिकायत निपटान एवं उसका निवारण प्रतिदिन प्रातः 8:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक
- स्वैच्छिक कैस के लिए डिजिटल डिकोडिंग तथा सेट टॉप बॉक्सों के प्रावधान हेतु मानक;
- केबल प्रचालकों द्वारा अनिवार्य तकनीकी मानकों का अनुपालन किया जाएगा, जिसमें बेहतर गुणवत्ता, सब्सक्राइबर के छोर पर नापनयोग्य सिगनल क्षमता, छह घंटे की पावर बैकअप का अनुरक्षण आदि शामिल है।
- सेवा गुणवत्ता मानकों की मॉनीटरिंग।

18. उपभोक्ताओं तक लाभ पहुंचाने के लिए किसी भी विनियम का प्रभावी प्रवर्त्तन और क्रियान्वयन अनिवार्य है। अतः प्राधिकरण ने निचले स्तर पर सेवा गुणवत्ता विनियमों का प्रवर्त्तन करने के लिए जिला प्रशासन को शामिल करने के प्रयोजनार्थ राज्य सरकारों को लिखा है। वित्त वर्ष की समापित तक बारह राज्य सरकारों ने ऐसे प्रस्ताव के लिए अपनी सहमति व्यक्त कर दी है। शेष राज्य इसकी जांच कर रहे हैं तथा अन्य राज्यों से उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है। इन विनियमों के प्रभावी क्रियान्वयन को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण राज्य सरकारों के अधिकारियों को उनकी सहमति के अनुसार शक्तियां प्रत्यायोजित करने की प्रक्रिया पर साथ-साथ विचार कर रहा है। इसके अलावा, यदि केबल प्रचालकों द्वारा सेवा गुणवत्ता मानकों की पूर्ति न होने पर उपभोक्ता जिला उपभोक्ता फोरम में भी जा सकते हैं। इन विनियमों को सेवा प्रदाताओं, रेजीडेंट एसोसिएशनों द्वारा स्व-विनियमन के तौर पर भी देखा जा रहा है तथा सेवा प्रदाताओं से सब्सक्राइबरों के प्रति संवेदनशीलता एवं उत्तरदायित्व की बड़ी मात्रा की आशा की जा रही है।

19. प्राधिकरण को आशा है कि ये सेवा गुणवत्ता विनियम केबल टीवी उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने में मील का पत्थर साबित होंगे।

दूरसंचार अंतरसंयोजन उपभोग प्रभार (दसवां संशोधन) विनियम 2009 दिनांक 9 मार्च, 2009

20. अंतरसंयोजन सेवा प्रदाताओं तथा उपभोक्ताओं, दोनों ही के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब तक आवश्यक अंतरसंयोजन व्यवस्थाएं नहीं की जाएंगी, तब तक दूरसंचार उपयोगकर्ता एक-दूसरे से संपर्क स्थापित नहीं कर पाएंगे अथवा उनके लिए अपेक्षित सेवाओं से नहीं जुड़ पाएंगे। स्थानीय राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय कॉलों को संभव बनाने के लिए अनेक एक्सेस नेटवर्कों अर्थात् फिक्सड और मोबाइल, राष्ट्रीय लंबी दूरी के नेटवर्क तथा अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी के नेटवर्क को आपस में जुड़ना पड़ता है। विभिन्न सहयोगी तथा प्रतिस्पर्धी सेवा प्रदाताओं के बीच अंतरसंयोजन व्यवस्थाएं स्थापित करने तथा उनके बीच पारस्परिक संव्यवहारों में अधिक सुनिश्चितता लाने के लिए एक प्रभावी अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार (आईयूसी) प्रणाली की स्थापना करना बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी आईयूसी प्रणाली यह भी सुनिश्चित करेगी कि सभी सेवा प्रदाता युक्तिसंगत निबंधन और शर्तों पर अंतरसंयोजन सुविधाओं तथा उनके अपने ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली आवश्यक सेवाओं की एक्सेस प्राप्त करने में समर्थ रहें।

21. आईयूसी प्रणाली प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है, उपभोक्ताओं के लिए कल्याणकारी है तथा दूरसंचार के सतत विकास और देश के विकास को समर्थ बनाती है। इन अपेक्षाओं को सुकर बनाने के लिए मूल आईयूसी विनियम 29 अक्तूबर, 2003 को अधिसूचित किया गया था तथा वह 1 फरवरी, 2004 से प्रभावी हुआ। इसका उद्योग द्वारा भारी स्वागत किया गया तथा यह उद्योग के विकास और टैरिफ में कटौती में काफी प्रभावशाली सिद्ध हुआ है। प्राधिकरण ने 9 मार्च, 2009 को 'दूरसंचार अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार (दसवां संशोधन) विनियम' जारी किया, जिसकी निम्नलिखित मुख्य विशेषताएं हैः-

- समस्त प्रकार की घरेलू कॉलों के लिए अर्थात् फिक्सड से फिक्सड, फिक्सड से मोबाइल, मोबाइल से फिक्सड और मोबाइल से मोबाइल के लिए समापन प्रभार 30 पैसे प्रति मिनट से घटाकर 20 पैसे प्रति मिनट कर दिए गए हैं।
- आवक अंतरराष्ट्रीय कॉलों के लिए समापन प्रभार विद्यमान 30 पैसे प्रतिमिनट की तुलना में 40 पैसे प्रतिमिनट होंगे। प्राधिकरण को आशा है कि सेवा प्रदाता इस लाभ को जावक अंतरराष्ट्रीय कॉलों के लिए कम टैरिफ के रूप में आगे उपलबध कराएंगे।
- घरेलू लंबी दूरी की कॉलों के कैरिज पर सीलिंग को 65 पैसे प्रतिमिनट बनाए रखा गया है। इस सीलिंग को कम न करने से राष्ट्रीय लंबी दूरी के प्रचालक ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं विस्तारित करने के लिए प्रोत्साहित होंगे।
- प्रारंभन प्रभार निर्दिष्ट नहीं किए गए हैं, क्योंकि ये अन्य प्रभारों के भुगतान के पश्चात टैरिफ से अपशिष्ट हो जाएंगे। यह सेवा प्रदाताओं को नए-नए टैरिफ प्लानों को शुरू करने का लचीलापन प्रदान करेगा।
- लेवल-II ट्रंक ऑटोमेटिक एक्सचेंज से शार्ट डिस्टैंस चार्जिंग एरिया (एसडीसीए) को ट्रंजिट/कैरिज प्रभार विद्यमान 20 पैसे प्रतिमिनट के प्रभार की तुलना में 15 पैसे प्रतिमिनट होंगे।

- इंट्रा एसडीसीए ट्रंजिट प्रभार 20 पैसे प्रति मिनट से कम की तुलना में 15 पैस प्रतिमिनट से कम होंगे।
- 3जी वॉयस कॉलों के लिए समापन प्रभार 2जी वॉयस कॉलों के ही समान होंगे।

22. संशोधित प्रभार 1 अप्रैल, 2009 से प्रभावी होंगे।

डायरेक्ट-टु-होम प्रसारण सेवाएं (सेवा गुणवत्ता के मानक तथा शिकायत निराकरण) (संशोधन) विनियम, 2009 दिनांक 12 मार्च, 2009

23. डायरेक्ट-टु-होम प्रसारण सेवाएं (सेवा गुणवत्ता के मानक तथा शिकायत निराकरण) विनियम, 2007 डायरेक्ट-टु-होम सेवा की गुणवत्ता के मानक निर्धारित करने तथा सब्सक्राइबरों के हितों का संरक्षण करने के लिए जारी किए गए थे। इन विनियमों को जारी करने के समय, दूरदर्शन के अलावा केवल दो डीटीएच प्रचालक देश में डीटीएच सेवाएं प्रदान कर रहे थे। इसके बाद से, तीन नए डीटीएच प्रचालकों ने वाणिज्यिक प्रचालन शुरू कर दिए हैं तथा डीटीएच सब्सक्राइबरों की संख्या भी बढ़कर लगभग 11 मिलियन हो गई है। डीटीएच क्षेत्र में बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा तथा डीटीएच सब्सक्राइबरों की संख्या में वृद्धि के कारण डीटीएच सेवा की गुणवत्ता से संबंधित नए मुद्दे उत्पन्न हुए हैं। इन मुद्दों का समाधान करने के लिए प्राधिकरण ने प्रधान विनियम में संशोधन करते हुए 12 मार्च, 2009 को डायरेक्ट-टु-होम प्रसारण सेवाएं (सेवा गुणवत्ता के मानक तथा शिकायत निराकरण) (संशोधन) विनियम, 2009 जारी किए।

24. विनियमों के अंतर्गत किए गए मुख्य संशोधन इस प्रकार हैः-

- डीटीएच प्रचालकों को सीधी खरीद आधार पर अर्जित किए गए डीटीएच उपभोक्ता परिसर उपस्कर की वारंटी की अवधि के दौरान विजिटिंग प्रभारों अथवा डीटीएच उपभोक्ता परिसर उपस्कर की मरम्मत और अनुरक्षण के लिए कोई भी शुल्क प्रभारित करने से प्रतिषिद्ध किया गया है।
- डीटीएच प्रचालकों को उनके सब्सक्रिप्शन पैकेज में नामांकन के पहले छह माह के दौरान अथवा किसी प्री-पेड सब्सक्रिप्शन की वैधता की अवधि के दौरान, इनमें से जो भी बाद में हो, उनके सब्सक्रिप्शन पैकेजों की संरचना में परिवर्तन करने से प्रतिषिद्ध किया गया है।
- डीटीएच प्रचालकों को किसी पैकेज के लिए, जिससे नामांकन के पहले छह माह के दौरान कोई चैनल हटाया गया है अथवा किसी प्री-पेड सब्सक्रिप्शन पैकेज की वैधता की अवधि के दौरान, इनमें से जो भी अधिक अवधि का हो, सब्सक्रिप्शन प्रभारों को आनुपातिक रूप से कम करने अथवा उस चैनल को समान विषय-वस्तु और भाषा के चैनल से बदलने के लिए अधिदेशित किया गया है।
- किसी ऐसे चैनल को बदलने के लिए जोकि डीटीएच प्लेटफार्म पर उपलब्ध नहीं रहा है, किसी सब्सक्रिप्शन पैकेज में समान विषय-वस्तु और भाषा के चैनल के चयन का विकल्प डीटीएच प्रचालक को दिया गया है।
- कम प्रभारों के साथ पैकेज को पसंद करने अथवा बदले गए चैनल के साथ पैकेज लेने का विवलप सब्सक्राइबर को दिया गया है।

- किसी सब्सक्रिप्शन पैकेज की संरचना को परिवर्तन करने से पूर्व डीटीएच प्रचालक द्वारा पन्द्रह दिन का पूर्व-नोटिस दिया जाएगा।
- डीटीएच प्रचालकों को उस स्थिति में सेवाओं निलंबन के लिए डीटीएच सब्सक्राइबरों के अनुरोधों पर कार्रवाई करने के लिए अधिदेशित किया गया है, यदि निलंबन की अनुरोध की गई अवधि तीन वैलोण्डर माह से अधिक नहीं है तथा वैलोण्डर माह का भाग नहीं बनती है।

दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतरसंयोजन (पांचवां संशोधन) विनियम, 2009 दिनांक 17 मार्च, 2009

25. प्राधिकरण ने 10 दिसम्बर, 2004 को दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं अंतरसंयोजन विनियम 2004 (2004 का 13) जारी किए थे। इन विनियमों को अंतरसंयोजन के लिए सेवा प्रदाताओं के बीच करारों को शामिल करने तथा सभी प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए राजस्व साझेदारी के लिए जारी किया गया था। विभिन्न नए मुद्दों का निवारण करने के लिए इन विनियमों को समय-समय पर संशोधित किया गया। प्रसारण और केबल टीवी के क्षेत्र में हाल ही में हुए प्रौद्योगिकीय विकासों, जैसे स्वैच्छिक कैस तथा और अधिक डीटीएच प्रचालकों के प्रवेश तथा साथ ही नए उभरते हुए आईपीटीवी प्रचालकों एवं एचआईटीएस प्रचालकों के उद्भव के कारण अंतरसंयोजन से संबंधित नए मुद्दे उत्पन्न हुए हैं। इन मुद्दों का निवारण करने के उद्देश्य से, प्राधिकरण ने सुपरिभाषित परामर्शप प्रक्रिया संचालित करके तथा आंतरिक विश्लेषण करने के पश्चात दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतरसंयोजन (पांचवां संशोधन) विनियम, 2009 दिनांक 17 मार्च, 2009 को जारी किए।

26. अंतरसंयोजन विनियमों में प्रमुख संशोधन निम्नानुसार हैः-

- टीवी चैनलों के वितरकों को उन चैनलों के लिए जिनके संबंध में टीवी चैनलों के वितरकों द्वारा कैरिज शुल्क की मांग की जा रही है, किसी प्रसारक से अंतरसंयोजन विनियम के 'मस्ट प्रोवाइड' खंड के निर्बंधनों में सिगनल प्राप्त करने से बाधित किया गया है।
- टीवी चैनलों का वितरक, तथापि, अपने वितरण प्लेटफार्म पर अन्य प्रसारकों के चैनलों की तुलना में किसी प्रसारक के चैनल के प्लेसमेंट के लिए शुल्क प्रभारित कर सकेगा।
- सभी प्रसारकों के लिए सभी एडेसेबल प्रणालियों हेतु संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव रखना अनिवार्य बनाकर स्वैच्छिक कैस की शुरूआत तथा उसके क्रियान्वयन को सुकर बनाया गया है। इसके अलावा एडेसेबल प्रणालियों के लिए न्यूनतम तकनीकी विनिर्देशन भी निर्दिष्ट किए गए हैं।
- ऐसे निबंधन और शर्तें निर्दिष्ट की गई हैं जो डीटीएच अथवा किसी अन्य एडेसेबल प्रणाली, जैसे स्वैच्छिक कैस, आईपीटीवी, एचआईटीएस आदि के लिए संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव का अनिवार्यतः भाग बनती हों।
- एडेसेबल प्रणालियों को स्थापित करने वाले टीवी चैनलों के वितरकों को उनकी सेवाएं वाणिज्यिक सब्सक्राइबरों तक उपलब्ध करने के लिए समर्थ बनाया गया है।
- सभी अंतरसंयोजन करारों को लिखित रूप में किए जाने को अनिवार्य बनाया गया है।

27. यह आशा की जाती है कि विद्यमान अंतरसंयोजन विनियमों में किए गए ये संशोधन एडेसेबल प्लेटफार्मों को स्थापित करते हुए टीवी चैनलों के वितरकों के लिए कंटेंट की गैर-भेदभावपूर्ण निबंधनों पर एक्सेस को सुकर बनाने के लिए मील का पत्थर साबित होंगे, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न पे-टीवी वितरण प्लेटफार्मों के बीच अधिक प्रतिस्पर्धा आएगी, जिसमें उपभोक्ताओं को पर्याप्त लाभ प्राप्त होगा।

अंतरसंयोजन करार का रजिस्टर (प्रसारण और केबल सेवाएं) (चौथा संशोधन) विनियम, 2009 दिनांक 18 मार्च 2009

28. भादूविप्रा ने प्रसारको द्वारा विभिन्न प्लेटफार्मों के सेवा प्रदाताओं के साथ किए गए अंतरसंयोजन करारों को दायर करने तथा उनके पंजीकरण के लिए 31 दिसम्बर, 2004 को विनियम जारी किए थे। संशोधन से पूर्व, प्रसारकों एवं डीटीएच प्रचालकों द्वारा अंतरसंयोजन करारों के विवरण भादूविप्रा के पास तिमाही रूप से दायर किए जाते थे। तथापि, प्राधिकरण ने नोट किया कि उद्योग में मुख्य रूप से वार्षिक आधार पर अंतरसंयोजन करारों को हस्ताक्षरित किए जाने की प्रथा व्याप्त है और वे भी मुख्यतः एक कैलेण्डर वर्ष या वित्तीय वर्ष के लिए दायर किए जाते हैं। उद्योग के प्रथा के साथ विनियम को समंजित करने के प्रयोजनार्थ प्राधिकरण ने 18 मार्च, 2009 को अंतरसंयोजन करार का रजिस्टर (प्रसारण और केबल सेवाएं) (चौथा संशोधन) विनियम 2009 जारी किए जिसके द्वारा इन सेवा प्रदाताओं द्वारा प्राधिकरण के पास तिमाही आधार पर फाइलिंग के स्थान पर प्रति वर्ष 31 जुलाई तक वार्षिक फाइलिंग के लिए उपबंध किए गए।

29. बेहतर मॉनीटरिंग के लिए, नए उभरते हुए सेवा प्रदाताओं जैसे एचआईटीएस प्रचालक तथा आईपीटीवी सेवा प्रदाता, के लिए भी उनके प्रसारकों के साथ किए गए अंतरसंयोजन करारों को वार्षिक आधार पर प्राधिकरण के पास दायर करना अनिवार्य बनाया गया है। प्राधिकरण ने यह भी निर्णय लिया है कि समस्त अंतरसंयोजन करार प्रसारकों और एमएसओ द्वारा लिखित रूप में किए जाएंगे। यह प्रसारकों तथा एमएसओ का उत्तरदायित्व होगा कि वे ऐसे लिखित करारों को निष्पादित करने के पश्चात टीवी चैनल के वितरक को सौंप दें। इस संबंध में एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने का उपबंध भी वर्तमान विनियम में अंतर्विष्ट किया गया है। प्राधिकरण ने निर्णय लिया है कि अंतरसंयोजन फाइलिंगों को उनकी फाइलिंग की तारीख से तीन वर्ष की अवधि तक अथवा करार की वैधता की तारीख की समाप्ति, जो भी बाद में हो, तक रखा जाएगा तथा तदनुसार इस प्रयोजनार्थ विनियमों को उपयुक्त रूप से संशोधित किया गया है।

बुनियादी टेलीफोन सेवा (वायरलाइन) तथा सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा की सेवा गुणवत्ता विनियम, 2009 दिनांक 20 मार्च, 2009

30. भादूविप्रा ने वर्ष 2005 को जारी विनियमों की समीक्षा के उपरांत बुनियादी टेलीफोन सेवा (वायरलाइन) तथा सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा की सेवा गुणवत्ता पर विनियम 20 मार्च, 2009 को अधिसूचित किए। सेवा गुणवत्ता तथा विनियामक प्रवर्त्तन के ढांचे की मॉनीटरिंग और मापन को सुकर बनाने के लिए सेवा प्रदाताओं, उपभोक्ताओं तथा अन्य पणधारकों से प्राप्त नए इनपुटों पर विचारों के पश्चात सेवा गुणवत्ता विनियमों की समीक्षा की आवश्यकता हो गई थी। ऐसे

मानक, जो विषयपरक, मापनयोग्य तथा प्रमाणनीय हैं, सेवा प्रदाताओं द्वारा अनुरक्षित की जा रही सेवा की गुणवत्ता का निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण है। इन विनियमों में निर्दिष्ट सेवा गुणवत्ता मानकों की समीक्षा करते समय उपभोक्ता की अपेक्षाओं तथा आकांक्षाओं पर पर्याप्त विचार किया गया है। सेवा गुणवत्ता के लिए मानक स्थापित करने में मापदण्डों तथा बेंचमार्कों को उपभोक्ताओं के लिए अर्थपूर्ण बनाया गया है ताकि वे सूचित विकल्प करने में समर्थ बनें तथा उस गुणवत्ता के स्तर के बारे में भी जानें, जिसे वे प्राप्त कर रहे हैं।

31. परिपक्व बाजार में सेवा प्रदाताओं के बीच प्रतिस्पर्धा काफी हद तक सेवा गुणवत्ता का ध्यान रखती है। तथापि, एक्सेस प्रदाताओं के साथ सब्सक्राइबरों के संबंध के संदर्भ में निष्ठा तथा सेवा गुणवत्ता को सहन करने की परिकल्पित सहनशक्ति बनी रहती है। नई सेवाओं के उद्भव, नेटवर्कों की डिजाइनिंग तथा मानक निर्धारण में उपभोक्ता की संतुष्टि प्रमुख निर्धारक कारक हैं। किसी प्रतिस्पर्धात्मक परिदृश्य में, उपभोक्ता को आकर्षित करने तथा उसे बनाए रखने के लिए गुणवत्तापूर्ण सेवा उपलब्ध कराने की सेवा प्रदाताओं की आवश्यकता को उच्च सेवा गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने के प्रोत्साहन के रूप में कार्य करना चाहिए। इसके अलावा, बाजार में प्रभावी प्रतिस्पर्धा के लिए तथा इसके साथ-साथ उपभोक्ता जागरूकता के संवर्धन और उपभोक्ता के हित के संरक्षण हेतु सेवा गुणवत्ता के बारे में सटीक एवं अर्थपूर्ण जानकारी तक पहुंच, उपभोक्ता विकल्प पर प्रभाव डाल सकती है। तथापि, एक तेजी से विकसित होते हुए बाजार में, सेवा गुणवत्ता का पहुंच के साथ संबंध काफी प्रगाढ़ हो जाता है जिसमें विशाल अवसंरचना, उपयुक्त कैपेक्स प्रतिबद्धता तथा वहनीयता संबंधी विचार शामिल होते हैं। अतः प्राधिकरण ने इन विनियमों में यह निर्दिष्ट किया है कि सेवा गुणवत्ता मानकों को प्राप्त करने के संबंध में सेवा प्रदाताओं का कार्य-निष्पादन पारदर्शी होना चाहिए तथा वह सार्वजनिक क्षेत्र में होना चाहिए।

32. सेवा गुणवत्ता बेंचमार्कों को प्राप्त करने के लिए, सेवा प्रदाताओं को उपस्कर/नेटवर्क तथा अन्य अवसंरचना जैसे बिलिंग तथा उपभोक्ता देखरेख आदि की आयोजना बनाने, उसका इष्टतम उपयोग करने, उसे उन्नत बनाने तथा उसकी क्षमता में वृद्धि करने की आवश्यकता है।

33. प्राधिकरण सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की गई सेवा की गुणवत्ता के तुलनात्मक निष्पादन को प्रकाशित करेगा ताकि उपभोक्ताओं के पास संसूचित विकल्प उपलब्ध हो सके। यह सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सेवा प्रदाताओं के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा करेगा तथा सेवा गुणवत्ता पर प्रभावी प्रतिस्पर्धा के लिए परिस्थितियां सृजित करेगा। यह सामान्यतया उपभोक्ताओं को लाभान्वित करेगा तथा सेवा गुणवत्ता में सुधार लाएगा।

3.1.3 टैरिफ की निगरानी

34. भारत में दूरसंचार सेवाओं के लिए टैरिफ विनियम वर्ष 1999 में दूरसंचार टैरिफ आदेश की एक अधिसूचना के साथ प्रारंभ हुआ था। इस आदेश से देश में दूरसंचार सेवाओं के लिए व्यापक तथा दीर्घकालिक नीतिगत ढांचे का उपबंध किया गया था । इस आदेश द्वारा प्रारंभ हुए टैरिफ सुधार टैरिफ विनियमन के लिए एक संगत तथा पारदर्शी ढांचे का उपबंध करने पर लक्ष्यित थे जिसने टैरिफ नीति सुधार की दिशा में निवेशकों को

स्पष्ट संकेत प्रदान किए । टैरिफ नीति ने यह तथ्य स्वीकार किया कि लागत आधारित टैरिफ प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा ही एक वैकल्पिक एवं पसंदीदा मार्ग है। प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत, न केवल टैरिफ लागतोन्मुखी होते हैं, साथ ही नई प्रौद्योगिकियां तथा उत्पादों को शुरू करने पर भी अत्यधिक ध्यान केन्द्रित किया जाता है।

35. भादूविप्रा प्रतिस्पर्धा को सुकर बनाने वाली उपयुक्त विनियामक नीतियों और उपायों के माध्यम से वहनीय टैरिफ प्राप्त करने में सफल रहा है तथा साथ ही यह सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नीतियों के क्रियान्वयन के लिए एक पारदर्शी आर्थिक सहायता तंत्र स्थापित करने में भी कामयाब रहा है। यह नीति विनियमित प्रचालकों की वित्तीय व्यवहार्यता उपलब्ध कराने, क्षेत्र में कार्यकुशलता को प्रोत्साहित करने तथा सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति में सफल रहा है। इसके परिणाम सब्सक्राइबर आधार के अत्यधिक विकास तथा टैरिफों में कटौती से स्पष्ट हैं। भारतीय दूरसंचार नेटवर्क विश्व में तेजी से विकसित होता हुआ नेटवर्क है तथा आकार और प्रयोग के संदर्भ में यह दूसरा विशालतम नेटवर्क है।

36. उपभोक्ता टैरिफों में हुई पर्याप्त कमी से पर्याप्त रूप से लाभान्वित हुए है जोकि भादूविप्रा के विनियामक उपायों के पलास्वरूप हुई है। हाल ही के वर्षों में भारत में दूरसंचार टैरिफ, विशेष रूप से मोबाइल, राष्ट्रीय लंबी दूरी तथा अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी खंडों में तेजी से गिरावट हुई है। टैरिफ में कमी, जो विनियामक द्वारा वर्ष 1999 में दूरसंचार टैरिफ आदेश की अधिसूचना के साथ प्रारंभ हुई थी, उसके बाद से निरंतर जारी है । कुछ वर्ष पूर्व मोबाइल से एक स्थानीय कॉल प्रति मिनट लगभग 15/- रु0 के आस-पास प्रभारित की जाती थी । मोबाइल सब्सक्राइबरों द्वारा प्राप्त की जाने वाली आवक कॉलों के लिए भी इसी प्रकार के प्रभार देय थे। आज यह जावक कॉलों के लिए 1/- रु0 प्रति मिनट से भी कम हो गई है तथा आवक कॉलों के लिए पूरी तरह से कोई प्रभार नहीं है। मुंबई तथा दिल्ली के बीच एक मिनट की कॉल पूर्व - टीटीओ 1999 की अवधि में 37/- रु0 से भी अधिक की होती थी, वही कॉल आज लगभग 1/- रु0 की स्थानीय कॉल की दर से की जा सकती है। इसी प्रकार, समय के साथ-साथ भारत से अमरीकी महाद्वीप को की जाने वाली एक कॉल की दर 75/- रु0 से कम होकर 7/- रु0 प्रति मिनट हो गई है। सब्सक्राइबरों के पास अपने प्रयोग प्रोफाइल के अनुसार बाजार में पसंद करने के लिए बड़ी संख्या में विकल्प उपलब्ध हो गए हैं। अधिकांश प्रचालकों द्वारा ऐसी स्कीमों की पेशकश की जा रही है जिनमें सब्सक्राइबरों का बिना किसी नियत आवर्ती प्रभार का भुगतान किए आजीवन कनेक्टिविटी का आश्वासन दिया जाता है। भादूविप्रा के टैरिफ विनियमों के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं के लिए ऐसे अनोखे विकल्प उपलब्ध हुए हैं जिनमें वह किसी टैरिफ वृद्धि की आशंका से मुक्त होकर उनके सेवा प्रदाता की समग्र लाइसेंसिंग अवधि के लिए किसी विशेष टैरिफ को प्राप्त कर सकते हैं।

37. दूरसंचार टैरिफ आदेश (टीटीओ), 1999 सेवा प्रदाता के लिए यह अनिवार्य बनाता है कि वह सभी नए टैरिफ प्लानों तथा विद्यमान टैरिफ प्लानों में किए गए परिवर्तनों के बारे में कार्यान्वयन की तारीख से सात दिन के भीतर प्राधिकरण को सूचित करे। टीटीओ के उपबंधों के साथ अनुरूपता बनाए रखने तथा अन्य विनियामक निवारणों हेतु दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से प्राप्त टैरिफ आदेशों की सावधानीपूर्वक संवीक्षा की जाती है।

38. सेवा प्रदाताओं के लिए राजस्व तथा विद्यमान टैरिफ प्लानों पर तिमाही रिपोर्टें प्रेषित

करना भी अपेक्षित है। औसत राजस्व प्रति प्रयोक्ता (एआरपीयू) तथा टैरिफ में प्रवृत्तियों का आकलन करने के लिए इन रिपोर्टों को विश्लेषण किया जाता है तथा तिमाही रिपोर्टों से प्राप्त निष्कर्षों को विनियामक नीतियां तैयार करने के लिए इनपुट के रूप में प्रयोग किया जाता है।

3.1.4 टैरिफ संबंध अन्य मामले

39. प्राधिकरण ने दूरसंचार टैरिफ आदेश में संशोधन करके तथा पारदर्शिता और उपभोक्ता संरक्षण में वृद्धि करने के लिए 1 सितम्बर, 2008 को एक निदेश जारी करके सेवा प्रदाता के लिए विशिष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-

- सेवा प्रदाताओं को निदेश दिया गया है कि वे दूरसंचार उपभोक्ताओं को उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रत्येक टैरिफ प्लान पर महत्वपूर्ण टैरिफ जानकारी स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराएं अर्थात अंग्रेजी के अलावा किसी ऐसी भाषा में जिसे प्रयोग में लाया जा रहा है।
- सेवा प्रदाताओं को यह सुनिश्चित करने के निदेश दिए गए हैं कि ऐसी जानकारी ऐसे सेवा प्रदाताओं के सभी रिटेल आउटलेटों पर तथा साथ ही साथ उनके फ्रेंचाइजियों के सभी रिटेल आउटलेटों पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित की जाए।
- सभी एक्सेस सेवा प्रदाता जनता के लिए उनकी प्रोत्साहक पेशकशों को प्रकाशित करते समय ऐसी प्रोत्साहक पेशकश के पात्रता मानदण्ड अवश्य निर्दिष्ट करेंगे तथा पेशकश के आरंभ एवं समाप्त होने वाली तारीखों (नब्बे दिन की विद्यमान सीमा के भीतर) का भी उल्लेख होगा।
- एक्सेस प्रदाता किसी ऐसे दूरसंचार उपभोक्ता द्वारा, जो प्लानों में अथवा पोस्टपेड एवं प्री-पेड प्लेटफार्मों में अंतरण करना चाहता है, नए सिम को प्राप्त करने अथवा टेलीफोन नम्बर बदलने जैसी अपेक्षाओं की कोई शर्त या बाधार (टैरिफ अथवा गैर-टैरिफ) निर्दिष्ट नहीं करेगा। यह बात प्रचालनात्मक व्यवहार्यता के अध्यधीन प्री-पेड प्लेटफार्म से पोस्ट-पेड प्लेट फार्म में अंतरण के संबंध में लागू होगी।
- ब्लैक आउट दिवस (पारंपरिक/त्योहार दिवस जिनमें निःशुल्क/छूट पर कॉलें/एसएमएस उपलब्ध नहीं होते हैं) एक कैलेण्डर वर्ष में अधिकतम 5 दिन तक सीमित होंगे। ऐसे दिवसों को पूर्व-निर्दिष्ट किया जाएगा तथा किसी पश्चातवर्ती/परिवर्तन अथवा परिवर्धन की अनुमति नहीं होगी।
- सब्सक्राइबरों को टॉक टाइम रीचार्जों पर पूरा टॉकटाइम प्राप्त होगा, सिवाए एक प्रशासनिक शुल्क के, जो प्रति रीचार्ज 2 रु0 तथा लागू करों से अधिक नहीं होगा।
- सब्सक्राइबर प्रत्यक्ष टैरिफ कटौतियों के लाभ को स्वतः ही प्राप्त कर लेंगे तथा इसमें सब्सक्राइबर द्वारा कोई स्पष्ट कार्रवाई उदाहरण के लिए एसएमएस भेजना, आदि की कोई पूर्व-शर्त शामिल नहीं होगी।
- विद्यमान लाइफटाइम प्लानों वाले उपभोक्ता बिना किसी अतिरिक्त भुगतान अथवा रीचार्जों के निम्न प्रवेश शुल्क के साथ नए लाइफटाइम प्लानों के अंतरित हो सकते हैं।

- सेवा प्रदाता वायदा की गई आजीवन वैधता अवधि के दौरान संपर्क बनाए रखने के लिए आजीवन प्लानों में छह माह से कम की अवधियों के बीच रीचार्ज करवाने के लिए अनुरोध नहीं करेंगे।

3.2 नए सेवा प्रदाताओं के प्रवेश के लिए आवश्यकता एवं समय तथा नए सेवा प्रदाता के लिए लाइसेंस के निबंधन एवं शर्तों पर सिफारिशें

40. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11 (1) (क) के अंतर्गत प्राधिकरण को या तो स्वयं अथवा लाइसेंस अर्थात दूरसंचार विभाग अथवा प्रसारण और केबल सेवाओं के मामले में सूचना और प्रसारण मंत्रालय से अनुरोध प्राप्त होने पर सिफारिशें करना अपेक्षित है। वर्ष 2008-09 में, प्राधिकरण द्वारा **तालिका 3.3** में वर्णित सिफारिशें सरकार को की गईं।

फिक्सड लाइन टेलीफोनों के लिए एकीकृत टेलीफोन डायरेक्ट्री के प्रकाशन हेतु निबंधन और शर्तों पर सिफारिशें दिनांक 24 अप्रैल, 2008

41. इस मुद्दे पर प्राधिकरण की दिनांक 5 मई, 2005 की पूर्व सिफारिशों के अनुक्रम में दूरसंचार विभाग ने फिक्सड लाइन टेलीफोनों के लिए सेकेण्डरी स्विचिंग एरिया (एसएसए)-वार एकीकृत प्रिंटेड टेलीफोन डायरेक्ट्री के लिए निबंधन और शर्तें मांगी थीं जिनमें डायरेक्ट्री के मुद्रण पर विस्तृत दिशा-निर्देश तथा सेवा प्रदाताओं को जारी किए जाने वाले दिशा-निर्देश भी शामिल थे। परामर्श-प्रक्रिया तथा अपने स्वयं के विश्लेषण के आधार पर भादूविप्रा ने फिक्सड लाइन टेलीफोनों के लिए सेकेण्डरी स्विचिंग एरिया (एसएसए)-वार एकीकृत टेलीफोन डायरेक्ट्री के प्रकाशन के लिए निबंधन और शर्तों पर अपनी सिफारिशें तैयार कीं।

42. सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार है:

- डायरेक्ट्री के मुद्रण के कार्य को लाइसेंस सेवा क्षेत्र आधार पर चयनित एजेंसियों के प्राधिकृतीकरण के माध्यम से शुरू किया जाएगा।
- फिक्सड लाइन टेलीफोन की डायरेक्ट्री को द्वि-वार्षिक आधार पर मुद्रित किया जाएगा। प्रथम वर्ष मुख्य डायरेक्ट्री तथा एक वर्ष के अंतराल पर अनुपूरक डायरेक्ट्रियां।
- पहले छह वर्षों तक केवल एक ही प्राधिकृत एजेंसी होगी।
- टेलीफोन डायरेक्ट्रियों के अनुभवी मुद्रकों के मध्य खुली बोली के आधार पर चयन।
- टेलीफोन सब्सक्राइबरों द्वारा 'ऑप्ट-आउट' दृष्टिकोण का अनुपालन किया जाएगा। नए उपभोक्ताओं के लिए नामांकन-प्रपत्र में विवल्प के लिए प्रावधान प्रचालकों द्वारा किया जाएगा।
- टेलीफोन निर्देशिका का मूल्य-निर्धारण चयन मापदण्ड के अनुसार किया जाएगा।
- सेवा प्रदाताओं द्वारा वेबसाइट पर टेलीफोन डायरेक्ट्री के प्रकाशन के लिए भादूविप्रा अवधारण/दिशा-निर्देश जारी करेगा।

43. प्राधिकरण ने फिक्सड लाइन टेलीफोनों के लिए एसएसए-वार एकीकृत टेलीफोन डायरेक्ट्री के मुद्रण के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी उपलब्ध कराए हैं। उक्त सिफारिशों के अनुरूप टेलीफोन डायरेक्ट्री से संबंधित

तालिका 3.3 : वर्ष 2008-09 की अवधि के दौरान प्राधिकरण द्वारा की गई सिफारिशों की सूची

क्रमांक	शीर्षक	जारी करने की तारीख
1.	फिक्सड लाइन टेलीफोनों के लिए एकीकृत टेलीफोन डायरेक्ट्री के प्रकाशन हेतु निबंधन और शर्तों पर सिफारिशें	24 अप्रैल 2008
2.	3जी स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए नए एंटाइटियों को अनुमति देने के लिए सिफारिश	25 अप्रैल 2008
3.	प्रसारण क्षेत्र के लिए विदेशी निवेश सीमाओं पर सिफारिशें	26 अप्रैल 2008
4.	फिक्सड और मोबाइल टेलीफोनों के लिए राष्ट्रीय एकीकृत डायरेक्ट्री पूछताछ सेवा (एनआईडीक्यूएस) के लिए निबंधन और शर्तों पर सिफारिशें	19 जून 2008
5.	2.3-2.4 जीएसजैड, 2.5-2.69 जीएसजैड तथा 3.3-3.6 जीएसजैड बैंडों के लिए आवंटन तथा मूल्य-निर्धारण पर सिफारिशें2.3-2.4 जीएसजैड, 2.5-2.69 जीएसजैड तथा 3.3-3.6 जीएसजैड बैंडों के लिए आवंटन तथा मूल्य-निर्धारण पर सिफारिशें	11 जुलाई 2008
6.	3जी सेवाओं के लिए रिजर्व मूल्य तथा बोली प्रक्रिया हेतु दूरसंचार विभाग द्वारा प्रस्तावित आशोधनों पर सिफारिशे	12 जुलाई2008
7.	स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभारों तथा एकबारीय स्पेक्ट्रम संवर्धन प्रभारों पर दूरसंचार विभाग द्वारा प्रस्तावित आशोधनों पर सिफारिशें	16 जुलाई2008
8.	केबल टीवी सेवाओं के पुनर्गठन पर सिफारिशे	25 जुलाई2008
9.	मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर (एमवीएनओ) पर सिफारिशें	6 अगस्त 2008
10.	इंटरनेट टेलीफोनी से संबंधित मुद्दो पर सिफारिशें	18 अगस्त 2008
11.	टेलीविजन दर्शक मापन/टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट्स (टीआरपी) के लिए नीतिगत दिशा-निर्देशों तथा प्रचालनात्मक मुद्दों पर सिफारिशें	19 अगस्त 2008
12.	राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी प्रचालकों द्वारा कॉलिंग कार्डों के प्रावधान पर सिफारिशें	20 अगस्त 2008
13.	प्रसारण और वितरण क्रियाकलापों में किसी सत्ता के प्रवेश के संबंध में मुद्दों पर सिफारिशें	12 नवम्बर 2008
14.	प्राइवेट एफएफ रेडियो प्रसारण के तीसरे चरण पर सिफारिशें-सरकार द्वारा की गई टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया	28 नवम्बर 2008
15.	3जी सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार पर दूरसंचार विभाग द्वारा सुझाए गए आशोधनों पर सिफारिशें	9 दिसम्बर 2008
16.	मूल्यवर्धित सेवाओं के विकास तथा विनियामक मुद्दों पर सिफारिशें	13 दिसम्बर 2009
17.	मीडिया स्वामित्व पर सिफारिशें	25 दिसम्बर 2009
18.	प्रोत्साहक की इक्विटी के लिए लॉक-इन अवधि तथा एकीकृत एक्सेस सेवा लाइसेंसियों (यूएएसएल) से संबंधित अन्य मुद्दों पर सिफारिशें	12 फरवरी 2009
19.	ग्रामीण टेलीफोनी पर दृष्टिकोण - संवर्धित विकास के लिए सुझाए गए उपायों पर सिफारिशें	19 मार्च 2009

भारतीय तार नियम, 1951 में संशोधन करने के लिए सिफारिशें की गई हैं। टेलीफोन डायरेक्ट्री सेवाओं के लिए समान उपबंध करने के उद्देश्य से विभिन्न एक्सेस सेवा लाइसेंसों में संशोधन करने के लिए भी सिफारिशें की गई हैं।

44. भादूविप्रा को आशा है कि ये सिफारिशें देश में फिक्सड लाइन टेलीफोनों के लिए एकीकृत डायरेक्ट्री के प्रकाशन का मार्ग प्रशस्त करेंगी।

3जी स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए नए एंटाइटियों को अनुमति देने के लिए सिफारिशें दिनांक 25 अप्रैल, 2008

45. भादूविप्रा ने '3जी एवं बीडब्ल्यूए सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम के आवंटन तथा मूल्य-निर्धारण' पर दूरसंचार विभाग को अपनी सिफारिशें 27 सितम्बर, 2006 को प्रेषित की थीं। उक्त सिफारिशों में, प्राधिकरण ने सिफारिश की थी कि "3जी सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन उचित एक-समान मानकों का प्रयोग करते हुए सभी पात्र यूएएसएल तथा सीएमएसपी को किया जाना चाहिए।''

46. उक्त सिफारिशों के प्रत्युत्तर में दूरसंचार विभाग ने 3जी स्पेक्ट्रम के लिए अन्य संभावित भारतीय/विदेशी प्रचालकों के भाग लेने पर प्राधिकरण की राय मांगी थी। प्राधिकरण ने दूरसंचार विभाग के संदर्भ पर अपनी पूर्व की सिफारिशों की समीक्षा की तथा पर्याप्त विचार-विमर्श के पश्चात अपनी सिफारिशें निम्नानुसार दीः-

- 3जी लाइसेंसों के लिए बोली विद्यमान यूएएसएल/सीएमएसपी लाइसेंसियों के लिए ही सीमित होनी चाहिए।
- बोली के लिए स्पेक्ट्रम माड्यूल 2x5 एमएचजैड होना चाहिए।
- पूर्व में अनुशंसित बोली माध्यम से स्वीकार किया जाए।
- बोली की अवस्था पर स्पेक्ट्रम की कुल उपलब्धता को सार्वजनिक किया जाए ताकि बोलीदाता बोली द्वारा निर्धारित मूल्य पर आवंटन के प्रथम तथा पश्चातवर्ती चरण के बारे में पूरी तरह अवगत हो सकें। यह परिकल्पना की गई है कि विद्यमान लाइसेंसियों के लिए अपेक्षित स्पेक्ट्रम की कुल मात्रा एक ही बार में उपलब्ध नहीं होगी। इसी संदर्भ में, प्राधिकरण ने यह अनुशंसा की है कि जिन्हें पहले चरण में खपाया नहीं जा सकेगा, उन्हें प्रतीक्षा में रखा जाएगा तथा स्पेक्ट्रम उपलब्ध होने पर उन्हें उन्हीं निबंधन और शर्तों पर आवंटित किया जाएगा, जैसेकि प्रथम चरण में लाइसेंसियों को प्रदान किया गया है।
- भविष्य में संभावित प्रौद्योगिकीय उन्नतियों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने तीन वर्ष के पश्चात समीक्षा की अनुशंसा की है।

प्रसारण क्षेत्र के लिए विदेशी निवेश सीमाओं पर सिफारिशें दिनांक 26 अप्रैल, 2007

47. प्रसारण क्षेत्र के लिए विदेशी निवेश सीमाओं पर सिफारिशें 26 अप्रैल, 2008 को सरकार को भेजी गई थीं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने दिनांक 11 दिसम्बर, 2007 के पत्र द्वारा प्रसारण क्षेत्र के विभिन्न खण्डों के लिए विदेशी निवेश सीमाओं पर प्राधिकरण की सिफारिशें मांगी थीं। अपने परामर्शी दृष्टिकोण के अनुरूप, प्राधिकरण ने सरकार को अपनी सिफारिशें देने से पूर्व 3 मार्च, 2008 को एक परामर्श-पत्र जारी किया जिसमें पणधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित की गई थीं।

क्र0सं0	खण्ड	विद्यमान सीमा	सिफारिशें
1.	टेलीपोर्ट (हब)	49 % (एफडीआई+एफआईआई)	74% (एफडीआई+एफआईआई)
2.	डीटीएच	49 % (एफडीआइ+एफआईआई) एफडीआई अवयव 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा	74% (एफडीआई+एफआईआई)
3.	उपग्रह रेडियो	आज तक कोई नीति नहीं।	अलग से भेजी जा रही है
4.	एचआईटीएस	आज तक कोई नीति नहीं।।	74 % (एफडीआई+एफआईआई)
5.	केबल नेटवर्क	49 % (एफडीआई+एफआईआई)	74 % (एफडीआई+एफआईआई)
6.	एफएम रेडियो	20 % (एफडीआई+एफआईआई)	49 % (एफडीआई+एफआईआई)
7.	टीवी चैनलों की डाउनलिंकिंग	100 %	यथास्थिति
8.	टीवी समाचार चैनलों की अपलिंकिंग	26 % (एफडीआई+एफआईआई)	49 % (एफडीआई+एफआईआई)
9.	गैर-समाचार चैनलों की अपलिंकिंग	100 %	यथास्थिति
10.	मोबाइल टेलीविजन	आज तक कोई नीति नहीं	74 % (एफडीआई+एफआईआई)

* विदेशी उपग्रह रेडियो प्रचालक का अनुमोदन एफआईपीबी रूट के माध्यम से दिया जाता है
** एचआईटीएस के लिए अनुमति दो टेलीपोर्ट लाइसेंसियों को दी जाती है (49 प्रतिशत विदेशी निवेश सीमा)

48. प्राधिकरण की सिफारिशों के साथ प्रसारण क्षेत्र के विभिन्न खण्डों के लिए विदेशी निवेश सीमाओं की वर्तमान स्थिति को ऊपर तालिका में दिया गया है।

49. सिफारिशों में अनुमोदन के लिए पद्धति तथा यह सुझाव भी शामिल है कि कैरिज सेवाओं के लिए 74 प्रतिशत (जहां लागू है) की सम्मिलित विदेश निवेश सीमा के भीतर 49 प्रतिशत तक के विदेशी निवेश की अनुमति स्वचालित रूट के अंतर्गत दी जाएगी, तथा इसके ऊपर एफआईपीबी का अनुमोदन अपेक्षित होगा जैसाकि दूरसंचार क्षेत्र के लिए विनिर्दिष्ट किया गया है। कंटेंट सेवाओं के लिए, यह सुझाव दिया गया है कि विदेशी निवेशों के लिए एफआईपीबी अनुमोदन अपेक्षित होगा। प्रसारण के विभिन्न खण्डों में विदेशी निवेश के आवलान हेतु क्रियाविधि का मानकीकरण किए जाने का भी प्रस्ताव है। इस दिशा में, यह सिफारिश की गई है कि विदेशी निवेश के आवलान के लिए दूरसंचार क्षेत्र में प्रयोग की जा रही क्रियाविधि को प्रसारण क्षेत्र के लिए भी अपनाया जाना चाहिए।

फिक्सड और मोबाइल टेलीफोनो के लिए राष्ट्रीय एकीकृत डायरेक्ट्री पूछताछ सेवा (एनआईडीक्यूएस) के लिए निबंधन और शर्तों पर सिफारिशें दिनांक 19 जून, 2008

50. एक बहु-प्रचालक, बहु सेवा परिदृश्य में एकीकृत डायरेक्ट्री पूछताछ सेवा बहुत अनिवार्य है। इस संबंध में, भादूविप्रा ने राष्ट्रीय एकीकृत डायरेक्ट्री पूछताछ सेवा (एनआईडीक्यूएस) की शुरूआत के लिए स्वयं अपनी ओर से सिफारिशें मई, 2005 में सरकार को सौंपी थी। तदंतर, दूरसंचार विभाग ने भादूविप्रा से सिफारिशें मांगीं। इसके पश्चात, सार्वजनिक

परामर्शों के दौरान पणधारकों से प्राप्त टिप्पणियों पर विचार करने के पश्चात भादूविप्रा ने राष्ट्रीय एकीकृत डायरेक्ट्री पूछताछ सेवा (एनआईडीक्यूएस) के लिए लाइसेंस के प्रभावी निबंधन और शर्तों के लिए 19 जून, 2008 को अपनी सिफारिशें तैयार कीं। अपनी सिफारिशों में प्राधिकरण ने राष्ट्रीय एकीकृत डायरेक्ट्री पूछताछ सेवा (एनआईडीक्यूएस) के लिए लाइसेंस के निबंधन और शर्तों को पुनः दोहराया तथा मुख्य रूप से निम्नलिखित पहलुओं पर बल प्रदान कियाः-

- **लाइसेंस की व्याप्तिः** लाइसेंसी को राष्ट्रीय एकीकृत डायरेक्ट्री पूछताछ सेवा (एनआईडीक्यूएस) प्रदान करना होगा, जिसमें फिक्सड लाइन तथा सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा, दोनों ही शामिल होगी। ग्राहक अपने एक्सेस सेवा प्रदाताओं के माध्यम से राष्ट्रीय एकीकृत डायरेक्ट्री पूछताछ सेवा को एक्सेस कर सकेंगे। सेवा क्षेत्र के भीतर स्थानीय डायरेक्ट्री पूछताछ सेवा तथा राष्ट्रीय डायरेक्ट्री पूछताछ/ येलो पेज़ेज के लिए अलग-अलग एक्सेस कोड होंगे तथा उनके लिए तदनुसार पृथक रूप से प्रभार लिया जाएगा। बीएसएनएल/एमटीएनएल तथा अन्य सेवा प्रदाता अपने स्वयं के ग्राहकों के लिए कोड 197 पर स्थानीय डायरेक्ट्री पूछताछ सेवा उपलब्ध करा सकेंगे तथा एनआईडीक्यूएस लाइसेंसी शार्ट मैसेज सर्विस (एसएमएस) एकीकृत वॉयस रिस्पांस सिस्टम (आईवीआरएस), इंटरनेट (वेब-आधारित, ई-मेल आदि) जैसे अन्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से सेवा प्रदान करेंगे।
- **बाजार ढांचा तथा लाइसेंसों की संख्याः** प्रारंभ में, पात्रता मानदण्ड के आधार पर खुली बोली प्रक्रिया के माध्यम से दो लाइसेंस जारी किए जाएंगे। बीएसएनएल, यदि एनआईडीक्यूएस प्रदान करने का विकल्प लेता है, तो लाइसेंस ले सकता है, तथा बीएसएनएल को बोली में भाग लेने से छूट दी जा सकती है और इसे दूरसंचार विभाग के निर्धारण के अनुसार, लाइसेंसी के लिए यथालागू निबंधन और शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- **पात्रता मानदण्डः** पात्रता मानदण्ड में शामिल है दूरसंचार नेटवर्क प्रचालनों अथवा आईटी समर्थ सेवाओं (आईटीईएस) में तीन वर्ष का अनुभव, 100 करोड़ रु0 की न्यूनतम निवल राशि तथा 74 प्रतिशत की एफडीआई सीमा। आवेदक को एक सार्वजनिक कंपनी अथवा एक सरकारी कंपनी हो, जैसाकि कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत निर्दिष्ट है।
- **प्रवेश शुल्कः** एनआईडीक्यूएस के लिए 1 करोड़ रू0 का न्यूनतम रिजर्व मूल्य एकबारीय प्रवेश शुल्क के रूप में निर्धारित किया जाए।
- **लाइसेंस शुल्कः** एनआईडीक्यूएस के लिए लाइसेंस शुल्क एनआईडीक्यूएस प्रदाता के सकल राजस्व का 6 प्रतिशत होगा।
- **निष्पादन दायित्वः** एनआईडीक्यूएस प्रदाता प्रथम वर्ष में ग्यारह सेवा क्षेत्रों में तथा दूसरे वर्ष शेष सेवा क्षेत्र में सेवा क्रियान्वित करेगा।
- **बैंक गारंटी** दो वर्ष के लिए 2.5 करोड़ रु0 की अल्प निष्पादन बैंक गारंटी।
- लाइसेंस की अवधिः लाइसेंस की अवधि प्रारंभ में 10 वर्ष के लिए हो सकती है

जो 10 वर्ष और तक नवीकृत की जा सकेगी।

- **डाटा शेयरिंग तथा डाटा सुरक्षाः** लाइसेंसी आईओएस मानकों तथा संरक्षण उपायों के अनुरूप प्रक्रियाओं को अपनाएगा तथा वह लाइसेंसर द्वारा लेखापरीक्षा/सत्यापन के अध्यधीन होगा।
- **डायरेक्ट्री पूछताछसेवा के लिए एनआईडीक्यूएस में सूचीबद्धताः** एक्सेस सेवा प्रदाता 'ऑप्ट-इन अप्रोच' (ऐसे ग्राहक जो अपने नाम डायरेक्ट्री में शामिल कराना चाहते हैं) अथवा 'ऑप्ट-आउट अप्रोच' (ऐसे ग्राहक जो अपने नाम डायरेक्ट्री से बाहर रखना चाहते हैं) के लिए ग्राहकों से विकल्प प्राप्त करेगा।
- **अंतरसंयोजनः** सभी एक्सेस सेवा प्रदाताओं के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे प्रत्येक एनआईडीक्यूएस लाइसेंसी के प्रत्येक सेवा क्षेत्र में प्वाइंट-ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) पर अपनी स्वयं की लागत पर परियात अपेक्षा के अनुसार सर्किटों (ई1) की पर्याप्त संख्या को टर्मिनेट करें, जहां एनआईडीक्यूएस लाइसेंसी द्वारा एक्सेस सेवा प्रदाताओं को बिना किसी पोर्ट प्रभार के पर्याप्त संख्या में पोर्ट (ई1) प्रदान किए गए हैं।
- राजस्व साझेदारी राजस्व साझेदारी सिफारिशों में शामिल हैं डायरेक्ट्री पूछताछ के लिए कॉल प्रभार जिनका संग्रहण एक्सेस प्रदाताओं द्वारा किया जाएगा तथा उसका हिस्सा एनआईडीक्यूएस प्रदाताओं को अदा किया जाएगा। राजस्व शेयर एनआईडीक्यूएस प्रदाता तथा एक्सेस सेवा प्रदाता के बीच गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर पारस्परिक बातचीत के आधार पर तय किया जा सकता है। भादूविप्रा भी समय-समय पर एनआईडीक्यूएस प्रदाता तथा एक्सेस सेवा प्रदाता के बीच राजस्व शेयर का निर्धारण कर सकता है।
- **टैरिफः** टैरिफ प्रविरत के अधीन रखे जा सकते हैं, जिसे एनआईडीक्यूएस प्रदाताओं द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।
- **एनआईडीक्यूएस के लिए अवधारण/दिशा-निर्देशः** प्राधिकरण दूरसंचार विभाग द्वारा प्रस्तावित लाइसेंस जारी किए जाने के पश्चात एनआईडीक्यूएस के लिए आवश्यक अवधारण/दिशा-निर्देश जारी करेगा।

51. प्राधिकरण आशा करता है कि ये सिफारिशें देश में फिक्सड लाइन तथा सेल्युलर मोबाइल टेलीफोनों के लिए राष्ट्रीय एकीकृत डायरेक्ट्री पूछताछ सेवा (एनआईडीक्यूएस) के प्रावधान का मार्ग प्रशस्त करेंगी।

2.3-2.4 जीएसजैड, 2.5-2.69 जीएचजैड तथा 3.3-3.6 जीएसजैड बैंडों के लिए आवंटन तथा मूल्य-निर्धारण पर सिफारिशें दिनांक 11 जुलाई, 2009

52. प्राधिकरण ने 3जी सेवाओं तथा ब्रॉडबैंड वायरलैस एक्सेस (बीडब्लयूए) सेवाओं के लिए आवंटन तथा मूल्य-निर्धारण पर सरकार को 27 सितम्बर, 2006 को अपनी सिफारिशें दीं। जब प्राधिकरण ने अपनी सिफारिशें दी थीं, 2.3-2.4 जीएचजैड तथा 2.5-2.69 जीएचजैड बैंडों में स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए उपलब्ध नहीं था, अतः प्राधिकरण ने यह सिफारिश की कि इन बैंडों में स्पेक्ट्रम के आवंटन तथा मूल्य-निर्धारण क्रियाविधि का निर्णय तब लिया जाएगा, जब ये उपलब्ध हो जाएंगे। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए हाल

ही में विश्व रेडियो कांग्रेस, 07 (डब्ल्यूआरसी, 07) में इन बैंडों को अंतरराष्ट्रीय मोबाइल दूरसंचार (आईएमटी) बैंडों के रूप में पहचाना गया है, तथा अब इन बैंडों के लिए स्पेक्ट्रम बीडब्ल्यूए सेवाओं के लिए आवंटन हेतु उपलब्ध है, प्राधिकरण ने ये सिफारिशें की हैं। प्रौद्योगिकीय उन्नति के आधार पर, तथा स्पेक्ट्रम के लिए आवंटन की उपलब्धता को देखते हुए प्राधिकरण ने 2 मई, 2008 को परामर्श-पत्र जारी किया। पणधारकों से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर तथा स्वयं के विश्लेषण के अनुसार प्राधिकरण ने अपनी सिफारिशें कीं। सिफारिशों का सार नीचे दिया गया है

- 2.3-2.4 जीएचजैड, 2.5-2.69 जीएचजैड तथा 3.3-3.4 जीएचजैड, यूएएसएल, सीएमएसपी और श्रेणी 'क' एवं 'ख' के स्पेक्ट्रम बैंडों के आईएसपी स्पेक्ट्रम के लिए बोली में भाग लेने के लिए पात्र होने चाहिए।
- सर्किल स्तर प्रचालन में अंतरण के पश्चात 3.3-3.4 एमएचजैड में बचे हुए स्पेक्ट्रम की 2x7 एमएचजैड के ब्लॉक में अन्य सेवा प्रदाताओं को बोली कर दी जानी चाहिए, ताकि विद्यमान सेवा प्रदाताओं के साथ समान प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित की जा सके। वे सेवा प्रदाता जिनके पास पहले से ही 2x7 एमएचजैड स्पेक्ट्रम है तथा वे आवश्यकतानुसार सर्विला स्तर प्रचालन में अंतरित हो रहे हैं, उन्हें बोली में भाग लेने के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।
- इस बैंड में 2x7 एमएचजैड से कम स्पेक्ट्रम रखले वाले विद्यमान सेवा प्रदाताओं के पास विद्यमान स्पेक्ट्रम के साथ जारी रहने अथवा दूरसंचार विभाग को इस आशय का वचन प्रस्तुत करने के पश्चात कि यदि वे बोली में सफल रहे, तो उनके द्वारा पहले से ही धारित स्पेक्ट्रम लौटा देंगे, 2x7 एमएचजैड स्पेक्ट्रम की बोली प्रक्रिया में भाग लेने का विकल्प होगा।
- 3.3-3.4 जीएचजैड बैंड में, प्रचालन का तरीका अर्थात एफडीडी अथवा टीडीडी सेवा प्रदाता पर छोड़ दिया जाएगा। प्राधिकरण ने अपनी पूर्व की सिफारिशों में, टीडीडी मोड में स्पेक्ट्रम के आवंटन को वरीयता दी है। तथापि, चूंकि कुछ सेवा प्रदाताओं ने या तो टीडीडी अथवा एफडीडी मोड का प्रयोग करते हुए पहले ही प्रचालन शुरू कर दिया है, अतः प्राधिकरण प्रौद्योगिकी तटस्थता की नीति के अनुरूप कोई अन्य मोड निर्दिष्ट नहीं करना चाहता है।
- प्राधिकरण ने तब तक 3.4-3.6 जीएचजैड के लिए कोई सिफारिश न करने का निर्णय लिया है, जब तक कि दूरसंचार विभाग स्थानिक बीडब्ल्यूए सेवाओं के साथ उपग्रह-आधारित सेवाओं की सामंजस्यता का आकलन न कर ले तथा एक पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से विस्तृत विश्लेषण न कर लिया जाए। एक बार दूरसंचार विभाग उपर्युक्त अध्ययन कर ले तथा यह निष्कर्ष निकाल ले कि 3.4-3.6 जीएचजैड बैंड में स्पेक्ट्रम की पुर्नसंरचना करना संभव है, तो उसे आवंटन क्रियाविधि की सिफारिश करने के लिए यह मामला भादूविप्रा को अंतरित कर देना चाहिए।
- 2.3-2.4 जीएचजैड तथा 2.5-2.69 जीएचजैड बैंडों में प्रत्येक सेवा प्रदाता को अधिकतम 15 एमएचजैड स्पेक्ट्रम (2.3 जीएचजैड तथा 2.5 जीएचजैड में संयुक्त रूप से) की अनुमति दी जानी चाहिए। तथापि, स्पेक्ट्रम की बोली 5

एमएचजैड प्रत्येक के ब्लॉकों में की जानी चाहिए ताकि 15 एमएचजैड से कम मात्रा में स्पेक्ट्रम चाहने वाले किसी सेवा प्रदाता को हानि न होने पाए।

- 2.3-2.4 जीएचजैड, 2.5-2.69 जीएचजैड तथा 3.3-3.4 जीएचजैड स्पेक्ट्रम के बैंडों में 15 एमएचजैड स्पेक्ट्रम के लिए रिजर्व मूल्य एवं निष्पादन बैंक गारंटी निम्नानुसार होगी

सर्विक	रिजर्व मूल्य (15 एमएचजैड के लिए) (करोड़ रु0)	निष्पादन बैंक गारंट ी (15 एमएचजैड के लिए) (करोड़ रु0)
महानगर तथा श्रेणी 'क'	60	30
श्रेणी 'ख'	30	15
श्रेणी 'ग'	10	5

- 3.3-3.4 जीएचजैड बैंड में विद्यमान सेवा प्रदाता को भी वही मूल्य अदा करना होगा जैसाकि नए प्रवेशकर्ताओं से प्रभारित किया जाता है। ऐसे सर्किलों के लिए जहां समस्त स्पेक्ट्रम पहले ही निर्दिष्ट किए जाने के कारण स्पेक्ट्रम उपलब्ध नहीं है, उस सेवा क्षेत्र के सेवा प्रदाता को उस श्रेणी के अन्य सेवा क्षेत्रों में प्राप्त उच्च बोली मूल्य का भुगतान करना होगा।

- 2.5-2.69 जीएचजैड बैंड में स्पेक्ट्रम बैंड के आवंटन के लिए प्राधिकरण ने निम्न सिफारिशें की हैः-

  - दूरसंचार विभाग/डब्ल्यूपीसी अंतरिक्ष विभाग के साथ समन्वय करेगा तथा एक समयबद्ध तरीके से इस बैंड में अतिरिक्त स्पेक्ट्रम रिक्त होने की व्यवहार्यता को निर्धारित करेगा।

  - यदि इस बैंड में स्पेक्ट्रम की रिक्तता की संभावना है तथा तत्कालीन रिक्त स्पेक्ट्रम एवं वर्तमान 40 एमएचजैड स्पेक्ट्रम के साथ यदि डब्ल्यूपीसी अंतरराष्ट्रीय दृष्टि से स्वीकृत बैंड प्लान के साथ सामंजस्य बनाना व्यवहार्य समझता है, तो इस बैंड में स्पेक्ट्रम एफडीडी और टीडीडी, दोनों ही मोडों में तदनुसार आवंटित किया जाएगा।

  - यदि दूरसंचार विभाग/डब्ल्यूपीसी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वेकेशन/रीफ्रेमिंग द्वारा कोई अतिरिक्त स्पेक्ट्रम उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है, तो टीडीडी मोड में स्पेक्ट्रम का आवंटन 15 एमएचजैड स्पेक्ट्रम (2.3-2.4 जीएचजैड एवं 2.5-2.69 जीएचजैड के लिए संचित) की अधिकतम सीमा के अध्यधीन प्रति सब्सक्राइबर प्रत्येक 5 एमएचजैड के ब्लॉक में किया जाएगा।

- किसी लाइसेंसी द्वारा 2.3-2.4 जीएचजैड तथा 2.5-2.69 जीएचजैड बैंड में अर्जित स्पेक्ट्रम का संचयी धारण स्पेक्ट्रम के 15 एमएचजैड से अधिक नहीं होगा।

- बीडब्ल्यूए बैंडों में बोली के लिए साथ-साथ ऊर्ध्ववर्ती ई-ऑक्शन पद्धति का प्रयोग किया जाएगा।

- प्राधिकरण बीडब्ल्यू सेवाएं प्रदान कर रहे सेवा प्रदाताओं से कुल एजीआर के 1 प्रतिशत वार्षिक स्पेक्ट्रम शुल्क के अतिरिक्त स्थापना प्रभारण की अपनी पूर्व सिफारिश को दोहराता है।

- ❖ प्राधिकरण ग्रामीण क्रियान्वयन दायित्वों पर अपनी पूर्व सिफारिश को दोहराता है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सेवाओं की तेज पैठ को प्रोत्साहित किया जा सके।

53. जबकि प्राधिकरण अपनी ओर से सिफारिशें को अंतिम रूप प्रदान कर रहा था, दूरसंचार विभाग ने अपने दिनांक 1 जुलाई, 2008 के माध्यम से '3जी तथा ब्रॉडबैंड वायरलैस एक्सेस सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम का आवंटन और मूल्य-निर्धारण' भादूविप्रा की दिनांक 27 सितम्बर, 2006 की सिफारिशों में प्रस्तावित कतिपय आशोधनों पर पुनः विचार कर सिफारिशें/टिप्पणियां करने के लिए प्राधिकरण को अनुरोध किया। दूरसंचार विभाग के पत्र में निर्दिष्ट मुद्दे थे पात्रता, आवंटित किए जाने वाले स्पेक्ट्रम की मात्रा, रिजर्व मूल्य तथा निष्पादन बैंक गारंटी, बोली प्रक्रिया क्रियाविधि तथा सफल बोलीदाताओं को लाइसेंस की अवधि बढ़ाना।

54. प्राधिकरण ने अपनी सिफारिशें तैयार करते समय दूरसंचार विभाग के पत्र में निर्दिष्ट मुद्दों का भी समाधान किया। उन सिफारिशों (दूरसंचार विभाग के पत्र पर) की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैः-

1. पात्रता

दूरसंचार विभाग ने अपने पत्र में प्रस्तावित किया था कि सभी विद्यमान यूएएसएल, सीएमएसपी एवं श्रेणी 'क' आईएसपी बोली में भाग लेने के लिए पात्र होंगे क्योंकि यूएएसएल एवं श्रेणी 'क' आईएसपी की संख्या बहुत ज्यादा है। प्राधिरकरण ने अपनी सिफारिशों को पुनः दोहराया कि 2.3 जीएचजैड, 2.5 जीएचजैड तथा 3.3 जीएचजैड स्पेक्ट्रम बैंडों की बोली के लिए यूएएसएल, सीएमएसपी तथा श्रेणी 'क' और 'ख' आईएसपी पात्र होना चाहिए।

2. आवंटित किए जाने की स्पेक्ट्रम की मात्रा

दूरसंचार विभाग ने अपने दिनांक 1 जुलाई, 2008 के पत्र में पैरा 2 में प्रस्तावित किया था कि स्पेक्ट्रम की उपलब्धता के वर्तमान आकलन के अनुसार 2.5 जीएचजैड (2.5-2.69 जीएचजैड) तथा 2.3 जीएचजैड (2.3-2.4 जीएचजैड) में 10 एमएचजैड (टीडीडी) प्रत्येक के 4 ब्लॉकों का आवंटन किए जाने का प्रस्ताव है। वाईमैक्स फोरम तथा अन्य विशेषज्ञों से प्राप्त इनपुट के अनुसार, बीडब्ल्यूए सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम को 10 एमएचजैड अथवा उसके गुणांकों में आवंटित किया जाना चाहिए, यदि 15 एमएचजैड का ब्लॉक आवंटित किया गया है तथा 5 एमएचजैड के व्यर्थ होने की संभावना है। कोई सफल बोलीदाता भविष्य में उपलब्धता के अध्यधीन 10 एमएचजैड के अतिरिक्त ब्लॉकों के लिए बोली लगा सकता है।

प्राधिकरण ने 2.3-2.4 जीएचजैड, 2.5-2.69 जीएचजैड एवं 3.3-3.6 जीएचजैड बैंडों के लिए आवंटन और मूल्य-निर्धारणृ पर अपनी दिनांक 11 जुलाई, 2008 की सिफारिशों में भी पैरा 2.29 में उक्त कारणों का वर्णन किया तथा यह सिफारिश की कि प्रत्येक सेवा प्रदाता को 15 एमएचजैड (जोकि आवश्यक नहीं कि निकटस्थ ब्लॉकों में हों) स्पेक्ट्रम की अधिकतम मात्रा का ही आवंटन किया जाएगा। स्पेक्ट्रम के लिए बोली प्रत्येक 5 एमएचजैड के ब्लॉकों में की जानी चाहिए। प्राधिकरण ने अपनी पूर्व सिफारिशों में भी स्पेक्ट्रम की 15 एमएचजैड अधिक मात्रा की सिफारिश की थी।

3. रिजर्व मूल्य तथा निष्पादन बैंक गारंटी

दूरसंचार विभाग ने अपने उक्त संदर्भित पत्र में प्रस्तावित किया था कि यह महसूस किया गया है कि 15 वर्ष की अवधि के लिए प्रत्येक 10 एमएचजैड ब्लॉक की बीडब्ल्यूए बोली हेतु रिजर्व मूल्य 3जी स्पेक्ट्रम के लिए रिजर्व मूल्य का 25 प्रतिशत होना चाहिए। इस प्रकार, रिजर्व तथा पीबजी निम्नानुसार होगाः

सर्किल	रिजर्व मूल्य (करोड़ रु0)	निष्पादन बैंक गारंटी
महानगर एवं श्रेणी क	40	20
श्रेणी ख	20	10
श्रेणी ग	7.5	3.75

प्राधिकरण ने बीडब्ल्यूए सेवाओं हेतु स्पेक्ट्रम के लिए विभिन्न देशों में प्राप्त की जा रही कीमत के बारे में आंकड़े संग्रहित किए तथा उनके विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकरण दूरसंचार विभाग द्वारा प्रस्तावित रिजर्व कीमत तथा निष्पादन बैंक गारंटी पर सहमति व्यक्त करता है। तथापि, प्राधिकरण यह चाहेगा कि रिवर्ज कीमत को इस प्रकार तैयार किया जाना चाहिए ताकि इसमें 5 एमएचजैड के ब्लॉकों में स्पेक्ट्रम की बोली को ध्यान में रखा जा सके। चूंकि नीलाम किए जाने वाले स्पेक्ट्रम के ब्लॉकों को बोली प्रक्रिया से पूर्व ही अंतिम रूप प्रदान किया जाएगा, अतः स्पेक्ट्रम के निकटस्थ ब्लॉक ज्ञात होने चाहिए। यदि कोई सेवा प्रदाता 5 एमएचजैड के निकटस्थ ब्लॉकों को रखने का इच्छुक है, तो उसे पहले 5 एमएचजैड ब्लॉक के लिए 5 एमएचजैड ब्लॉक की उच्चतम बोली कीमत तथा प्रत्येक निकटस्थ 5 एमएचजैड ब्लॉक के लिए 5 एमएचजैड ब्लॉक की उच्चतम बोली कीमत का भुगतान करने के लिए कहा जाना चाहिए। निकटस्थ ब्लॉक को लेने का विकल्प बोली प्रक्रिया में सेवा प्रदाताओं की वरीयता के आधार पर दिया जाना चाहिए।

4. बोली प्रक्रिया

दूरसंचार विभाग ने अपने उक्त संदर्भित पत्र में प्रस्तावित किया था कि "*.....3जी स्पेक्ट्रम के मामले की ही भांति नियंत्रित साथ-साथ ई-बोली का प्रस्ताव किया जाता है। इसके अतिरिक्त, यहां भी जब बोलीदाताओं की संख्या नीलाम किए जा रहे स्पेक्ट्रम के ब्लॉकों की संख्या के समान रह जाएगी, तब बोली समाप्त हो जाएगी। सभी बोलीदाताओं को उच्चतम बोलीदाता, एच-1 की बोली के समान होना होगा। यदि वे उसके समान नहीं होते हैं, तो वह ब्लॉक उच्चतम बोली मूल्य, एच-1 पर आगामी उच्चतम बोलीदाता को पेश किया जाएगा। यदि ब्लॉक खाली दूर जाता है, तो ब्लॉक की पुनः बोली होगी । यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी सफल बोलीदाता समान बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम ब्लॉक के लिए समान राशि का भुगतान करेंगे।*"

प्राधिकरण दूरसंचार विभाग से सहमत है कि स्पेक्ट्रम को नियंत्रित एक-साथ आरोही ई-बोली के माध्यम से दिया जाना चाहिए तथा सभी सफल बोलीदाताओं का उच्चतम बोली अर्थात् एच-1 के समान होना चाहिए। तथापि, यदि कोई सेवा प्रदाता 5 एमएचजैड के निकटस्थ ब्लॉक रखने का इच्छुक हो, तो उसे पहले 5 एमएचजैड स्पेक्ट्रम के लिए 5 एमएचजैड ब्लॉक के उच्चतम बोली मूल्य तथा प्रत्येक निकटस्थ 5 एमएचजैड ब्लॉक के लिए 5 एमएचजैड ब्लॉक के उच्चतम बोली मूल्य का 1.25 गुना का भुगतान करने के लिए कहा जाना चाहिए। निकटस्थ ब्लॉक लेने का विकल्प बोली प्रक्रिया में सेवा प्रदाता की वरीयता के आधार पर दिया जाना चाहिए।

5. लाइसेंस प्रदान करना

दूरसंचार विभाग ने अपने उक्त संदर्भित पत्र में प्रस्ताव किया था कि .....*इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आईएसपी लाइसेंस की वैधता 15 वर्ष के लिए है, यह प्रस्ताव किया जाता है कि सफल बोलीदाता को बीडब्ल्यू सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम का आवंटन 15 वर्ष की अवधि के लिए ही प्राप्त होना चाहिए। इसके अलावा, यदि यूएएफ अथवा आईएसपी लाइसेंस 15 वर्षों से पूर्व समाप्त हो रहा है, इसका विद्यमान लाइसेंस उस मूल्य पर बढ़ाया जाना चाहिए। इस मूल्य*

का निर्धारण लाइसेंस विस्तार के अपेक्षित वर्षों की संख्या को बढ़ाए जाने वाले लाइसेंस के यथानुपात शुल्क द्वारा गुणा करके निर्धारित किया जाएगा। इससे सभी को समान अवसर सुनिश्चित होंगे ताकि विद्यमान यूएसएफ अथवा आईएसपी लाइसेंसी इस सुविधा के साथ बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम के लिए बोली लगा सकें कि उनके लाइसेंसों को उस अवधि तक बढ़ा दिया जाएगा, जो 15 वर्ष के बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम आवंटन के साथ सहयोजित होगी।''

प्राधिकरण ने सुझाव दिया कि लाइसेंस का नवीकरण/विस्तार संबंधित लाइसेंसों में विनिर्धारित शर्तों के आधार पर किया जाना चाहिए।

3जी सेवाओं के लिए रिजर्व मूल्य तथा बोली प्रक्रिया हेतु दूरसंचार विभाग द्वारा प्रस्तावित आशोधनों पर सिफारिशें दिनांक 12 जुलाई, 2008

55. दूरसंचार विभाग ने अपने दिनांक 1 जुलाई, 2008 के पत्र द्वारा 3जी तथा बीडब्ल्यूए सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम के आवंटन तथा मूल्य निर्धारण पर दिनांक 27 सितम्बर, 2006 की 3जी सेवाओं से संबंधित सिफारिशों में कतिपय अतिरिक्त आशोधनों का प्रस्ताव किया था तथा समय-समय पर यथासंशोधित भादूविप्रा अधिनियम 1997 की धारा 11 (1) के परंतुक के अनुसार प्रस्तावित आशोधनों पर इसकी सुविचारित सिफारिशें/टिप्पणियां देने के लिए भादूविप्रा से अनुरोध किया था।

56. प्रस्तावित आशोधनों पर प्राधिकरण की सिफारिशें निम्नानुसार थीः-

- ❖ आवंटित किए जाने वाले स्पेक्ट्रम की मात्रा
  - ➲ 800 एमएचजैड तथा 450 एमएचजैड बैंडों में स्पेक्ट्रम की अनुपलब्धता के कारण प्राधिकरण ने सिफारिश की कि स्पेक्ट्रम आवंटन नीति में क्रियान्वयन के पश्चात यदि 800 एमएचजैड स्पेक्ट्रम बैंड उपलब्ध होता है, तो इसे बोली के माध्यम से समुचित मूल्य पर 3जी सेवाओं के लिए आवंटित किया जाना चाहिए।
  - ➲ 1900 एमएचजैड बैंड में, प्राधिकरण ने मिश्रित बैंड ट्रायल की सिफारिश की थी। यह पता चलता है कि ट्रायल कुछ महीने पूर्व ही संचालित किया गया था। प्राधिकरण ने सिफारिश की है कि दूरसंचार विभाग को ट्रायल के परिणामों का विश्लेषण करना चाहिए तथा यदि यह मिश्रित बैंड प्रचालन की व्यवहार्यता के बारे में संतुष्ट है, तो इसे इस बैंड में स्पेक्ट्रम के आवंटन की संभावना तलाशने की प्रक्रिया करनी चाहिए।

- ❖ **स्पेक्ट्रम बोली के लिए रिजर्व मूल्य**
  - ➲ दूरसंचार विभाग ने प्रस्ताव किया था कि कतिपय क्षेत्रों में 3जी बोली की सफलता के अनुभव के आधार पर यह प्रस्ताव किया जाता है कि 2.1 जीएचजी बैंड में 2X5 एमएचजैड के ब्लॉक के लिए रिजर्व मूल्य जीडीपी का 0.5 प्रतिशत होना चाहिए जो भारत के मामले में, 0.5 बिलियन अमरीकी डॉलर अथवा लगभग 2100 करोड़ रु0 होगा, जोकि भादूविप्रा द्वारा अनुशंसित राशि से दोगुना है। अतः रिजर्व मूल्य निम्नानुसार होना चाहिएः

सर्किल	रिजर्व मूल्य (करोड़ रु0)
मुंबई, दिल्ली एवं श्रेणी 'क'	160.00
चेन्नई, कोलकाता और श्रेणी 'ख'	80.00
श्रेणी 'ग'	30.00

प्राधिकरण दूरसंचार विभाग द्वारा प्रस्तावित रिजर्व मूल्य से सहमत है।

❖ **बोली प्रक्रिया**

➲ दूरसंचार विभाग ने प्रस्ताव किया था कि जब किसी सेवा क्षेत्र में बोलीदाताओं की संख्या, नीलाम किए जा रहे स्पेक्ट्रम के ब्लॉकों की संख्या के बराबर हो जाएगी, तो बोली समाप्त हो जाएगी। सभी बोलीदाताओं को उच्चतम बोलीदाता, एच-1 के समतुल्य होना होगा। यदि वे समतुल्य नहीं होते हैं, तो उस ब्लॉक की पेशकश उच्चतम बोली मूल्य, एच-1 पर अगले उच्चतम बोलीदाता को की जाएगी। यदि कोई ब्लॉक खाली छूट जाते है, तो ब्लॉक की पुनः बोली की जाएगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सभी सफल बोलीदाता 3जी स्पेक्ट्रम के समान ब्लॉकों के लिए समान राशि का भुगतान करते हैं।

➲ भादूविप्रा सिद्धांत रूप में दूरसंचार विभाग की बोली प्रक्रिया से सहमत है। तथापि, प्राधिकरण ने सुझाव दिया है कि दूरसंचार विभाग को ऐसे प्रचालकों की प्रतीक्षा सूची तैयार करनी चाहिए जो पूर्व चक्रों में बाहर हो गए हैं। यदि सफल बोलीदाता (एच-2 से एच-5) उच्चतम बोलीदाता (एच-1) की बोली के समान नहीं होते हैं, और यदि कोई ब्लॉक खाली छूट जाता है, तो संपूर्ण प्रक्रिया को दोहराने की बजाए, जिसमें समय तथा प्रयास की हानि होगी, यह एच-1 राशि प्रतीक्षा-सूची में वरीयता के अनुसार शेष बोलीदाताओं को प्रदान की जा सकती है।

स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभारों तथा एकबारीय स्पेक्ट्रम संवर्धन प्रभारों पर दूरसंचार विभाग द्वारा प्रस्तावित आशोधनों पर सिफारिशें दिनांक 16 जुलाई, 2008

57. दूरसंचार विभाग ने वार्षिक स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार तथा एकबारीय स्पेक्ट्रम संवर्धन प्रभारों के संबंध में लाइसेंस के निबंधन और शर्तों की समीक्षा तथा एक्सेस सेवा प्रदाताओं की संख्या को सीमित करने पर भादूविप्रा की दिनांक 28 अगस्त, 2007 की सिफारिशों पर कतिपय आशोधन प्रस्तावित किए थे। प्रस्तावित आशोधनों पर प्राधिकरण की सिफारिशें इस प्रकार हैः-

❖ **वार्षिक स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार**

दूरसंचार विभाग ने बोर्ड में एजीआर की 1 प्रतिशत वृद्धि तथा स्पेक्ट्रम स्लैब में छोटे परिवर्तन का प्रस्ताव किया था, जिसे नीचे तालिका में दर्शाया गया है-

भादूविप्रा की सिफारिशें		दूरसंचार विभाग का प्रस्ताव	
स्पेक्ट्रम की मात्रा	एजीआर	स्पेक्ट्रम की मात्रा	प्रस्तावित एजीआर
2x4.4 एमएचजैड/2x5 एमएचजैड तक	2 प्रतिशत	2x4.4 एमएचजैड/2x5 एमएचजैड तक	3 प्रतिशत
2x6.2 एमएचजैड तक	3 प्रतिशत	2x6.2 एमएचजैड तक	4 प्रतिशत
2x8 एमएचजैड तक	4 प्रतिशत	2x8 एमएचजैड तक	5 प्रतिशत
2x10 एमएचजैड तक	5 प्रतिशत	2x10 एमएचजैड तक	6 प्रतिशत
2x12.5 एमएचजैड तक	6 प्रतिशत	2x12.5 एमएचजैड तक	7 प्रतिशत
2x15 एमएचजैड तक	7 प्रतिशत	2x15 एमएचजैड तक	8 प्रतिशत
15 एमएचजैड से ऊपर	8 प्रतिशत	15 एमएचजैड से ऊपर	9 प्रतिशत

प्राधिकरण ने दूरसंचार क्षेत्र के व्यापक परिदृश्य पर विचार करते हुए दूरसंचार विभाग के पत्र में यथाउल्लिखित स्पेक्ट्रम स्लैबों में संशोधन के साथ स्पेक्ट्रम प्रभारों के संवर्धन के प्रस्ताव के साथ सहमति व्यक्त करने का निर्णय लिया।

❖ **एमएचजैड से ऊपर स्पेक्ट्रम संवर्धन प्रभार**

दूरसंचार विभाग ने 6.2 एमएचजैड से ऊपर अतिरिक्त स्पेक्ट्रम के लिए एकबारीय प्रभार के उद्ग्रहण का प्रस्ताव किया है। मामले पर पुनर्विचार करने के उद्देश्य से, प्राधिकरण ने 'एकबारीय प्रभार' स्कीम के विवरणों को स्पष्ट करने के लिए दूरसंचार विभाग से अनुरोध किया है। इसके अलावा, प्राधिकरण ने राय दी है कि चूंकि दूरसंचार विभाग यूएएसएल से प्रभारित किए जा रहे विभिन्न उद्ग्रहणों की पुनर्समीक्षा कर रहा है, अतः यह उपयुक्त समय है कि दूरसंचार विभाग विभिन्न सेवा क्षेत्रों के प्रवेश शुल्क को भी संशोधित करे, ताकि उन्हें वर्तमान बाजार वास्तविकताओं के अनुरूप बनाया जा सके।

केबल टीवी सेवाओं के पुनर्गठन पर सिफारिशें दिनांक 25 जुलाई, 2008

58. केबल टीवी ट्रांसमिशन के वर्तमान मोड, जोकि प्रधानतः एनालॉग है, में अनेक सीमाएं व्याप्त हैं क्योंकि इसमें प्रौद्योगिकीय उन्नयन, उपयुक्त एडेसेबिलिटी और कार्यकुशल संसाधन उपयोग की संभावनाओं का अभाव है। यह क्षेत्र वास्तविक सब्सक्राइबर आधार, सेवाओं की घटिया गुणवत्ता तथा अपर्याप्त उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र से संबंधित विवादों से घिरा हुआ है। प्रामाणिक आंकडों की गैर-उपलब्धता, पर्यवेक्षीय मार्गदर्शन का अभाव तथा केबल टीवी उद्योग का असंगठित विकास, ऐसी बाधाएं हैं, जो इसकी पूर्ण क्षमता के दोहन में आड़े आ रही हैं। परामर्श प्रक्रिया तथा आंतरिक विश्लेषण संचालित करके प्राधिकरण ने 25 जुलाई, 2008 को केबल टीवी क्षेत्र की पुनगर्ठन पर सरकार को सिफारिशें भेजीं। ये सिफारिशें प्रभावी लाइसेंसिंग अनुपालन सुनिश्चित करने, निवेश आकर्षित करने, नई मूल्यवर्धित सेवाओं को सुकर बनाने तथा डिजिटलीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए केबल टीवी नेटवर्कों के पुनर्गठन में एक बड़ा कदम है।

59. सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई है:-

- ❖ नेटवर्क डिजिटलीकरण, वर्धित एडेसेबिलिटी तथा स्वैच्छिक कैस के प्रोत्साहन पर अत्यधिक बल।
- ❖ संपर्ण डिजिटलीकृत नेटवर्क शुरू करने के लिए मल्टी सिस्टम प्रचालकों (एमएसओ) को प्रोत्साहन निर्दिष्ट करना।
- ❖ केबल टीवी प्रचालकों के लिए पंजीकरण को एक व्यापक तथा सहायक लाइसेंसिंग ढांचे से प्रतिस्थापित करना।
- ❖ केबल टीवी प्रचालकों (एलसीओ) तथा मल्टी सिस्टम प्रचालकों (एमएसओ) के लिए पृथक लाइसेंसिंग ढांचे।
- ❖ ऐसी सत्ताओं की पहचान के लिए पात्रता मानदण्ड विशिष्टतः निर्दिष्ट किए गए हैं, जो एलसीओ एवं एमएसओ के रूप में कार्य कर सकती हैं।
- ❖ एलसीओ तथा एमएसओ, दोनों ही को दिए गए सेवा क्षेत्रों को पसंद करने के लिए विकल्प एवं लचीलापन
- ❖ प्रवेश शुल्क
  - ➲ जिला तथा राज्य स्तर के लिए एलसीओ क्रमशः 10,000/-रु0 तथा 1,00,000/-रु0।
  - ➲ जिला, राज्य तथा देश स्तर पर एमएसओ क्रमशः 1 लाख रू0, 10 लाख रू0 तथा 25 लाख रु0।

- नए लाइसेंस तथा समयबद्ध तरीके से तथा लाइसेंस का नवीकरण
- संबंधित लाइसेंस के लिए सुपरिभाषित अवधि तथा प्रशासनिक उपकर।
- सुपरिभाषित लाइसेंसिंग प्राधिकरण तथा अपीलीय प्राधिकारी।
- वैध पंजीकृत केबल टीवी प्रचालकों का आसान अंतरण।
- एक सुपरिभाषित सब्सक्राइबर शिकायत निवारण तंत्र तथा सब्सक्राइबर बिलिंग प्रणाली।
- एलसीओ तथा एमएसओ के लिए सेवा गुणवत्ता परिभाषित की गई।
- संगठित तथा व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने के लिए एलसीओ एवं एमएसओ के लिए सुपरिभाषित डाटा संग्रहण पद्धति।
- लाइसेंसिंग शर्तों के प्रभावी अनुपालन के लिए लाइसेंस के निलंबन एवं समापन सहित दाण्डित प्रावधान।
- एलसीओ एवं एमसीओ को नवीनतम ट्रांसमिशन प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया जैसे फाइबर आदि ताकि सेवा गुणवत्ता बेहतर हो सके। एमएसओ एवं एलसीओ दोनों ही को राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) के लिए पात्र बनाया गया।
- जम्मू-कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों में तीन वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए एलसीओ एवं एमएसओ के लिए प्रवेश शुल्क में 50 प्रतिशत की विशेष छूट।

मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर (एमवीएनओ) पर सिफारिशें दिनांक 6 अगस्त, 2008

60. एमवीएनओ ऐसी सत्ता है, जो मोबाइल फोन सेवाएं प्रदान करती है परंतु उसका अपना रेडियों स्पेक्ट्रम नहीं होता है अथवा यह आवश्यक नहीं है कि उसके पास मोबाइल टेलीफोन सेवा उपलब्ध कराने के लिए अपेक्षत समस्त अवसंरचना हो। ऐसी सत्ता जिसके पास मोबाइल सेवा प्रदान करने के लिए रेडियो स्पेक्ट्रम तथा संपूर्ण अपेक्षित अवसंरचना हो, वह मोबाइल नेटवर्क प्रचालक (एमएनओ) होती है। एमवीएनओ लाइसेंसशुदा एमएनओ के साथ वाणिज्यिक व्यवस्थाओं के माध्यम से प्रचालन करता है तथा ट्रैफिक के बल्क मिनट खरीदता है और उन्हें अपने स्वयं के बैंड में अपने स्वयं के सब्सक्राइबर को पुनः बेचता है।

61. दूरसंचार विभाग ने एमवीएनओ की शुरूआत के लिए आवश्यकता एवं समय तथा साथ ही ऐसे प्रचालकों को प्रदान किए जाने वाले लाइसेंस के निबंधन और शर्तों पर भादूविप्रा से सिफारिशें मांगी थीं। भारत में एमवीएनओ की शुरूआत में शामिल विभिन्न मुद्दों पर परामर्श-प्रक्रिया संचालित करके प्राधिकरण ने 6 अगस्त 2008 को मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क प्रचालक (एमवीएनओ) पर अपनी सिफारिशें कीं तथा भारतीय दूरसंचार नेटवर्क में एमवीएनओ की शुरूआत को समर्थ बनाया।

62. सिफारिशों का सार निम्नानुसार है-

- एमवीएनओ की शुरूआत विशिष्ट सेवा प्रदाता के रूप में की जाएगी जिसके पास स्वयं की लाइसेंसिंग एवं विनियामक ढांचा होगा।
- एमवीएनओ को भारतीय तार अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस जारी किया जाएगा।
- कोई भी भारतीय कंपनी जिसके पास महानगर/श्रेणी 'क' के लिए 10 करोड रू0, श्रेणी ख के लिए 5 करोड़ रू0 तथा श्रेणी ग सेवा क्षेत्र के लिए 3 करोड़ रू0 की निवल-मुद्रा, विनिर्धारित निवल-मुद्रा के 10 प्रतिशत की प्रदत्त पूंजी तथा संतुष्टि के अनुसार लाइसेंस

शर्तें, जैसे एफडीआई, पर्याप्त इक्विटी आदि होगी, वह एमवीएनओ लाइसेंस के लिए आवेदन हेतु पात्र होगी।

- एमवीएनओ इसके व्यवसाय मॉडल को चुनने के लिए स्वतंत्र होगा (पूर्ण अथवा माध्यमिक अथवा महीन)। मुख्यतः कोई महीन एमवीएनओ बिना किसी अवसंरचना के अपने स्वयं के ब्रांड में सेवाएं प्रदान करेगा तथा एक पूर्ण एमवीएनओ अपने स्वयं के एचएलआर, वीएलआर, आईएन स्विच, एमएससी आदि स्थापित कर सकता है, परंतु रेडियो एक्सेस नेटवर्क (आरएएन) नहीं।
- एमवीएनओ किसी सेवा क्षेत्र में किसी एमएनओ के अधीन रहेगा।
- एमवीएनओ का लाइसेंस सेवा क्षेत्र उसके मूल एमएनओ के समान ही होगा।
- एमएनओ तथा एमवीएनओ के बीच व्यवस्था/करार का प्रचालन बाजार ताकतों द्वारा होगा।
- किसी एमएनओ के साथ जुड़े एमवीएनओ की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी।
- एमएनओ के साथ करार एमवीएनओ को लाइसेंस जारी करने से पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा।
- एमएनओ को एमवीएनओ द्वारा स्पेक्ट्रम के उपयोग के लिए स्पेक्ट्रम प्रभारों का भुगतान करना होगा।
- एमवीएनओ के लिए प्रवेश शुल्क - एमएनओ का 10 प्रतिशत महानगर/ श्रेणी 'क' सेवा क्षेत्र के लिए अधिकतम 5 करोड़ रु0 एवं न्यूनतम 1 करोड़ रु0, श्रेणी 'ख' के 3 करोड़ रु0 से 50 लाख तथा श्रेणी 'ग' के लिए 1 करोड़ रु0 से 25 लाख रु0 के अध्यधीन।
- वार्षिक लाइसेंस शुल्क सेवा क्षेत्र के एमएनओ के समान ही होगा।
- अन्य सेवा प्रदाताओं के साथ नम्बरों का आवंटन नम्बर पोर्टेबिलिटी, अंतरसंयोजन तथा मूल एनएनओ द्वारा रोमिंग प्रदान की जाएगी।
- सब्सक्राइबरों को एमएनओ तथा एमवीएनओ अथवा सेवा छोड़ने वाले एमवीनओ के बीच करार की समाप्ति के लिए सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
- एमवीएनओ के लिए कोई क्रियान्वयन दायित्व नहीं।
- एफडीआई सीमा-74 प्रतिशत एमएनओ के समान
- बैंक गारंटी - एफबीजी- दो तिमाहियों के लाइसेंस शुल्क के सामन; पीबीजी - एमएनओ का 5 प्रतिशत।
- विलयन तथा अर्जन पर सीमाएं एमएनओ के ही अनुरूप/इंटरनेट टेलीफोनी से संबंधित मुद्दों पर सिफारिशें

इंटरनेट टेलीफोनी से संबंधित मुद्दो पर सिफारिशें दिनांक 18 अगस्त, 2008

63. त्वरित प्रौद्योगिकी विकास तथा बेहतर गुणवत्ता के वॉयस संप्रेषण दूरसंचार के भविष्य को बेहतर बना रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में डाटा परियात की व्यापक वृद्धि, आईपी नेटवर्कों की बढ़ती हुई स्वीकार्यता, अनेक देशों द्वारा एनजीएन का अंगीकरण तथा इंटरनेट टेलीफोनी के लिए वैश्विक उदारवादी विनियामक प्रणाली के फलस्वरूप भारत में विद्यमान लाइसेंसिंग परिस्थितियों की नए सिरे से समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है। वर्तमान लाइसेंसिंग ढांचे में विभिन्न प्रकार के एक्सेस सेवा प्रदाताओं की परिकल्पना की गई है जैसे (यूएएसएल, बीएसओ, सीएमएसपी), राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा प्रदाता (एनएलडी), अंतरराष्ट्रीय लंबी

दूरी सेवा प्रदाता (आईएलडी) तथा इंटरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपी)। जबकि विभिन्न सेवा प्रदाताओं को सार्वभौमिक एक्सेस सेवा लाइसेंस (यूएएसएल) के अंतर्गत उनके सब्सक्राइबरों को विभिन्न सेवाएं तथा अनुप्रयोग उपलब्ध कराने की अनुमति प्रदान की गई है, एनएलडी एवं आईएलडी जैसे अन्य लाइसेंसियों की भूमिका लंबी दूरी की सेवाएं प्रदान करने तक सीमित रह गई हैं तथा इंटरनेट सेवा प्रदाता को इंटरनेट की एक्सेस प्रदान करने की अनुमति दी गई है। यह आशा की गई थी कि एक्सेस सेवा प्रदाता इंटरनेट टेलीफोनी जैसी अत्यधिक लोकप्रिय सेवाएं प्रदान करेंगे तथा ब्रॉडबैंड की पैठ को प्रोत्साहित करेंगे परंतु यह बात वास्तविक रूप में सही साबित नहीं हुई। अतः भारतीय सब्सक्राइबर वैश्विक परिदृश्य की तुलना में उन्नत मूल्यवर्धित सेवाओं से वंचित रहे, जहां ऐसी इंटरनेट आधारित सेवाएं लोकप्रिय हैं। आईएसपी को असीमित इंटरनेट टेलीफोनी प्रदान करने की अनुमति नहीं दी गई है, हालांकि उनके पास आईपी आधारित अवसंरचना है। ऐसे विनियामक निर्बंधन प्रौद्योगिकीय विकासों को हतोत्साहित करते हैं तथा इसका परिणाम आम आदमियों को इन सेवाओं को प्रदान करने में 'ग्रे-मार्किट' क्रियाकलापों की वृद्धि है।

64. वर्तमान विनियामक ढांचा प्रौद्योगिकीय उन्नति के लाभों को आम जनता तक पहुंचाने में बाधा बन रहा है। इन सेवाओं को विभिन्न लाइसेंसों के तहत अनुमति प्रदान करने के विरूद्ध समान अवसरों के मुद्दों की वकालत की जा रही है। वैश्विक दृष्टि से, दूरसंचार सेवाओं को ब्रॉडबैंड तथा वायरलैस सब्सक्राइबरों की तेज वृद्धि से ही दिशा मिल रही है। विनियामक परिवेश गतिशील, समर्थकारी, कार्यकुशल होना चाहिए तथा उससे प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। अतः इंटरनेट टेलीफोनी के लिए विनियामक ढांचे पर कन्वर्जेंस तथा विश्व में घट रही अन्य समान विकासात्मक घटनाओं को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाना चाहिए। प्राधिकरण ने इंटरनेट टेलीफोनी से संबंधित मुद्दों पर अपनी ओर से एक परामर्श प्रक्रिया प्रारंभ की। परामर्श प्रक्रिया को संचालित करने तथा आंतरिक विश्लेषण के उपरांत प्राधिकरण ने 18 अगस्त, 2008 को इंटरनेट टेलीफोनी से संबंधित मुद्दों पर अपनी सिफारिशें की।

65. सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई है:-

- आईएसपी को गैर-निर्बंधित इंटरनेट-टेलीफोनी प्रदान करने की अनुमति प्रदान की गई है (पीएसटीएन/पीएलएमएन पर तथा इसके विपरीत टेलीफोन कालों पर इंटरनेट टेलीफोनी कॉलों की समाप्ति)।
- राष्ट्रीय लंबी दूरी (एनएलडी) प्रचालकों को गैर-निर्बंधित इंटरनेट टेलीफोनी के लिए सार्वजनिक इंटरनेट (इंटरनेट क्लाउड) के माध्यम से आईएसपी के जुड़ने की अनुमति होगी।
- आईएसपी तथा एनएलडी गैर-निर्बंधित इंटरनेट टेलीफोनी के लिए पारस्परिक करार करेंगे।

टेलीविजन दर्शक मापन/टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट्स (टीआरपी) के लिए नीतिगत दिशा-निर्देशों तथा प्रचालनात्मक मुद्दों पर सिफारिशें दिनांक 19 अगस्त, 2008

66. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने रेटिंग एजेंसियों के लिए अपनाई जाने वाली टेलीविजन रेटिंग तथा नीतिगत दिशा-निर्देशों की प्रणाली एवं ढांचे पर भादूविप्रा से सिफारिशें मांगी थीं। परामर्श प्रक्रिया का संचालन करने, अंतरराष्ट्रीय संव्यवहारों तथा स्वयं के विश्लेषणों पर विचार-विमर्श करने के पश्चात प्राधिकरण ने इस मुद्दे पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय को 19 अगस्त, 2008 को अपनी सिफारिशें

कीं। प्राधिकरण ने अनुशंसा की कि वर्तमान में, स्व-विनियमन ही श्रेष्ठ कार्य करेगा तथा कतिपय रिपोर्टिंग अपेक्षाओं सहित विशिष्ट दिशा-निर्देश विनिधार्रित करने वाला एक ढांचा कमियों का प्रभावी रूप से समाधान कर लेगा। जैसाकि अन्य देशों में होता है, उद्योग द्वारा नेतृत्व प्रदान किए गए निकाय को विशिष्ट कृत्यों का निष्पादन करने के लिए पहचाना जा सकता है। उद्योग की पहल-ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (बीएआरसी) को संस्थागत ढांचे के रूप में मान्यता प्रदान की जा सकती है। एक बार जब बीएआरसी कार्य करना प्रारंभ कर देगी, तो वर्तमान प्रणाली में विद्यमान कमियों का प्रभावशाली रूप से समाधान सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ अत्यंत निकट एवं समन्वित तरीके से किया जा सकेगा। प्राधिकरण की राय है कि किसी अधिनियमन के रूप में सरकार का हस्तक्षेप इस अवस्था में वांछनीय नहीं है। अतः उद्योग के नेतृत्व में स्व-विनियमन, सरकार के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत अलाभकारी निकाय बीएआरसी की अनुशंसा की गई है जिसमें बीएआरसी की संगठनात्मक ढांचा, कार्य-प्रणाली तथा क्रियाविधि शामिल है।

67. सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार है-

❖ **उद्योग द्वारा नेतृत्व प्रदान किए गए निकाय का ढांचा**

- बीएआरसी द्वारा जनवरी, 2009 तक क्रियाकलापों का प्रारंभ
- बीएआरसी के निदेशक-मंडल पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दो नामिती। बीएआरसी के बोर्ड पर सरकार के नामितियों का कार्यकाल जारी रखने की समीक्षा पांच वर्ष बाद की जाएगी।
- बीआरएसी की तकनीकी समिति में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन, राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) तथा भारतीय सांख्यिकी संस्थान (आईएसआई), कोलकाता से नामिति भी शामिल होंगे।
- बीएआरसी प्रत्यक्षतः दर्शक मापन नहीं करेगी तथा वह रेटिंग प्रक्रिया में शामिल विभिन्न अवस्थाओं के लिए एक खुली, पारदर्शी बोली प्रक्रिया अपनाएगी।
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय रेटिंग एजेंसियों के चयन तथा उनके कार्य-निष्पादन दायित्व मानकों के लिए प्रमुख पात्रता मानदण्ड उपलब्ध कराएगा। ये अनुसंशात्मक प्रकृति के होंगे।
- बीएआरसी ऐसी जानकारी एवं रिपोर्टें उपलब्ध कराएगी जैसीकि मंत्रालय द्वारा समय-समय पर मांगी जाए।
- उन घरों के पते तथा स्थान, जहां लोक मीटर स्थापित किए गए हैं, पूर्णतः गोपनीय रखे जाएंगे।
- बीएआरसी एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करेगी।
- बीएआरसी अपनी संगठनात्मक संरचना, कृत्यों एवं क्रिया-विधि के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगी। यह समझौता ज्ञापन एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगा तथा बीएआरसी एवं सरकार की भूमिका को परिभाषित करेगा।
- बीएआरसी विभिन्न रिपोर्टों के लिए रेट कार्डों तथा उन पर पेश की

गई छूटों को अपनी वेबसाइट पर दर्शाएगा।

❖ **रेटिंग एजेंसियों के लिए सुझाई गई शर्तें**

➲ रेटिंग एजेंसियों से बोलियां आमंत्रित करने वाले प्रस्ताव के लिए अनुरोध को बीएआरसी द्वारा पात्रता शर्तों एवं निष्पादन दायित्वों पर विधिवत रूप से विचार करते हुए अंतिम रूप प्रदान किया जाएगा, जैसाकि सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर उपबंधित किया जाए।

❖ **नमूना आकार**

➲ नमूने में विभिन्न प्लेटफार्मों को शामिल किया जाएगा, जिनमें स्थानिक/प्रसार भारती चैनल केबल एवं उपग्रह प्लेटफार्म, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र तथा सभी राज्य शामिल होंगे।

❖ **प्रौद्योगिकी**

➲ ऐसी प्रौद्योगिकी का प्रयोग जो विभिन्न प्लेटफार्मों पर डाटा को समाहित करने में समर्थ हो।

❖ **क्रॉस-होल्डिंग**

➲ कोई भी एकल कंपनी/विधिक व्यक्ति, चाहे प्रत्यक्षतः अथवा इसके सहयोगियों के माध्यम से, एक से अधिक रेटिंग एजेंसी में पर्याप्त इक्टिवी धारित नहीं करेगा।

➲ कोई प्रोत्साहक कंपनी/विधिक व्यक्ति/रेटिंग एजेंसी का निदेशक या तो प्रत्यक्षतः अथवा इसके सहयोगियों के माध्यम से प्रसारक, विज्ञापनदाता अथवा विज्ञापन एजेंसी भी रेटिंग एजेंसियों में कोई स्टेक नहीं रखेगी।

❖ **अनिवार्य लेखापरीक्षा**

➲ टीवी रेटिंग लेखापरीक्षा में अनुभव रखने वाली स्वतंत्र अर्हक लेखापरीक्षा फर्मों द्वारा रेटिंग प्रणाली की व्यापक अनिवार्य लेखापरीक्षा कम से कम तीन वर्षों में संचालित की जाएगी।

❖ **रेटिंग सेवाओं में प्रतिस्पर्धा**

➲ रेटिंग प्रक्रिया में शामिल विभिन्न अवस्थाओं के लिए बोलीदाताओं का चयन एक खुली, पारदर्शी बोली के माध्यम से किया जाएगा।

❖ **अन्य**

➲ बीएआरसी तथा रेटिंग एजेंसियां देश के विभिन्न भागों में नियमित अंतरालों पर दर्शक मापन के कार्य के विषय में आम जनता को शिक्षित करने के लिए कार्यक्रमों में निवेश करेंगी तथा अपनी वेबसाइटों पर विस्तृत जानकारी भी इस संबंध में उपलब्ध कराएंगी।

68. ये सिफारिशें मोटे तौर पर पणधारकों की आकांशाओं को प्रतिबिंबित करती हैं। इन सिफारिशों के साथ ही प्राधिकरण् ने निम्न उद्देश्यों की प्राप्ति करने का प्रयास किया है-

❖ रेटिंग प्रणाली की गुणवत्ता तथा पद्धति में निरंतर सुधार ताकि सटीक, अघतन एवं प्रासंगिक निष्कर्ष उपलब्ध कराए जा सकें;

❖ एकीकरण के उच्चतम सभी मानकों का अनुरक्षण तथा यह सुनिश्चित करना कि इसके निष्कर्षों का दुरूपयोग/छेड़छाड़ किसी को भी गलत संकेत भेजने के

लिए किसी व्यक्ति द्वारा न की जा सके।

- रेटिंग तथा इसके प्रयोग के संबंध में उचित, मानवीय एवं स्वस्थ संव्यवहार को प्रोत्साहित करना, उनका अनुरक्षण करना तथा उन्हें कायम रखना।
- रेटिंगों की बिक्री अथवा प्रयोग के संबंध में सम्मिलित अनुचित एवं भ्रामक संव्यवहारों को हतोत्साहित करना।
- ऐसी शर्तों/मानकों/मानदण्डों का उन स्थानों पर अनुपालन तथा प्रवर्त्तन करना जहां इसे रेटिंग प्रक्रिया के लिए सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया गया है।

राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी प्रचालकों द्वारा कॉलिंग कार्डों के प्रावधान पर सिफारिशें दिनांक 20 अगस्त, 2008

69. भादूविप्रा ने उदारीकरण के मार्ग में कैरियर चयन की आवश्यकता को काफी पहले ही पहचान लिया था। पणधारकों के साथ एक विस्तृत परामर्श-प्रक्रिया के पश्चात एक्सेस प्रदाताओं तथा लंबी दूरी प्रचालकों के लिए जुलाई, 2002 में एक निदेश जारी किया गया था कि वे अपने-अपने संबंधित नेटवर्कों में कैरियर चयन का क्रियान्वयन करें। कैरियर चयन द्वारा लाई गई प्रतिस्पर्धा को लंबी दूरी के खंडों में प्रचालनात्मक कार्यकुशलता का समावेश करने तथा साथ ही उपभोक्ताओं को विकल्प, गुणवत्ता एवं वहनीय मूल्य प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण समझा गया। दूरसंचार क्षेत्र व्यापक बनने की प्रक्रिया में था तथा कैरियर चयन की उपलब्धता को गुंजायमान प्रतिस्पर्धा की महत्वपूर्ण पूर्वापेक्षा माना गया। तथापि, विभिन्न कारणों से इस निदेश का क्रियान्वयन आस्थगित कर दिया गया।

70. कैरियर चयन पर एक व्यापक तथा नवीकृत परामर्श-पत्र 7 मई, 2008 को जारी किया गया था। परामर्श-पत्र में पूर्व के प्रयासों, पेश आ रही समस्याओं तथा संभावित कार्रवाई को रेखांकित किया गया था। पणधारकों के साथ मुद्दों की व्यापक श्रृंखला पर परामर्श किया गया जिनमें शामिल थे - उन्नयन लागत का आकलन एवं साझेदारी, तकनीकी एवं प्रचालनात्मक समस्याएं, बिलिंग, लाइसेंसिंग और अंतरसंयोजन मुद्दे। राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी के प्रचालकों के कॉलिंग कार्डों के माध्यम से कैरियर चयन के क्रियान्वयन की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई थी।

71. अधिकांश पणधारकों की यह राय थी कि कैरियर चयन की पारंपरिक पद्धति वर्तमान परिदृश्य में प्रासंगिक नहीं है जिसका कारण था- उच्च क्रियान्वयन लागत, निष्कृष्ट लागत-लाभ दृष्टिकोण, बाजार में पहले ही स्थापित हो चुकी पर्याप्त प्रतिस्पर्धा तथा कैरियर चयन के क्रियान्वयन के साथ जुड़े तकनीकी और प्रचालनात्मक मुद्दे। पणधारकों के बीच एक लोकप्रिय राय यह थी कि कॉलिंग कार्डों के माध्यम से कैरियर चयन को क्रियान्वित करना उपभोक्ताओं तथा सेवा प्रदाताओं, दोनों ही के लिए एक बेहतर विकल्प है। उन्होंने तर्क दिया है कि लंबी दूरी के प्रचालकों के विकल्प उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य तथा उपभोक्ता को किसी भी प्रकार का पारिणामिक वित्तीय लाभ, संलग्न समस्याओं के बिना, एलएलडीओ तथा आईएलडीओ को कॉलिंग कार्ड जारी करने की अनुमति प्रदान करके हासिल किया जाना चाहिए।

72. पणधारकों द्वारा व्यक्त विभिन्न रायों पर विचार करने के पश्चात प्राधिकरण ने राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी प्रचालकों द्वारा कॉलिंग कार्डों का प्रावधान पर अपनी सिफारिशें

दूरसंचार विभाग को 20 अगस्त, 2008 को प्रेषित कीं। ये सिफारिशें भारतीय उपभोक्ता को लंबी दूरी कैरियर का विकल्प प्रदान करने के तंत्र की व्यापक समीक्षा का परिणाम हैं। लंबी दूरी कैरियर के माध्यम से सब्सक्राइबरों के लिए यह संभव बनाकर प्राधिकरण ने सरकार को सिफारिश की है कि राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी के प्रचालकों को कॉलिंग कार्डों के माध्यम से क्रमशः राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी की वॉयस कॉलों की अनुमति प्रदान करनी चाहिए।

73. इन सिफारिशों के फलस्वरूप निम्नलिखित लाभ होंगे-

- उपभोक्ता कॉलिंग कार्डों के माध्यम से राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय कॉलों के लिए लंबी दूरी के प्रचालक के विकल्प का प्रयोग करने में समर्थ होगा।
- प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन मिलेगा तथा वहन करने योग्य अभिनव टैरिफ प्लान उपलब्ध होंगे।
- उपभोक्ता किसी भी एक्सेस प्रदाता को सब्सक्राइब कर सकेगा तथा लंबी दूरी की कॉलों के लिए एक्सेस प्रदाता पर निर्भर नहीं रहेगा।
- लंबी दूरी के कॉलिंग कार्डों के माध्यम से उपभोक्ता किसी भी एक्सेस प्रदाता के टेलीफोन से लंबी दूरी की कॉलें कर सकेगा।

74. प्राधिकरण ने एनएलडी/आईएलडी प्रचालकों की लाइसेंस शर्तों में संशोधन की सिफारिश की ताकि वे राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी की कॉलों के लिए प्रत्यक्षतः उपभोक्ताओं को एक्सेस करने में समर्थ हो सकें। इसके साथ-साथ, इन सिफारिशों के साथ 24 जुलाई, 2002 के निदेश में इस आशय का संशोधन भी किया गया कि उच्च उन्नयन लागत, तकनीकी और प्रचालनात्मक मुद्दों, क्रियान्वयन आवश्यकता एवं लागत-लाभ आधार पर व्यवहार्य न होने तथा भावी पीढ़ी नेटवर्क की ओर अंततः कदम उठाए जाने को ध्यान में रखते हुए कैरियर चयन उस निदेश में प्रस्तावित स्वरूप में क्रियान्वित नहीं किया जाए। यह आशा की जाती है कि ये कदम भारतीय दूरसंचार उपभोक्ता को और भी अधिकार प्रदान करने में सफल रहेंगे क्योंकि उपभोक्ता अब कॉलिंग कार्डों के माध्यम से राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय कॉलों के लिए कैरियर के विकल्प का प्रयोग कर सकेगा।

प्रसारण और वितरण क्रियाकलापों में किसी सत्ता के प्रवेश के संबंध में मुद्दों पर सिफारिशें दिनांक 12 नवम्बर, 2008

75. प्रसारण और वितरण क्रियाकलापों में कतिपय सत्ताओं के प्रवेश के बारे में मुद्दों पर सिफारिशें, 12 नवम्बर, 2008 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय को अग्रेषित की गई थीं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अपने दिनांक 27 दिसम्बर, 2007 के पत्र द्वारा भादूविप्रा से अनुरोध किया कि वह प्रसारण क्रियाकलापों में प्रवेश करने के लिए राज्य सरकारों, शहरी तथा स्थानीय निकायों, त्रि-स्तरीय पंचायती राज निकायों, जनता द्वारा संचालित निकायों, राजनैतिक निकायों तथा धार्मिक निकायों के साथ-साथ कतिपय सत्ताओं को अनुमति प्रदान करने पर अपनी सिफारिश उपलब्ध कराए।

76. सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पत्र से उत्पन्न होने वाले मुद्दों पर भादूविप्रा ने 25 फरवरी, 2008 को एक परामर्श-पत्र जारी किया। परामर्श-पत्र में यह मुद्दे शामिल थे कि क्या यह बात प्रसारण क्षेत्र के

हित में अथवा व्यापक रूप से सार्वजनिक हित में होगी, यदि प्रसारण एवं वितरण कार्यकलापों जैसे केबल टीवी, डीटीएच आदि में केन्द्र सरकार एवं उसके निकायों, राज्य सरकारों एवं उनके निकायों, शहरी एवं ग्रामीण स्थानीय निकायों, राजनैतिक निकायों, धार्मिक निकायों आदि को प्रवेश करने की अनुमति प्रदान कर दी जाए। परामर्श-पत्र में यह मुद्दा भी उठाया गया था कि क्या राज्य सरकारों तथा उनके उपक्रमों को प्रसारण क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति प्रदान किए जाने से केन्द्र-राज्य संबंधों तथा राज्यों के बीच पारस्परिक संबंधों आदि पर प्रभाव पड़ेगा। इसके पश्चात, 16 अप्रैल, 2008 को नई दिल्ली में एक ओपन हाउस चर्चा भी आयोजित की गई। प्राधिकरण ने इस मामले में उत्पन्न होने वाले विभिनन सांविधिक तथा विधिक मुद्दों पर सावधानीपूर्वक विचार करने तथा पणधारकों के विचारों और विद्यमान अंतरराष्ट्रीय संव्यवहारों का सावधानीपूर्वक परीक्षण करके अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप प्रदान किया।

77. जहां तक राज्य सरकारों, शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों आदि को प्रसारण कार्यकलापों में प्रवेश का प्रश्न है, प्राधिकरण ने इस तथ्य को ध्यान में रखा कि वर्तमान में इन सत्ताओं को प्रसारण कार्यकलापों में प्रवेश की अनुमति नहीं प्रदान की गई है। प्रासंगिक संवैधानिक उपबंधों, विधानमण्डलों में हुई बहसों, सरकारिया आयोग की सिफारिशों तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों और पणधारकों से प्राप्त फीडबैक पर विचार करने के पश्चात प्राधिकरण ने सिफारिश की कि इन सत्ताओं के प्रवेश के संबंध में वर्तमान स्थिति को जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। भादूविप्रा ने अनुशंसा की कि प्रसारण के संबंध में राज्य सरकारों की आकांक्षाओं का निवारण प्रसारण भारती द्वारा पर्याप्ततः तथा निजी प्रसारकों पर कतिपय लोक सेवा प्रसारण दायित्वों को अधिरोपित करके किया जाना चाहिए।

78. भादूविप्रा ने सिफारिश की कि देश में प्रसारकों पर कतिपय सार्वजनिक सेवा प्रसारण दायित्व अधिरोपित किए जाने चाहिए। सार्वजनिक सेवा प्रसारण के लिए कंटेंट की तैयारी वैयक्तिकों द्वारा की जानी चाहिए जिनमें प्रसार भारती, डीएवीपी, राज्य सरकारों तथा उनके अवयवों के अलावा निजी प्रसारक, एनजीओ, सामाजिक कार्यकर्ता समूह आदि शामिल हैं। भारत सरकार (सूचना और प्रसारण मंत्रालय) द्वारा सार्वजनिक सेवा प्रसारण (पीएसबी) दायित्व के भाग के रूप में प्रसारण के लिए एक नियमित निकाया स्थापित किया जाना चाहिए। इस दिशा में शुरूआत के तौर पर, प्रत्येक निजी प्रसारक को सप्ताह में न्यूनतम कुल तीस मिनट की अवधि के लिए ऐसे अनुमोदित कार्यक्रमों को कैरी करने का अधिदेश दिया जाना चाहिए।

79. ऐसे सार्वजनिक सेवा प्रसारण कार्यक्रमों के लिए धनराशि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, भादूविप्रा ने आगे एक निधि की स्थापना की सिफारिश की है जिसे सार्वजनिक सेवा प्रसारण दायित्व निधि कहा जाएगा, जोकि दूरसंचार क्षेत्र में सार्वजनिक सेवा दायित्व (यूएसओ) निधि के अनुरूप ही होगी, तथा साथ ही उसने देश मे निजी प्रसारकों पर वार्षिक सार्वजनिक सेवा प्रसारण दायित्व उद्ग्रहण अधिरोपित करने और प्रसारण क्षेत्र में पहचान किए गए

पणधारकों द्वारा भुगतान की जाने वाले सकल राजस्व के प्रतिशत में से एक मुख्य हिस्सा वसूलने की सिफारिश भी की है।

80. राजनैतिक दलों के प्रसारण क्रियाकलापों में प्रवेश के बारे में, भादूविप्रा ने सिफारिश की है कि राजनैतिक निकायों को प्रसारण क्रियाकलापों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए तथा तदनुसार सिफारिश की है कि प्रसारण विधेयक, 1997 (जिसे विधि में अधिनियमित नहीं किया जा सका) में यथाअंतर्विष्ट राजनैतिक दलों की निरहर्ता के प्रावधान प्रसारण पर प्रस्तावित विधान में अंतर्विष्ट किए जाने चाहिए। तथापि, निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान जानकारी के स्वतंत्र प्रवाह की महत्ता का ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने सिफारिश की है कि प्रसारण चैनल संसद तथा राज्य विधान मण्डलों के निर्वाचनों की प्रक्रिया के दौरान मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों को युक्तिसंगत एक्सेसृ प्रदान करेंगे। भारत सरकार (सूचना और प्रसारण मंत्रालय) माननीय भारत निर्वाचन आयोग से मार्गदर्शन प्राप्त करे तथा इस संबंध में उपयुक्त दिशा-निर्देश बनाए।

81. जहां तक प्रसारण क्रियाकलापों में धार्मिक निकायों के प्रवेश का संबंध है, भादूविप्रा ने यह सिफारिश की है धार्मिक निकायों को उनके प्रसारण स्टेशन और टेलीपोर्ट आरंभ करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ऐसा करना संविधान के धर्मनिरपेक्ष तानेबाने के अनुरूप होगा। भादूविप्रा ने सिफारिश की है कि प्रसारण पर नए प्रस्तावित विधान में धार्मिक निकायों की निरहर्ता के संबंध में प्रसारण विधेयक, 1997 में यथाअंतर्विष्ट प्रासंगिक उपबंधों को अंतर्विष्ट किया जाना चाहिए। तथापि, ऐसी निरहर्ता का यह अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए कि प्रसारण चैनलों में धार्मिक कंटेंट को अनुमति प्रदान नहीं की गई है। ऐसी धार्मिक कंटेंट सरकार द्वारा समय-समय पर यथानिर्दिष्ट उपयुक्त कंटेंट संहिता अथवा कार्यक्रम संहिता के अनुरूप होने चाहिए। यदि ऐसे किसी धार्मिक निकाय को टेलीविजन चैनल के लिए पूर्ण में अनुमति प्रदान की गई है, तो सिफारिशों में ऐसे धार्मिक निकायों के लिए तीन से चार वर्ष की समय-सीमा के भीतर एक उपयुक्त निर्गम मार्ग का उपबंध किया गया है।

82. केबल टीवी, डीटीएच, आदि जैसे वितरण प्लेटफार्मों में राज्य सरकारों के प्रवेश के संबंध में, प्राधिकरण ने नोट किया है कि यहां पर पहले ही 6 डीटीएच प्रचालक, लगभग 6000 मल्टी सिस्टम प्रचालक तथा 60,000 केबल प्रचालक विद्यमान हैं। ऐसी स्थिति में, उचित प्रतिस्पर्धा, समान अवसरों के हित में तथा साथ ही, क्षेत्र में सभी प्लेयरों के लिए समान रूप से लागू उचित प्रवर्त्तन तंत्र सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर विचार करते हुए भादूविप्रा ने सिफारिश की है कि राज्य सरकार तथा उनके अवयवों को वितरण क्रियाकलापों से दूर रहना चाहिए। जहां तक सरकारें तथा उनके अवयव ऐसे वितरण क्रियाकलापों में शामिल हो गए हैं, उनके लिए तीन से चार वर्ष के भीतर निर्गम-मार्ग हेतु उपयुक्त प्रावधान किए जाने चाहिए। इन्हीं कारणों से तथा राजनैतिक तथा अन्य क्षेत्रों पर किसी भी प्लेयर द्वारा वितरण प्लेटफार्मों के दुरूपयोग को रोकने की आवश्यकता को देखते हुए तथा साथ ही इसमें शामिल सेवा प्रदाताओं के विरूद्ध

प्रवर्त्तन उपायों के संबंध में किसी भी समस्या के निवारण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, भादूविप्रा ने सिफारिश की कि शहरी एवं स्थानीय निकायों, राजनैतिक निकायों, धार्मिक निकायों तथा अन्य सार्वजनिक वित्त-पोषित निकायों को केबल टेलीविजन, डीटीएच आदि जैसे वितरण क्रियाकलापों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

प्राइवेट एफएफ रेडियो प्रसारण के तीसरे चरण पर सिफारिशें-सरकार द्वारा की गई टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया दिनांक 28 नवम्बर, 2008

83. प्राधिकरण ने प्राइवेट एफएम रेडियो प्रसारण के तीसरे चरण पर अपनी सिफारिशें 22 फरवरी, 2008 को भेजीं। तदंतर, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भादूविप्रा अधिनियम की धारा 11 के उपबंधों के निर्बंधनों के अनुसार भादूविप्रा की सिफारिशों के कतिपय मुद्दों पर भादूविप्रा की प्रतिक्रिया के लिए अनुरोध किया। भादूविप्रा से जिन मुख्य मुद्दों पर प्रतिक्रिया मांगी गई थी, वे निम्नानुसार हैः-

- ❖ लाइसेंसिंग के लिए भौगोलिक आधार - शहर बनाम जिला
- ❖ मल्टीपल चैनलों के स्वामित्व पर सीमाएं
- ❖ परमीशन होल्डर कंपनी के स्वामित्व पर परिवर्तन
- ❖ समाचार एवं ताजी घटनाएं
- ❖ बोलियों का फ्लोर मूल्य
- ❖ अनुमतियों का स्वतः नवीकरण

84. प्राधिकरण द्वारा इन मुद्दों पर विचार किया गया था तथा एक उत्तर सूचना और प्रसारण मंत्रालय को 28 नवम्बर, 2008 को प्रेषित किया गया था।

- ❖ प्राधिकरण द्वारा भेजी गई प्रतिक्रिया की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैः-
- ❖ प्रक्रिया में तेजी लाने के व्यापक हित में शहर स्तरीय लाइसेंसिंग को जारी रखना।
- ❖ प्राधिकरण ने अपनी पूर्व की सिफारिश को दृढ़ता के साथ दोहराया है कि देश में किसी अनुमति धारक द्वारा कुल अनुमति प्रदान किए गए एफएम रेडियो स्टेशनों के 15 प्रतिशत स्वामित्व की सीलिंग-सीमा को समाप्त किया जाए।
- ❖ एफएम रेडियो प्रसारण के आरंभ से पूर्व पुनर्संरचना की अनुमति पर सरकार के दृष्टिकोण को स्वीकार कर प्राधिकरण ने एफएम रेडियों के प्रसारण के आरंभ के पश्चात स्वामित्व के परिवर्तन पर निर्बंधनों पर अपने दृष्टिकोण को दोहराया है।
- ❖ प्राधिकरण ने एफएम रेडियो के लिए समाचार तथा ताजे घटनाक्रम के स्रोतों को सीमित करने के सरकार के दृष्टिकोण को स्वीकार कर लिया है तथा सिफारिश की है कि तीन वर्ष पश्चात स्रोतों के विस्तार के लिए समीक्षा की जाए।
- ❖ गैर-समाचार तथा ताजे घटनाक्रम प्रसारण के रूप में आने जाने वाले कंटेंट के श्रेणीकरण प्राधिकरण द्वारा स्वीकार्य है। ऐसे कंटेंट की व्याप्ति को अनुभव की समीक्षा के पश्चात तीन वर्ष की अवधि के बाद विस्तारित किया जाए।

- प्राधिकरण ने बोलियों के फ्लोर मूल्य के वर्तमान स्तर को जारी रखने के सरकार के दृष्टिकोण को स्वीकार किया है।

- किसी बोलीदाता द्वारा संदत्त एकबारीय प्रवेश शुल्क के उच्च भावी मूल्यृ की अनुमति का स्वतः नवीकरण अथवा समाना राज्य में एक समान श्रेणी के शहर के लिए किसी बोलीदाता द्वारा नवीनतम एकबारीय प्रवेश शुल्क की सिफारिश उस विद्यमान अनुमति धारक के साथ की गई है जिसके पास इंकार करने का पहला अधिकार है।

3जी सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार पर दूरसंचार विभाग द्वारा प्रस्तावित आशोधनों पर सिफारिशें दिनांक 9 दिसम्बर, 2008

85. दूरसंचार विभाग ने अपने 24 नवम्बर, 2008 के पत्र तथा दिनांक 25 नवम्बर, 2008 के शुद्धिपत्र द्वारा "3जी एवं बीडब्ल्यूए सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम के आवंटन तथा मूल्य-निर्धारण" पर भादूविप्रा की दिनांक 27 सितम्बर, 2006 की सिफारिशों पर एक अन्य संदर्भ प्रेषित किया। दूरसंचार विभाग का प्रस्ताव इस विषय पर अंतरमंत्रालयी समिति की सिफारिशों पर मुख्य रूप से आधारित था तथा दूरसंचार विभाग के इन पत्रों के साथ संलग्न था।

86. सिफारिशों की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैः-

- 3 जी स्पेक्ट्रम की वैधता अवधि के दौरान वार्षिक प्रशासनिक प्रभार के रूप में उच्चतम बोली राशि का दो प्रतिशत (2 प्रतिशत)।

- चूंकि प्रचालक स्पेक्ट्रम के आवंटन के पश्चात अपनी सावओं के क्रियान्वयन के लिए समय लेंगे, अतः प्राधिकरण ने प्रशासनिक प्रशासनिक के भुगतान के संबंध में स्पेक्ट्रम के आवंटन की तारीख से एक वर्ष के निलंबन-काल की सिफारिश की है।

- स्टैंडअलोन 3जी प्रचालक भी, जिसके पास 2 जी स्पेक्ट्रम का कोई आवंटन नहीं है, वार्षिक एजीआर का तीन प्रतिशत वार्षिक स्पेक्ट्रम प्रभार का भुगतान करेंगे, जो 2जी प्रचालक के निम्नतम स्लैब के समकक्ष है। यह स्पष्ट किया गया है कि यह प्रशासनिक प्रभारों के अतिरिक्त है।

- आगामी एक वर्ष के भीतर अनुमानित स्पेक्ट्रम की उपलब्धता सहित 2.1 जीएचजैड में समस्त उपलब्ध स्पेक्ट्रम बोली के लिए रखा जाएगा ताकि 3जी सेवा प्रदाताओं की संख्या को अधिकतम बनाया जा सके।

- अनुमानित उपलब्धता सहित 3जी स्पेक्ट्रम की उपलब्धता को बोलीदाताओं की जानकारी के लिए पब्लिक डोमेन पर रखा जाना चाहिए। यह उस समय विशेष रूप से प्रासंगिक बन जाता है क्योंकि दूरसंचार विभाग ने पहले ही बीएसएनएल तथा एमटीएनएल को स्पेक्ट्रम आवंटित करने का निर्णय ले लिया है। अतः यह अनिवार्य है कि बोली के लिए उपलब्ध समस्त स्पेक्ट्रम को प्रस्तुत करके समान अवसरों के सिद्धांत को पुनः क्रियान्वित किया जाए।

मूल्यवर्धित सेवाओं के विकास तथा विनियामक मुद्दों पर सिफारिशें दिनांक 13 फरवरी, 2009

87. भादूविप्रा ने मूल्यवर्धित सेवाओं के विकास तथा विनियामक मुद्दों पर सरकार को 13 फरवरी, 2009 को अपनी ओर से सिफारिशें अग्रेषित कीं।

88. इस विषय पर की गई सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैः-

- मूल्यवर्धित सेवाओं की परिभाषा को 3जी एनजीएन परिवेश में प्रारंभ होने वाली नई मूल्यवर्धित सेवाओं के संदर्भ में पुनः परिभाषित करने की सिफारिश की गई है, क्योंकि "मूल्यवर्धित सेवाएं संवर्धित सेवाएं हैं, जिनकी प्रकृति गैर-कोर सेवाओं की है तथा जो बुनियादी टेलीसर्विसेज तथा बीयरर सर्विसेज में मूल्य का समावेश करती हैं, जबकि कोर सेवाएं मानक वॉयस कॉल, वायस/नॉन-वॉयस मैसेज, फैक्स ट्रंसमिशन तथा डाटा ट्रंसमिशन होती हैं।"
- विभिन्न लाइसेंसों में एकरूपता तथा विभिन्न एक्सेस सेवा लाइसेंस करारों में संशोधन की आवश्यकता है ताकि विशेष रूप से मोबाइल 2जी/3जी एवं भावी पीढ़ी नेटवर्क परिवेश में मूल्यवर्धित सेवाओं के विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके।
- मूल्यवर्धित सेवाओं के लिए लाइसेंस अथवा पंजीकरण की कोई पृथक श्रेणी नहीं।
- राष्ट्रीय संख्यांकन योजना का प्रशासक होने के नाते दूरसंचार विभाग मूल्यवर्धित सेवाओं के लिए विशिष्ट सेवा क्षेत्रों अथवा अखिल भारतीय आधार पर कॉमन शार्ट कोडों (सीएससी) के आवंटन के लिए उपयुक्त व्यवस्था करे तथा साथ ही कॉमन शार्ट कोडों (सीएससी) के ऐसे आवंटन के लिए शुल्क अवधारणा भी विकसित करे। एक से अधिक एक्सेस सेवा प्रदाता को सेवा प्रदान करने के लिए कॉमन शॉर्ट कोड (सीएससी) अर्जित करने हेतु किसी लाइसेंस अथवा पंजीकरण के लिए कोई पूर्वपेक्षा नहीं है।
- दूरसंचार एक्सेस सेवा प्रदाता को स्वतंत्र कंटेंट प्रदाताओं के लिए उनके दूरसंचार अवसंरचना की समुचित एक्सेस प्रदान करने की तथा सामंजस्य हेतु मूल्यवर्धित सेवाओं से संबंधित उनकी प्रबंधन सूचना प्रणाली में पारदर्शिता कायम रखने की आवश्यकता है।
- प्रबंधन सूचना प्रणाली (एसआईएम) का सामंजस्य तथा एक्सेस सेवा प्रदाताओं और वीएएसपी/कंटेंट प्रदाताओं के बीच एमआईएस का अंशशोधन एक्सेस सेवा प्रदाताओं तथा वीएएसपी/कंटेंट प्रदाताओं के बीच पारस्परिक बातचीत का भाग बन सकता है। इससे मूल्यवर्धित सेवा मूल्य श्रृंखला में विश्वास आएगा तथा यह मूल्य श्रृंखला में सामंजस्य प्रक्रिया को भी सुधारेगा।
- वीएएसपी तथा दूरसंचार एक्सेस सेवा प्रदाता के बीच विवाद निवारण दूरसंचार एक्सेस सेवा प्रदाता तथा मूल्यवर्धित सेवा प्रदाता के बीच वाणिज्यिक करार का भी भाग होना चाहिए।
- मूल्यवर्धित सेवाओं के प्रावधान में राजस्व साझेदारी के लिए दूरसंचार एक्सेस सेवा प्रदाताओं तथा कंटेंट प्रदाताओं/कंटेंट एग्रेगेटरों के बीच पारस्परिक वाणिज्यिक करार मॉडल बना रहेगा।
- दूरसंचार एक्सेस सेवा प्रदाताओं के लिए मूल्यवर्धित सेवाओं के प्रभारों को प्रकाशित करना आवश्यक होगा। इसके अलावा, एक्सेस प्रभारों को भी उस स्थिति में प्रकाशित किया जाना चाहिए,

जब ऐसे एक्सेस प्रभार उपभोक्ताओं के लिए लागू टैरिफ प्लान के अंतर्गत प्रभारों से भिन्न हैं तथा उन्हें मूल्यवर्धित सेवाओं के प्रभारों में शामिल नहीं किया गया है।

- कंटेंट प्रासंगिक कंटेंट विनियम तथा विद्यमान कॉपीराइट के अनुपालन के अध्यधीन होना चाहिए, जिसमें डिजिटल प्रबंधन अधिकार और विषय पर अन्य विधियां भी शामिल हैं। किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकने के लिए सभी प्रकार के मीडिया में, जिनमें प्रिंट, डिजिटल/मल्टीमीडिया भी शामिल हैं, कंटेंट के उपचार में संगतता होनी चाहिए।

89. यह आशा की जाती है कि ये सिफारिशें मूल्यवर्धित सेवाओं के व्यवस्थित विकास के लिए मार्ग प्रशस्त करेंगी तथा उपभोक्ता प्रतिस्पर्धी दरों पर नई एवं वर्धित सेवाओं/ मूल्यवर्धित सेवाओं से भी लाभान्वित होंगे।

मीडिया स्वामित्व पर सिफारिशें दिनांक 25 फरवरी, 2009

90. मीडिया स्वामित्व समूचे विश्व में विकसित एवं विकासशील देशों में अत्यधिक चर्चा एवं सरकारी समीक्षा का विकल्प है। संयुक्त राष्ट्र अमरीका, यूके, कनाडा, आस्ट्रेलिया तथा फ्रांस जैसे अनेक विकसित लोकतंत्रों में साझे तथा क्रॉस मीडिया स्वामित्व पर निर्बंधन लगाया गया है। इनमें से अनेक देशों ने मीडिया स्वामित्व नियमों की हाल ही में समीक्षा की है तथा इन निर्बंधनों को जारी रखने का निर्णय लिया है।

91. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अपने दिनांक 22 मई, 2008 के पत्र द्वारा भारत में, रेडियो, प्रसारण तथा प्रिंट मीडिया के लिए क्रॉस मीडिया एवं स्वामित्व निर्बंधनों की आवयकता पर भादूविप्रा की सिफारिशें मांगी थीं। मंत्रालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि प्रिंट मीडिया की प्रसारण क्षेत्र में प्रवेश की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को ध्यान मे रखते हुए तथा इस विषय की इसकी समग्रता के साथ समीक्षा करने के लिए प्राधिकरण को वर्तमान संदर्भ में प्रसारण मीडिया की तुलना में किन्हीं क्रॉस मीडिया निर्बंधनों की आवश्यकता की समीक्षा करते समय प्रिंट मीडिया को भी शामिल करना चाहिए।

92. अपने परामर्शीय दृष्टिकोण के अनुरूप भादूविप्रा ने भारत में मीडिया स्वामित्व से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे मीडिया के विभिन्न खंडों अर्थात् प्रिंट/टेलीविजन/रेडियो (ह्रॉरीजेंटल इंटीग्रेशन) में क्रॉस मीडिया स्वामित्व, किसी मीडिया खण्ड में "वर्टिकल इंटीग्रेशन" सहित समेकितीकरण के निवारण के लिए क्रॉस होल्डिंग निर्बंधन, किसी सत्ता द्वारा धारित लाइसेंसों की संख्या पर नियंत्रण, मीडिया खंडों में शहर/राज्य/देश मे बाजार हिस्सा तथा दूरसंचार एवं मीडिया खंडों में क्रॉस कंट्रोल/स्वामित्व पर 23 सितम्बर, 2008 को एक सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया प्रारंभ की।

93. अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य, पणधारकों की टिप्पणियों, वर्तमान आर्थिक परिदृश्य, भारतीय परिदृश्य की विशेष विशिष्टताओं तथा अन्य प्रासंगिक कारकों पर विचार करते हुए प्राधिकरण ने यह मत कायम किया कि ऐसे सुधारात्मक उपायों की तलाश करने के स्थान पर, जोकि उद्योग द्वारा भविष्य में अपने अनुरूप बनाए जाने में अत्यंत कठिन होंगे, समय पर रक्षोपाय करना बेहतर होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त सकारात्मक रक्षोपाय किए जाने की आवश्यकता है कि मतों की बहुलता तथा विविधता को कायम रखा जाए।

विकास की इस अवस्था पर एक सहायक विनियामक परिवेश तथा सुपरिभाषित रक्षोपाय स्थापित करना उद्योग के सुव्यवस्थित विकास को सुकर बनाएगा। इन रक्षोपायों का वास्तविक तर्काधार मतों की बहुलता की गारंटी देना तथा शक्ति के संग्रहण को निवारित करना है, जोकि किसी परिपक्व लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। इन रक्षोपायों को स्पष्ट तथा पारदर्शी विनियामक ढांचे के भाग के रूप में देखा जाना चाहिए जो विद्यमान मीडिया स्वामियों तथा संभावित निवेशकों को उपयुक्त निर्णय लेने में समर्थ बनाएगा, जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्र के दीर्घकालिक विकास में सहायता मिलेगी। इन रक्षोपायों का तर्काधार मतों की बहुलता की गारंटी देना तथा शक्ति के संग्रहण को निवारित करना है, जोकि एक परिपक्व लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है।

सिफारिशों का सारांशः

- **क्रॉस मीडिया नियंत्रण/स्वामित्व (हॉरीजेंटल इंटीग्रेशन):**
  - बाजार विफलता का कोई उभरता संकट नहीं है।
  - यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक रक्षोपाय स्थापित किए जाने चाहिए कि विचारों की बहुलता एवं विविधता कायम रखी जाए। रक्षोपायों की पहचान/निर्धारण के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा व्यापक बाजार सर्वेक्षण तथा विश्लेषण किया जाना चाहिए। ऐसे विश्लेषण के परिणामों को सार्वजनिक डोमेन पर रखा जाना चाहिए ताकि रक्षोपायों को अंतिम रूप देने से पूर्व उन पर चर्चा की जानी चाहिए।
- **वर्टिकल इंटीग्रेशन**
  - प्रसारक के पास वितरण पर कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए तथा इसके विपर्ययः।
  - किसी प्रसारण कंपनी में 20 प्रतिशत से अधिक इक्विटी प्रतिभागिता रखने वाली कोई सत्ता किसी वितरक (एमएसओ/केबल, डीटीएच, एचआईटीएम, मोबाइल टीवी) में 20 प्रतिशत से अधिक इक्विटी नहीं रखी जा सकती तथा इसके विपर्ययः।
  - विद्यमान प्रसारक, जिसके पास वितरण (एमएसओ/केबल/डीटीएच) का नियंत्रण है, उसे पुनर्संरचना के लिए तीन वर्ष की पर्याप्त अवधि दी जाएगी।
- **किसी एकल सत्ता द्वारा लाइसेंसों की संख्या पर सीमा**
  - विद्यमान निर्बंधन, नीतियां तथा इन पर भादूविप्रा की सिफारिशें इस समय पर्याप्त हैं।
- **मीडिया में नियंत्रण/स्वामित्व का संकेन्द्रण**
  - हॉरीजेंटल एवं वर्टिकल इंटीग्रेशन के लिए अपेक्षित रक्षोपाय का आकलन करने के पश्चात क्षेत्र के लिए विलयन तथा अर्जन दिशा-निर्देश मीडिया संकेन्द्रण के निवारण तथा पर्याप्त बाजार शक्ति के सृजन के लिए जारी किए जाने चाहिए।
- **दूरसंचार तथा मीडिया कंपनियों में क्रॉस नियंत्रण/स्वामित्व**
  - इस समय, दूरसंचार तथा मीडिया खंडों में अलग-अलग क्रॉस कंट्रोल/स्वामित्व पर कोई निर्बंधन

अधिरोपित नहीं किए जाने चाहिए। इस मुद्दे की समीक्षा दो वर्ष की जा सकती है।

प्रोत्साहक की इक्विटी के लिए लॉक-इन अवधि तथा एकीकृत एक्सेस सेवा लाइसेंसियों (यूएएसएल) से संबंधित अन्य मुद्दों पर सिफारिशें दिनांक 12 मार्च, 2009

94. दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार आयोग के इन सुविचारित मतों पर, कि "फ्लाई-बाई-नाइट प्रचालकों को त्वरित लाभ बटोरने से निवारित करने के उद्देश्य से लाइसेंस करारों में निर्बंधन विद्यमान होने चाहिएं" प्राधिकरण की सिफारिशें मांगी थी। ये निर्बंधन एकीकृत एक्सेस सेवा लाइसेंसों (यूएएसएल) के लिए प्रोत्साहक की इक्विटी के लिए लॉक-इन अवधि, अतिरिक्त इक्विटी के मामले में विशेष लाभांशों की घोषणा पर निर्बंधन आदि से संबंधित थे। जबकि प्रारंभिक लाइसेंसों में समान शर्तें विद्यमान थीं, जब क्षेत्र को निजी प्रतिभागिता के लिए खोला गया था, इनमें आने वाले समय में काफी परिवर्तन हो गए तथा इन्हें 2007 के बाद से जारी किए गए लाइसेंसों में हटा दिया गया। स्पेक्ट्रम के लाइसेंस के साथ बंडल होने के साथ, तथा इसकी सीमित उपलब्धता के कारण यूएएस लाइसेंसी कंपनी की इक्विटी में संव्यवहारों के विनियमन ने महत्व हासिल कर लिया है, विशेष रूप से वहां, जहां वर्ष 2001 में अवधारित प्रवेश शुल्क लाइसेंस प्रदान करने का आधार है। परामर्श प्रक्रिया संचालित करने, सेबी से प्राप्त मूल्यवान टिप्पणियों तथा इसमें शामिल मुद्दों पर अपना स्वयं का विश्लेषण करने के उपरांत प्राधिकरण ने प्रोत्साहक की इक्विटी के लिए लॉक-इन अवधि तथा एकीकृत एक्सेस सेवा लाइसेंसियों (यूएएसएल) से संबंधित अन्य मुद्दों पर दिनांक 12 मार्च, 2009 को अपनी सिफारिशें जारी कीं।

95. इन सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई है:-

❖ **प्रोत्साहक की इक्विटी के लिए लॉक-इन अवधि**

- ऐसे प्रोत्साहक की इक्विटी शेयर पूंजी की, लाइसेंस की प्रभावी की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए लॉक-इन अवधि होनी चाहिए जिसकी निवल संपत्ति को यूएएस लाइसेंस को प्रदान करने के लिए पात्रता के निर्धारण हेतु ध्यान में रखा गया है।
- तथापि, लाइसेंसर के पूर्व-लिखित अनुमोदन के साथ तथा क्रियान्वयन दायित्व की पूर्ति पर, प्रोत्साहन को लॉक-इन अवधि के दौरान भी उसके इक्विटी शेयर बेचने की अनुमति दी जानी चाहिए, जिसमें यह शर्त निहित होगी कि प्रोत्साहक की इक्विटी के विक्रय संव्यवहार से अर्जित लाभ का 50 प्रतिशत एक विशेष रिजर्व के रूप में व्यवसाय में रखा जाना चाहिए तथा उसका प्रयोग केवल दूरसंचार नेटवर्क के विस्तार के लिए किया जाना चाहिए। लाभ का शेष 50 प्रतिशत लाइसेंसर को अंतरित किया जाना चाहिए। ऐसे शेयरों की बिक्री पर लाभ को ऐसे शेयरों का अंतरण किए जाने की तारीख को इक्विटी शेयरों के विक्रय मूल्य/ सहमत मूल्य तथा यूएएस लाइसेंस के लिए आवेदन की तारीख का उनकी फेस वेल्यू के बीच अंतर के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए।
- जहां वर्तमान प्रोत्साहक उस प्रोत्साहक से भिन्न है, जिसके निवल मूल्य के आधार पर लाइसेंस

प्रदान किया गया है, तो ऐसे वर्तमान प्रोत्साहक का स्टेक भी उपर्युक्त लॉक-इन-शर्तों के अध्यधीन होगा।

❖ **प्रोत्साहक**

- लाइसेंस करार में प्रोत्साहक की परिभाषा की शुरूआत। सुझाई गई परिभाषा इस प्रकार है -"ऐसा व्यक्ति, जो भारत के किसी भाग के भीतर तार की स्थापना करने, अनुरक्षण करने अथवा कार्य करने के लिए व्यवसाय उद्यम शुरू करने अथवा संगठित करने में अकेला अथवा अन्य व्यक्ति के साथ सहयोग करके, प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः पहल करता है।"
- लाइसेंस की प्रभावी तारीख को प्रोत्साहक साहित लाइसेंस कंपनी इक्विटी और निवल-मूल्य के शत-प्रतिशत संपूर्ण विवरण के साथ अन्य विवरणों का प्रकटीकरण।

❖ **रिपोर्टिंग तथा प्रमाण-पत्र अपेक्षा**

- वर्तमान रिपोर्टिंग प्रणाली के अलावा, लाइसेंसिंग कंपनी के कुल इक्विटी शेयर में प्रोत्साहक के शेयर के स्टेक में किसी परिवर्तन अथवा विघटन की सूचना निदेशक-मंडल द्वारा लाइसेंसर (दूरसंचार विभाग) को ऐसे परिवर्तन होने के 2 दिन के भीतर दी जाएगी। संव्यवहार की तारीख से 15 दिन के भीतर कंपनी सचिव तथा सांविधिक लेखापरीक्षकों से एक प्रमाण-पत्र भरा जाएगा।

❖ **अतिरिक्त शेयर पूंजी**

- निजी प्लेसमेंट/पब्लिक इश्यु के माध्यम से लाइसेंसी कंपनियों/उनकी होल्डिंग कंपनियों द्वारा अतिरिक्त इब्विटी शेयर के इश्यु की अनुमति सांविधिक प्रावधानों (सेबी तथा कंपनी अधिनियम) के अनुरूप इस शर्त के अधीन प्रदान की जाएगी कि प्रोत्साहक की इक्विटी की बिक्री पर लॉक-इन अवधि के साथ मिलने वाली अवधि के दौरान प्रोत्साहक की इक्विटी कुल योग के 10 प्रतिशत से नीचे नहीं गिरेगी।
- लाइसेंस कंपनी का प्रबंधन नियंत्रण लाइसेंस करार के निबंधन और शर्तों द्वारा विनियंत्रित किया जाएगा।

❖ **लाभांश/विशेष लाभांश**

- लाभांश और/अथवा विशेष लाभांश की घोषणा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत सांविधिक प्रावधानों द्वारा विनियंत्रित की जाएगी।

❖ **शेयरों का वचन**

- प्रोत्साहकों के शेयरों के अंतरण पर, जिनके निवल-मूल्य पर ऋ णियों द्वारा की गई गलतियों के मामलों के कारण ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं/बैंकों द्वारा वचन के प्रवर्त्तन के अनुसरण में यूएएस लाइसेंस को देने की पात्रता के निर्धारण के लिए विचार किया गया है, लाइसेंसर के पूर्व-लिखित अनुमोदन के बिना लॉक-इन अवधि के दौरान अनुमति नहीं दी जाएगी। यह प्रावधान विद्यमान प्रोत्साहकों पर भी लागू होगा, जहां वे वास्तविक प्रोत्साहकों से भिन्न हैं।

❖ **3 वर्ष की अवधि के लिए यूएस/सीएम टीएस लाइसेंसधारक लाइसेंस**

➲ उपर्युक्त संदर्भित सभी सिफारिशें 3 वर्ष की अवधि के लिए लाइसेंसधारक यूएएस/सीएम टीएस लाइसेंसियों पर उस समय आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगी, यदि वे लाइसेंसर से अपने प्रचालन के क्षेत्र में वृद्धि करने के प्रयोजन से किसी अन्य सेवा क्षेत्र में कोई नया यूएएस लाइसेंस चाहते हैं।

ग्रामीण टेलीफोनी पर दृष्टिकोण - संवर्धित विकास के लिए सुझाए गए उपायों पर सिफारिशें दिनांक 19 मार्च, 2009

96. ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं के विकास को संवर्धित करने के उद्देश्य से, भादूविप्रा ने दिनांक 16 दिसम्बर, 2008 को "ग्रामीण भारत में दूरसंचार पैठ में सुधार करने के उपाय - आगामी 100 मिलियन सब्सक्राइबर" पर एक पत्र जारी किया। ग्रामीण टेलीफोनी पर दृष्टिकोण-संवर्धित विकास के लिए सुझाए गए उपायों पर सिफारिशों का मसौदा भादूविप्रा की वेबसाइट पर पणधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए रखा गया था। प्राप्त हुई टिप्पणियों तथा इसके स्वयं के विश्लेषण के आधार पर प्राधिकरण ने ग्रामीण टेलीफोन पर दृष्टि कोण संवर्धित विकास के लिए सुझाए गए उपायों पर अपनी सिफारिशों को 19 मार्च, 2009 को अंतिम रूप प्रदान किया।

97. सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैः-

❖ यूएसओएफ प्रशासक को प्रशासनिक, वित्तीय शक्तियों तथा अंतिम निर्णय लेने के संदर्भ में प्रभावी रूप से शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए। यूएसओएफ को दूरसंचार विभाग से अलग किए जाने तथा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की तर्ज पर एक ढांचे पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। यूएसओ निधि अधिनियम/विषय को इस प्रकार संशोधित किया जाना चाहिए ताकि उद्ग्रहण के माध्यम से यूएसओएफ को उद्ग्रहित निधियां संगठन द्वारा सीधी ही प्रबंधित की जाएं तथा उन्हें केन्द्रीय सरकार की बजटीय प्रक्रिया के जरिए न ले जाया जाए।

❖ यूएसओएफ को बोली प्रक्रिया का अनुपालन केवल तभी करना चाहिए, जहां यह आवश्यक है तथा इसमें मुख्य रूप से स्कीम की आयोजना तथा निगरानी पर ही ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए।

❖ यूएसओएफ को विभिन्न क्षेत्रों में मोबाइल टावरों की स्थापना के लिए आर्थिक सहायता का निर्धारण करना चाहिए तथा कोई भी आईपी-आई/सीएमटीएस/यूएएसएल प्रचालक, जो निर्दिष्ट एसडीसीए में टावर स्थापित करता है तथा उनकी भागीदारी करता है, उसे टावर की भागीदारी करने वाले प्रचालकों की संख्या के आधार पर आर्थिक सहायता का भुगतान किया जाना चाहिए। प्राधिकरण ने किसी लाइसेंसशुदा सेवा क्षेत्र में ग्रामों सहित विकास खण्डों का 75 प्रतिशत भाग कवर करने पर 3 प्रतिशत कम यूएसएओ उद्ग्रहण प्रभारण करने की अपनी पूर्व-सिफारिशों को दोहराया है।

❖ स्थानीय कंटेंट का विकास क्षेत्र-निर्दिष्ट होना चाहिए तथा इसे लोगों की स्थानीय एवं तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहिए।

- यूएसओएफ को निकटम ब्लॉक मुख्यालय से यूएसओएफ के आर्थिक-सहायतप्राप्त टावरों से ऑप्टिकल फाइबर उपलब्ध कराने के लिए आईपी-आई/एनएलडी/यूएएस लाइसेंसधारकों से अभिरूचि की अभिव्यक्ति की मांग करने के लिए एक स्कीम विकसित करनी चाहिए। यूएसओएफ प्रति शेयरिंग प्रति केएम अधिकतम एक लाख की दर से आर्थिक सहायता प्रदान करेगा (जिसे तीन वर्षों की अवधि मे वितरित किया जाएगा) बशर्ते कि यह इस न्यूनतम एक एक्सेस सेवा प्रदाता के साथ शेयर करे।
- आर्थिक सहायता के दावों का भुगतान सेवा प्रदाताओं के स्व-प्रमाणन के आधार पर एक कतिपय समय-सीमा के भीतर किया जाएगा।
- यूएसओएफ राज्य सरकारों के साथ एक स्कीम/करार विकसित करेगा जिसमें ब्रॉडबैंड कनेक्शन की यूएसओएफ द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी, जबकि यूएसओएफ अस्पताल/विद्यालयों आदि जैसे सरकारी कार्यालयों/सार्वजनिक स्थानों के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्शनों की निश्चित संख्या निर्धारित करेगा।
- राइट-ऑफ वे अनुमति प्राप्त करने के लिए विलंब को कम करने के प्रयोजनार्थ भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 10 में संशोधन की सिफारिश की जाती है।
- वीएसएटी निर्गमों के लिए, दूरसंचार विभाग को कड़ी समय-सीमाएं निर्दिष्ट करनी चाहिए तथा साथ ही प्रक्रिया को भी सरल बनाना चाहिए जिसमें गैर-निर्णायक अनुमोदनों के मामले में स्वतः निर्गमों पर बल दिया जाना चाहिए। प्राधिकरण ने आगे सिफारिश की कि वीएसएटी के प्रभारों को (ट्रांस्पोंडर प्रभारों को छोड़कर) यूएसओएफ द्वारा प्रारंभ में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित सभी वीएसएटी के लिए तीन वर्ष की अवधि के लिए वहन किया जाना चाहिए।
- यूएसओएफ को डाक विभाग से बातचीत करनी चाहिए ताकि निम्नलिखित क्रियाकलापों को सुकर बनाया जा सके -
  - दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के विक्रय केन्द्रों के रूप मे कार्य करना
  - पारस्परिक बातचीत से तय कमीशन के आधार पर बिल संग्रहण केन्द्र
  - सब्सक्राइबर सत्यापन
  - नए सब्सक्राइबर आकर्षित करने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाता कुछ कमीशन की पेशकश कर सकते हैं
  - अनुभव प्राप्त करने के लिए प्रत्येक राज्य में 3-6 माह की अवधि की एक प्रायोगिक स्कीम का परामर्श दिया जाता है।

3.3 लाइसेंस के निबंधन और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना

98. भादूविप्रा द्वारा इस कर्तव्य का निर्वहन एक बहु-आयामी दृष्टिकोण के माध्यम से किया जाता है। इन दृष्टिकोणों में से एक है - सेवा प्रदाताओं से प्राप्त विश्लेषण रिपोर्टें। दूसरा दृष्टिकोण है - उपभोक्ताओं/उपभोक्ता संगठनों, विशेषज्ञों, संसद सदस्यों आदि से प्राप्त फीडबैक/अभ्यावेदनों के माध्यम से। कतिपय मामलों में, भादूविप्रा ने अपनी स्वयं की पहल के तौर पर लाइसेंस के निबंधन और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की है।

99. भादूविप्रा को विभिन्न दूरसंचार सेवाओं के सेवा प्रदाताओं से उनके कार्य-निष्पादन, नेटवर्क क्रियान्वयन सेवा गुणवत्ता आदि के

बारे में तिमाही रिपोर्टें प्राप्त होती हैं। ये रिपोर्टें लाइसेंस में विनिर्धारित विभिन्न मापदण्डों के सेवा प्रदाताओं द्वारा अनुपालन पर भादूविप्रा को इनपुट उपलब्ध कराती हैं। जहां कहीं आवश्यक होता है, सेवा प्रदाताओं के कार्य-निष्पादन लाइसेंस के निबंधन और शर्तों के अनुपालन की समीक्षा करने के लिए सेवा प्रदाताओं के साथ बैठकें आयोजित की जाती हैं।

3.4 दूरसंचार सेवाओं के उपभोक्ताओं के हित का संरक्षण करने के लिए उठाए गए कदम

100. जनवरी, 2001 में, भादूविप्रा ने दूरसंचार सुविधाओं के उपभोक्ता संगठनों तथा गैर-सरकारी संगठनों के साथ अपने संपर्क के तरीके को औपचारिक बनाने के लिए एक विनियम जारी किया। इस विनियम में भादूविप्रा के साथ गैर-सरकारी संगठनों तथा उपभोक्ता संगठनों के निःशुल्क पंजीकरण के लिए कार्य-पद्धतियों का उपबंध किया गया है ताकि भादूविप्रा को एक सतत आधार पर दो-मार्गीय संपर्क सुलभ हो सके। पंजीकृत उपभोक्ता संगठन को परामर्श-पत्र उपलब्ध कराकर उन्हें गतिविधियों से अवगत रखा जाता है और उन्हें परामर्श-प्रक्रिया में शामिल किया जाता है तथा प्राधिकरण के साथ उनकी बैठकें आयोजित की जाती हैं। उपभोक्ता समूह तथा एनजीओ विचाराधीन मुद्दों पर उनकी टिप्पणियां उपलब्ध कराकर तथा भादूविप्रा के ध्यान में महत्वपूर्ण उपभोक्ता चिंताएं लाकर भादूविप्रा द्वारा नीति-निर्धारण प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करते हैं। मार्च, 2008 के अंत में 40 उपभोक्ता संगठनों की तुलना में मार्च, 2009 की समाप्ति पर, समूचे देश से 41 उपभोक्ता संगठन भादूविप्रा के पास पंजीकृत थे।

101. हालांकि, भादूविप्रा को उपभोक्ता-विशेष की शिकायतों पर विचार करने का अधिदेश प्राप्त नहीं है, यह ऐसी शिकायतों पर कार्रवाई उस समय करता है यदि वे प्रणाली की समस्याओं/कमियों से जुड़ी हों। यह उपभोक्ता संगठनों द्वारा प्राप्त शिकायतों पर भी कार्यवाही करता है। ऐसी शिकायतों के आधार पर, प्राधिकरण ने सेल्युलर मोबाइल सेवाओं के लिए टैरिफों, एक भेदभावरहित तरीके से फिक्सड लाइनों फोनों के प्रावधान, असामान्य रूप से कम कॉल समापन दरों तथा निर्दिष्ट स्थान पर नेटवर्क की असफलता आदि से संबंधित अनेक मुद्दों का समाधान किया है।

102. वर्तमान दूरसंचार परिदृश्य में, जब अनेक सेवा प्रदाता इस क्षेत्र में अपने उपभोक्ताओं के विभिन्न वर्गों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक प्लान और पैकेजों की पेशकश कर रहे हैं, उपभोक्ताओं को कुछ परेशानियां होने तथा उनकी शिकायतें भी होने की आशा की जाती है। कठिनाइयों का समाधान करने तथा उनकी शिकायतों का निवारण करने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के अधीन विनियम बनाए हैं तथा अनेक निदेश और आदेश जारी किए हैं। तथापि, अनेक उपभोक्ता उक्तसंदर्भित अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए तथा जारी विनियमों, निदेशों तथा आदेशों के अधीन अपने अधिकारों और विशेषाधिकारों से अवगत नहीं हैं।

103. अतः भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने उपभोक्ता परामर्शी समूहों (सीएजी) एवं एनजीओ के लिए क्षमता निर्माण के रूप में तथा उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए भूदविप्रा द्वारा की गई पहलों के विषय में उनके बीच जागरूकता का सृजन करने के लिए देश के विभिन्न भागों में कार्यशालाओं की एक श्रृंखला आयोजित करने का निर्णय लिया है, ताकि वे दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र में गुणात्मक सेवाएं प्राप्त कर सकें,

अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकें तथा अपनी शिकायतों का निराकरण कर सकें। सेवा प्रदाताओं को भी इन कार्यशालाओं में आमंत्रित किया जाता है ताकि वे भी उपभोक्ताओं के हित के संरक्षण तथा उनकी शिकायतों के निवारण एवं उन्हें गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने की प्रक्रिया में भागीदार बन सकें। तदनुसार, वर्ष 2008-09 के दौरान 9 (नौ) उपभोक्ता शिक्षा कार्यशालओं (भादूविप्रा द्वारा 05 तथा आउटसोर्स मॉडल पर भादूविप्रा के साथ पंजीकृत सीएजी द्वारा अन्य 04 आयोजित की गईं) का आयोजन किया गया। भादूविप्रा द्वारा आयोजित 05 कार्यशालाओं में से, देहरादून में 05 मई, 2008 को, मदुरै में 8 अगस्त, 2008 को, अगरतला में 12 सितम्बर, 2008 को, गोवा में 28 नवम्बर, 2008 को तथा शिमला में 6 मार्च 2009 को क्रमशः एक-एक कार्यशाला आयोजित की गई। उपभोक्ता परामर्शी समूहों द्वारा आयोजित चार कार्यशालाओं में से, उपभोक्ता अधिकार शिक्षा एवं जागरूकता ट्रस्ट (सीआरईएटी) द्वारा 17 मई, 2008 को बंगलौर में, भारत ज्योति द्वारा 18 अक्तूबर, 2008 को लखनऊ में, उपभोक्ता समन्वय परिषद द्वारा 15 मार्च, 2009 को चण्डीगढ़ में तथा उपभोक्ता एसोसिएशन, पालक्कड द्वारा 27 मार्च, 2009 को पालक्कड (केरल) में क्रमशः एक-एक कार्यशाला आयोजित की गईं। इन कार्यशालाओं का मुख्य उद्देश्य क्षमता नियंत्रण तथा उपभोक्ता संगठनों के मध्य भादूविप्रा द्वारा की गई पहलों के बारे में जागरूकता का सृजन करना था।

104. क्षेत्रीय कार्यशालाओं के अलावा, जैसाकि उपभोक्ता संगठनों के पंजीकरण के विनियमों में उपबंध है, देश मे उपभोक्ताओं की समस्याओं को बेहतर रूप से समझने के लिए भादूविप्रा के साथ पंजीकृत सभी उपभोक्ता संगठनों तथा एनजीओ की एक बैठक 24 अक्तूबर, 2008 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। भादूविप्रा कार्यालय में 22 और 23 अक्तूबर, 2008 को एक पुनश्चर्या कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। इसने नए पंजीकृत हुए उपभोक्ता परामर्शी समूहों को भादूविप्रा की विभिन्न डिवीजनों तथा साथ ही पूर्व में पंजीकृत समूहों के साथ संपर्क करने तथा उन्हें विनियामक कृत्यों के बारे में तथा क्षेत्र में उपभोक्ता संगठनों की भूमिका के बारे में अवगत करने का अवसर प्रदान किया। उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करने के उद्देश्य से, प्राधिकरण ने उक्त संदर्भित पहलों के अलावा, अनेक उपभोक्ता-केन्द्रित उपाय किए जिनके विवरण नीचे किए गए हैः-

(i) **दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (सीयूओसीईएफ) पर एक समिति का गठन**

दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि विनियम, 2007 दिनांक 15 जून, 2007 के अनुसरण में, दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (सीयूओसीईएफ) पर एक समिति 31 अगस्त, 2007 को गठित की गई थी, जिसमें भादूविप्रा के साथ पंजीकृत उपभोक्ता संगठनों/एनजीओ के प्रतिनिधि तथा सेवा प्रदाता शामिल थे। चूंकि समिति की अवधि एक वर्ष की थी, 15 सितम्बर, 2008 को एक नई समिति गठित की गई थी। वर्ष के दौरान, समिति की दो बैठकें, 14 अगस्त, 2008 को और 24 नवम्बर, 2008 को आयोजित हुईं, जिसमें आरंभ की जाने वाली नई गतिविधियों तथा उन पर शामिल व्यय पर प्राधिकरण को सिफारिशें की गईं। निधि के वर्ष 2007-08 के लेखाओं की लेखापरीक्षा प्राधिकरण द्वारा नियुक्त योग्य-चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा कराई गई, जैसाकि विनियम में उपबंधित है। लेखापरीक्षित लेखों को आम जनता की जानकारी

के लिए प्राधिकरण की वेबसाइट पर रखा गया है।

(ii) बेहतर कनेक्टिविटी तथा बेहतर सेवा गुणवत्ता हेतु आईएसपी के लिए अपेक्षित बैंडविड्थ पर दिशा-निर्देश

इंटरनेट सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जा रही ब्रॉडबैंड की अपर्याप्त स्पीड के बारे में सब्सक्राइबरों की शिकायतों का निवारण करने के उद्देश्य से, सभी सेवा प्रदाताओं (आईएसपी, यूएएसएल, सीएमएसपी, बीएसओ) को दिनांक 2 मार्च, 2009 को दिशा-निर्देश जारी किए थे, जिसमें सेवा की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए इंटरनेट/ब्रॉडबैंड सेवाओं का उपबंध किया गया था। दिशा-निर्देशों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैः-

- एक बेहतर व्यवसाय संव्यवहार के रूप में पेश की जा रही तथा विपणित की जा रहीं इंटरनेट/ब्रॉडबैंड सेवाओं के बारे में सब्सक्राइबरों को पर्याप्त सूचना उपलब्ध कराना।
- सेवा प्रदाताओं द्वारा उनके टैरिफ प्लानों में, जिन्हें भादूविप्रा को सूचित किया गया है, प्रक्रिया-नियमावली में उल्लिखित किया गया है, कॉल सेंटरों तथा उनकी वेबसाइटों में दर्शाया गया है, विभिन्न सेवाओं के लिए अपनाए गए आशय अनुपातों के बारे में सूचना उपलब्ध कराना।
- विभिन्न इंटरनेट/ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए आशय अनुपात तिमाही रूप में वेबसाइट पर प्रकाशित करना ताकि सब्सक्राइबरों द्वारा संसूचित निर्णय किया जा सके।
- सब्सक्राइबरों की संख्या के आधार पर विभिन्न सेवाओं के लिए भादूविप्रा द्वारा सुझाए गए अधिकतम आशय अनुपात के अनुरूप नेटवर्क में अपेक्षित न्यूनतम बैंडविड्थ की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

(iii) ग्रामीण क्षेत्रों में नए उपभोक्ताओं के लिए प्रवेश बाधाओं को कम करना

एडीसी विनियमों में दिनांक 27 मार्च, 2008 के संशोधन द्वारा एजीआर के रूप में एडीसी को 1.4.2008 से तथा आवक इंटरनेशनल कॉलों पर एडीसी को 30.9.2008 से समाप्त किया गया था। जीएसएम तथा सीडीएमए, दोनों ही प्रचालकों ने मई/जून, 2008 में आरंभ किए गए अपने ग्रामीण प्लानों के माध्यम से उन्हें प्राप्त लाभ को ग्रामीण ग्राहकों को उपलब्ध करा दिया है। दूरसंचार एसोसिएशनों से प्राप्त संपेषण के अनुसार, सेवा प्रदाताओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में एयरटाइम पर 50 रु0 तथा 75 रु0 का अपफ्रंट छूट प्रदान की जिससे आने वाले समय में 50 मिलियन नए उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। प्राधिकरण ने वर्ष 2008-09 को "ग्रामीण दूरसंचार एक्सेस का वर्ष" बनाने के लिए सेवा प्रदाताओं से आह्वान भी किया है। सेवा प्रदाताओं तथा उनकी एसोसिएशनों से प्राप्त सूचना के अनुसार जीएसएम एवं सीडीएमए प्रचालकों द्वारा पेश किए गए ग्रामीण प्लानों से 4.3 मिलियन ग्रामीण सब्सक्राइबर लाभान्वित हुए हैं तथा उन्होंने 30.09.2008 तक अपफ्रंट छूट के रूप में 21.62 करोड़ रू0 तथा कुल निःशुल्क टॉक-टाइम के कारण 12.87 करोड़ रु0 का लाभ उठाया है।

(iv) टैरिफ आदेशों में पारदर्शिता में सुधार लाने के उपाय

भादूविप्रा ने 1 सितम्बर, 2008 को एक टैरिफ आदेश तथा एक निदेश जारी किया जिसमें एक्सेस सेवा तथा अन्य उपभोक्ता संरक्षण उपायों में टैरिफ आदेशों में पारदर्शिता में सुधार लाने के लिए विभिन्न विनियामक उपायों को अधिदेशित किया गया था। इन उपभोक्ता संरक्षण पहलों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार है

- सब्सक्राइबर को टॉक टाइम रीचार्जों पर पूरा टॉक-टाइम मिलेगा बशर्ते कि उस पर एक प्रशासनिक शुल्क लगेगा जो 2 रु0 प्रति रीचार्ज तथा लागू करों से अधिक नहीं होगा।
- सब्सक्राइबरों को बिना किसी पूर्व-शर्तों के प्रत्यक्ष टैरिफ कटौतियां का स्वतः की लाभ मिल जाएगा, उदाहरण के लिए एसएमएस भेजना आदि।
- विद्यमान आजीवन प्लानों में उपभोक्ता बिना किसी अतिरिक्त भुगतान अथवा रीचार्जों को अदा किए कम प्रविष्टि शुल्क के साथ किसी नए आजीवन प्लान में अंतरित हो सकता है।
- आजीवन उपभोक्ताओं को कनेक्ट रहने के लिए 6 माह में एक बार से अधिक रीचार्ज कराने की आवश्यकता नहीं है।
- उपभोक्ताओं को सेवा प्रदातओं तथा उनके फ्रेंचाइजियों के सभी खुदरा पटलों पर प्रमुख टैरिफ जानकारी स्थानीय भाषा में भी प्राप्त होगी।
- जब सब्सक्राइबर टैरिफ प्लान बदलता है अथवा प्रीपेड से पोस्टपेड अथवा इसके विपरीत स्थानांतरित होता है, तो मोबाइल नम्बर में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- ब्लैकआउट दिन (पारंपरिक/त्योहारों के दिन जब निःशुल्क/छूट वाली कॉलें/एसएमएस उपलब्ध नहीं होंगे) किसी कैलेण्डर वर्ष में 5 दिन से अधिक नहीं होंगे। ऐसे दिन पूर्व-निर्दिष्ट होने चाहिए तथा इसमें कोई पश्चातवर्ती परिवर्तन अथवा वृद्धि की अनुमति नहीं होगी।
- संवर्धनात्मक पेशकशों को सरल और कारगर बनाया जाएगा।
- नए उपाय 15 सितम्बर, 2008 से प्रभावी होंगे तथा सभी सब्सक्राइबरों, नए एवं विद्यमान पर लागू होंगे।

3.5 सार्वभौमिक सेवा दायित्व का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम

105. भादूविप्रा नियमित रूप से यूएसओएफ की स्थिति (संग्रहण, आवंटन तथा वितरण) तथा निधि द्वारा समर्थित क्रियाकलापों की निगरानी करता है। भादूविप्रा यूएसओएफ द्वारा समर्थित विभिन्न स्कीमों के सफल क्रियान्वयन के लिए अपनी राय/टिप्पणियां उपलब्ध कराता है। प्राधिकरण ने ग्रामीण टेलीफोनी के लिए दृष्टिकोण - संवर्धित विकास के लिए सुझाए गए उपायृ पर अपनी दिनांक 19 मार्च, 2009 की सिफारिशों में सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) की सहायता के साथ ग्रामीण टेलीफोनी के संवर्धित विकास के लिए निम्नलिखित उपाय सुझाए हैः-

- यूएसओएफ प्रशासक प्रशासनिक वित्तीय शक्तियों तथा अंतिम निर्णय लेने

के संदर्भ में प्रभावी रूप से शक्तिशाली बनाया जाना चाहिए।

- यूएसओएफ को स्कीम के क्रियान्वयन की आयोजन और संवीक्षा पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।
- यूएसओएफ को विभिन्न क्षेत्रों में मोबाइल टावरों की स्थापना के लिए आर्थिक सहायता का निर्धारण करना चाहिए तथा ऐसे आईपी-आई/सीएम टीएस/यूएएसएल प्रचालक को, जो विनिर्दिष्ट एसडीसीए में टावर स्थापित करते हैं और इसकी साझेदारी करते हैं, टावर की भागीदारी करने वाले प्रचालकों की संख्या के आधार पर आर्थिक सहायता का भुगतान किया जाना चाहिए।
- निकटतम प्रखंड मुख्यालय को यूएसओएफ आर्थिक-सहायता प्राप्त टावरों से ऑप्टिकल फाइबर प्रदान करने के लिए आईपी-आई/एनएलडी/यूएएस लाइसेंसियों से अभिरूचि की अभिव्यक्ति मंगाने के प्रयोजनार्थ एक स्कीम विकसित करनी चाहिए। यूएसओएफ को अधिकतम एक लाख प्रति केएम प्रति हायरिंग की दर से (जिसका वितरण तीन वर्ष की अवधि में किया जाएगा) आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए बशर्ते कि यह इसकी शेयरिंग न्यूनतम एक एक्सेस सेवा प्रदाता के साथ करता हो।
- यूएसओएफ को राज्य सरकारों के साथ एक स्कीम/करार तैयार करना चाहिए जिसमें ब्रॉडबैंड कनेक्शन यूएसओएफ द्वारा समर्थ बनाए जाएंगे जबकि राज्य सरकार सरकारी कार्यालयों/सार्वजनिक स्थानों जैसे अस्पताल/स्कूल इत्यादि के लिए सार्वजनिक स्थानों जैसे अस्पताल/स्कूल इत्यादि के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्शनों की निश्चित संख्या उपलब्ध कराएगी।
- वीएसएटी के लिए प्रभार (ट्रंसपोडर प्रभारों के अलावा) यूएसओएफ द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित सभी वीएस एटी के लिए प्रारंभ में तीन वर्ष की अवधि के लिए वहन किए जाएंगे।
- यूएसओएफ को निम्न क्रियाकलापों को सुकर बनाने के लिए डाक विभाग के साथ बातचीत करनी चाहिए:-
  - दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के विक्रय पटलों के रूप में कार्य करने के लिए।
  - पारस्परिक रूप से सहमत कमीशन पर आधारित बिल संग्रहण केन्द्र।
  - सब्सक्राइबर सत्यापन
  - नए सब्सक्राइबरों को लाने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाता कुछ कमीशन की पेशकश कर सकते हैं।
  - अनुभव प्राप्त करने के लिए प्रत्येक राज्य में 3-6 माह की अवधि के लिए एक प्रायोगिक स्कीम का परामर्श दिया गया है।

3.6 अन्य मामले

(I) भादूविप्रा की संस्थागत क्षमता निर्माण परियोजना

106. भादूविप्रा की संस्थागत क्षमता निर्माण परियोजना के अंतर्गत, जिसे योजना बजट के द्वारा वित्त-पोषित किया गया है, वर्ष 2008-09 के दौरान निम्नलिखित अध्ययन/परामर्श किए गए:-

(a) किसी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा सेवा गुणवत्ता का वस्तुपरक आकलन तथा उपभोक्ता संतुष्टि सर्वेक्षण

(b) दूरसंचार क्षेत्र में अंतरण मूल्य-निर्धारण पर परामर्शीय अध्ययन

(c) भारत में स्पेक्ट्रम पर परामर्शीय अध्ययन

(II) नई दिल्ली में 10वीं एसएटीआरसी (दक्षिण एशियाई दूरसंचार विनियामक परिषद) की मेजबानी

107. एसएटीआरसी (दक्षिण एशियाई दूरसंचार विनियामक परिषद) की 10वीं वार्षिक बैठक 13 से 15 अक्तूबर, 2008 तक नई दिल्ली, भारत में आयोजित की गई। बैठक का उद्घाटन माननीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा किया गया। माननीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्रालय द्वारा मुख्य संबोधन भी दिया गया। बंगालादेश, भूटान, ईरान, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के विनियामक प्राधिकारियों ने अपने शिष्टमंडलों के साथ इसमें भाग लिया। सचिव, दूरसंचार विभाग, महासचिव एटीपी, क्षेत्रीय प्रमुख आईटीयू तथा सभी प्रमुख सेवा प्रदाताओं के सीईओ ने भी बैठक में भाग लिया। 60 विदेशी प्रतिनिधियों सहित 150 प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया।

108. 10वीं एसएटीआरसी बैठक के मुख्य उद्देश्य थे-

- विनियामकों तथा साथ ही पणधारकों के लिए मुख्य नीतियों और विनियामक मुद्दों का समाधान करना।
- सूचना के प्रसार, सूचना के विनियम तथा क्षेत्र में विनियामक मुद्दों पर उप-क्षेत्रीय सामंजस्य में सहायता।
- उन मुख्य मुद्दों की पहचान करना जिनका समाधान एसएटीआरसी कार्य-योजना (चरण-II) के अंतर्गत किए जाने की आवश्यकता है।
- एसएटीआरसी कार्य-योजना (चरण-II) के क्रियान्वयन तंत्र तथा इसकी परियोजनाओं की समीक्षा

109. बैठक में समर्थनकारी विनियामक ढांचे की स्थापना पर विचार-विमर्श किया गया जो क्षेत्र में दूरसंचार सुविधाओं के विकास को संवर्धित करेंगे। स्पेक्ट्रम प्रबंधन, एनजीएन, आईपी आधारित नेटवर्क सेवा तथा क्षेत्रीय नेटवर्क कनेक्टिविटी पर अंतरदेशीय कार्यकारी समूह भी स्थापित किए गए।

(III) अंतरसंयोजन सहित एनजीएन के विनियामक पहलू पर अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला

110. "अंतरसंयोजन सहित एनजीएन के विनियामक पहलू" पर एक उप-क्षेत्रीय कार्यशाला 16 से 17 अक्तूबर, 2008 को आयोजित की गई। इस कार्यशाला में एसएटीआरसी सदस्य देशों से 35 विदेशी प्रतिभागियों सहित 70 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

(IV) वर्ष के दौरान अन्य देशों और अंतरराष्ट्रीय विनियामक प्राधिकारियों के साथ द्विपक्षीय बैठक

ब्रूनेई का शिष्टमंडल

111. परमानेंट सेक्रेट्री, संचार मंत्रालय, ब्रूनेई दर्रसलाम के नेतृत्व में आठ सदस्यीय शिष्टमंडल ने 8 अप्रैल, 2008 को ई-समाज, ई-वाणिज्य, ई-शासन, उदारीकरण की चुनौतियों का सामना, स्पेक्ट्रम प्रबंधन, विवाद निपटान, लाइसेंसिंग, कंवर्जेंस सेवाओं के प्रबंधन पर द्विपक्षीय विचार-विमर्श के लिए भादूविप्रा का दौरा किया।

तंजानिया का शिष्टमंडल

112. तंजानिया संचार एवं विनियामक प्राधिकरण (टीसीआरए) के एक दो-सदस्यीय शिष्टमंडल ने नई प्रौद्योगिकी सेवाओं

(एनजीएन/बीडब्ल्यू) के लिए स्पेक्ट्रम के आवंटन/निर्देशन के लिए श्रेष्ठ प्रक्रियाओं पर एक अध्ययन दौरे के प्रयोजनार्थ 21 से 25 जुलाई, को भादूविप्रा का दौरा किया।

एआरसीईपी का शिष्टमंडल

113. फ्रांस टेलीकम्युनिकेशंस एंड पोस्ट रेगुलेटर के एआरसीईपी के प्रेजीडेंड के नेतृत्व में तीन-सदस्यीय एआरसीईपी शिष्टमंडल ने 29 सितम्बर, 2008 को भारत में दूरसंचार के लिए विनियंत्रण एवं विनियामक निकायों को पेश आ रही चुनौतियों तथा इस प्रतिस्पर्धी क्षेत्र को विनियमित करने के लिए किए जा रहे उपायों को समझने के लिए भादूविप्रा का दौरा किया।

एएनएटीईएल, ब्राजील

114. एएनएटीईएल, ब्राजील विनियामक के एक शिष्टमंडल ने भादूविप्रा के अध्यक्ष तथा एएनएटीईएल के अध्यक्ष के बीच पूर्व में हुई बैठक के अनुवर्ती के रूप में 3 अक्तूबर, 2008 को भारत का दौरा किया।

अमरीकी शिष्टमंडल

115. एम्बेस्डर डेविड ग्रॉम, चेयरमैन एफसीसी के नेतृत्व मे सूचना प्रौद्योगिकी, मीडिया तथा मनोरंजन उद्योग के शीर्ष कार्यकारियों सहित एक उच्चस्तरीय अमरीकी शिष्ट मंडल ने 9 सितम्बर, 2008 को आईसीटी मुद्दों पर द्विपक्षीय चर्चा के लिए भादूविप्रा का दौरा किया।

यूके का शिष्टमंडल

116. व्यवसाय उद्यम और विनियामक सुधार विभाग (बीईआरआर) लंदन के डायेक्टर (यूरोप एवं अंतरराष्ट्रीय) के नेतृत्व में पांच सदस्यीय ब्रिटिश शिष्टमंडल ने द्विपक्षीय विचार-विमर्श के लिए 5 फरवरी, 2009 को भादूविप्रा का दौरा किया।

(V) ईईटीटी तथा भादूविप्रा के बीच संयुक्त घोषणा-पत्र/समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

117. भादूविप्रा के अध्यक्ष ने जून, 2008 में हेलेनिक टेलीकम्युनिकेशंस एंड पोस्ट कमीशन (ईईटीटी), एथेंस, यूनान का दौरा किया। ईईटीटी तथा भादूविप्रा के बीच दो विनियामकों के मध्य सूचना के द्विपक्षीय आदान-प्रदान के लिए 7 जून, 2008 को एक संयुक्त घोषणा-पत्र/समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

10वीं एसएटीआरसी बैठक के दौरान "अंतरसंयोजन सहित एनजीएन के विनियामक पहलुओं" पर कार्यशाला में शामिल प्रतिभागियों का समूह-चित्र

भाग - चार
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के संगठनात्मक मामले तथा वित्तीय कार्य-निष्पादन

प्राधिकरण की गृह-पत्रिका "ट्राई दर्पण" के विमोचन के अवसर पर कार्मिकों को संबोधित करते
श्री आर.एन. प्रभाकर, सदस्य एवं श्री आर.के. आर्नल्ड, सचिव, भादूविप्रा

प्राधिकरण की गृह पत्रिका "ट्राई दर्पण" के विमोचन के अवसर पर उपस्थित प्राधिकरण के कार्मिक

4.1
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के संगठनात्मक मामले

इस भाग में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) के संगठनात्मक मामलों पर और विशेष रूप से संगठन, वित्त-पोषण, मानव संसाधन, जिसमें भर्ते, प्रशिक्षण, सेमिनार आदि मामले शामिल हैं, और कुछ सामान्य मामलों से संबंधित सूचना दी गई है।

क) संगठन

2. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की स्थापना भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 के अंतर्गत 28 मार्च, 1997 की गई थी। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2000 द्वारा प्राधिकरण का पुनर्गठन किया गया। अब प्राधिकरण एक अध्यक्ष, दो पूर्णकालिक सदस्यों और दो अंशकालिक सदस्यों से मिलकर बना है।

3. भादूविप्रा का सचिवालय, सचिव की देखरेख में काम करता है और यह दस कार्यात्मक प्रभागों - प्रशासन एवं कार्मिक (एएंडपी), प्रसारण और केबल सेवाएं (बीएंडसीएस), कनवर्ज्ड नेटवर्क एवं सूचना प्रौद्योगिकी (सीएनएंडआईटी), आर्थिक विनियमन (ईआर), वित्त विश्लेषण (एफए), अंतरसंयोजन एवं फिक्सड नेटवर्क (आईएंडएफएन), विधि, मोबाइल नेटवर्क (एमएन), सेवा गुणवत्ता (क्यूओएस) तथा विनियामक प्रवर्त्तन एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध (आरईएंडआईआर) के माध्यम से काम करता है। सचिवालय, जो अपने कार्यों के निर्वहन में प्राधिकरण द्वारा इसको सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करता है, में 180 कार्मिक (31.3.2009 की स्थिति के अनुसार) तैनात हैं। जहां भी आवश्यक होता है, निम्नलिखित आधार पर परामर्शदाताओं की नियुक्ति की जाती है :

- रिटेनरशिप आधार पर वैयक्तिक परामर्शदाता
- विशिष्ट परियोजनाओं के लिए परामर्शदाता
- रिटेनरशिप आधार पर परामर्शी फर्में
- विशिष्ट परियोजनाओं के लिए परामर्शी फर्में

परामर्शदाताओं की तैनाती प्रतिनियुक्ति अथवा नियत कार्य के आधार पर की जाती है।

भादूविप्रा के कार्मिकों की संख्या (31.03.2009 की स्थिति के अनुसार)

4. 31.3.2008 की स्थिति के अनुसार भादूविप्रा के कार्मिकों संख्या निम्नलिखित तालिका में दर्शाई गई है।

5. भादूविप्रा के कार्मिक प्रारंभ में सरकारी विभागों से प्रतिनियुक्ति पर लिए गए थे। दूरसंचार, अर्थशास्त्र, वित्त, प्रशासन आदि क्षेत्रों में प्रासंगिक अनुभव रखने वाले इन व्यक्तियों को शुरू में दो वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति पर लिया जाता है, और बाद में, आवश्यक होने पर, विभिन्न सरकारी विभागों को उनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया जाता है। इन प्रशिक्षित एवं अनुभवी व्यक्तियों की इस अवधि को बढ़ाने के प्रयास

सचिव, प्रधान सलाहकार/सलाहकार स्तर के अधिकारी

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	पद
1.	श्री राजेन्द्र सिंह	सचिव (विश्व बैंक में विदेशी नियुक्ति पर)
2.	श्री आर.के. आर्नल्ड	सचिव
3.	डा0 हर्षवर्धन सिंह	प्रधान सलाहकार (वर्तमान में अवकाश पर)
4.	श्रीमति साधना दीक्षित	प्रधान सलाहकार (वित्त विश्लेषण एवं आईएफए)
5.	श्री एन. परमेश्वरन	प्रधान सलाहकार (विनियामक प्रवर्त्तन एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध)
6.	श्री लव गुप्ता	प्रधान सलाहकार (अंतरसंयोजन एवं फिक्सड नेटवर्क)
7.	श्री सुबोध कुमार गुप्ता	सलाहकार (प्रसारण एवं केबल सेवाएं)
8.	श्री एम.सी. चौबे	सलाहकार (क्यूओएस)
9.	श्री सुधीर गुप्ता	सलाहकार (मोबाइल नेटवर्क)
10.	श्री बिनोद कुमार	सलाहकार (प्रशासन एवं कार्मिक)
11.	श्री एस.के. गुप्ता	सलाहकार (कन्वर्ज्ड नेटवर्क एवं आईटी)
12.	श्री एम कन्नन	सलाहकार (आर्थिक विनियमन)
13.	श्री के.जे.एस. बैंस	सलाहकार (विधि)

सलाहकार स्तर से नीचे

क्रम सं.	पद	मंजूर	वास्तव में
1.	संयुक्त सलाहकार/उप सलाहकार	23	20
2.	वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव	02	02
3.	वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी	30	23
4.	प्रधान निजी सचिव	03	03
5.	तकनीकी अधिकारी	12	11
6.	अनुभाग अधिकारी	19	15
7.	निजी सचिव	14	11
8.	पुस्तकाध्यक्ष	01	--
9.	सहायक	40	37
10.	निजी सहायक	18	18
11.	स्टेनो ग्रेड 'डी'	02	--
12.	अवर श्रेणी लिपिक	05	05
13.	ड्राइवर	14	14
14.	पीसीएम ऑपरेटर	02	02
15.	डिस्पैच राइडर	01	01
16.	समूह 'घ'	08	07
	कुल	194	169

में, काफी समय तो लगता ही है, साथ ही, यह प्रक्रिया सदैव प्रभावी भी सिद्ध नहीं हो पाती है। जबकि प्राधिकरण के कार्यों का क्षेत्र, परिमाण तथा उनकी जटिलता अत्यंत तेजी से बढ़ती जा रही है, परन्तु वर्तमान कार्मिकों के प्रायः उनके मूल विभागों में वापस चले जाने से प्राधिकरण सक्षम एवं कुशल अधिकारियों को खो देने की समस्या का निरंतर सामना कर रहा है। इसलिए, प्राधिकरण ने, दूरसंचार विनियम के नए क्षेत्र में विशेष प्रासंगिक विशेषज्ञता रखने वाले लोगों को भादूविप्रा में स्थायी समावेशन अपनाने की पेशकश करके स्वयं के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का एक संवर्ग गठित किया है। तथापि, प्रतिनियुक्ति पर आए कई मध्य एवं वरिष्ठ स्तर के अधिकारी अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने सेवा-शर्तें आकर्षक न होने की वजह से भादूविप्रा में स्थायी समावेशन का विकल्प नहीं चुना है।

ख) वित्त-पोषण

6. भादूविप्रा एक स्वायत्तशासी निकाय है और इसका पूर्णतः वित्त-पोषण भारत की संचित निधि से प्राप्त अनुदान द्वारा होता है। वर्ष 2008-09 के दौरान, भादूविप्रा के कामकाज पर कुल व्यय 30.65 करोड़ रुपये (लगभग) था जिसमें से 3.60 करोड़ रू0 की राशि वर्ष 2008-09 के दौरान 'संस्थागत क्षमता निर्माण परियोजना' के अंतर्गत ''योजना निधि'' के तहत व्यय की गई जिसमें कतिपय परामर्श और प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल थे।

7. भादूविप्रा का यह मत है कि एक स्वतंत्र विनियामक के रूप में प्रभावी ढंग से काम करने के लिए उसका वित्त-पोषण उसके द्वारा विनियमित संस्थाओं से प्रशासनिक लागत के रूप में वसूल किए गए लाइसेंस शुल्क के एक छोटे भाग से होना चाहिए तथा इसे अपने कर्मचारियों की सेवा-शर्तों के निर्धारण में लचीलेपन की शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए ताकि यह वरिष्ठ तथा अन्य स्तरों पर गैर-सरकारी स्रोतों से भी प्रतिभाशाली व्यक्तियों/प्रोफेशनलों को भर्ती कर सके। यहां यह उल्लेखनीय है कि कुछ अन्य राष्ट्रीय विनियामक निकाय जैसे 'इर्डा' और 'सेबी' उसी क्षेत्र से वसूल किए गए शुल्क से वित्त-पोषित होते हैं, जिसे वे विनियमित करते हैं तथा इन प्राधिकरणों को अपने कामकाज की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार इस प्रकार वसूली गई निधियों का उपयोग करने का लचीलापन प्राप्त है।

ग) मानव संसाधन

(i) भर्ती

8. प्राधिकरण ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से भादूविप्रा में प्रतिनियुक्ति पर आए कार्मिकों के समावेशन से अधिकारियों और कर्मचारियों का अपना संवर्ग गठित किया है। तथापि, विशेष रूप से वरिष्ठ तथा मध्यम स्तर पर प्रतिनियुक्त पर आए अधिकारियों में से अधिकतर ने स्थायी रूप से समावेशन का विकल्प नहीं चुना है। अतः इसके सचिवालय के लिए कार्मिकों की भर्ती अभी भी अन्य मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से, प्रतिनियुक्ति पर की जा रही है। इसके दो कारण हैं। पहला यह कि प्राधिकरण के कार्यक्षेत्रों में विशेषज्ञता और अनुभव वाले सक्षम लोगों को वर्तमान पारिश्रमिक पैकेज आदि आकर्षित नहीं कर पाते हैं। दूसरे, सरकारी कर्मचारियों में, जिनके पास ऐसी विशेषज्ञता संभव है वे स्वयं अधिकतर मंत्रालयों या सरकारी स्वामित्व वाले दूरसंचार प्रचालकों के यहां तैनात हैं। यहां तक कि ऐसे वर्ग के लिए भी प्राधिकरण द्वारा उन्हें पेश करने वाली परिलब्धि पैकेज उन योग्य कार्मिकों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। इस प्रकार, अपने सचिवालय के लिए उपयुक्त कार्मिकों को प्राप्त करने में प्राधिकरण को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

9. जहां तक भादूविप्रा में सेवा के निबंधन और शर्तों की बात है, सरकारी महकमें में अधिकतर यह राय बनी हुई है कि ये सेवा-शर्तें, सरकारी सेवा नियमों के समान या लगभग वैसी ही होनी चाहिए। इस दृष्टिकोण में, इस बात को नजरअंदाज कर दिया जाता है कि भादूविप्रा एक विशेषीकृत निकाय है तथा उसे दूरसंचार के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता की आवश्यकता है और इसलिए न केवल सरकार

से बल्कि बाहर से भी दक्ष एवं सक्षम विशेषज्ञों को आकर्षित करने की जरूरत होती है। उपयुक्त प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए, भादूविप्रा की सेवा के निबंधन और शर्तें बाजार में प्रचलित सेवा-शर्तों के मुकाबले में बेहतर होनी चाहिए। कम से कम यह तो जरूरी ही है कि भादूविप्रा सामान्यरूपेण दूरसचार कंपनियों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की तरह सेवा-शर्तें प्रदान करने में समर्थ हो।

(ii) प्रशिक्षण

10. भादूविप्रा के कार्मिक टैरिफ तथा सेवा की गुणवत्ता के मानकों के संबंध में विभिन्न कार्यों तथा प्रस्तावों के लिए अत्यधिक मात्रा में डाटा को संभालने, सेवा की गुणवत्ता से संबंधित सर्वेक्षण करने, उनका समन्वयन करने तथा उपभोक्ताओं से संबंधित अन्य विषयों की विशेषज्ञता हासिल करें और उनके पास ऐसी योग्यता मौजूद हो, इस दृष्टि से भादूविप्रा ने अपने मानव संसाधन कार्यक्रम को समुचित महत्व दिया है। यह पहल, प्राधिकरण के लिए परामर्श प्रक्रिया आयोजित करने तथा इसमें प्रभावी ढंग से भाग लेने, परामर्श-पत्रों को तैयार करने तथा लिखित में और ओपन हाउस बैठकों से प्राप्त फीडबैक तथा प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने, तथा दूरसंचार क्षत्र के विनियमन से उत्पन्न विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए नीति निर्धारित करने के कार्य में उपयोगी सिद्ध हुई है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/कार्यशाला का चयन करने अथवा उसे अभिकल्पित करने में भादूविप्रा का प्रयास रहता है कि इनसे उच्च स्तर पर नीति निर्धारण और नीतियों के कार्यान्वयन तथा उन्हें संचालित करने के लिए उपयोगी बड़ी मात्रा में तकनीकी-आर्थिक प्रचालन विवरणों को संभालने के वास्ते कर्मियों को विविध कौशल प्राप्त हो। भादूविप्रा की नीति निर्धारित करने तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया में अत्यन्त लॉजिस्टिकल और विश्लेषणात्मक तैयारी करनी होती है। इसका आशय यह है कि इसे ऐसे कर्मियों की आवश्यकता है जो अत्यन्त प्रशिक्षित तथा ज्ञानवान हों और साथ ही उनमें ऐसी क्षमता हो कि वे तेजी से बदलती हुई स्थिति में बदलते मुद्दों को भांप सकें और उनका समाधान निकाल सकें। चूंकि भादूविप्रा के स्टाफ की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेष कार्यक्रमों की पहचान करने अथवा उन्हें अभिकल्पित करने और उन्हें कार्यान्वित करने की जरूरत होती है ताकि यह उनके कार्यों के विविध विशेषज्ञता से जुड़ी जरूरतों के अनुरूप हों, इसलिए प्राधिकरण भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम), नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल (एनपीसी), इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटिएट एण्ड टेनिंग मैनेजमेंट (आईएसटीएम), आदि जैसे कई संस्थानों तथा संगठनों के साथ निकट संपर्क रखता है। इसके अतिरिक्त, संगठन के भीतर विशेषज्ञता विकसित करने के लिए भादूविप्रा ने अपने कार्मियों को "संस्थागत क्षमता निर्माण परियोजना" के अंतर्गत अन्तरराष्ट्रीय प्रशिक्षण के लिए भी प्रयोजित किया है।

11. वर्ष के दौरान भादूविप्रा के कुल 24 अधिकारियों को, विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों यथा इंटर कनेक्ट कम्युनिकेशन लि0, पब्लिक यूटिलिटी रिसर्च सेंटर, टेलीकम्युनिकेशन एक्जीक्यूटिव मैनेजमेंट इंस्टिट्यूट ऑफ कनाडा, दि इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, रॉयल इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंटरनेशनल, गौलेट टेलीकॉम इंटरनेशनल और युनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए नामित किया गया। इन प्रशिक्षणों के जरिए कार्मिकों को बहुमूल्य जानकारियां मिली और इन जानकारियों ने विनियामक कार्य के उनके क्षेत्र में दक्षता और क्षमता बढ़ाने में सहायता दी। भादूविप्रा के बयालीस अधिकारियों/कार्मिकों को, देश के ही विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए भी भेजा गया।

12. भादूविप्रा के पास प्रशिक्षण और कार्यशालाओं की घरेलू प्रणाली भी विद्यमान है जिसमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ख्याति के विख्यात विशेषज्ञों

को दूरसंचार क्षेत्र की नवीनतम घटनाओं के बारे में इसके अधिकारियों के साथ चर्चा के लिए आमंत्रित किया जाता है। अपने अधिकारियों तथा कर्मचारियों की क्षमता निर्माण के लिए यह भादूविप्रा का एक और कदम है।

iii) सेमिनार/कार्यशालाएं

13. विश्व भर में हो रही गतिविधियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए अपने स्वयं के नीति निर्धारण के लिए प्राधिकरण ने अपने कई अधिकारियों को निम्नलिखित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय आयोजनों, बैठकों और संगोष्ठियों में भाग लेने और इनसे बहुमूल्य जानकारियां/फीडबैक प्राप्त करने के लिए भेजा। अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर किए जाने वाले विचार-विमर्श में, भादूविप्रा की सहभागिता से न केवल इस संबंध में अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे प्रयासों के विषय में जानकारी प्राप्त करने से भारत में विनियामक संबंधी वर्तमान प्रमुख चिंताओं के समाधान में मदद मिलती है, बल्कि ऐसा करने से भादूविप्रा के कार्मिक अंतरराष्ट्रीय संव्यवहारों से भी अवगत होते हैं। वर्ष के दौरान, 21 अधिकारियों को विभिन्न सेमिनारों/सम्मेलनो/बैठकों में भाग लेने के लिए नामित किया गया।

सूचना का अधिकार अधिनियम

14. 12.10.2005 से प्रभावी, सूचना के अधिकार का अधिनियम भादूविप्रा पर भी लागू होता है। तदनुसार, इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में प्राधिकरण ने एक केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी नामित किया है, जिसकी सहायता के लिए केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी भी नामित किया गया है। अधिनियम के अन्तर्गत एक प्रधान सलाहकार को अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया है। इन अधिकारियों के नाम और पदनाम तथा वह सूचना जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 4(1) के अंतर्गत प्रकाशित किया जाना अपेक्षित है, भादूविप्रा की वेबसाइट पर दी गई है।

15. वर्ष 2008-09 के दौरान, सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 204 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, जिनपर तत्काल कार्रवाई की गई और 30 दिन की निर्धारित अवधि के भीतर उनका उत्तर दे दिया गया।

भादूविप्रा को आईएसओ 9001:2000 प्रमाण पत्र प्राप्त होना

16. भादूविप्रा को तीन वर्ष की अवधि के लिए अर्थात 30 नवम्बर, 2010 तक भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा लाइसेंस सं0 सीआरओ/क्यूएससी/एल-8002321 के अंतर्गत आईएसओ 9001:2000 प्रमाण-पत्र की दूसरी अवधि प्रदान की गई है जोकि 01 दिसम्बर, 2007 से प्रभावी है। भादूविप्रा में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) के क्रियान्वयन और प्रभाविता का मूल्यांकन करने के लिए बीआईएस ने दिसम्बर, 2004 से पांच निगरानी लेखापरीक्षाएं तथा एक नवीकरण लेखापरीक्षा आयोजित की है। गुणवत्ता लेखापरीक्षकों ने क्यूएमएस कार्यकरण को संतोषजनक माना है तथा बीआईएस द्वारा जारी लाइसेंस को जारी रखने की सिफारिश की है।

17. तिमाही आधार पर आंतरिक लेखापरीक्षा संचालन ने भी प्रणाली में अनवरत सुधार सुनिश्चित किया है। भादूविप्रा के पास इस उद्देश्य के लिए 40 आंतरिक गुणवत्ता लेखापरीक्षक हैं। गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की भी सचिव द्वारा मासिक आधार पर तथा उच्च प्रबंधन स्तर की अर्ध-वार्षिक आधार पर पुनरीक्षा की जाती है। पिछली प्रबंधन समीक्षा बैठक 25.03.2009 को आयोजित की गई थी।

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

18. भादूविप्रा के सचिव के पर्यवेक्षण में, राजभाषा अधिनियम, 1963, राजभाषा नियम, 1976 तथा राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) द्वारा इस विषय पर समय-समय पर जारी प्रशासनिक अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। भादूविप्रा में संघ सरकार की राजभाषा

नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के सभी संभव प्रयास किए जाते हैं। भारत सरकार की अपेक्षा के अनुसार समस्त विनियम, राजपत्र अधिसूचनाएं, वार्षिक रिपोर्ट आदि द्विभाषी रूप में ही जारी की जाती हैं।

19. भादूविप्रा के सभी प्रभागों तथा अनुभागों द्वारा संघ सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की स्थिति की निगरानी सलाहकार (प्रशासन एवं कार्मिक) की अध्यक्षता में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा की जाती है। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें प्रत्येक तिमाही में नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। इन बैठकों में, सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने पर विशेष बल प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, बैठकों में भादूविप्रा में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की जाती है तथा इस संबंध में भावी कार्यनीति तय की जाती है। राजभाषा से संबंधित कार्य में तेजी लाने के लिए समिति के सदस्यों से उनके बहुमूल्य सुझाव भी आमंत्रित किए जाते हैं। प्रतिवेदन की अवधि के दौरान, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चार बैठकें 22 मई 2008, 15 सितम्बर 2008,15 दिसम्बर 2008 तथा 27 फरवरी 2009 को आयोजित की गईं।

20. राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) तथा दूरसंचार विभाग से प्राप्त निदेशों के अनुपालन में भादूविप्रा में 12 से 28 सितम्बर, 2008 तक ''हिंदी पखवाड़ा'' आयोजित किया गया, जिसके दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं जैसे हिंदी निबंध लेखन, कविता पाठ, भाषण, टिप्पण/प्रारूपण, नारा लेखन, वाद-विवाद आदि आयोजित की गईं। संयुक्त सलाहकार स्तर तक के अनेक अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने इन प्रतियोगिताओं में बड़े जोश और उत्साह के साथ भाग लिया। हिंदी दिवस के अवसर पर भादूविप्रा के अध्यक्ष का संदेश परिचालित किया गया जिसमें उन्होंने राजभाषा नियमों/ विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने का आह्वान किया। अध्यक्ष, भादूविप्रा ने 07 नवम्बर, 2008 को आयोजित समारोह में प्रतियोगिताओं के विजेताओं को नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति-पत्र प्रदान किए। सरकारी कामकाज में हिंदी में अधिकाधिक कार्य करने की भावना को प्रोत्साहित करने की दिशा में ''हिंदी पखवाड़ा'' सफल सिद्ध हुआ।

21. सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रगामी प्रयोग बढ़ाने के उद्देश्य से भादूविप्रा में अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए पिछले चार वर्ष से एक ''वार्षिक प्रोत्साहन योजना'' प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत, योजना की अवधि के दौरान अपना अधिकाधिक सरकारी कामकाज हिंदी में करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को 10 नकद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। यह योजना कार्मिकों के मध्य अत्यंत लोकप्रिय सिद्ध हुई है तथा इसने स्टाफ को समूचे वर्ष उनका अधिकाधिक सरकारी कामकाज हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहित किया है।

22. अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी में टिप्पण/प्रारूपण लिखने में सहायता प्रदान करने तथा उन्हें संघ सरकार की राजभाषा नीति की जानकारी देने के लिए भादूविप्रा में हिंदी कार्यशालाए नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। इन कार्यशालाओं के दौरान, प्रतिभागियों को शब्दकोश, प्रशासनिक शब्दावलियां, सहायक/ संदर्भ पुस्तिकाएं आदि वितरित की जाती हैं, जो उन्हें उनका सरकारी कामकाज हिंदी में करने में बहुमूल्य सहायता प्रदान करती हैं। प्रतिवेदन की अवधि के दौरान भादूविप्रा में 12 सितम्बर, 2008 तथा 12 फरवरी, 2009 को दो हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

23. द्विभाषी पत्रिका ''ट्राई दर्पण'' भादूविप्रा की गृह-पत्रिका है तथा इसे छमाही आधार पर प्रकाशित किया जाता है। प्रतिवेदन की अवधि के दौरान ट्राई दर्पण के दो अंकों (अंक 3 और 4) का प्रकाशन किया गया। इन अंकों की प्राधिकरण में तथा दूरसंचार विभाग की हिंदी सलाहकार समिति के सदस्यों द्वारा भूरि-भूरि प्रशंसा की गई है।

4.2 भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के वर्ष 2008-09 के लेखापरीक्षित लेखे

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए लेखाओं पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

हमने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (जनवरी, 2000 में यथासंशोधित) की धारा 23(2) के साथ पठित नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अंतर्गत 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के संलग्न तुलन-पत्र तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा/प्राप्तियां और भुगतान लेखा की लेखापरीक्षा की। ये वित्तीय विवरण भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के प्रबंधन का उत्तरदायित्व हैं। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में श्रेष्ठ लेखांकन संव्यवहारों, लेखांकन मानकों तथा प्रकटीकरण मानदण्डों आदि के साथ वर्गीकरण, अनुरूपता के संबंध में केवल लेखांकन व्यवहार पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां अंतर्विष्ट हैं। विधि, नियमों एवं विनियमों (स्वामित्व एवं नियमितता) तथा कार्यकुशलता-सह-निष्पादन पहलुओं आदि के अनुपालन के साथ वित्तीय संव्यवहारों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां, यदि कोई हैं, पृथक रूप से निरीक्षण रिपोर्टों/सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से सूचित की गई हैं।

3. हमने अपनी लेखापरीक्षा सामान्यतया भारत में स्वीकार्य लेखांकन मानकों के अनुसार संचालित की है। इन मानकों में अपेक्षित है कि हम लेखापरीक्षा की आयोजना तथा निष्पादन इस प्रकार करें कि हमें इस संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त हो सके कि क्या वित्तीय विवरण भौतिक गैर-अभियुक्तियों से स्वतंत्र हैं। एक लेखापरीक्षा में शामिल है - परीक्षण के आधार पर जांच, राशियों को समर्थन प्रदान करते साक्ष्य तथा साथ ही वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण। किसी लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों का मूल्यांकन तथा प्रबंधन द्वारा

बनाए गए महत्वपूर्ण आकलन तथा साथ ही, वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय का युक्तिसंगत आधार उपलब्ध कराती है।

4 अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर, हम सूचित करते हैं किः

(i) हमने ऐसी सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे;

(ii) इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन-पत्र तथा आय एवं व्यय के लेखे/प्राप्तियां एवं भुगतान लेखे वित्त मंत्रालय द्वारा विनिर्धारित लेखाओं के प्रपत्र में तैयार किए गए हैं।

(iii) हमारी राय में, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा लेखाओं की बहियों तथा अन्य प्रासंगिक अभिलेखों का समुचित रख-रखाव किया गया है।

(iv) हम आगे यह सूचित करते हैं कि

(क) तुलन-पत्र

(अ) देयताएं

चालू देयताएं और प्रावधान (अनुसूची 7) :
योजनेत्तर : 896.92 **लाख रु0**

(1) इसमें 174.00 लाख रु0 शामिल नहीं हैं, जोकि जनवरी, 2006 से अगस्त, 2008 तक की अवधि के लिए कर्मचारियों को संदेय वेतन तथा भत्तों के बकाया की दूसरी किश्त की राशि है। इसके परिणामरूवरूप 'चालू देयताएं एवं प्रावधान' (योजनेत्तर) 'स्थापना व्यय' (योजनेत्तर) तथा 'कोरपस/पूंजीगत निधि को ले जाया गया घाटा' (योजनेत्तर) में 174.00 लाख रू0 प्रत्येक की न्यूनोक्ति हुई।

(2) इसमें 4.95 लाख रु0 शामिल नहीं हैं, जो व्यावसायिक शुल्क की राशि है। इस देयता के गैर-प्रावधान के परिणामरूवरूप 'चालू देयताएं एवं प्रावधान' (योजनेत्तर) 'अन्य प्रशासनिक व्यय' (योजनेत्तर) तथा कोरपस/पूंजीगत निधि को ले जाया गया घाटा (योजनेत्तर) में 4.95 लाख रू0 प्रत्येक की न्यूनोक्ति हुई।

(3) उपर्युक्त में 7.79 लाख रु0 शामिल नहीं हैं, जोकि मार्च, 2009 में भादूविप्रा की ओर से राजपत्र अधिसूचनाओं के प्रकाशन के लिए प्रकाशन नियंत्रण, दिल्ली को संदत्त प्रभारों की राशि है। इस देयता के गैर-प्रावधान के परिणामरूवरूप 'चालू देयताएं एवं प्रावधान' (योजनेत्तर), 'अन्य प्रशासनिक व्यय' (योजनेत्तर) तथा 'कोरपस/पूंजीगत निधि' को ले जाया गया घाटा (योजनेत्तर) में 7.79 लाख रू0 प्रत्येक की न्यूनोक्ति हुई।

(ग) सहायतानुदान

वर्ष के दौरान प्राप्त 24.53 करोड़ रु0 (पूर्व वर्ष के सहायतानुदान में से अनखर्ची 0.73 करोड़ रु0 (योजनेत्तर) की शेष राशि सहित) के सहायतानुदान (योजनेत्तर) में से भादूविप्रा केवल 24.22 करोड़ रु0 की राशि (योजनेत्तर) का ही उपयोग कर सका जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2009 को उपयोग न किए गए अनुदान के रूप में 0.31 करोड़ रु0 (योजनेत्तर) की राशि शेष रह गई।

इसके अलावा, वर्ष के दौरान प्राप्त 2.96 करोड़ रु0 के सहायतानुदान (योजना) (जिसमें पिछले वर्ष के अनुदान (योजना) में से शेष रह गई और भादूविप्रा के पास पड़ी 0.81 करोड़ रु0 (योजना) की अनखर्ची शेष राशि भी शामिल है) तथा पिछले वर्ष के अनुदान (योजना) में से भादूविप्रा केवल 2.50 करोड़ रु0 (योजना) ही व्यय कर सका तथा 31 मार्च, 2009 को उपयोग न किए गए अनुदान में से 0.46 करोड़ रु0 (योजना) का अनखर्चा अनुदान शेष रह गया।

(v) उपर्युक्त पैराओं में हमारी टिप्पणियों के अध्यधीन हम सूचित करते हैं कि इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन-पत्र तथा आय एवं व्यय लेखा/प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा, लेखा-बहियों के अनुसार है।

(vi) हमारी राय में तथा हमारे द्वारा किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हमारी सर्वोत्तम जानकारी में लेखांकन नीतियों तथा लेखाओं पर टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण, उक्तउल्लिखित मामलों तथा इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के **अनुलग्नक-I** में उल्लिखित अन्य मामलों के अध्यधीन भारत में स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही तथा न्यायोचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैः

(क) जहां तक यह भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कार्यों के तुलन-पत्र (योजना और योजनेत्तर दोनों) से संबंधित है, यह 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार है, और

(ख) जहां तक यह घाटे (योजना) और अधिशेष (योजनेत्तर) के आय और व्यय लेखा से संबंधित है, यह भी उसी तारीख को समाप्त वर्ष से संबंधित है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लिए और उनकी ओर से

ह0/-
(आर0पी0 सिंह)
महानिदेशक लेखापरीक्षा (डाक-तार)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 18 सितम्बर, 2009

पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक-I

(1) आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

भादूविप्रा ने स्वतंत्र प्रभार के साथ एक पूर्णकालिक तकनीकी अधिकारी (आंतरिक लेखापरीक्षा) नियुक्त किया है। आंतरिक लेखापरीक्षक ने वर्ष 2008-09 के लिए भादूविप्रा के लेखाओं तथा संदत्त वाउचरों की जांच की है और उनकी रिपोर्ट पर प्रशासनिक प्रभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

हमारी राय में, संगठन की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली पर्याप्त है तथा इसके कार्यकरण के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप है।

(2) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

भादूविप्रा ने पदों का सृजन करने, स्टाफ/अधिकारियों की नियुक्ति करने, वेतन का नियतन करने, परामर्शदाताओं के कार्यकाल का विस्तार करने, वैयक्तिक दावों, यात्रा भत्ता दावों का निपटान करने, अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण और अध्ययन दौरों तथा विभिन्न मामलों में विनियम बनाने के लिए भादूविप्रा अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप नीतियां और पद्धतियां तैयार की हैं तथा उनका अनुपालन इसके दैनिक कार्यकरण में किया जाता है। नकदी की प्राप्ति और संवितरण तथा रोकड़ बही का रख-रखाव विभिन्न प्रासंगिक नियमों और विनियमों के अनुपालन में समुचित प्रकार से किया जा रहा है। नकदी का भौतिक सत्यापन नियमित रूप से किया जाता है तथा प्राधिकरण द्वारा यथाविनिर्धारित नकदी शेष की अधिकतम सीमा का अनुरक्षण किया जाता है। भादूविप्रा द्वारा दो प्रकार की निधियों - एक योजना निधि तथा दूसरी योजनेत्तर निधि, का अनुरक्षण किया जाता है तथा प्रत्येक निधि से संबंधित व्यय को संबंधित निधियों से पूरा किया जाता है और प्रत्येक निधि के लिए पृथक लेखा-बहियां रखी जाती हैं। भादूविप्रा सामान्य निधि का अनुरक्षण दूरसंचार विभाग द्वारा किया जाता है। भादूविप्रा को भारत सरकार से योजना और योजनेत्तर शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त होने वाले अनुदानों को इस निधि में अंतरित किया जाता है। भादूविप्रा के व्ययों को योजना और योजनेत्तर शीर्षों के अंतर्गत दूरसंचार विभाग से जारी होने वाले अनुदान से पूरा किया जाता है तथा प्राप्त होने वाले अनुदान के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र भादूविप्रा द्वारा दूरसंचार विभाग को प्रेषित किया जाता है।

हमारी राय में, संगठन की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त है तथा यह इसके कार्यों के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप है।

(3) नियत परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

नियत परिसंपत्तियों के रजिस्टरों का रख-रखाव समुचित ढंग से किया गया है। वर्ष 2008-09 के लिए नियत परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन प्राधिकरण द्वारा लेखाओं के अनुमोदन से पूर्व नहीं किया गया है।

(4) सामान-सूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

सामान-सूची के समुचित अभिलेख रखे गए हैं। वर्ष 2008-09 के लिए सामान-सूची का भौतिक सत्यापन कर लिया गया है।

हमारी राय में, समान-सूची के भौतिक सत्यापन के लिए प्रणाली पर्याप्त है तथा यह इसके कार्यों के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप है।

(5) सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमितता

अंशदायी भविष्य निधि सहित किसी अन्य सांविधिक देय राशि के संबंध में कोई विवादित राशि देय नहीं है।

वित्तीय विवरण का प्रारूप (गैर-लाभ अर्जन संगठन)
संस्था का नामः भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
31.3.2009 तुलन-पत्र

(राशि–रु0)

कोष/पूंजीगत निधि तथा देयताएं	vu|lph	;kstusÙkj pkyw o"kZ 2008-09	;kstusÙkj fiNyk o"kZ 2007-08	;kstuk pkyw o"kZ 2008-09	;kstuk fiNyk o"kZ 2007-08
कोष/पूंजीगत निधि	1	93195742	129377832	12312335	18314299
रिजर्व एवं अधिशेष	2		-		-
निर्धारित/बंदोबस्ती निधियां	3		-		-
सुरक्षित ऋण तथा उधार	4		-		-
असुरक्षित ऋण तथा उधार	5		-		-
आस्थगित ऋण देयताएं	6		-		-
चालू देयताएं और प्रावधान	7	89692933	50407930	11488155	432155
कुल		**182888675**	**179785762**	**23800490**	**18746454**
परिसंपत्तियां			-		-
नियत परिसंपत्तियां	8	24005356	25330295		-
निवेश-निर्धारित/बंदोबस्ती निधि से	9	-	-		-
निवेश-अन्य	10	-	-		
चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	11	158883319	154455467	23800490	18746454
विविध व्यय			-		-
(बट्टे खाते में न डाली गई अथवा समायोजित न की गई)			-		-
कुल		**182888675**	**179785762**	**23800490**	**18746454**
उल्लेखनीय लेखांकन नीतियां	24				
आकस्मिक देयताएं और लेखाओं पर टिप्पणियां	25				

g0@&	g0@&	g0@&	g0@&
i/kku lykgdkj ¼,Q,@vkb,Q,½	lfpo	lnL;	v/;{k

foÙkh; fooj.k dk i:Ik ¼xSj&ykHk vtZu laxBu½

lLFkk dk uke% Hkkjrh; njlapkj fofu;ked izkf/kdj.k

31-3-2008 vk; vkSj O;; y[kk

आय	vuqlwph	;kstuksÙkj		;kstuk	
		pkyw o"kZ 2008-09	fiNyk o"kZ 2007-08	pkyw o"kZ 2008-09	fiNyk o"kZ 2007-08
बिक्री/सेवाओं से आय	12		-		-
अनुदान/आर्थिक सहायता	13	248000000	253400000	30000000	30000000
शुल्क/अंशदान	14		-		-
निवेश से आय (निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों से निवेश से आय–निधियों में अंतरित)	15		-		-
रॉयल्टी/प्रकाशन आदि से आय	16		-		-
अर्जित ब्याज	17	26012	-		-
अन्य व्यय	18	49768	123846		-
निर्मित वस्तओं के स्टॉक में बढ़ोतरी (कमी) तथा निर्माणधीन कार्य	19		-		-
dqy ¼d½		**248075780**	**253523846**	**30000000**	**30000000**
व्यय			-		-
स्थापना व्यय	20	134027254	58209607		-
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	130406558	153029871	36001964	32534016
अनुदान, आर्थिक सहायता आदि पर व्यय	22		-		-
ब्याज	23		-		-

मूल्यह्रास (वर्ष के अंत में निवल योग–अनुसूची 8 के अनुरूप)		6152402	6251298		-
d|y ¼[k½		**270586214**	**217490776**	**36001964**	**32534016**
व्यय पर आय के अधिक्य के कारण शेष राशि			-		-
विशेष रिजर्व को अंतरण (प्रत्येक को निर्दिष्ट करें)			-		-
सामान्य रिजर्व को/से अंतरण			-		-
अधिशेष/(घाटा) जो शेष था, ट्राई सामान्य निधि से वसूलीयोग्य को ले जाया गया		-22510434	36033070	-6001964	-2534016
उल्लेखनीय लेखांकन नीतियां	24		-		-
आकस्मिक देयताएं और लेखाओं पर टिप्पणियां	25		-		-

g0@&
i/kku lykgdkj ¼,Q,@vkbZ,Q,½

g0@&
lfpo

g0@&
lnL;

g0@&
v/;{k

foÙkh; fooj.k dk ik:Ik ¼xSj&ykHk vtZu laxBu½
lLFkk dk uke% Hkkjrh; nj lpkj fofu;ked ikf/kdj.k
31-3-2009 dh fLFkfr dk vu lkj rjyu&Ik= dk Hkkx cuu okyh vu lfp;k
vu lph&I&dk"k@i thxr fuf/k

	;k tuÙkj		;k tuk	
	pky o"k 2008-09	fiNyk o"k 2007-08	pky o"k 2008-09	fiNyk o"k 2007-08
वर्ष के प्रारंभ में शेष राशि	129377832	93794307	18314299	20634315
जोड़ें/घटाएं : कार्पस/कैपिल्स फंड में कम अंशदान	-13671656	-449545	-	214000
जोड़े/घटाएं : अंतरित निवल आय/व्यय का शेष	-22510434	-		-
आय और व्यय लेखा	-	36033070	-6001964	-2534016
वर्ष की समाप्ति पर तुलन–पत्र	93195742	129377832	12312335	18314299

vu lph&2&fj tol vkj vf/kn'k

	;k tuÙkj		;k tuk	
	pky o"k	fiNyk o"k	pky o"k	fiNyk o"k
1. पूंजी रिजर्व	-	-	-	-
पिछले लेखा के अनुसार	-	-	-	-
वर्ष के दौरान जमा	-	-	-	-
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-
2. पुनर्मूल्यांकन रिजर्व	-	-	-	-
पिछले लेखा के अनुसार	-	-	-	-
वर्ष के दौरान जमा	-	-	-	-
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-
3. विशेष रिजर्व	-	-	-	-
पिछले लेखा के अनुसार	-	-	-	-
वर्ष के दौरान जमा	-	-	-	-
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-
4. सामान्य रिजर्व	-	-	-	-
पिछले लेखा के अनुसार	-	-	-	-
वर्ष के दौरान जमा	-	-	-	-
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-
dy	-	-	-	-

ह0/-
वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (लेखा)

vu|l|ph&3 fofu/kkfj|r@cnkcLrh fuf/k

(राशि–रु0)

	fuf/kokj C;kjk				dy			
	fuf/k MCY;| MCY;|	fuf/k ,Dl ,Dl	fuf/k okbl okbl	fuf/k tM tM	;kstuUkj		;kstuk	
					pky| o"k 2008-09	fiNyk o"k 2007-08	pky| o"k 2008-09	fiNyk o"k 2007-08
क) निधि का अर्थ शेष								
ख) निधि में जमा राशियां								
i. दान/अनुदान								
ii. निधियों के कारण निवेश से आय								
iii. अन्य प्राप्यिां (विविध आय, अग्रिम की प्राप्ति)								
;kx ¼d$[k½								
ग) निधियों के उद्देश्यों पर उपयोग/व्यय								
i. पूंजीगत व्यय								
–नियत परिसंपत्तियां					शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
– अन्य								
d|y								
ii. राजस्व व्यय								
–वेतन, मजदूरी और भत्ते								
–किराया								
–अन्य प्रशासनिक व्यय								
d|y								
;kx ¼x½								
o"k dh lekflr ij fuoy 'k"k ¼d$[k$x½								

टिप्पणियां

1) अनुदानों से संलग्न शर्तों के आधार पर प्रकटीकरण प्रासंगिक शीर्षों के आधार पर किया जाना चाहिए।

2) केन्द्रीय/राज्य सरकारों से प्राप्त योजना निधियां अलग निधियों के रूप में दर्शाई जाएं तथा अन्य किसी निधि में शामिल नहीं की जानी चाहिए

ह0/-
वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (लेखा)

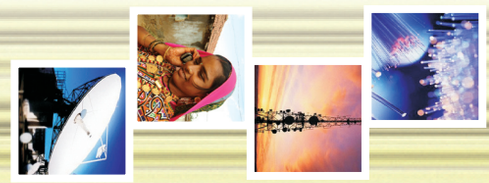

vul ph&4 ljf{kr _.k vkj m/kkj

	;kstuÙkj		;kstuk	
	pky o"k 2008-09	fiNyk o"k 2007-08	pky o"k 2008-09	fiNyk o"k 2007-08
1. केन्द्रीय सरकार	-	-	-	-
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
3. वित्तीय संस्थाएं	-	-	-	-
4. बैंक	-	-	-	-
क) सावधी–ऋण	-	-	-	-
–ब्याज प्रोद्भूत और देय	-	-	-	-
ख) सावधी–ऋण	-	-	-	-
–ब्याज प्रोद्भूत और देय	-	-	-	-
5. अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां	-	-	-	-
6. डिबेंचर और बाण्ड	-	-	-	-
7. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
;kx	-	-	-	-

टिप्पणी वर्ष के भीतर देय राशि

vul ph&5 ljf{kr _.k vkj m/kkj

	;kstuÙkj		;kstuk	
	pky o"k 2008-09	fiNyk o"k 2007-08	pky o"k 2008-09	fiNyk o"k 2007-08
1. केन्द्रीय सरकार		-		-
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)		-		-
3. वित्तीय संस्थाएं		-		-
4. बैंक		-		-
क) सावधी–ऋण		-		-
–ब्याज प्रोद्भूत और देय		-		-
ख) सावधी–ऋण		-		-
–ब्याज प्रोद्भूत और देय		-		-
5. अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां		-		-
6. डिबेंचर और बाण्ड		-		-
7. अन्य (निर्दिष्ट करें)		-		-
;kx		-		-

टिप्पणी वर्ष के भीतर देय राशि

vul ph&6 vkLFkfxr _.k n;rk,

	;kstuÙkj		;kstuk	
	pky o"k		fiNyk o"k	
क) पूंजीगत उपस्करों के आडमान द्वारा ली गई स्वीकराक्ति तथा अन्य परिसंपत्तियां	-	-	-	-
ख) अन्य	-	-	-	-
;kx	-	-	-	-

टिप्पणी वर्ष के भीतर देय राशि

ह0/-
वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (लेखा)

vulph&7 pky n;rk, vkj iko/kku

	;k t uÙkj		;k t uk	
	pky o"k 2008-09	fiNyk o"k 2007-08	pky o"k 2008-09	fiNyk o"k 2007-08
d½ pky n;rk,		-		-
1) स्वीकरोत्तियां		-		-
2) विविध ऋणदाता		-		-
क) वस्तुओं के लिए		-		-
ख) अन्य		-		-
3) प्राप्त अग्रिम		-		-
4) प्रोद्भूत ब्याज पर निम्न पर देय नहीं:		-		-
क) सुरक्षित ऋण/उधार		-		-
ख) असुरक्षित ऋण/उधार		-		-
5) साविधिक देयताएं		-		-
क) अतिरिक्त		-		-
ख) अन्य		-		-
6) अन्य चालू देयताएं	36131535	50407930	11488155	432155
dy ¼d½	**36131535**	**50407930**		
[k- iko/kku		-		-
1. कराधान के लिए		-		-
2. ग्रेच्युटी	12583302	-		-
3. अधिवर्षिता/पेंशन	-	-		-
4. संचित अवकाश	12022805	-		-
5. व्यापार वारंटी/दावे	-	-		-
6. अन्य (निर्दिष्ट करें)		-		-
i) यूसीसी के लिए डीओटी को संदेय	48000			
ii) वेतन अवकाश अंशदान	3591661			
iii) किराया और संपत्ति कर आदि	25315630			
dy ¼[k½	**53561398**			
dy ¼d$[k½	**89692933**	**50407930**	**11488155**	**432155**

ह0/-
वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (लेखा)

vuqlph&8 fu;r ifjlifÙk;k

(राशि–रु0)

fooj.k	ldy Cykd				eY;gkl				fuoy Cykd	
	o"k dh lekfIr ij ykxr@ eY;gkl	o"k d nkjku ikfIr;k	o"k d nkjku dVkfr;k	o"k dh lekfIr ij ykxr@ eY;gkl	o"k d ikjHk e	o"k d nkjku ikfIr;k ij	o"k d nkjku dVkfr;k ij	o"k dh lekfIr rd ;kx	pky o"k dh lekfIr ij	fiNy o"k dh lekfIr ij
d½ fu;r ifjlifÙk;k										
1. भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) फ्रीहोल्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) लीज़होल्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. भवन										
क) फ्रीहोल्ड पर भूमिपर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) लीजहोल्ड भूमि पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) स्वामित्व फ्लैट/परिसर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) भूमि पर अतिसंरचना संस्था से संबंधित नहीं	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. संयत्र मशीने और उपस्कर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. वाहन	4720624	52434	43292	4729766	2900916	316786	24171	3193531	1536235	1819708

vuqlwph&8 fu;r ifjlEifRr;k

fooj.k	l dy Cykd				eY;gkl				fuoy Cykd	
	o"kZ dh lekfIr ij ykxr@ eY;gkl	o"kZ dk nkSjku ikfIr;k	o"kZ dk nkSjku dVkfr;k	o"kZ dh lekfIr ij ykxr@ eY;gkl	o"kZ dk ikjEHk es	o"kZ dk nkSjku ikfIr;k ij	o"kZ dk nkSjku dVkfr;k ij	o"kZ dh lekfIr rd ;kx	pkyw o"kZ dh lekfIr ij	fiNys o"kZ dh lekfIr ij
5. फर्नीचर जुड़नार	13961966	2324857	864015	15422808	6152071	1358887	759386	6751572	8671236	7809895
6. कार्यालय उपस्कर	9571496	300483	-	9871979	5121671	988576	-	6110247	3761732	4449825
7. कंप्यूटर/पेरिफिरल	28904390	1402240	3527624	26779006	19627423	2941295	3484505	19084213	7694793	9276967
8. इलेक्ट्रिक स्थापना	2214283	649283	-	2863566	586333	241506	-	827839	2035727	1627950
9. पुस्तकालय पुस्तकें	2979159	265035	-	3244194	2633209	305352	-	2938561	305633	345950
10. टयूबवैल एवं जल आपूर्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. अन्य नियत परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
चालू वर्ष का योग	62351918	4994332	4434931	62911319	37021623	6152402	4268062	38905963	24005356	25330295
fiNyk o"kZ	**66951015**	**10439534**	**15038631**	**62351918**	**36335488**	**6251298**	**5565163**	**37021623**		
[k- pkyw iwathxr dk;Z										
;kx										

(टिप्पणी: क्रय–विक्रय आधार पर परिसंपत्तियों की लागत के रूप में दिया जाना चाहिए, जैसाकि ऊपर दर्शाया गया है)

ह0/-
वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (लेखा)

vuqlph&9 fu;r ifjlifUk;k

(राशि–रु0)

	;kt uUkj		;kt uk	
	pkyw o"k 2008-09	fiNyk o"k 2007-08	pkyw o"k 2008-09	fiNyk o"k 2007-08
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-	-	-
2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां	-	-	-	-
3. शेयर	-	-	-	-
4. डेबेंचर एवं बांड	-	-	-	-
5. आनुषंगिक और संयुक्त उद्यम	-	-	-	-
6. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
dqy	-	-	-	-

vuqlph&10 fuos'k vU;

	;kt uUkj		;kt uk	
	pkyw o"k	fiNyk o"k	pkyw o"k	fiNyk o"k
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-	-	-
2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां	-	-	-	-
3. शेयर	-	-	-	-
4. डेबेंचर एवं बाण्ड	-	-	-	-
5. आनुषंगिक और संयुक्त उद्यम	-	-	-	-
6. अन्य (बैंक एफडीआर)	-		-	-
dqy	-	-	-	-

ह0/-
वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (लेखा)

vuqlwph&11 pkyw ifjlEifÙk;k] _.k vfxze vkfn o.kZu

(राशि–रु0)

o.kZu	;kstuk srj		;kstuk	
	pkyw o"kZ 2008-09	fiNyk o"kZ 2007-08	pkyw o"kZ 2008-09	fiNyk o"kZ 2007-08
d- pkyw ifjlEifÙk;k		-		-
1. सूची		-		-
क) स्टोर्स और स्पेयर्स		-		-
ख) लूज टूल्स		-		-
ग) स्टॉक–इन–ट्रेड		-		-
तैयार माल		-		-
कार्य प्रगति पर		-		-
कच्चा माल		-		-
2. विविध ऋणदाता:		-		-
क) 6 माह की अवधि से ऊपर बकाया रहे ऋण		-		-
ख) अन्य		-		-
3. udn 'ks"k gkFk esa ¼pSd@MkÝV ,oa bEizSLV lfgr½	46694	59394		-
4. बैंक में शेषः				
क) अनुसूचित बैंक के साथ				
– चालू खाते पर	3039914	7259343	4686564	8132528
– जमा चाते पर (मार्जिन धनराशि शामिल)		-		-
– बचत खाते पर		-		-
क) गैर–अनुसूचित बैंक के साथ		-		-
– चालू खाते पर		-		-
– जमा चाते पर		-		-
– बचत खाते पर		-		-
5. Mkd?kj cpr cSad		-		-
dqy ¼d½	**3086608**	**7318737**	**4686564**	**8132528**
[k- _.k] vfxze vkSj vU; ifjlEifÙk;k				
1- _.k				
क) स्टाफ	4234900	4636147	-	-
ख) संस्था के समान कार्यकलापों/उद्देश्यों में लगी अन्य संस्थाएं			-	-
ग) अन्य (निर्दिष्ट करें)	338950	493227	-	-

vu|l|ph&11 pky| ifj l|ifÙk;k] _.k vfxze vkfn o.ku

	;ktuÙkj		;ktuk	
	pky| o"k 2008-09	fiNyk o"k 2007-08	pky| o"k 2008-09	fiNyk o"k 2007-08
2. अग्रिम और अन्य राशि जिसकी वसूली नकद अथवा वस्तु अथवा प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के रूप में वसूली की जानी है			-	-
क) पूंजीगत खातेपर	146600000	136600000	19000000	10500000
ख) पूर्व भुगतान	2330482	182585		
ग) अन्य	1218929	447430	113926	113926
3. प्रोद्भूत आय				
क) निर्धारित/बंदोबस्ती निधियें से निवेश पर		-		-
ख) निवेश पर – अन्य		-		-
ग) ऋण एवं अग्रिम पर		-		-
घ) अन्य		-		-
(देय आय शामिल है – वसूली न गई रु0)		-		-
5. प्राप्त होने वाले दावे	1073450	4777341		-
d|y ¼[k½	**155796711**	**147136730**	**19113926**	**10613926**
d|y ¼d$[k½	**158883319**	**154455467**	**23800490**	**18746454**

vu|l|ph&12 fcØh@lokvk l| vk;

	;ktuÙkj		;ktuk	
	pky| o"k 2008-09	fiNyk o"k 2007-08	pky| o"k 2008-09	fiNyk o"k 2007-08
1. बिक्री से आय	-	-	-	-
क) निर्मित वस्तुओं की बिक्री	-	-	-	-
ख) कच्चे माल की बिक्री	-	-	-	-
ग) कबाड़ से बिक्री	-	-	-	-
2. सेवाओं से आय	-	-	-	-
क) मजदूर और प्रक्रमण प्रभार	-	-	-	-
ख) वृत्तिक/परामर्श सेवाएं	-	-	-	-
ग) एजेंसी कमीशन एवं दलाली	-	-	-	-
घ) अनुरक्षण सेवाएं (उपस्कर/संपत्ति)	-	-	-	-
ङ) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
d|y	-	-	-	-

ह0/-
वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (लेखा)

vu|l|ph&13 vunku@vkfFkd lgk;rk

(राशि–रु0)

¼viR;kn; vunku@vkfFkd lgk;rk ikIr½	;kstuÙkj		;kstuk	
	pky| o"k	fiNyk o"k	pky| o"k	fiNyk o"k
1) केन्द्रीय सरकार	248000000	253400000	30000000	30000000
2) राज्य सरकार		-		-
3) सरकारी एजेंसियां		-		-
4) संस्थाएं/कल्याणकारी निकाय		-		-
5) अंतरराष्ट्रीय संगठन		-		-
6) अन्य (निर्दिष्ट करें)		-		-
d|y	**248000000**	**253400000**	**30000000**	**30000000**

vu|l|ph&14 'kYd@v|'knku

	;kstuÙkj		;kstuk	
	pky| o"k **2008-09**	fiNyk o"k **2007-08**	pky| o"k **2008-09**	fiNyk o"k **2007-08**
1. प्रवेश शुल्क	-	-	-	-
2. वार्षिक शुल्क/अंशदान	-	-	-	-
3. सम्मेलन/कार्यक्रम शुल्क	-	-	-	-
4. परामर्श शुल्क	-	-	-	-
5. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
d|y				

टिप्पणी:–प्रत्येक मद की लेखांकन नीतियां प्रकट की जानी चाहिए

vu|l|ph&15 fuo'k l| vk;

¼fuf/k dk vrfj r fufn"V@ cnkcLrh fuf/k;k l| vk;½	fu/kkfjr fuf/k l| fuo'k ;kstuÙkj		;kstuk	
	pky| o"k	fiNyk o"k	pky| o"k	fiNyk o"k
1) ब्याज				
क) सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
ख) अन्य बाण्ड/डिबेंचर	-	-	-	-
2) डिविडेंड	-	-	-	-
क) शेयरों पर	-	-	-	-
ख) म्यूचुअल प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
3) किराया	-	-	-	-
4) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
d|y fu/kkfjr@cnkcLrh fuf/k;k dk vrfj r				

ह0/-
वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (लेखा)

vuqlwph&16 jkW;YVh izdk'ku vkfn ls vk;

(राशि–रु0)

	;kstukUrj		;kstuk	
	pkyw o"kZ 2008-09	fiNyk o"kZ 2007-08	pkyw o"kZ 2008-09	fiNyk o"kZ 2007-08
1. रॉयल्टी से आय	-	-	-	-
2. प्रकाशन से आय	-	-	-	-
3. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
dqy	-	-	-	-

vuqlwph&17 vftZr C;kt

	;kstukUrj		;kstuk	
	pkyw o"kZ	fiNyk o"kZ	pkyw o"kZ	pkyw o"kZ
1) सावधि जमा पर				
क) अधिसूचित बैंकों के साथ	-	-	-	-
ख) गैर–अधिसूचित बैंकों के साथ	-	-	-	-
ग) संस्थाओं के साथ	-	-	-	-
घ) अन्य	-	-	-	-
2) बचत खातों पर				
क) अधिसूचित बैंकों के साथ	-	-	-	-
ख) गैर–अधिसूचित बैंकों के साथ	-	-	-	-
ग) संस्थाओं के साथ	-	-	-	-
घ) अन्य	-	-	-	-
3) ऋणों पर	-	-	-	-
क) कर्मचारी/स्टाफ	26012	-	-	-
ख) अन्य	-	-	-	-
4) ऋणों तथा अन्य प्राप्तियों पर ब्याज	-	-	-	-
dqy	**26012**	-	-	-

टिप्पणी+–स्रोत पर काटा गया कर दशाया जाए

vuqlwph&18 vU; vk;

	;kstukUrj		;kstuk	
	pkyw o"kZ 2008-09	fiNyk o"kZ 2007-08	pkyw o"kZ 2008-09	pkyw o"kZ 2007-08
1) परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान से लाभ	2861	11000		-
क) स्वामित्व वाली परिसंपत्तियां		-		-
ख) अनुदानों अथवा निःशुल्क प्राप्त की गई परिसंपत्तियां		-		-
2. वसूले गए निर्यात प्रोत्साहन		-		-
3. विविध सेवाओं के लिए शुल्क				-
4. विविध आय	46907	112846		-
dqy	**49768**	**123846**		

ह0/-
वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (लेखा)

vuqlwph&19&fufeZr eky ,oa py jgs dk;Z esa of) ¼deh½

(राशि–रु0)

	;kstukUkj		;kstuk	
	pkyw o"kZ	fiNyk o"kZ	pkyw o"kZ	pkyw o"kZ
क) अंतिम स्टॉक				
– तैयार माल	-	-	-	-
– चल रहा कार्य	-	-	-	-
ख) घटाएं पूर्व स्टॉक				
– तैयार माल	-	-	-	-
– चल रहा कार्य	-	-	-	-
dqy of) ¼deh½ ¼d&[k½		-	-	-

vuqlwph&20&LFkkiuk O;;

	;kstukUkj		;kstuk	
	pkyw o"kZ	fiNyk o"kZ	pkyw o"kZ	pkyw o"kZ
क) वेतन और मजदूरी	85610060	48246333	-	-
ख) भत्ते और बोनस	334263	174710	-	-
ग) भविष्य निधि में अंशदान	4512371	1404226	-	-
घ) अन्य निधि में योगदान (निर्दिष्ट करें)			-	-
ङ) कर्मचारी कल्याण व्यय	379471	113467	-	-
च) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और सेवाएं लाभ	28903263	4454687	-	-
छ) अन्य (निर्दिष्ट करें)	14287826	3816184	-	-
dqy	**134027254**	**58209607**	-	-

ह0/-
वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (लेखा)

vuqlwph 21&vU; iz'kklfud O;; vkfn

(राशि–रु0)

	;kstuÙkj		;kstuk	
	pkyw o"k 2008-09	fiNyk o"k 2007-08	pkyw o"k 2008-09	pkyw o"k 2007-08
क) क्रय		-		-
ख) मजदूर तथा प्रक्रमण व्यय		-		-
ग) कार्टेज एवं कैरिएज प्रभार		-		-
घ) विद्युत एवं पावर	1419396	1642162		-
ङ) जल प्रभार		-		-
च) बीमा	135057	177188		-
छ) मरम्मत एवं अनुरक्षण	3739017	3555413		-
ज) सीमा शुल्क		-		-
झ) किराया, दर और कर	70681116	93625080		-
ञ) वाहन चालन एवं मरम्मत	2393568	2459557		-
ट) डाक, दूरभाष और संप्रेषण प्रभार	5337088	6370907		-
ठ) मुद्रण एवं लेखन–सामग्री	5096068	5303324		-
ड) यात्रा एवं किराया प्रभार	11602267	7932897		-
ठ) सम्मेलन/कार्यशाला पर व्यय	2763974	3374109		-
ज) अंशदान व्यय	295020	125477		-
त) शुल्क पर व्यय	180679	396584		-
थ) लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक	128980	128980		-
द) आतिथ्य व्यय	1448038	1214586		-
ध) वृत्तिक व्यय	16383406	6242425		-
ण) बुरे तथा संदेहप्रद ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान		-		-
प) वसूल न होने वाले शेष–बट्टे खाते में डाला गया	51290	9077384		-
फ) पैकिंग प्रभार		-		-
व) मालभाड़ा और अग्रेषण क्रय व्यय		-		-
भ) वितरण व्यय		-		-
म) विज्ञापन और प्रचार	1646899	4595702		-
य) अन्य (सुरक्षा, हाउसकीपिंग आदि को भुगतान)	5017494	6808097	36001964	32534016
एसएटीआरसी बैठक व्यय और शुल्क	2087201			-
dqy	130406558	153029871	36001964	32534016

ह0/-
वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (लेखा)

vuqlph&22& vuqnkuk] vkfFkd lgk;rk vkfn ij 0;;

(राशि–रु0)

	;kstuÙkj		;kstuk	
	pkyw o"kZ 2008-09	fiNyk o"kZ 2007-08	pkyw o"kZ 2008-09	fiNyk o"kZ 2007-08
क) संस्थाओं/संगठनों को दिया गया अनुदान	-	-	-	-
ख) संस्थाओं/संगठनों को दी गई आर्थक सहायता	-	-	-	-
dqy				

नोटः अनुदान/आर्थिक सहायता की राशि के साथ सत्ताओं, उनके कार्यकलापों के नाम भी प्रकट किए जाने हैं।

vuqlph 23&C;kt

	;kstuÙkj		;kstuk	
	pkyw o"kZ	fiNyk o"kZ	pkyw o"kZ	fiNyk o"kZ
क) नियत ऋणों पर	-	-	-	-
ख) अन्य ऋणों पर	-	-	-	-
ग) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
dqy	-	-	-	-

ह0/-
वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (लेखा)

foÙkh; fooj.k dk ik:Ik ¼xj&ykHk vtZu laxBu½
laLFkk dk uke% Hkkjrh; nj lapkj fofu;ked izkf/kdj.k
31-3-2009 dks rqyu&i= dk Hkkx cuus okyk fooj.k

ikfIr;k	;kstuksÙkj pkyw o"kZ 2008-09	;kstuksÙkj fiNyk o"kZ 2007-08	;kstuk pkyw o"kZ 2008-09	;kstuk fiNyk o"kZ 2007-08	Hkqxrku	;kstuksÙkj pkyw o"kZ 2008-09	;kstuksÙkj fiNyk o"kZ 2007-08	;kstuk pkyw o"kZ 2008-09	;kstuk fiNyk o"kZ 2007-08
1- v/k'k"k					**I)** 0;;				
क) हाथ में रोकड़	59394	43446		-	क) स्थापना व्यय (अनुसूची 20 के अनुरूप)	113457288	56271469		-
i) चालू खाते में	7259342	7253560	8132528	2494069	ख) प्रशासनिक व्यय (अनसुची 21 के अनुरूप)	127856169	119955094	24945964	32361541
ii) जमा खाते में		-		-					
iii) बचत खाते में		-		-	**II)** fofHkUu ifj;kstukvksa ds fy, fuf/k;ksa ds fo:) fd;k x;k Hkqxrku		-		-
					(प्रत्येक परियोजनाओं के लिए किए गए				
II) ikIr vuqnku					भुगतान के विवरणों के साथ)				
क) भारत सरकार से	238000000	186500000	21500000	38000000					
ख) राज्य सरकार से		-		-	**III)** fd, x, fuos'k vkSj fu{ksi				-
ग) अन्य स्रोतों से (विवरण)		-		-	क) निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों से	-	-	-	-
(पूंजीगत एवं राजस्व के लिए अनुदानों को अलग दर्शाएं)		-		-	ख) स्वयं की निधि से (निवेश–अन्य)	-	-	-	-
III) fuEu ls fuos'k ij vk;					**IV)** fu;r ifjlEifÙk;ksa ij 0;; rFkk py jgk iwathxr dk;Z				
क) निर्धारित/बंदोबस्ती विधियां		-		-	क) नियत परिसंपत्तियों की खरीद	4612535	10221332	-	

ikfIr;k	;k tuÙkj		;k tuk		Hkqxrku	;k tuÙkj		;k tuk	
	pkyw o"k	fiNyk o"k	pkyw o"k	fiNyk o"k		pkyw o"k	fiNyk o"k	pkyw o"k	fiNyk o"k
	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08		2008-09	2007-08	2008-09	2007-08
ख) स्वयं की निधियां (अन्य निवेश)		-		-	ख) चल रहे पूंजीगत कार्य पर व्यय	-	-	-	-
		-		-					-
IV) ikIr C;kt		-		-	V) अधिक राशि/ऋणों की वापसी				-
क) बैंक जमा पर		-		-	क) भारत सरकार को				-
ख) ऋण, अग्रिम		-		-	ख) राज्य सरकार को		-		-
ग) विविध		-		-	ग) निधियों के अन्य प्रावधान		9468508		-
V) ikIr C;kt					VI) वित्त प्रभार (ब्याज)		-		-
क) अन्य आय (निर्दिष्ट करें)	72919	112846		-			-		-
					VII) अन्य भुगतान (निर्दिष्ट करें)		-		-
VI) m/kkj yh xbZ jkf'k		-		-	ऋण एवं अग्रिम एवं प्रतिभूति निक्षेप	231386	743717		-
VII) dkbZ vU; ikfIr ¼fooj.k nsa½		-		-					-
शुल्क		-		-					-
पूंजीगत निधि को		-		-	VIII) अंत शेष				-
प्रकाशनों की बिक्री को	30000	-		-	क) हाथ में रोकड़	46694	59394		-
परिसंपत्तियों की बिक्री को	118440	75700		-	ख) बैंक में शेष				-
ऋण एवं अग्रिम तथा प्रतिभूति जमा को	3703891	524796		-	i) चालू खाते में	3039914	7259342	4686564	8132528
ब्याज के साथ एफडीआर के भुगतान को		9468508		-	ii) जमा खाते में		-		-
					iii) बचत खाते में		-		-
dqy	249243986	203978856	29632528	40494069	;ksx	249243986	203978856	29632528	40494069

g0@&
i/kku lykgdkj ¼,Q,@vkbZ,Q,½

g0@&
lfpo

g0@&
lnL;

g0@&
v/;{k

अनुसूची 24

उल्लेखनीय लेखांकन नीतियां :

1. लेखांकन परंपराएं :

(i) वित्तीय विवरण भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के दिनांक 23.07.2007 के पत्र सं0 एफ.सं.19(1)/मिस./2005/टीए/450–490 द्वारा अनुमोदित ''लेखाओं के समान प्ररूपों'' में योजनेत्तर तथा योजना दोनों ही कार्यकलापों के लिए उपयुक्तः और स्पष्टतः तैयार किए गए हैं।

(ii) लेखे वर्तमान वर्ष, अर्थात 2008–09 के लिए प्रोदभूत आधार पर तैयार किए गए हैं – लेखांकन पद्धति में पिछले वर्ष की तुलना में कोई अंतर नहीं है।

(iii) लेखा बहियों में की गईं समस्त अविवादित और ज्ञात देयताओं के लिए प्रावधान किया गया है।

(iv) आंकड़ों को निकटतम रुपए तक पूर्णांकित किया गया है।

(v) मामले में अंतर्निहित तथ्यों और कानूनी पहलुओं का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने के बाद ही आकस्मिक देयताओं का प्रकटन किया गया है।

2. स्थायी परिसंपत्तियां :

स्थायी परिसंपत्तियों का उल्लेख अर्जन की लागत पर किया गया है जिसमें आवक मालभाड़ा, शुल्क एवं कर तथा अर्जन से संबंधित आनुषंगिक और प्रत्यक्ष व्यय शामिल नहीं हैं।

3. मूल्यह्रास

(क) स्थायी परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XIV में विनिर्दिष्ट दरों पर ''स्ट्रेट लाइन पद्धति'' के अनुसार लगाया है, सिवाय नीचे उल्लिखित श्रेणियों के, जिनके संबंध में मूल्यह्रास की ऊँची दरें लागू की गई हैं, जैसाकि पिछले वर्षों के लेखों में किया गया थाः

श्रेणी	कम्पनी अधिनियम 1956 के अनुसार न्यूनतम निर्दिष्ट मूल्यह्रास दर	लागू की गईं मूल्यह्रास दर
कार्यालय उपस्कर	4.75%	10.00%
फर्नीचर और जुड़नार	6.33%	10.00%
विद्युत उपकरण	4.75%	10.00%
एयरकन्डीशनर	4.75%	10.00%
पुस्तकें और प्रकाशन	4.75%	20.00%

कार्यालय उपस्करों में शासकीय प्रयोजनों के लिए अधिकारियों को प्रदान किए गए मोबाइल हैंडसेट शामिल हैं। सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 04.05.2007 के आदेश सं0 2–1/97–लैन के माध्यम से दूरसंचार विभाग की ही तर्ज पर तीन वर्ष के भीतर इन हैंडसेटों को प्रदान करने/बट्टे खाते में डालने का निर्णय लिया गया था। तदनुसार वर्ष 2007–08 से लेकर आगे तक मोबाइल हैंडसेटों पर मूल्यह्रास 33.33 प्रतिशत की दर से प्रभारित किया गया है। इसके अलावा, प्राधिकरण द्वारा आदेश सं0 23–24/2008/जीए (एलटी) दिनांक 19.03.2009 के माध्यम से यह भी निर्णय लिया गया था कि भादूविप्रा अधिकारियों को जारी लैपटॉप का उपयोग–काल आगे से चार वर्ष होगा। तदनुसार, चालू वित्त वर्ष में लैपटॉप पर मूल्यह्रास 25 प्रतिशत की दर से आकलित किया गया है।

(ख) वर्ष के दौरान स्थायी परिसंपत्तियों में वृद्धि के संबंध में, मूल्यह्रास पर यथानुपात आधार पर विचार किया गया है।

(ग) 5,000/– रू0 अथवा उससे कम की लागत की प्रत्येक परिसंपत्ति को पूर्णतः उपलब्ध कराया गया है।

4. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

विदेशी मुद्रा में किए गए संव्यवहारों को लेन–देन के समय प्रचलित विदेशी मुद्रा की दर पर अभिलेखित किया गया है।

5. सेवानिवृत्ति लाभ

(क) प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारियों के मामले में 31.03.2009 तक अवकाश वेतन और पेंशन योगदान के लिए प्रावधान लेखा बहियों में भारत सरकार द्वारा मूलभूत नियमों के तहत समय–समय पर विनिर्दिष्ट दरों पर उपलब्ध कराया गया है।

(ख) नियमित कर्मचारियों के मामले में, भादूविप्रा ने वर्ष 2008–2009 के लिए वेतन भुगतान और ग्रेच्युटी के लिए देयताओं के परिकलन हेतु एक लेखांकक नियुक्त किया है। तदनुसार, वर्ष 2008–09 के लिए 1,19,36,784/– रू0 की राशि चालू वर्ष के व्यय के रूप में प्रदान की गई है तथा वर्ष 2007–08 के लिए ग्रेच्युटी और वेतन भुगतान के कारण हुए 1,31,19,323/– रू0 की राशि का व्यय पूर्व अवधि के व्यय के रूप में पूंजीगत निधि के माध्यम से ले जाया गया है। इन देयताओं को चालू देयताओं और प्रावधानों में अनुसूची 7 में दर्शाया गया है।

6. सरकारी अनुदान

1. विर्निदिष्ट नियत परिसंपत्तियों के संबंध में कोई भी अनुदान चालू वर्ष के दौरान प्राप्त नहीं हुआ।

2. संस्वीकृत राशि के आधार पर सरकारी अनुदानों को हिसाब में लिया जाता है।

अनुसूची 25

आकस्मिक देयाताएं और लेखाओं पर टिप्पणियां :

1. आकस्मिक देयताएं:

संस्था के विरूद्ध दावे जिन्हें ऋणों के रूप में स्वीकार नहीं किया गया (चालू वर्ष–शून्य) (पिछले वर्ष – किराए के रूप में वृद्धि 2,24,81,997/– रू0)

2. चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम:

प्रबंधन की राय में, कार्य की सामान्य स्थिति में चालू परिसम्पत्तियों, ऋणों और अग्रिमों का अर्जन पर मूल्य है जोकि कम–से–कम तुलन–पत्र में दर्शाई गई सकल राशि के समान है।

3. कराधान:

भादूविप्रा अधिनियम, 1997 के खंड 32 के अनुसार, भादूविप्रा को संपत्ति और आय पर कर से छूट प्राप्त है।

4. स्थायी परिसंपत्तियां:

(क) कार्यालय आदेश सं0 15–2/2006–जीए दिनांक 26.03.2009, सं0 23–22/2008/भादूविप्रा/जीए दिनांक 11.2.2009, दिनांक 06.06.2008 तथा सं0 14–01/2008/जीए दिनांक 17.04.2009 द्वारा सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन लेकर निम्नलिखित मदों को बट्टे खाते में डाला गया है तथा नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार 42,68,062/–रु0 की राशि का पश्चलेखन मूल्यह्रास के रूप में किया गया है :

क्र.सं.	परिसम्पति का विवरण	बुक मूल्य	2008–09 तक संचयी मूल्यह्रास	31.3.2009 को डब्ल्यूडीवी
1.	वाहन	43292/-	24171/-	19121/-
2.	फर्नीचर तथा जुड़नार	864015/-	759386/-	104629/-
3.	कम्प्यूटर	3527624/-	3484505/-	43119/-
	योग:	**4434931/-**	**4268062/-**	**166869/-**

(ख) स्थायी परिसंपत्तियों में शामिल है :

दूरसंचार विभाग (डीओटी) से 1997–98 के दौरान 14,71,692/– रुपए में खरीदे गए चार वाहनों में से, दो कारें, अक्तूबर 2000 में, टीडीसेट (TDSAT) को अंतरित कर दी गई थीं। इन दो कारों की कीमत 7,35,846/– रु. थी और अंतरण के दिन तक संचयित मूल्यह्रास 2,48,211 रु0 था। अंतरण

के दिन तक इन कारों की डब्ल्यूडीवी राशि 4,87,635/– रु. थी, जिसे टीडीसेट/डीओटी से वसूली योग्य दावों के नामे किया गया है। मामला दूरसंचार विभाग के पास लंबित है।

5. अनुदान

लेखांकन वर्ष अर्थात् 2008–09 के दौरान योजनेत्तर शीर्ष के अंतर्गत स्वीकृत अनुदान 24.80 करोड़ रू0 था जिसमें से 23.80 करोड़ रू0 की राशि प्राप्त हुई। दूरसंचार विभाग से प्राप्त होने वाली 14.66 करोड़ रू0 की राशि को अनुसूची–11 में ''अग्रिम तथा नकद या वस्तु या प्राप्त होने वाले मूल्य के रूप में वसूलीयोग्य अन्य राशियां'' शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।

इसी प्रकार, योजना लेखा शीर्ष के अंतर्गत 3.00 करोड़ रू0 का अनुदान स्वीकृत किया गया था, जिसमें से 2.15 करोड़ रू0 की राशि प्राप्त हुई। अतिरिक्त राशि की पूर्ति भादूविप्रा सामान्य निधि में उपलब्ध शेष राशि से की गई, जिसका रख–रखाव दूरसंचार विभाग द्वारा किया जाता है। दूरसंचार विभाग से प्राप्त होने वाली 1.90 करोड़ रू0 की राशि को अनुसूची–11 में दर्शाया गया है।

6. ''अवांछनीय वाणिज्यिक संप्रेषण (यूसीसी)'' से संबंधित लेन–देन

चालू वित्त वर्ष के दौरान, दूरसंचार अवांछनीय वाणिज्यिक संप्रेषण विनियम, 2007 के विनियमों के उल्लंघन में वित्तीय हतोत्साहनों के रूप में छह सेवा प्रदाताओं से 48,000/– रू0 की राशि प्राप्त हुई। यह राशि दूरसंचार विभाग को देय है तथा, तदनुसार, इस राशि को अनुसूची–7 (चालू देयताएं और प्रावधान) में दर्शाया गया है।

7. पिछले वर्ष के आंकड़े

पिछले वर्ष के तदनुरूपी आंकड़ों को, जहां कही आवश्यक था, पुनःवर्गीकृत और व्यवस्थित किया गया है। पिछले वर्ष से संबंधित व्यय/आय अर्थात पूर्व अवधि के व्यय/आय को पूंजीगत निधि के माध्यम से ले जाया गया है।

8. विदेशी मुद्रा में संव्यवहार

विदेशी मुद्रा में किए गए संव्यवहारों को लेन–देन के समय प्रचलित विदेशी मुद्रा की दर पर अभिलेखित किया गया है।

9. अनुसूची 1 से 25 को 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा का अभिन्न भाग बनाने के लिए संलग्न किया गया है।

ह0/–	ह0/–	ह0/–	ह0/–
प्रधान सलाहकार (एफए/आईएफए)	**सचिव**	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

4.3
भादूविप्रा का वर्ष 2008-09 के लिए लेखापरीक्षित अंशदायी भविष्य निधि लेखा

31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण-आंदायी भविष्य निधि लेखा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पृथक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट

हमने भारत सरकार, असाधारण राजपत्र अधिसूचना संख्या जीएसआर 333(अ) दिनांक 10 अप्रैल, 2003 के अंतर्गत जारी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (आंदायी भविष्य निधि) नियम, 2003 में नियम 5(5) के साथ पठित नियंत्रक-महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा र्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अंतर्गत 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण-आंदायी भविष्य निधि लेखा के संलग्न तुलन-पत्र तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा/प्राप्तियां और भुगतान लेखा की लेखापरीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण-आंदायी भविष्य निधि लेखा के प्रबंधन का उत्तरदायित्व हैं। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में श्रेष्ठ लेखांकन संव्यवहारों, लेखांकन मानकों तथा प्रकटीकरण मानदण्डों, आदि के साथ वर्गीकरण, अनुरूपता के संबंध में केवल लेखांकन व्यवहार पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां अंतर्विष्ट हैं। विधि, नियमों एवं विनियमों (स्वामित्व एवं नियमितता) तथा कार्यकुालता-सह-निष्पादन पहलुओं के अनुपालन के साथ वित्तीय संव्यवहारों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां, यदि कोई हैं, पृथक रूप से निरीक्षण रिपोर्टों/सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्टों में सूचित की गई हैं।

3. हमने अपनी लेखापरीक्षा सामान्यतया भारत में स्वीकार्य लेखांकन मानकों के अनुसार संचालित की है। इन मानकों में अपेक्षित है कि हम लेखापरीक्षा

की आयोजना तथा निष्पादन इस प्रकार करें कि हमें इस संबंध में युक्तिसंगत आवासन प्राप्त हो सके कि क्या वित्तीय विवरण भौतिक गैर-अभियुक्तियों से स्वतंत्र हैं। एक लेखापरीक्षा में ाामिल है - परीक्षण के आधार पर जांच, राशियों को समर्थन प्रदान करते साक्ष्य तथा वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण। किसी लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों का मूल्यांकन तथा प्रबंधन द्वारा बनाए गए महत्वपूर्ण आकलन तथा साथ ही, वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी ाामिल होता है। हमें विवास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय का युक्तिसंगत आधार उपलब्ध कराती है।

4. अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर, हम सूचित करते हैं किः

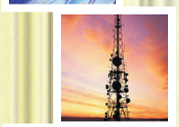

(i) हमने ऐसी सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विवास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवयक थे।

(ii) इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन-पत्र तथा आय एवं व्यय लेखा/प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा वित्त मंत्रालय द्वारा विनिर्धारित ''लेखाओं के सामान्य प्रपत्र'' में तैयार किए गए हैं।

(iii) हमारी राय में, जहां तक ऐसी बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण - आंदायी भविष्य निधि लेखा द्वारा लेखाओं की बहियों तथा अन्य प्रासंगिक अभिलेखों का समुचित रख-रखाव किया गया है।

iv) हम यह भी सूचित करते हैं किः

तुलन-पत्र

परिसंपत्तियां

निवेश-अन्य (अनुसूची 10)रू0 273.12 लाख

इसमें 3.27 लाख रू0 की राशि शामिल है, जोकि वर्ष के दौरान यूटीआई ऊर्जा निधि-विकास में किए गए निवेा मूल्य में स्थायी हास की राशि है, जैसाकि ''लेखाओं पर टिप्पणी'' (अनुसूची-25) की टिप्पणी से पता चलता है। तथापि, निवेश के मूल्य में इस हास को ''आय और व्यय लेखा'' में हिसाब में नहीं लिया गया तथा प्रभारित नहीं किया गया, हालांकि ऐसा करना भारतीय चार्टर्ड अकांउटेंट संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस)-13 की अपेक्षाओं के अनुपालन में अनिवार्य था। ऐसा करने के परिणामस्वरूप 'निवेश-अन्य' में तथा साथ ही 'घाटे' में प्रत्येक में 3.27 लाख रु0 की अतियुक्ति और न्यूनोक्ति हुई।

(v) उपर्युक्त पैराओं में हमारी टिप्पणियों के अध्यधीन, हम सूचित करते हैं कि इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन-पत्र तथा आय एवं व्यय लेखा/प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा, लेखा-बहियों के अनुसार हैं।

(vi) हमारी राय में तथा हमारे द्वारा किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हमारी सर्वोत्तम जानकारी में लेखांकन नीतियों तथा लेखाओं पर टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण, उक्तउल्लिखित मामलों तथा इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक-। में उल्लिखित अन्य मामलों के अध्यधीन भारत में स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही तथा न्यायोचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैः

(क) जहां तक ये भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण-आंदायी भविष्य निधि लेखा के कार्यों के तुलन-पत्र से संबंधित हैं, ये 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार हैं, और

(ख) जहां तक ये ''घाटे'' के आय और व्यय लेखा से संबंधित हैं, ये भी उसी तारीख को समाप्त वर्ष से संबंधित हैं।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लिए और उन-की ओर से

ह0/-

(आर0पी0 सिंह)

महानिदेशक लेखापरीक्षा (डाक-तार)

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 23 अगस्त, 2009

पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक-I

(1) आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

भादूविप्रा ने स्वतंत्र प्रभार के साथ एक पूर्णकालिक तकनीकी अधिकारी (आंतरिक लेखापरीक्षा) नियुक्त किया है, जोकि भादूविप्रा-सीपीएफ लेखा की आंतरिक लेखापरीक्षा संचालित करने के लिए उत्तरदायी है। आंतरिक लेखापरीक्षक ने वर्ष 2008-09 के लिए भादूविप्रा-सीपीएफ लेखा के लेखाओं तथा संदत्त वाउचरों की जांच की है।

हमारी राय में, संगठन की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली पर्याप्त है तथा इसके कृत्यों के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप है।

(2) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

भादूविप्रा-सीपीएफ लेखा में कोई नकद संव्यवहार नहीं किया जाता है क्योंकि समस्त प्राप्तियां एवं भुगतान केवल चेक द्वारा ही किए जाते हैं। सीपीएफ कटौतियों की प्राप्तियां तथा सीपीएफ आहरण अथवा अस्थायी अग्रिमों के फलस्वरूप भादूविप्रा-सीपीएफ के सदस्यों को किया गया भुगतान प्रासंगिक नियमों तथा विनियमों के अनुरूप किया जाता है तथा बैंक बही में इसको नियमित रूप से दर्ज किया जाता है। भादूविप्रा-सीपीएफ की निधियों का निवेश विनिर्धारित सरकारी प्रतिभूतियों/नियत जमा/म्यूचुअल फंडों में किया जाता है। इस प्रतिभूतियों पर प्रोद्भूत ब्याज को ब्याज की आय में उचित रूप से दर्ज किया जाता है। निधियों के निवेा के निर्णय ट्रस्टियों के बोर्ड की आवधिक बैठकों में लिए जाते हैं। सदस्यों के सीपीएफ जमा पर ब्याज को केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट दरों पर उनके व्यक्तिगत खातों में अंतरित किया जाता है। सदस्यों को देय ब्याज पर धारा, यदि कोई हो, को भादूविप्रा सामान्य निधि से पूरा किया जाता है। भादूविप्रा-सीपीएफ खाते के सदस्यों को सीपीएफ नियमों के दिशा-निर्देशों के अनुसार अपनी शेष राशि में से धन निकालने अथवा अस्थायी अग्रिम की अनुमति दी जाती है। सदस्यों के दिए जाने अग्रिमों के मामले में, अग्रिम की वसूली के लिए संबंधित सदस्य के वेतन से की जाने वाली मासिक कटौती के बारे में भादूविप्रा के आहरण एवं संवितरण अधिकारी को सूचित किया जाता है।

हमारी राय में, संगठन की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त है तथा यह इसके कार्यों के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप है।

अस्वीकरण : *''प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है, तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।*

foÙkh; fooj.k dk i`:Ik ¼xSj&ykHk vtZu laxBu½

laLFkk dk uke% Hkkjrh; nwjlapkj fofu;ked izkf/kdj.k

31-3-2009 dh fLFkfr dk vuqlkj rqyu&i= dk Hkkx cuus okyh vuqlwfp;k

dks"k@iwathxr fuf/k rFkk ns;rk,a	vuqlwph	pkyw o"kZ	fiNyk o"kZ
ट्राई–सीपीएफ सदस्य खाता	1	30077334.00	21932585.00
रिजर्व एवं अधिशेष	2		-
निर्धारित/बंदोबस्ती निधियां	3		-
सुरक्षित ऋण तथा उधार	4		-
असुरक्षित ऋण तथा उधार	5		-
आस्थगित ऋण देयताएं	6		-
चालू देयताएं और प्रावधान	7		-
dqy		**30077334.00**	**21932585.00**
ifjlaifÙk;ka			
नियत परिसंपत्तियां	8		-
निवेश–निर्धारित/बंदोबस्ती निधि से	9		-
निवेश–अन्य	10	27312216.00	19250290.00
चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	11	2765118.00	2682295.00
विविध व्यय			-
(बट्टे खाते में न डाली गई अथवा समायोजित न की गई)			
dqy		**30077334.00**	**21932585.00**
उल्लेखनीय लेखांकन नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं और लेखाओं पर टिप्पणियां	25		

g0@&
Jh t- ,l- HkkfV;k
mi lykgdkj ¼y[kk½
inu VLVh

g0@&
Jh ih- ds- nÙkk
la;qDr lykgdkj ¼,,Mih½
inu VLVh

g0@&
Jh ds- oh- nkeksnju
la;qDr lykgdkj ¼bZ vkj½
VLVh

g0@&
Jherh ih- tkudh
vuqHkkx vf/kdkjh ¼D;vks,l½
VLVh

g0@&
Jh fcuksn dqekj
lykgdkj ¼, ,.M ih½
inu v/;{k

वित्तीय विवरण का प्रारूप (गैर–लाभ अर्जन संगठन) संस्था का नामः भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

31.3.2009 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

आय	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बिक्री/सेवाओं से आय	12	-	-
अनुदान/आर्थिक सहायता	13	-	-
शुल्क/अंशदान	14	-	-
निवेश से आय (निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों से निवेश से आय–निधियों में अंतरित)	15	-	-
रॉयल्टी/प्रकाशन आदि से आय	16	-	-
अर्जित ब्याज	17	1441699.83	1151134.49
अन्य व्यय	18		237.00
निर्मित वस्तओं के स्टॉक में बढ़ोतरी (कमी) तथा निर्माणधीन कार्य	19	-	-
कुल (क)		**1441699.83**	**1151371.49**
व्यय	**अनुसूची**	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
स्थापना व्यय	20	-	-
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	339.00	416.20
अनुदान, आर्थिक सहायता आदि पर व्यय	22	-	-
ब्याज	23	1828344.00	1460782.00
मूल्यह्रास (वर्ष के अंत में निवल योग–अनुसूची 8 के अनुरूप)			
कुल (ख)		**1828683.00**	**1461198.20**

व्यय पर आय के आधिक्य के कारण शेष राशि (क-ख)		-386983.17	-309826.71
विशेष रिजर्व को अंतरण (प्रत्येक को निर्दिष्ट करें)			-
सामान्य रिजर्व को/से अंतरण			-
अधिशेष/(घाटा) जो शेष था, ट्राई सामान्य निधि से वसूलीयोग्य को ले जाया गया	11	-386983.17	-309826.71
उल्लेखनीय लेखांकन नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं और लेखाओं पर टिप्पणियां	25		

g0@&
Jh t- ,l- HkkfV;k
mi lykgdkj ¼y[kk½
inu VLVh

g0@&
Jh ih- d- nÙkk
l;qDr lykgdkj ¼,,Mih½
inu VLVh

g0@&
Jh d- oh- nkekodju
l;qDr lykgdkj ¼bvkj½
VLVh

g0@&
Jherh ih- tkudh
vuHkkx vf/kdkjh ¼D;wvk,l½
VLVh

g0@&
Jh fcukn dqekj
lykgdkj ¼,,M ih½
inu v/;{k

वित्तीय विवरण का प्रारूप (गैर-लाभ अर्जन संगठन)
संस्था का नामः भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
31-3-2009 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां
अनुसूची-I-भविष्य निधि-सीपीएफ सदस्य लेखा

(राशि–रु0)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
वर्ष के प्रारंभ में शेष राशि	21932585.00	17309124.00
जोड़ेः सदस्यो के खाते में अंशदान	8144749	4623461.00
जोड़े/(घटाएं): आय और व्यय लेखा से अंतरित निवल आय (व्यय) को शेष		
आय और व्यय लेखा		
वर्ष की समाप्ति पर शेष	**30077334.00**	**21932585.00**

ह0/-
वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (लेखा)

vuqlph&2&fjtoZ vkj vf/kn'k

	pkyw o"kZ	fiNyk o"kZ
1. पूंजी रिजर्व		
पिछले लेखा के अनुसार		
वर्ष के दौरान जमा		
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती		
2. पुनर्मूल्यांकन रिजर्व		
पिछले लेखा के अनुसार		
वर्ष के दौरान जमा		
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती		
3. विशेष रिजर्व		
पिछले लेखा के अनुसार		शून्य
वर्ष के दौरान जमा		
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती		
4. सामान्य रिजर्व		
पिछले लेखा के अनुसार		
वर्ष के दौरान जमा		
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती		
dqy		

ह0/-
वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (लेखा)

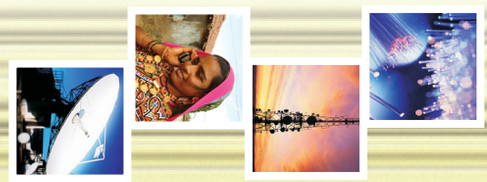

vuqlwph&3 fofu/kkfjr@cnkcLrh fuf/k

(राशि–रु0)

	fuf/kokj C;kjk				pkyw o"kZ	fiNys o"kZ
	fuf/k MCY;w	fuf/k ,Dl	fuf/k okbZ	fuf/k tsM		
क) निधि का अर्थ शेष						
ख) निधि में जमा राशियां						
i. छान/अनुदान						
ii. निधियों के कारण निवेश से आय						
iii. अन्य प्राप्यिां (प्रवृत्ति निर्दिष्ट करें)						
;ksx ¼d$[k½						
ग) निधियों के उद्देश्यों पर उपयोग/व्यय		शून्य				
i. पूंजीगत व्यय						
–नियत परिसंपत्तियां						
– अन्य						
dqy						
ii. राजस्व व्यय						शून्य
–वेतन, मजदूरी और भत्ते						
– किराया						
–.अन्य प्रशासनिक व्यय						
dqy						
;ksx ¼x½						
o"kZ dh lekfIr ij fuoy 'ks"k ¼d$[k$x½						

fVIi.k;k

1) अनुदानों से संलग्न शर्तों के आधार पर प्रकटीकरण प्रासंगिक शीर्षों के आधार पर किया जाना चाहिए।

2) केन्द्रीय/राज्य सरकारों से प्राप्त योजना निधियां अलग निधियों के रूप में दर्शाई जाएं तथा अन्य किसी निधि में शामिल नहीं की जानी चाहिए

ह0/-
वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (लेखा)

vu|lph&4 lqjf{kr _.k vkj m/kkj

(राशि–रु0)

	pky o"k	fiNyk o"k
1. केन्द्रीय सरकार		
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)		
3. वित्तीय संस्थाएं		
4. बैंक		
क) सावधी–ऋण		
–ब्याज प्रोद्भूत और देय		
ख) सावधी–ऋण		शून्य
–ब्याज प्रोद्भूत और देय		
5. अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां		
6. डिबेंचर और बाण्ड		
7. अन्य (निर्दिष्ट करें)		
;kx		

fVIi.kh वर्ष के भीतर देय राशि

vu|lph&5 lqjf{kr _.k vkj m/kkj

	pky o"k	fiNyk o"k
1. केन्द्रीय सरकार		
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)		
3. वित्तीय संस्थाएं		
4. बैंक		
क) सावधी–ऋण		
–ब्याज प्रोद्भूत और देय		शून्य
ख) सावधी–ऋण		
–ब्याज प्रोद्भूत और देय		
5. अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां		
6. डिबेंचर और बाण्ड		
7. अन्य (निर्दिष्ट करें)		
;kx		

vu|lph&6 vkLFkfxr _.k n;rk,

	pky o"k	fiNyk o"k
क) पूंजीगत उपस्करों के आडमान द्वारा ली गई स्वीकराक्ति तथा अन्य परिसंपत्तियां		शून्य
ख) अन्य		
;kx		

fVIi.kh वर्ष के भीतर देय राशि

ह0/-

वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (लेखा)

vu|lph&7 pky| n|;rk,| vkj i|ko/kku

(राशि–रु0)

	pky| o"k|	fiNyk o"k|
d½ pky| n|;rk,|		
1) स्वीकरोत्तियां		
2) विविध ऋणदाता		
क) वस्तुओं के लिए		
ख) अन्य		
3) प्राप्त अग्रिम		
4) प्रोद्भूत ब्याज पर निम्न पर देय नहीं:		
क) सुरक्षित ऋण/उधार		शून्य
ख) असुरक्षित ऋण/उधार		
5) साविधिक देयताएं		
क) अतिरिक्त		
ख) अन्य		
6) अन्य चालू देयताएं		
d|y ¼d½		
[k- i|ko/kku		
1. कराधान के लिए		
2. ग्रेच्युटी		
3. अधिवर्षिता/पेंशन		
4. संचित अवकाश		
5. व्यापार वारंटी/दावे		
6. अन्य (निर्दिष्ट करें)		
d|y ¼[k½		
d|y ¼d$[k½		

ह0/-
वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (लेखा)

vu|lph&8 fu;r ifjlaifÙk;k

(राशि–रु0)

विवरण	''वर्ष के आरंभ में लागत/ मूल्यांकन''	वर्ष के दौरान प्राप्तियां	वर्ष के दौरान कटौतियां	वर्ष की समाप्ति पर लागत/ मूल्यह्रास	वर्ष के प्रारंभ में	वर्ष के दौरान प्राप्तियां पर	वर्ष के दौरान कटौतियों पर	वर्ष की समाप्ति तक योग	चालू वर्ष की समाप्ति पर	पिछले वर्ष की समाप्ति पर
	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
d½ fu;r ifjlaifÙk;k										
1. भूमि										
का) फ्रीहोल्ड										शून्य
ख) लीज़होल्ड										
2. भवन										
क) फ्रीहोल्ड पर भूमिपर										
ख) लीजहोल्ड भूमि पर										
ग) स्वामित्व फ्लैट/परिसर										
घ) भूमि पर अतिसंरचना संस्था से संबंधित नही										
3. संयत्र मशीने और उपस्कर										

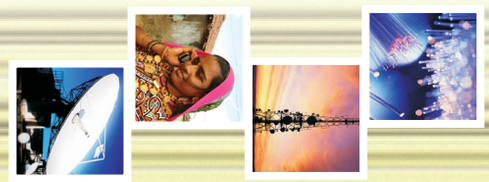

vu l ph&8 fu;r ifj l ifÙk;k

	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
विवरण	"Cost/ valuation as at beginnning of the year"	वर्ष के दौरान प्राप्तियां	वर्ष के दौरान कटौतियां	वर्ष की समाप्ति पर लागत/मूल्यह्रास	वर्ष के प्रारंभ में	वर्ष के दौरान प्राप्तियां पर	वर्ष के दौरान कटौतियों पर	वर्ष की समाप्ति तक योग	चालू वर्ष की समाप्ति पर	पिछले वर्ष की समाप्ति पर
4. वाहन										
5. फर्नीचर जुड़नार										शून्य
6. कार्यालय उपस्कर										
7. कंप्यूटर/										
8. इलेक्ट्रिक										
9. पुस्तकालय पुस्तकें										
10. टयूबवैल एवं जल आपूर्ति										
11. अन्य नियत परिसंपत्तियां										
चालू वर्ष का योग										
fiNyk o"k										
[k- pky i t hxr dk;										
;kx										

(टिप्पणी: क्रय–विक्रय आधार पर परिसंपत्तियों की लागत के रूप में दिया जाना चाहिए, जैसाकि ऊपर दर्शाया गया है)

ह0/-
वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (लेखा)

vu|lph&9 fu;r ifjlifÙk;k

(राशि–रु0)

	pkyw o"kZ	fiNyk o"kZ
1. सरकारी प्रतिभूतियों में		
2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां		शून्य
3. शेयर		
4. डेबेंचर		
5. आनुशंगिक और संयुक्त उद्यम		
6. अन्य (निर्दिष्ट करें)		
dqy		

vu|lph&10 fuos'k vU;

	pkyw o"kZ	fiNyk o"kZ
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	10888000	9308000
2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां	15524216	9042290
3. शेयर	-	900000
4. डेबेंचर		-
5. आनुशंगिक और संयुक्त उद्यम		-
6. अन्य (बैंक एफडीआर)		-
(i) टाटा एसआईपी	300000	
(ii) यूटीआई एनर्जी	600000	
dqy	**27312216.00**	**19250290.00**

ह0/-
वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (लेखा)

vu|lph&11 pkyw ifjlifÙk;k] _.k vfxze vkfn o.ku

	pkyw o"kZ	fiNyk o"kZ
d- pkyw ifjlifÙk;k		
1. सची		
क) स्टोर्स और स्पेयर्स	-	-
ख) लूज टूल्स	-	-
ग) स्टॉक–इन–ट्रेड		
तैयार माल	-	-
कार्य प्रगति पर	-	-
कच्चा माल	-	-
2. विविध ऋणदाताः		
क)	-	-
ख) अन्य	-	-
3. हाथ में नकद शेष		
(चेक/ ड्राफ्ट और इम्प्रेस्ट सहित)		

vu|lph&11 pkyw ifj lifÙk;k] _.k vfxze vkfn o.ku

(राशि–रु0)

4. बैंक में शेषः		
क) अनुसूचित बैंक के साथ		
– चालू खाते पर	-	-
– जमा चाते पर (मार्जिन धनराशि शामिल)	-	-
– बचत खाते पर	453752.96	629829.96
क) गैर–अनुसेूचित बैंक के साथ		
– चालू खाते पर	-	-
– जमा चाते पर	-	-
– बचत खाते पर	-	-
5. डाकघर–बचत खाता	-	-
dqy ¼d½	**453752.96**	**629829.96**
	pkyw o"kZ	fiNyk o"kZ
[k- _.k] vfxze vkSj vU; ifj lifÙk;k		
1. ऋण		
क) स्टाफ		-
ख) संस्था के समान कार्यकलापों/उद्देश्यों में लगी अन्य संस्थाएं		-
ग) अन्य (निर्दिष्ट करें)		-
2. नकद में अथवा वस्तु में अथवा प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए वसूल किए जाने वाले अग्रिम और अन्य राशि		
क) पूंजीगत खातेपर		-
ख) पूर्व भुगतान		-
ग) अन्य		-
3. प्रोद्भूत आय		
क) निर्धारित/बंदोबस्ती निधियें से निवेश पर		-
ख) निवेश पर – अन्य	1924383.28	1407855.45
ग) ऋण एवं अग्रिम पर		-
घ) अन्य		-
(देय आय शामिल है – वसूली न गई रु0)		
4. प्राप्त होने वाले दावे (0.59+386983.71–2)	386981.76	644609.59
dqy ¼[k½	**2311365.04**	**2052465.04**
dqy ¼d$[k½	**2765118.00**	**2682295.00**

ह0/-
वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (लेखा)

vuqlph&12 fcØh lsokvksa ls vk;

(राशि–रु0)

	pkyw o"kZ	fiNyk o"kZ
1. बिक्री से आय		
क) निर्मित वस्तुओं की बिक्री		
ख) कच्चे माल की बिक्री		शून्य
ग) कबाड़ से बिक्री		
2. सेवाओं से आय		
क) मजदूर और प्रक्रमण प्रभार		
ख) वृत्तिक/परामर्श सेवाएं		
ग) एजेंसी कमीशन एवं दलाली		
घ) अनुरक्षण सेवाएं (उपस्कर/संपत्ति)		
ङ) अन्य (निर्दिष्ट करें)		
dqy		

vuqlph&13 vuqnku@vkfFkZd lgk;rk

	pkyw o"kZ	fiNyk o"kZ
(अप्रत्यादेय अनुदान/आर्थिक सहायता प्राप्त)		
1) केन्द्रीय सरकार		शून्य
2) राज्य सरकार		
3) सरकारी एजेंसियां		
4) संस्थाएं/कल्याणकारी निकाय		
5) अंतरराष्ट्रीय संगठन		
6) अन्य (निर्दिष्ट करें)		
dqy		

vuqlph&14 'kqYd@vuqnku

	pkyw o"kZ	fiNyk o"kZ
1. प्रवेश शुल्क		
2. वार्षिक शुल्क/अंशदान		शून्य
3. सम्मेलन/कार्यक्रम शुल्क		
4. परामर्श शुल्क		
5. अन्य (निर्दिष्ट करें)		
dqy		

टिप्पणीः–प्रत्येक मद की लेखांकन नीतियां प्रकट की जानी चाहिए

ह0/-
वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (लेखा)

vuqlwph&15 fuos'k ls vk;

विनिर्धारित निधि से निवेश

	pkyw o"kZ	fiNys o"kZ
(निधि में अंतरित विनिर्धारित/बंदोबस्ती निधि		
से निवेश पर आय)		
क) सरकारी प्रतिभूतियों पर		शून्य
ख) अन्य बाण्ड / डिबेंचर		
2) डिविडेंड		
क) शेयरों पर		
ख) म्यूचुअल प्रतिभूतियों पर		
3) किराया		
4) अन्य (निर्दिष्ट करें)		
dqy		
fu/kkZfjr@cankcLrh fuf/k;ksa dks varfjr		

vuqlwph&16 jk;YVh izdk'ku vkfn ls vk;

	pkyw o"kZ	fiNys o"kZ
1. रॉयल्टी से आय		
2. प्रकाशन से आय		शून्य
3. अन्य (निर्दिष्ट करें)		
dqy		

vuqlwph&17 vftZr C;kt

	pkyw o"kZ	fiNys o"kZ
1) सावधि जमा पर		
क) अधिसूचित बैंकों के साथ	299925.65	306852.86
ख) गैर–अधिसूचित बैंकों के साथ	-	-
ग) संस्थाओं के साथ	1105106.18	822957.63
घ) अन्य		-
2) बचत खातों पर		
क) अधिसूचित बैंकों के साथ	36668.00	21324
ख) गैर–अधिसूचित बैंकों के साथ	-	-
ग) संस्थाओं के साथ	-	-
घ) अन्य	-	-
3) ऋणों पर		
क) कर्मचारी / स्टाफ	-	-
ख) अन्य	-	-
4) ऋणों तथा अन्य प्राप्तियों पर ब्याज	-	-
dqy	**1441699.83**	**1151134.49**

ह0/-
(वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी लेखा)

vu|l|ph&18 vU; vk;

(राशि–रु0)

	pky| o"k	fiNyk o"k
1) परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान से लाभ	-	
क) स्वामित्व वाली परिसंपत्तियां	-	-
ख) अनुदानों अथवा निःशुल्क प्राप्त की गई परिसंपत्तियां	-	-
2. वसूले गए निर्यात प्रोत्साहन	-	-
3. विविध सेवाओं के लिए शुल्क	-	-
4. विविध आय	-	237.00
d|y		**237.00**

vu|l|ph&19&fufe|r eky ,o| py jg| dk;| e| of) ¼deh½

	pky| o"k	fiNyk o"k
क) अंतिम स्टॉक		
– तैयार माल		शून्य
– चल रहा कार्य		
ख) घटाएं पूर्व स्टॉक		
– तैयार माल		
– चल रहा कार्य		
d|y of) ¼deh½ ¼d&[k½		

vu|l|ph&20&LFkkiuk O;;

	pky| o"k	fiNyk o"k
क) वेतन और मजदूरी		
ख) भत्ते और बोनस		शून्य
ग) भविष्य निधि में अंशदान		
घ) अन्य निधि में योगदान (निर्दिष्ट करें)		
ङ) कर्मचारी कल्याण व्यय		
च) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और सेवाएं लाभ		
छ) अन्य (निर्दिष्ट करें)		
d|y		

ह0/-
वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (लेखा)

vu|l|ph 21&vU; i|'kklfud 0;; vkfn

(राशि–रु0)

	pky| o"k	fiNyk o"k
क) क्रय	-	-
ख) मजदूर तथा प्रक्रमण व्यय	-	-
ग) कार्टेज एवं कैरिएज प्रभार	-	-
घ) विद्युत एवं पावर	-	-
ङ) जल प्रभार	-	-
च) बीमा	-	-
छ) मरम्मत एवं अनुरक्षण	-	-
ज) सीमा शुल्क	-	-
झ) किराया, दर और कर	-	-
ञ) वाहन चालन एवं मरम्मत	-	-
ट) डाक, दूरभाष और संप्रेषण प्रभार	-	-
ठ) मुद्रण एवं लेखन–सामग्री	-	-
ड) यात्रा एवं किराया प्रभार	-	-
ठ) सम्मेलन/कार्यशाला पर व्यय	-	-
ज) अंशदान व्यय	-	-
त) शुल्क पर व्यय	-	-
थ) लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक	-	-
द) आथित्य व्यय	-	-
ध) वृत्तिक व्यय	-	-
ण) बुरे तथा संदेहप्रद ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	-
प) वसूल न होने वाले शेष–बट्टे खाते में डाला गया	-	-
फ) पैकिंग प्रभार	-	-
व) मालभाड़ा और अग्रेषण क्रय व्यय	-	-
भ) वितरण व्यय	-	-
म) विज्ञापन और प्रचार	-	-
य) अन्य (सुरक्षा, हाउसकीपिंग आदि को भुगतान)	339.00	416.20
d|y	**339.00**	**416.20**

vu|l|ph&22& vu|nku] vkfFkd lgk;rk vkfn ij 0;;

	pky| o"k	fiNyk o"k
क) संस्थाओं/संगठनों को दिया गया अनुदान		
ख) संस्थाओं/संगठनों को दी गई आर्थक सहायता		
d|y		

नोट : अनुदानों/आर्थिक सहायता की राशि सहित इंटाइटियों के नाम, उनके कार्यकलापों को प्रकट किया जाए।

vu|l|ph 23&C;kt

	pky| o"k	fiNyk o"k
क) नियत ऋणों पर	-	-
ख) अन्य ऋणों पर	-	-
ग) अन्य (निर्दिष्ट करें)	1828344.00	1460782.00
d|y	**1828344.00**	**1460782.00**

ह0/-
वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (लेखा)

foÙkh; fooj.k dk i`:Ik ¼xSj&ykHk vtZu laxBu½ laLFkk dk uke% Hkkjrh; nwjlapkj fofu;ked izkf/kdj.k
31-3-2009 dks lekIr o"kZ dk Hkqxrku okyk fooj.k

izkfIr;k¡	pkyw o"kZ	fiNyk o"kZ	Hkqxrku	pkyw o"kZ	fiNyk o"kZ
1- v/kk'ks"k			I) O;;		
क) हाथ में रोकड़		-	क) स्थापना व्यय (अनुसूची 20 के अनुरूप)		-
ख) बैंक बैलेंस			ख) प्रशासनिक व्यय (अनसुची 21 के अनुरूप)	339.00	416.20
i) चालू खाते में		-			
ii) जमा खाते में		-			
iii) बचत खाते में	629829.96	908913.16			
II) izkIr vuqnku	-		II) fofHkUu ifj;kstukvksa ds fy, fuf/k;ksa ds fo:) fd;k x;k Hkqxrku		-
क) भारत सरकार से		-	(प्रत्येक परियोजनाओं के लिए किए गए		
ख) राज्य सरकार से		-	भुगतान के विवरणों के साथ)		
ग) अन्य स्रोतों से (विवरण)		-			
(पूंजीगत एवं राजस्व के लिए अनुदानों को अलग दर्शाएं)		-			
III. fuos'k ls fuos'k ij vk;			III) fd, x, fuos'k vkSj fu{ksi		
क) निर्धारित/बंदोबस्ती विधियां		-	क) निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों से		-
ख) स्वयं की निधियां (अन्य निवेश)		-	ख) स्वयं की निधि से (निवेश–अन्य)	12759777.00	4350000.00
IV. izkIr C;kt			IV) fu;r ifjlaifRr;ksa ij O;; rFkk py jgk iwathxr dk;Z		
क) बैंक जमा पर	469257.00	21324.00	क) नियत परिसंपत्तियों की खरीद		-

Contd.

31-3-2009 dk rqyu&Ik= dk Hkkx cuus okyk fooj.k

ikfIr;k	pkyw o"kZ	fiNyk o"kZ	Hkqxrku	pkyw o"kZ	fiNyk o"kZ
ख) ऋण, अग्रिम	-	-	ख) चल रहे पूंजीगत कार्य पर व्यय		-
ग) विविध	455915.00	187093.00			
V) ikIr C;kt			V) अधिक राशि/ऋणों की वापसी		
क) अन्य आय (निर्दिष्ट करें)	-	237.00	क) भारत सरकार को		-
			ख) राज्य सरकार को		-
VI) m/kkj yh xbZ jkf'k		-	ग) निधियों के अन्य प्रावधान		-
VII) dkbZ vU; ikfIr ¼fooj.k nsa½			VI) वित्त प्रभार (ब्याज)		-
शुल्क	-	-			
पूंजीगत निधि को	-	-	VII) अन्य भुगतान (निर्दिष्ट करें)		
प्रकाशनों की बिक्री को	-	-	अंतिम भुगतान	678383.00	377782.00
परिसंपत्तियों की बिक्री को	-	-	अग्रिम एवं निकासी	3126200.00	1972910.00
ऋण एवं अग्रिम तथा प्रतिभूति जमा को	5704198.00	4161440.00			
ब्याज के साथ एफडीआर के भुगतान को	3852211.00	1276922.00	VIII) अंत शेष		
शेष का अंतरण	407897.00	-	क) हाथ में रोकड़		-
अग्रिमों का पुनः भुगतान	156682.00	75009.00	ख) बैंक में शेष		
एफडी की परिपक्वता	4697851.00	700000.00	i) चालू खाते में		-
भादूविप्रा सा० नि० से वसूला कम ब्याज	644609.00	-	ii) जमा खाते में		-
भादूविप्रा को देय	2.00	-	iii) बचत खाते में	453752.96	629829.96
dqy	**17018451.96**	**7330938.16**	**TOTAL**	**17018451.96**	**7330938.16**

g0@&
Jh t- ,l- HkkfV;k
mi lykgdkj ¼yq[kk½
inu VLVh

g0@&
Jh ih- d- nÙkk
l;qDr lykgdkj ¼,,Mih½
inu VLVh

g0@&
Jh d- oh- nkeknju
l;qDr lykgdkj ¼bvkj½
VLVh

g0@&
Jherh ih- tkudh
vuqHkkx vf/kdkjh ¼D;vk,l½
VLVh

g0@&
Jh fcuksn dqekj
lykgdkj ¼, ,.M ih½
inu v/;{k

अनुसूची 24 - उल्लेखनीय लेखांकन नीतियां

1. **लेखांकन परंपराएं:**

(i) वित्तीय विवरण भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के दिनांक 23.07.2007 के पत्र सं0एफ. सं.19(1)/मिस./2005/टीए/450-490 द्वारा अनुमोदित ''समान प्रपत्र लेखा'' में तैयार किए गए हैं।

(ii) लेखे वर्तमान वर्ष, अर्थात 2008-09 के लिए प्रोदभूत आधार पर तैयार किए गए हैं। लेखांकन कार्यप्रणाली में पिछले वर्ष की तुलना में कोई अंतर नहीं किया गया है।

अनुसूची 25 - आकस्मिक देयाताएं और लेखाओं पर टिप्पणियां

आकस्मिक देयताएं:

1. संस्था के विरूद्ध दावे जिन्हें ऋणों के रूप में स्वीकार नहीं किया गया - शून्य

लेखाओं पर टिप्पणियां

1. निवेश वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की दिनांक 24 जनवरी, 2005 की अधिसूचना में निर्धारित पैटर्न के अनुसार किए गए हैं, जो 1 अप्रैल, 2005 से प्रभावी है।

2. सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अनुसार, किए गए निवेश तथा अंशदाताओं को देय ब्याज के बीच ब्याज में कमी, यदि कोई है, को भादूविप्रा सामान्य निधि से पूरा किया जाएगा। तदनुसार, इस वर्ष भादूविप्रा सामान्य निधि से वसूल की जाने वाली 3,86,983.71/- रू0 की राशि को हिसाब में लिया गया है।

3. आईसीएआई द्वारा लेखांकन मानक 13 के अनुसार, दीर्घकालिक निवेशों को लागत पर वित्तीय विवरणों में ले जाया जाना चाहिए। तथापि, अस्थायी को छोड़कर किसी कमी को पहचानने के लिए घटाव हेतु प्रावधान निवेशों के मूल्य में किए जाने चाहिए, प्रत्येक कटौती का अवधारण किया जाना चाहिए तथा इसे प्रत्येक निवेशों में अलग-अलग किया जाना चाहिए। वर्ष के दौरान, 4,97,699.00 की राशि म्यूचुअल फंड में निवेश के घटाव मूल्य के रूप में पहचानी गई है। इस राशि को भादूविप्रा सामान्य निधि में वसूली योग्य नहीं दर्शाया गया है।

ह0/-	ह0/-	ह0/-	ह0/-	ह0/-
श्री जे0एस0 भाटिया	श्री पी0के0 दत्ता	डा0 के0वी0 दामोदरन	श्रीमती पी0 जानकी	श्री विनोद कुमार
उप सलाहकार (लेखा)	सं0 सलाहकार (प्रएवंका)	सं0 सलाहकार (आर्थिक)	अनुभाग अधिकारी (क्यूओएस)	सलाहकार (प्र0एवंका0)
पदेन न्यासी	पदेन न्यासी	न्यासी	न्यासी	पदेन अध्यक्ष

bl संकलन में प्रयुक्त संक्षिप्ताक्षरों की सूची

2जी	दूसरी पीढ़ी
3जी	तीसरी पीढ़ी
एडीसी	एक्सेस डेफिसिट प्रभार
एजीआर	समायोजित सकल राजस्व
एआरपीयू	एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र
एएस	स्वायत्त प्रणाली
एटीएन	एक्शन टोकन नोट्स
एयूएसपीआई	एसोसिएशन ऑफ यूनाइटेड सर्विस प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया
बीजीपी	बार्डर गेटवे प्रोटोकॉल
बीएसएनएल	भारत संचार निगम लिमिटेड
बीएसओ	बुनियादी सेवा प्रचालक
बीडब्ल्यूए	ब्रॉडबैंड वायरलैस एक्सेस
सीएजी	कन्ज्यूमर एडवोकेसी ग्रुप
सीएपीईएक्स	पूंजीगत व्यय
सीएएस	सर्शत उपागम प्रणाली
सीडीएमए	कोड डिवीजन मल्टीपल एस्से
सी-डॉट	सेंटर फार डेवलपमेंट ऑफ टेलेमैटिक्स
सीआईआई	भारतीय उद्योग परिसंघ
सीएलआईपी	कॉलर लाइन आइडेंटिटी प्रेजेंटेशन
सीएलएस	केबल लैंडिंग स्टेशन
सीएमटीएस	सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा
सीओएआई	सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया
सीपीजीआरएएमएस	एकीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली
सीपीपी	कॉलिंग पार्टी पे
डीईएल	डायरेक्ट एक्सचेंज लाइन
डीआईटी	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
डीओटी	दूरसंचार विभाग
डीटीएच	डायरेक्ट-टु-होम
ईवीडीओ	इवोलूशन डाटा ऑप्टिमाइज्ड
एफडीआई	फॉरेन डायरेक्ट इंवेस्टमेंट
एफएलआरआईएल	फार्वड लुकिंग लॉग इन इंक्रिमेंटल कॉस्ट
एफटीए	फ्री-टु-एयर
जीएमपीसीएस	ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम
जीपीआरएस	जनरल पैकेट रेडियो सर्विस
जीएसएम	ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल्स
एचआईटीएस	हैड एंड द स्काई

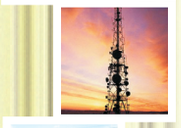

आईएएन	इंटरनल आथॉरिटी नोट
आईईटीएफ	इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स
आईएलडी	इंटरनेशनल लॉंग डिस्टेंस
आईएलडीओ	इंटरनेशनल लॉंग डिस्टेंस ऑपरेटर
आईएन	इंटेलीजेंट नेटवर्क
आईपीएलसी	इंटरनेशनल प्राइवेट लिंक सर्किट
आईपीटीवी	इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन
आईएसपीएआई	इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया
आईएसपी	इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर
आईटीईएस	इंफारमेशन टेक्नोलॉजी एनेबल सर्विसेज
आईटीएसपी	इंटरनेट विद टेलीफोनी
आईयूसी	इंटरकनेक्ट यूजर चार्जेस
मिनिस्ट्री ऑफ आई एडं बी	सूचना और प्रसारण मंत्रालय
एमडीयू	मल्टीपल डवेलिंग यूनिट
एमएलपीए	मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी
एमएनपी	मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी
एमओयू	मिनट्स ऑफ यूसेजेज
एमएससी	मोबाइल स्विचिंग सेंटर
एमएसओ	मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स
एमटीएनएल	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
एमवीएनओ	मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर
एनडीएनसी	राष्ट्रीय कॉल-न-करें रजिस्ट्री
एनजीएन	नेक्स्ट जेनेरेशन नेटवर्क
एनजीएन-ईको	नेक्स्ट जेनेरेशन नेटवर्क एक्सपर्ट कमेटी
एनजीओ	गैर-सरकारी संगठन
एनआईसी	राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र
एनआईडीक्यूएस	राष्ट्रीय एकीकृत डायरेक्ट्री इंक्वायरी सर्विस
एनआईएक्सआई	नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया
एनएलडी	नेशनल लॉंग डिस्टेंस
एनएनपी	नेशनल नम्बरिंग प्लान
एनआरआरडीए	राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी
एनटीपी	नई दूरसंचार नीति
ओबीडी	आउट बाउंड डायलर
ओएफसी	ऑप्टिक फाइबर केबल
ओएचडी	ओपन हाउस चर्चा
ओपीईएक्स	प्रचालनात्मक व्यय
ओटीईएफ	एकबारीय प्रवेश शुल्क

पीसीओ	पब्लिक कॉल ऑफिस
पीएमआरटीएस	पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंक्ड सर्विसेज
पीओआई	प्वाइंट ऑफ इंटरकनेक्शन
पीओपी	प्वाइंट्स ऑफ प्रेजेंस
पीएसयू	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम
क्यूओएस	सेवा गुणवत्ता
आरआईओ	संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव
एसएसीएफए	फ्रीक्वेंसी आबंटन संबंधी स्थायी परामर्शदात्री समिति
एसएटीआरसी	दक्षिण एशियाई दूरसंचार विनियामक परिषद
एसआईएम	सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मोड्यूल
एसएमएस	शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस
एसपी	सेवा प्रदाता
एसआरएस	सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस
टीएएम	टेलीविजन दर्शक मापन
टीसीईपीएफ	दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि
टीडीएसएटी	दूरसंचार विवाद निपटान और अपील अधिकरण
टीईसी	दूरसंचार इंजीनियरी सेंटर
टीआरएआई	भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
टीआरपी	टेलीविजन दर्शक अंक
टीटीओ	दूरसंचार टैरिफ आदेश
यूएसएल	सार्वभौमिक सेवा उद्ग्रहण
यूसीसी	अवांछनीय वाणिज्यिक संप्रेषण
यूएसओएफ	सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि
यूएसएसडी	गैर-अवसंरचनात्मक अनुपूरक सेवा आंकडे
वीएएसपी	मूल्यवर्धित सेवा प्रदाता
वीसीसी	वर्चुअल कॉलिंग कार्ड
वीओडी	वीडियो ऑन डिमांड
वीपीटी	ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन
वीएसएटी	वैरी स्मॉल अपरचर टर्मिनल
डब्ल्यूआई-एफआई	वायरलैस फीडेलिटी
डब्ल्यूआईएमएएक्स	वर्ल्डवाइड इंटरपोर्टेबिलिटी फार माइक्रोवेव एक्सेस
डब्ल्यूएलएल	वायरलैस इन लोकल लूप
डब्ल्यूपीसी	वायरलैस प्लानिंग समन्वय

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

महानगर दूरसंचार भवन, जवाहर लाल नेहरु मार्ग (पुराना मिंटो रोड), समीप जाकिर हुसैन कालेज, नई दिल्ली-110002